लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

4th
LOK SABHA DEBATES

[नवां सत्र]

Ninth Session

[खंड 34 में अंक 11 से 20 तक हैं]
[Vol. XXXIV contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण

4 दिसम्बर, 1969 । 13 अग्रहायण , 1891 (शक)

का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ संख्या	शुद्धि

पंक्ति 4 , `2632 ` के स्थान पर `2633 `पढ़िये ।

प्रश्न संख्या `2774 ` के स्थान पर `2773 `पढ़िये ।

प्रश्न संख्या 2800 के बाद निम्नलिखित पढ़िये :

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नई दिल्ली स्थित कार्यालय पर हुई घटना के बारे में

पंक्ति 11 , `श्री मुहम्मद इमाम ` के स्थान पर `श्री जे. मुहम्मद इमाम `पढ़िये ।

पंक्ति 4 , नीचे से , `106-108 ` के स्थान पर `107-108 `पढ़िये ।

3 पंक्ति 9 , ` 3 ` भी पढ़िये ।

अंक 14, गुरुवार, 4 दिसम्बर, 1969/13 अग्रहायण, 1891 (शक)
No. 14, Thursday, December 4, 1969/Agrahayana 13, 1891 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
391. संविधान का संशोधन	Amendment of the Constitution	2—7
392. कार्मिक संघों को मान्यता देने का मान दंड	Criteria for recognition of Trade Unions ..	7—11
393. पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा अपराध सम्बंधी फिल्मों के प्रदर्शन पर प्रतिबन्ध	Ban on exhibition of crime films by West Bengal Government	11—12
394. कोचीन पत्तन के गोदी श्रमिकों द्वारा हड़ताल	Strike by Cochin Port Dock Workers	13—14
395. पत्तन और गोदी के श्रमिकों सम्बन्धी केन्द्रीय मजदूरी बोर्ड का प्रतिवेदन	Report of Central Wage Board for Port and Dock Workers ..	15—16
397. उर्वरकों पर लगाये गये कर को हटाना	Removal of levy of tax on fertilizers	16—19
प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
396. नलकूपों के लिये बिहार को केन्द्रीय सहायता	Central aid to Bihar for Tube wells	19
398. बम्बई पत्तन के पायलटों द्वारा हड़ताल	Strike by Bombay Port Pilots ..	19—20

* किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
399. चौथी पंचवर्षीय योजना में पश्चिम बंगाल, आसाम आदि के पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि उद्योग	Agro Industries in hill areas of West Bengal, Assam etc. during the Fourth Plan ..	20—21
400. गरीब किसानों और हरिजनों को भूमि का वितरण	Distribution of land among poor peasants and Harijans	21
401. शिक्षित इंजीनियरों, वैज्ञानिकों तथा तकनीशनों में बेकारी	Unemployment among educated Engineers Scientists and Technicians ..	21—22
402. उपग्रह संचार केन्द्रों की स्थापना के लिये अमरीका से सहायता	Help from USA for setting up Satellite communication net work ..	22
404. नक्सलवादियों के समाचार-पत्रों में माओ को भारत का राष्ट्रपति बताया जाना	Mao Described as President of India in Naxalities Papers ..	22—23
405. स्वचालित यंत्रों के प्रयोग के बारे में वेंक्टारमन् समिति	Venkataraman Committee on Automation	23—24
406. आयातित अमरीकी गेहूं का मूल्य	Price of Imported US Wheat	24
407. इंजीनियरी उद्योग मजूरी ढांचा	Wage Structure in Engineering Industry ..	24—25
408. कलकत्ता में भारतीय खाद्य निगम द्वारा अर्जित मुनाफा	Profits Earned by Food Corporation of India at Calcutta ..	25—26
409. चीनी पर कर में कमी	Reduction in Sugar Levy	26
410. सिंचाई के लिये ड्रिलिंग रिगों तथा बोरिंग पाइपों की आवश्यकता	Requiring of Drilling Rigs and Boring Pipes for Irrigation	26—27
411. पूर्व पाकिस्तान से पश्चिम बंगाल और दिल्ली आये शरणार्थियों की बस्तियों को नियमित करना	Regularization of Colonies of Refugees from East Pakistan who Migrated to West Bengal and Delhi	27—28
412. पौधा संगरोध शालाओं की स्थापना	Location of Plan Quarantine Units	28
413. विदेशों द्वारा भारत को खराब हो गये दुग्ध चूर्ण की सप्लाई	Supply of Spoiled Milk Powder to India by Foreign Countries ..	28—29

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
414. चूहों आदि द्वारा भण्डागारों तथा गोदामों में अनाज की बर्बादी	Destruction of Foodgrains in Warehouses and Godowns by Rodents ..	29—30
415. दिल्ली दुग्ध योजना को एक स्वायत्तशासी निगम में परिवर्तित करना	Conversion of DMS into an Autonomous Corporation	30
416. औद्योगिक विवाद अधिनियम का संशोधन	Amendment of Industrial Disputes Act ..	31
417. चीनी के नये कारखानों की स्थापना	Setting up of New Sugar Mills	31
418. आसनसोल कोयला खान क्षेत्र में असंतोष	Unrest in Asansol Colliery Area	31—32
419. धान के खेतों में मछली पालन संबंधी अध्ययन	Study of Pisciculture in Paddy Fields	32
420. वन तथा वन भूमि सम्बन्धी नीति	Forest ond Forest Land Policy	33
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
2601. चीनी का उत्पादन, खपत तथा निर्यात	Sugar Production, Consumption and Export	33—34
2602. देश में अनाज की कुल मांग	Total requirement of cereal in the country	34—35
2603. आकाशवाणी के विविध भारती कार्यक्रम में विज्ञापन	Commercial Advertisements in Vividh Bharti Programme of AIR	35—36
2604. नागपुर के लिये पृथक टेलीफोन निर्देशिका	Separate Telephone Directory for Nagpur ..	37
2605. सूखा तथा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र	Area under drought and floods	37
2606. जन प्रचार साधनों सम्बन्धी समिति की सिफारिशें	Recommendations of Committee on Mass Media ..	38
2607. आकाशवाणी केन्द्र दिल्ली में प्रसारित चलचित्र संगीत का सर्वप्रिय स्वरूप	Cosmopolitan character for Film Music broadcast over AIR Delhi ..	38—39
2608. प्रोड्यूसरों तथा सहायक प्रोड्यूसरों का स्थानान्तरण	Transfer of Producers and Assistant Producers	39

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		

2609. आकाशवाणी केन्द्र दिल्ली के प्रोडक्शन सहायक	Production Assistants in All India Radio, Delhi ..	40
2610. मोहिनी शूगर मिल्स, गया का बन्द होना	Closure of Mohni Sugar Mills, Gaya	40—41
2611. गया जिले में गुरारू में चीनी मिल बन्द होना	Closure of a Sugar Mill in Guraru in Gaya District ..	41
2612. बुद्ध गृह निर्माण सहकारी समिति, पटना	Buddha House Building Cooperative Society, Patna	41
2613. टेलीग्राफ स्टोरों में चोरियां	Thefts in Telegraphs Stores	42—43
2614. पंजाब और हरियाणा में पुनर्वास विभाग द्वारा वक्फ सम्पत्ति की बिक्री	Sale of Wakf Property by Rehabilitation Department in Punjab and Haryana ..	43
2615. जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों की मांगें	Demands of Employees of Life Insurance Corporation ..	43—44
2616. साउथ एवेन्यू (नई दिल्ली) में टेलीविजन शो में कुत्तों का उत्पात	Canine Nuisance in South Avenue (New Delhi) T V Show ..	44
2617. उर्वरकों के ऊंचे विक्रय मूल्य	High Sale prices of Fertilizers	44—45
2618. पूर्वी बंगाल से शरणार्थियों का निष्क्रमण	Influx of Refugees from East Bengal ..	45
2619. सूती कपड़ा औद्योगिक श्रमिकों के सम्बन्ध में दूसरे केन्द्रीय मजूरी बोर्ड के पंचाट को लागू करना	Implementation of Second Central Wage Board Award in Respect of Cotton Textile Industrial Workers	45—46
2620. जम्मू तथा काश्मीर में वनों के सर्वेक्षण के लिये रूसी विशेषज्ञ	Soviet Experts for Forest Survey in Jammu and Kashmir	46
2621. प्रधान मंत्री के निवास स्थान तथा सचिवालय से किये गये स्थानीय तथा ट्रंक कालों पर व्यय	Expenditure incurred on local calls and trunk calls made at Prime Minister's Residence and Secretariat ..	46
2622. मध्य प्रदेश में अकाल की स्थिति	Famine Situation in Madhya Pradesh	46—47
2623. पंचायत राज संस्थाओं में सुधार	Improvement in Panchayat Raj Institutions ..	47

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
2624. गो हत्या पर प्रतिबन्ध	Ban on Cow Slaughter	48
2625. मध्य प्रदेश में भिंड तथा दतिया जिलों में उप-डाकघर	Sub-post office in Bhind and Datia Districts in Madhya Pradesh	48
2626. हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर लिमिटेड, मद्रास	Hindustan Teleprinter Ltd., Madras..	
2627. तेपियोका पाउडर तैयार करना	Development of Tapioca Powder ..	49—50
2628. टेलीफोन सलाहकार समिति के सदस्यों के चयन का तरीका	Mode of selection of Members of Telephone Advisory Committee	50
2629. दिल्ली पुनर्वास विभाग समाप्त करना	Abolition of Delhi Rehabilitation Department	50—51
2630. खण्ड विकास कार्यालयों के लिये जीप	Jeeps for Block Development Offices	51
2631. प्रादेशिक कार्यालय पटसन विकास, कलकत्ता के निदेशक के विरुद्ध आरोप	Allegation against Director, Regional Office, Jute Development, Calcutta	52
2632. पोषाहार बोर्ड का स्थापित किया जाना	Setting up of Nutrition Board	52—53
2634. अहमदाबाद के मन्दिर पर आक्रमण के बारे में आकाशवाणी और रेडियो पाकिस्तान द्वारा प्रसारण	Broadcasts over All India Radio and Radio Pakistan about attack on Ahmedabad Temple	53
2635. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पूसा (नई दिल्ली) में कार्य करने वाले कर्मचारियों को क्वार्टरों का आवंटन	Allotment of quarters to the persons working in L.T.I. Pusa, New Delhi	54
2636. बम्बई टेलिविजन केन्द्र के लिये पश्चिम जर्मनी द्वारा स्टूडियो और ट्रांसमिशन उपकरणों का उपहारस्वरूप दिया जाना	West German gift of studio and transmission equipment for Bombay TV Station	54—55
2637. दूध के क्रय विक्रय तथा डेरी फार्मिंग के लिये निगम	Corporation for milk marketing and Dairy Farming	55
2638. भूमिगत जल निकालने के काम के विनियमन के लिये विधान	Legislation to regulate extraction of ground Water	56

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
2639.	रोजगार के अवसरों का अनुमान लगाने वाली समिति का प्रतिवेदन	Report of the Committee for estimating Employment Opportunities ..	56—57
2640.	पश्चिम बंगाल को चावल की सप्लाई	Supply of rice to West Bengal ..	57
2641.	कलकत्ता में बड़ा शक्तिशाली ट्रांसमिटर	Super Power Transmitter at Calcutta	57—58
2643.	चीनी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Sugar Industry ..	58
2644.	खाद्यान्न तथा उर्वरकों के आयात के लिये विदेशी नौवहन समवायों का उपयोग	Use of Foreign Shipping Companies for Import of Foodgrains and Fertilizers ..	58—59
2645.	आंध्र प्रदेश और मैसूर में कृषि सम्बन्धी योजनाओं के लिये कृषि वित्त निगम द्वारा दिये गये ऋण	Loans sanctioned by Agricultural Finance Corporation for Agricultural Schemes in Andhra Pradesh and Mysore ..	59—60
2646.	बीज संगठन के लिये सुविधाओं सम्बन्धी वैंकटापैया समिति का प्रतिवेदन	Report of Venkatappaiah Committee on facilities for Seeds Organisation ..	60
2648.	राज्यों में भूमि पर अवैध कब्जा	Illegal occupation of land in States	60—61
2649.	थोक उपभोक्ता सहकारी भण्डार, दिल्ली का दोषपूर्ण कार्य संचालन	Faulty working of Wholesale Consumers Cooperative Store, Delhi	61—62
2650.	आकाशवाणी से विदेशी भाषाओं में प्रसारण	AIR Broadcasts in Foreign Language	62
2651.	गन्ने का मूल्य निर्धारण करने की नीति	Policy Re : Fixation of Sugar Cane Prices ..	62—63
2652.	बिहार में मधुबनी उपमंडल में विजयी गांव में डाकघर खोलना	Opening of Post Office in Vijayi Village in Madhubani Distt. Bihar ..	63
2653.	दरभंगा, बिहार में आकाशवाणी केन्द्र	Radio Station at Darbhanga, Bihar ..	63—64
2654.	उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Sugar Industry in U. P. ..	64

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
2655.	चकबन्दी सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन	Study of Problems concerning Consolidation of holdings ..	64—65
2656.	भारतीय खाद्य निगम में आशुलिपिकों का चयन	Selection of Stenographers in Food Corporation of India ..	65
2657.	कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशि	Arrears of Employees Provident Fund	65—66
2658.	कम निकोटीन वाले हल्के तम्बाकू की नई किस्म	New Variety of light body Tobacco with less nicotine content ..	66
2659.	अन्दमान द्वीप समूह द्वारा खाद्यान्न का आयात	Foodgrains imported by Andaman Islands ..	66—67
2660.	अन्दमान द्वीप समूह में मछली परिष्करण केन्द्र	Fish Processing Centres at Andaman Islands	67
2661.	छोटी सिंचाई कार्यों के लिये राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को ऋण	Loans to States and Union Territories for Minor Irrigation Works ..	67—68
2662.	चीनी, गुड़ तथा खांडसारी का निर्यात	Export of Sugar, Gur and Khandsari	68
2663.	रुई की फसल पर कीटनाशक दवाइयां छिड़कने के लिये हैलीकाप्टरों की कमी	Shortage of Helicopters for Spray of Pesticides on Cotton Crops	68—69
2664.	केन्द्रीय सरकार के पास पंजीकृत राजस्थान की साप्ताहिक पत्रिकायें	Weeklies of Rajasthan Registered with Central Government	69
2665.	जयपुर में टेलीफोन केन्द्र के लिये नई इमारत	New Building for Telephone Exchange at Jaipur ..	69
2666.	मोटे अनाज के मूल्यों को गिरने से रोकना	Check on coarse Grain Prices	70
2667.	राजस्थान रेगिस्तान का फैलाव रोकने के लिये इसरायली विशेषज्ञ	Israel Experts to check spread of Desert in Rajasthan ..	70
2668.	कृषि उद्योग निगम	Agro Industries Corporation ..	70—71
2669.	कोयला खान के मजदूरों के लिये उपदान	Gratuity for Colliery Workers ..	71—72
2670.	दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दूध के टोकन जारी करना	Issue of Milk Tokens by Delhi Milk Scheme ..	72

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. N. Q. Nos.		
2671. चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण का अध्ययन करने के लिये विशेषज्ञ निकाय	Export Body to study take over of Sugar Mills ..	72—73
2673. अहमदाबाद में पांच पैसे के टिकटों की कमी	Shortage of Five Paise stamps in Ahmedabad	73
2674. तमिल समाचार बुलेटिन में अत्यावश्यक समाचारों को छोड़ कर केन्द्रीय औद्योगिक विकास मंत्री के भाषण का प्रसारित किया जाना	Broadcast of speech of Union Minister of Industrial Development in preference to more important news in Tamil News Bulletin	74
2675. समाचार-पत्रों पर से बड़े व्यापार गृहों के नियंत्रण को समाप्त करने की कार्यवाही	Steps to counter big business hold on Newspapers	74—75
2676. मजदूर शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम के बारे में पुनर्विचार	Review of programme of workers Education ..	75
2677. 'अपना टेलीफोन लगाओ' योजना के अन्तर्गत अनिर्णीत आवेदन पत्र	Applications pending under own Your Telephone Scheme	75—76
2678. भाण्डागार रसीदों के आधार पर बैंकों द्वारा कृषकों तथा व्यापारियों को ऋण दिया जाना	Amount Advanced by Banks to Agriculturists and Traders on Warehouses Receipts	76—77
2679. राज्यों में ट्रैक्टर केन्द्र खोलना	Opening of Tractor Centres in States	77—78
2680. प्रताप और वीर अर्जुन को राजकीय विज्ञापन	Government Advertisements to Pratap and Vir Arjun	78—79
2681. आकाशवाणी के सूचना अधिकारियों द्वारा समाचारों का हिन्दी में प्रसारण	Hindi Transmission of News by Information Officers of All India Radio ..	79
2682. सिंचाई के लिये भूमिगत जल की उपलब्धि	Availability of Underground Water for Irrigation	79—80
2683. सहकारी क्षेत्र में समाचार पत्र	Newspapers in Co-operative Sector ..	80
2685. राजस्थान अकाल सहायता हेतु नियत धन का दुरुपयोग	Misuse of Funds meant for Rajasthan Famine Relief	80—81
2686. सहकारी खेती	Co-operative Farming ..	81—82

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
2687.	गन्ना उत्पादकों को दिये गये मूल्य	Prices Paid to Sugarcane Growers	82
2688.	अभ्रक उद्योग के लिये मजूरी बोर्ड की नियुक्ति	Appointment of Wage Board for Mica Industry	83
2689.	अभ्रक उद्योग में मजदूरों की न्यूनतम मजूरी	Minimum Wages for Workers in Mica Industry	83—84
2690.	राजस्थान में सस्ते भाव पर गेहूं की बिक्री	Sale of Wheat at Cheaper rate in Rajasthan	84
2691.	महाराणा प्रताप के बारे में नाटक की रचना	Production of Drama on Maharana Pratap	84—85
2692.	गीत तथा नाटक प्रभाग का वार्षिक व्यय	Annual Expenditure of Song and Drama Division ..	85
2693.	चौथी योजना में मत्स्य नौकाओं का लक्ष्य	Target for Trawlers under Fourth Plan	85—86
2694.	भारत के रेगिस्तानी क्षेत्रों में इसराइल के वृक्षों का लगाया जाना	Planting of Trees of Israel in Indian Deserts	86
2695.	भारत में खजूर का उत्पादन	Production of Date Palm in India ..	86—87
2696.	पोटाश उर्वरकों के आयात मूल्यों में अन्तर	Variation in the Prices of Import of Potash Fertilizers ..	87
2697.	नवम्बर, 1969 में हुआ राज्य श्रम मंत्रियों का सम्मेलन	State Labour Ministers' Conference held in November, 1969 ..	87
2698.	विस्थापित व्यक्तियों को मकानों तथा सम्पत्ति का आवंटन	Allotment of Houses and Property in Displaced Persons	88
2699.	बिना लाइसेंस के वेतार (वायरलेस) सेट	Unlicenced Wireless sets	88—89
2700.	टेलीफोनों को बीच में सुनना	Tapping of Telephones	89
2701.	कृषि श्रमिकों में बेरोजगारी	Unemployment among Agricultural Labour	89
2702.	उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा राजनीतिक दलों को चन्दा	Donation to Political Parties by Sugar Mills, U. P.	89—90
2703.	दिल्ली में गृह-निर्माण समितियों में अनियमितताएं	Irregularities in House Building Societies in Delhi ..	90

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
2704.	उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की ओर बकाया राशि	Outstanding Amount against Sugar Mills in U. P. ..	90—91
2705.	गौ-संरक्षण समिति का प्रतिवेदन	Cow Protection Committee's Report	91
2706.	रबात सम्मेलन के बारे में आकाशवाणी पर चर्चा	Rodio discussion on Rabat Conference	92
2708.	सुपर बाजार, नई दिल्ली के कार्य की जांच	Enquiry into Affairs of Super Bazars, New Delhi	92
2709.	उपग्रह एवं स्थलीय व्यवस्था द्वारा टेलीविजन संचार	T. V. Communications with Satellite-cum-Terrestrial Network ..	93
2710.	टेलीविजन सेवा का विस्तार	Expansion of T. V. Service	93
2711.	आकाशवाणी से प्रसारित वार्ताओं में साम्यवादी दृष्टि कोण वाले समाचार-पत्रों के प्रतिनिधि	Reprcsentatives of Newspapers with Communist Leaning on AIR Talks	93—94
2712.	पैसा या प्यार चलचित्र का सेंसर	Censoring of Film Paisa-ya-Pyar	94
2713.	दिल्ली कलकत्ता के बीच ट्रंक डायल व्यवस्था	Delhi Calcutta Trunk Dialling System	95
2714.	नई ट्रंक डायल व्यवस्था	New Trunk Dialling System	95—96
2715.	स्टाफ आर्टिस्टों, ब्राडकास्टरों तथा टेलीकास्टरों के संघ द्वारा संयुक्त ज्ञापन	Joint Memorandum by Staff Artistes, Broadcasters and Telecasters' Guild	96
2716.	पूर्वी बंगाल के शरणार्थी	Refugees from East Bengal	96—97
2717.	अंग्रेजी तथा हिन्दी में दिल्ली टेलीफोन डायरेक्टरी	Delhi Telephone Directory in English and Hindi	97
2719.	खेतिहर मजदूरों की न्यूनतम मजूरी	Minimum wages of Agricultural Labourers	97—98
2720.	क्रिकेट मैच के आंखों देखे हाल के प्रसारण का रद्द किया जाना	Cancellation of Cricket Commentry	98
2721.	कानपुर में टेलीविजन केन्द्र	T.V. Centre at Kanpur	98
2722.	उत्तर प्रदेश में खाद्यान्नों के मूल्य	Prices of Foodgrains in U. P.	99

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
2723.	पी० एल० 480 योजना के अधीन गेहूं का आयात	Import of Wheat under PL 480	99
2724.	उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Sugar Industry in U. P.	99—100
2725.	तिलहन का आयात	Import of Oilseeds ..	100—101
2726.	यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन	Universal Postal Union ..	101
2727.	यूनिवर्सल सर्कल में डाक व तार विभाग के अधिकारियों के टी० ए० बिलों पर खर्च	Expenditure on T.A. Bills of P & T Officers in Bihar Circle ..	101—102
2728.	बिहार में डाक व तार कर्मचारियों की चिकित्सा सुविधाओं तथा अन्य भत्तों पर व्यय	Expenditure on Medical Facilities and other Allowances to P & T Staff in Bihar	103
2729.	बिहार में टेलीफोन तथा तार घर	Telephone and Telegraph Offices in Bihar ..	103—104
2730.	खनन उद्योग में कर्मचारी राज्य बीमा योजना लागू करना	Application of Employees State Insurance Schemes to Mines ..	104
2731.	बिहार में भूमिहीन मजदूरों द्वारा खाली भूमि पर कब्जा करने का अभियान	Campaign to occupy fallow land in Bihar landless Labour ..	104—105
2732.	प्रोडक्शन असिस्टेंट और ट्रांसमिशन अधिकारियों के बारे में मसानी समिति की सिफारिशें	Masani Committee Recommendations on Production Assistants and Transmission Executives ..	105
2733.	पोर्ट ब्लेयर के लिये शक्तिशाली ट्रांसमिटर	Powerful Transmitter for Port Blair ..	105—106
2734.	अन्दमान टाइम्स के विकास के लिये केन्द्रीय सहायता	Central Help for Development of Andaman Times ..	106
2735.	चौथी योजना के दौरान कपास का उत्पादन	Production of Cotton During Fourth Plan ..	106—107
2736.	1968-69 में अनाज की अच्छी फसल की सम्भावना	Prospects for Food Crop for 1968-69 ..	106—108
2737.	ट्रैक्टरों की आवश्यकता तथा उनका निर्माण	Requirement of Tractors and their Manufacture ..	108—109

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
2738.	मैसूर राज्य में डाक तथा तार कर्मचारी	P & T Employees in Mysore State	109—111
2739.	दुग्ध चूर्ण, मक्खन, घी, पनीर तथा दही का आयात	Import of Milk powder, Butter, Ghee, Cheese and Curd	111—112
2740.	किसानों के लिये सस्ते कृषि औजारों की योजना	Scheme of Cheap Farming Tools for Farmers	112
2741.	अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं का मूल्य	Price of Wheat in International Market	112—113
2742.	आर्थिक और प्रशासनिक विषयों पर संसदीय रिपोर्टिंग के लिये सरकारी न्यूज एजेंसियां	Government News Agencies for Parliamentary Reporting on Economic and Administrative Subjects	113
2743.	दक्षिण कनारा जिले में यंत्रीकृत नौकाओं का वितरण	Distribution of Mechanised Boats in South Kanara District	113—114
2745.	समाचार भारतीय न्यूज एजेन्सी में कथित कुप्रबन्ध	Alleged mismanagement in Samachar Bharati News Agency	114—115
2746.	आकाशवाणी, भुज से प्रसारित होने वाले सिन्धी कार्यक्रम के समय में कमी	Reduction in time of Hindi Programme from All India Radio, Bhuj	115
2747.	सदस्यों के निवास स्थानों पर टेलीफोन सुविधाएं	Telephone facilities at the Residence of Members	115—116
2748.	बेकार भूमि को कृषि योग्य बनाना तथा उसका भूमि हीन मजदूरों को आंवटन	Reclamation of Waster Lands and its allotment to landless Labour	116—117
2749.	डेरी विकास परियोजनाओं के लिये वित्त की व्यवस्था करने की योजना	Scheme for Financing of Dairy Development Projects	117
2750.	विभाजन से पूर्व ली गई डाक जीवन बीमा पालिसियों का भुगतान	Payment against Postal Life Insurance Policies taken before partition	117—118
2751.	सीमावर्ती क्षेत्रों के लिये शक्तिशाली ट्रांसमीटर	High Power Transmitters for Border Areas	118—119
2752.	रेलवे डाक सेवा के डिब्बे में अजमेर से दिल्ली चांदी का लाया जाना	Silver brought to Delhi from Ajmer in R.M.S. Bogie	119

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
2753. सरकारी दुकानों के माध्यम से खाद्यान्नों की बिक्री	Sale of Foodgrains through Government Shops ..	119—120
2754. मध्य प्रदेश में खांडवा में असंतोषजनक टेलीफोन सेवा	Unsatisfactory Telephone Service in Khandwa in Madhya Pradesh	120
2755. मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बिक्री संघ को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Madhya Pradesh State Co-operative Marketing Association	120
2756. मध्य प्रदेश में सूखे और अकाल की स्थिति	Drought and Famine in Madhya Pradesh ..	121
2757. सघन खेती के लिये मध्य प्रदेश की फोर्ड फाउन्डेशन द्वारा सहायता	Aid by Ford Foundation to Madhya Pradesh for Intensive Agriculture ..	121—122
2758. सुपर बाजारों तथा सहकारी भण्डारों में घाटा	Losses in Super Markets and Co-operative Stores ..	122
2759. विभिन्न मंत्रालयों पर टेलीफोन शुल्क की बकाया राशि	Outstanding Telephone dues from various Ministries ..	122
2760. देवरिया की चीतौनी शूगर मिल का बिक्री के लिये चीनी देने का आदेश	Release of Sugar by Chhitauni Sugar Mill, Deoria	123
2761. आलू के मूल्यों में उतार चढ़ाव	Fluctuation in the Prices of Potatoes	123
2763. दिल्ली कंज्यूमर्स कोपरेटिव होलसेल स्टोर्स लिमिटेड के कार्यों की जांच	Inquiries into the Affairs of Delhi whole-sale Consumers' Co-operative	124
2764. रोम में खाद्य तथा कृषि संगठन सम्मेलन में लिये गये निर्णय	Dicisions taken at FAO Conference held at Rome ..	124—125
2765. आकाशवाणी से बाजार भावों का प्रसारण	Market Bulletin over All India Radio	125
2766. खरीफ की फसल के वसूली मूल्य	Procurement Prices of Kharif Crops ..	125—126
2767. देहाती क्षेत्रों में कार्य कर रहे डाक घरों में वचत बैंक लेखे खोलने की योजना	Scheme to open Savings Bank Account in Post Offices functioning in Rural Areas ..	126

विषय	Sujbect	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		

2768. बर्मा तथा लंका से आये व्यक्तियों का अन्दमान द्वीप समूह में बसाया जाना	Rehabilitation of Repatriates from Burma and Ceylon in Andaman Islands ..	126—127
2769. महाराष्ट्र में बढ़िया किस्म की ज्वार की खेती वाली भूमि	Area under Cultivation of High Breed Jowar in Maharashtra	128
2770. वसूल किये गये खाद्यान्नों के लिये विलम्ब से अदायगी करने की योजना	Scheme for Defferred Payment for Procured Foodgrain ..	128
2771. वर्षा पर आश्रित कृषि भूमि	Acreage of Agricultural Land Dependent upon Monsoons ..	129
2772. उत्तर प्रदेश और बिहार में चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Sugar Mills in U. P. and Bihar ..	129
2773. कोयला क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था की स्थिति में गिरावट	Deterioration in Law and Order Situation in Coal Fields ..	129—130
2775. केरल को चावल का सम्भरण	Supply of Rice to Kerala	130
2776. चीनी का निर्यात	Export of Sugar	130
2777. त्रिपुरा को अनाज का सम्भरण	Supply of Foodgrains to Tripura	131—132
2778. त्रिपुरा में डाकघर	Post Offices in Tripura ..	132—133
2779. गांवों में चलचित्र सुविधाओं की व्यवस्था	Extension of Cinemas to Villages	133
2780. कृषि ऋण समितियों को हुई हानि	Losses incurred by Agricultural Credit Societies	134
2781. अन्तर्संसदीय संघ सम्मेलन पर स्मारक टिकट निर्धारित समय से पूर्व जारी करना	Pre-issue of Commemorative Stamp on Inter Parliamentary Union Conference ..	134
2782. राज्यों में भैंस पालन केन्द्रों की स्थापना	Setting up of Buffalo Farms in States	135—136

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
2783. दर्शनीयता प्रमाणपत्र न प्राप्त कर सकने वाले भारतीय तथा विदेशी चल चित्र	Foreign and Indian Films not granted certificates for exhibition	136
2784. मध्य प्रदेश में भूमिहीन आदिवासियों को भूमि देना	Land to Landless Tribal in Madhya Pradesh ..	136—137
2785. रेलवे के लाइसेंस प्राप्त कुलियों की दशा सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन	Report of Committee on conditions of Railway Licenced Porters ..	137—138
2786. आकाशवाणी के समाचार वाचकों द्वारा भारतीय स्थानों और व्यक्तियों के नामों का गलत उच्चारण	Incorrect pronouncing of names of Indian places, and persons by AIR News Readers	138
2787. कीटनाशी दवाइयां न छिड़के जाने के कारण बिहार में धान की फसल को हानि	Loss to Paddy Crop in Bihar due to Non-spray of Pesticides ..	138—139
2788. चम्पारन (बिहार) के लिये आकाशवाणी केन्द्र	Radio Station for Champaran (Bihar) ..	139—140
2789. चलचित्रों के निर्माण के लिये देश में विभिन्न स्थानों पर सरकारी स्टुडियो बनाना	Country Wide Government studies for Film Production	140
2790. समाचारपत्र सूचना कार्यालय का पुनर्गठन	Reorganisation of Press Information Bureau ..	140—141
2791. मोयरा कोयला खान, पश्चिम बंगाल के विरुद्ध शिकायत	Complaints against Moira Colliery, West Bengal ..	141
2792. प्रस्तुतीकरण सहायक के लिये विहित अर्हताएं	Qualification prescribed for production Assistants ..	141—142
2793. आकाशवाणी के नैमित्तिक कलाकारों की नियमित रूप में नियुक्ति	Regular Appointment of casual Artistes of AIR ..	142
2794. दिल्ली दुग्ध योजना में काम करने वाले विद्यार्थियों की मांगें	Demand of Students working with Delhi Milk Scheme ..	142—143
2795. सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र	Public Call Offices	143—144
2796. धान के लिये समर्थन मूल्य	Support price for Paddy	144

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
2797. नलकूप खोदने के लिये रिगों का आयात	Import of Rigs for drilling Tube-wells ..	144—145
2798. भारतीय फिल्मों और फिल्मी गानों के टेपों का चोरी छिपे देश से बाहर ले जाया जाना	Smuggling out of India Films and Film Songs in Tapes	145
2799. श्रीनगर में टेलीविजन केन्द्र	Television for Srinagar ..	145—146
2800. दिल्ली में सहकारी समितियों द्वारा जनता के धन का दुरुपयोग	Misuse of Public money by co-operative Societies in Delhi	146
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
मलयेशिया स्थित भारतीय बैंकों की कथित कठिनाइयां	Reported difficulties of Indian Banks in Malayasia ..	147—150
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा	Shrimati Tarkeshwari Sinha ..	147, 148, 149
श्री प्रकाश चन्द सेठी	Shri P. C. Sethi ..	147—148 149, 150
कुछ अधिकारियों और श्री टी० टी० कृष्णामाचारी के बीच बातचीत के बारे में	Re : Metting between certain officers and Shri T. T. Krishnamachari ..	150—151
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table ..	151—153
अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जन जातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति	Committee on Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes	154
पहला प्रतिवेदन	First Report	154
केन्द्रीय रेशम बोर्ड (संशोधन) विधेयक	Central Silk Board (Amendment) Bill	154—162
विचार करने के लिए प्रस्ताव	Motion to Consider	154
श्री राम सेवक	Shri Ram Sevak ..	154—156
खंड 2 से 6 और 1	Clauses 2 to 6 and 1	157—160
संशोधित रूप में, पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass, as amended	161
श्री महाराज सिंह भारती	Shri Maharaj Singh Bharati	161
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavtar Shastri	161
श्री एन० एन० पटेल	Shri N. N. Patel	161

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
श्री अब्दुल गनी दार	Shri Abdul Ghani Dar	161
चौधरी राम सेवक	Chowdhary Ram Sevak	.. 161—162
पेट्रोलियम (संशोधन) विधेयक	Petroleum (Amendment) Bill	.. 162—163
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider	.. 162
श्री दा० रा० चह्वाण	Shri D. R. Chavan	.. 162—163
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा	Shrimati Tarkeshwari Sinha	163
देश में साम्प्रदायिक स्थिति के संबंध में वक्तव्य के बारे में प्रस्ताव	Motion Re : Statement on Communal Situation in the Country	.. 164—175
श्री यशवन्तराव चह्वाण	Shri Y. B. Chavan	.. 164
श्री मोरारजी देसाई	Shri Morarji Desai	.. 164—168
श्री याज्ञिक	Shri Yajnik	.. 168
श्री मुहम्मद इमाम	Shri J. Mohamed Imam	.. 168—170
श्री शशि भूषण	Shri Shashi Bhushan	.. 170—171
श्री जगन्नाथ राव जोशी	Shri Jagannath Rao Joshi	.. 171—173
श्री पी० राममूर्ति	Shri P. Ramamurti	.. 173—174
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	.. 174—175
श्री यशपाल सिंह	Shri Yashpal Singh	.. 175
कार्य मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee	.. 176
इकतालीसवां प्रतिवेदन	Forty-first Report	.. 176

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 4 दिसम्बर, 1969/13 अग्रहायण, 1891 (शक)
Thursday, December 4, 1969/Agrahayana 13, 1891 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

अध्यक्ष महोदय : श्री समर गुह ।

श्री समर गुह : मैं प्रश्न संख्या 391 पूछता हूं ।

श्री सेझियान : महोदय, यह प्रश्न संविधान में संशोधन के सम्बन्ध में है । खाद्य और कृषि मंत्री का इससे क्या सम्बन्ध है । उचित बात यह है कि विधि मंत्री को इसका उत्तर देना चाहिये ।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : अध्यक्ष महोदय, आपके सचिवालय ने इस प्रश्न को भूमि सुधार विषय के अन्तर्गत माना और आपने मेरे मंत्रालय को प्रश्न का उत्तर देने के लिये आदेश दिया था ।

Shri Jagannath Rao Joshi: This question related to land reforms. This should, therefore, be replied to by him.

श्री श्रीचन्द गोयल : क्या इसका अर्थ यह है कि हम केवल भूमि सुधारों के सम्बन्ध में ही प्रश्न पूछ सकते हैं और अन्य पहलुओं के सम्बन्ध में नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : इसका वस्तु विषय भूमि सुधार के सम्बन्ध में है ।

श्री जगन्नाथ राव जोशी : इस प्रश्न में इसका उल्लेख नहीं है ।

श्री सु० कु० तापड़िया : इस मामले में प्रश्न में संशोधन किया जाना था ।

श्रीमती शारदा मुकर्जी : यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है । आप इसे अगले सप्ताह के लिये रख सकते हैं ।

श्री सेझियान : प्रश्न यह है कि क्या पश्चिम बंगाल की संयुक्त मोर्चा सरकार या इसके किसी अन्य मन्त्री ने कुछ संवैधानिक संशोधन करने के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया था। इसमें भूमि सुधार या किसी और विषय के सम्बन्ध में कुछ नहीं बताया गया है।

अध्यक्ष महोदय : पत्र या जो कुछ भी उनके मंत्रालय को भेजा गया था, वह उनके विभाग से सम्बन्धित था। मैं समझता हूं कि वह इसका उत्तर अच्छी तरह दे सकते हैं। यदि आप चाहें, तो हम इसे स्थगित कर सकते हैं। लेकिन आखिरकार आपको उत्तर उन्हीं से मिलेगा। विधि मंत्री तो कहेंगे कि "मुझे यह प्राप्त हुआ है। लेकिन जहां तक उसमें उल्लिखित मामलों का सम्बन्ध है, सम्बन्धित मंत्री ही उत्तर देने के लिये जिम्मेदार हैं।"

श्री श्रीचन्द गोयल : विधि मंत्री को यहां बुलाया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें उत्तर देने दीजिये। यह केवल एक तकनीकी मामला है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : उन्हें इसका उत्तर देने दीजिये।

संविधान का संशोधन

391. **श्री समर गुह** : क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल की संयुक्त मोर्चा सरकार या इसके किसी अन्य मन्त्री ने कुछ संवैधानिक संशोधन करने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया था;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) पश्चिमी बंगाल सरकार ने भूमि सुधार की शीघ्र क्रियान्विति के मार्ग में आने वाली कुछ कानूनी और संविधानिक कठिनाइयों का उल्लेख किया है।

(ख) मुख्यत: निम्नलिखित प्रश्न उठाये गये हैं :—

(1) क्या पश्चिमी बंगाल में सीमा के बारे में कानूनों के उपबन्धों को इस दृष्टि से संशोधित किया जा सकता है कि इन्हें एक परिवार के पास कुछ क्षेत्र पर लागू किया जा सके।

(2) क्या गुजरात राज्य के विरुद्ध शान्तिलाल मंगलदास के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद भी अब यह बिल्कुल निश्चित है कि सरकार भूमि के अनिवार्य अर्जन और अधिग्रहण के लिये या तो क्षतिपूर्ति की राशि निश्चित करके या जिस तारीख को भूमि अर्जित की जाय, उस तारीख को उस भूमि का जो बाजार मूल्य हो या उसके बराबर का मूल्य दिये बिना क्षतिपूर्ति की अदायगी के लिये सिद्धांत निर्धारित करके इस सम्बन्ध में कानून बना सकती है।

(3) क्या ऐसे कुछ तरीके ढूंढ़े जा सकते हैं, जिससे भूमि पतियों को भूमि सुधारों को कार्यान्वित करने में विलंब करने के लिये संविधान के अनुच्छेद 226 का दुरुपयोग करने से रोका जाय।

(ग) पश्चिम बंगाल की सरकार ने जो प्रश्न उठाये उन पर विधि मंत्रालय ने विचार कर लिया है और उठाये गये प्रश्नों के सम्बन्ध में उनके विचार राज्य सरकार को बता दिये गये हैं।

श्री समर गुह : केन्द्रीय खाद्य मंत्री की अध्यक्षता में हाल में विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्रियों का एक बड़ा सम्मेलन दिल्ली में हुआ था। उसमें उन्होंने भूमि सुधारों कार्यक्रमों को शीघ्र कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में कुछ मूल सिद्धांत स्वीकार किये हैं, जिसमें यह बताया गया है कि उनके मुख्य लक्ष्य इस प्रकार हैं :

1. 1970 तक सभी विचौलियों और जागीरों का समाप्त किया जाना।
2. पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने एवं काश्तकार-किसानों को इस योग्य बनाने के लिये कि वे संस्थागत ऋणों को प्राप्त कर सकें और भूस्वामियों के धोखे से उन्हें बचाया जा सके, और बटाईदारों की भूमि को लेने के प्रयत्नों से रोका जा सके।

   काश्तकारों का राज्यों से सीधा सम्पर्क बनाने के लिये शीघ्र ही कानूनों का बनाना। कृषि भूमि, विशेषकर ऐसी भूमि की, जो धार्मिक भूमि, मत्स्य-पालन और फार्म तथा बाग सम्बन्धी भूमि के बहाने बेनामी भूमि के रूप में रिकार्ड में नहीं दिखाई गई है अधिकतम सीमा को कम करने सम्बन्धी मामले का प्रभावी ढंग से निपटाया जाना।

इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या इस विषय में मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में चर्चा की गई थी अथवा क्या किसी मुख्य मंत्री ने यह बतलाया था कि संविधान के अनुच्छेद 226 के उपबन्ध, जिनमें उच्च न्यायालयों को परमादेश, बन्दी प्रत्यक्षीकरण या मद्यनिषेध आदि सम्बन्धी आदेश जारी करने की शक्ति दी गई है, मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में जो लक्ष्य स्वीकार किये गये हैं, उनको शीघ्र पूरा करने में बाधक हैं। यदि हां, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या निष्कर्ष निकले हैं और यदि नहीं, तो उसका कारण क्या है।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में काफी व्यापक विषयों पर चर्चा की गई थी और जैसाकि पहले उस दिन खाद्य मंत्री ने बताया था कि कानून के वर्तमान उपबन्ध किसी राज्य सरकार को वर्तमान उच्चतम सीमाओं में संशोधन करने से नहीं रोकते हैं। अतः यदि कोई राज्य सरकार वर्तमान उच्चतम सीमाओं में संशोधन करना चाहती है, तो वर्तमान संविधान इस पर रोक नहीं लगाता है। इसका अथ यह है कि कोई राज्य सरकार इस आधार पर आगे कार्यवाही कर सकती है।

जहां तक पट्टा स्थिरता और अन्य बातों का सम्बन्ध है, इसमें कोई भी कठिनाई नहीं है। हमने स्पष्ट संकेत दिया है और भारत सरकार का विचार इस सम्बन्ध में बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन कानून और संविधान में जो व्यवस्था है, उसके अनुसार हर चीज करनी होगी।

संविधान के अनुच्छेद 226 के उपबन्धों के सम्बन्ध में मैं समझता हूं कि वे मूल अधिकारों के संरक्षण के सम्बन्ध में व्यवस्था करने के अन्तर्गत आते हैं। और यह इस सभा की जिम्मेदारी है कि वह सरकार को इस सम्बन्ध में परामर्श दे।

श्री समर गुह : मैं जानना चाहता हूं कि मुख्य-मंत्रियों के सम्मेलन में जो चर्चा हुई थी, क्या उसके दौरान पश्चिम बंगाल के प्रवक्ता ने यह बताया था कि बेनामी भूमि को अर्जित करने और

बटाईदारों या काश्तकारों के हितों का संरक्षण करने सम्बन्धी दो लक्ष्य जैसाकि मंत्री महोदय ने बताया है, उसके अनुसार वर्तमान कानूनी उपबन्धों के अन्तर्गत प्राप्त किये जा सकते थे, बजाय इसके कि सरकार स्वयं किसानों को प्रत्यक्ष रूप से भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करने के लिये और इस तरह खूनी संघर्ष और मुठभेड़ की ऐसी स्थिति पैदा करने के लिये प्रोत्साहन देती जैसी की आज पश्चिम बंगाल में पैदा हो रही है। यदि हां, तो मंत्री महोदय का इस सम्बन्ध में क्या उत्तर है और यदि नहीं, तो उसका कारण क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : अनुपूरक प्रश्नों पर रोक लगाने में मुझे कठिनाई हो रही है।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मैं केवल यह कह सकता हूं कि वर्तमान उपबन्ध पूरी तरह से बटाईदारों के हितों का संरक्षण करते हैं और यदि कोई राज्य सरकार उच्चतम सीमा को कम करना चाहती है, तो वर्तमान सांविधानिक उपबन्धों के अनुसार कोई रोक नहीं है। वर्तमान कानून में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, जो राज्य सरकार को ऐसे न्यायाधिकरण बनाने से रोके, जो सिविल न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में बाधा डाले। लेकिन यह कार्य संविधान के अनुसार करना होगा।

श्री समर गुह : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। महोदय मैं आपका संरक्षण चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको कोई संरक्षण नहीं दे सकता। अनुपूरक प्रश्नों पर रोक लगाना बहुत कठिन हो रहा है। कृपया, बैठ जाइये। (**व्यवधान**) श्री रेड्डी।

श्री जी० एस० रेड्डी : क्या मैं मंत्री महोदय से विधि मंत्री की राय के बारे में जान सकता हूं ? (**व्यवधान**)

श्री समर गुह : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है कि मैं आपको और कोई प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दे सकता। आपने दो प्रश्न पूछे और उन्होंने उनका उत्तर दे दिया।

श्री समर गुह : उन्होंने उत्तर नहीं दिया।

श्री हेम बरुआ : उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है।

श्री समर गुह : उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं। आप कुछ विचार व्यक्त कर रहे हैं। कृपया, आप बैठ जाइये।

श्री समर गुह : महोदय, वास्तव में यह एक व्यवस्था का प्रश्न है। क्या मंत्री महोदय को इस प्रश्न का उत्तर देने का अधिकार हैं या नहीं ? मैंने एक सीधा प्रश्न पूछा है। जैसाकि सम्बन्धित मंत्री महोदय ने बताया है, यह कानूनी उपबन्धों के अनुसार किया जा सकता है, लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार ने इस बहाने किसानों को प्रोत्साहन दिया है कि ऐसे कानून हैं, जो इसमें बाधक हैं और इसलिये उन्हें जबरदस्ती भूमि पर कब्जा करना चाहिये और उसे स्वयं बांटना चाहिये। यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उन्होंने इसका उत्तर नहीं दिया है। मैं आपका संरक्षण चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको संरक्षण नहीं दे सकता ।

श्री समर गुह : यह एक सीधा सा प्रश्न है । यदि आप मुझे यह प्रश्न नहीं पूछने देंगे, तो आप मेरे साथ अन्याय करेंगे ।

श्री हेम बरुआ : मंत्री महोदय को उत्तर देना चाहिये । इस प्रश्न के सम्बन्ध में मंत्री महोदय जानकारी दें ।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : यदि वह मेरे उत्तर को अच्छी तरह पढ़ेंगे, तो उन्हें मालूम होगा ·····(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे प्रश्न नहीं मानता, लेकिन इसके बावजूद मैंने उनसे कहा । उनका कहना है कि उन्होंने इसका उत्तर प्रथम प्रश्न में दे दिया है और वह इसे दोहरा नहीं रहे हैं । आप एक राय व्यक्त कर रहे हैं ।

श्री समर गुह : उस सम्मेलन में समूचे मामले पर चर्चा की गई थी । वे बहुत ही संगत तथ्य हैं ।

अध्यक्ष महोदय : अपनी राय व्यक्त करने के बारे में अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जायगे । आप जानकारी मांग सकते हैं ।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : यदि इस विषय पर सम्मेलन में चर्चा की गई थी, तो वह कह सकते हैं कि सम्मेलन में इस पर चर्चा की गई थी और हम इस मामले को शुरू करेंगे ।

श्री जी० एस० रेड्डी : पश्चिम बंगाल को विधि मंत्री ने क्या जानकारी दी है ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : पश्चिम बंगाल सरकार ने खाद्य तथा कृषि मंत्री को लिखे गये अपने पत्र में जो बातें उठायी थी, मैंने उनका पहले ही उल्लेख कर दिया है और विधि मंत्रालय की राय पश्चिम बंगाल सरकार को दे दी गई है ।

श्री सु० कु० तापड़िया : वह पूछते हैं कि सलाह क्या दी गई है और मंत्री महोदय कहते हैं, कि सलाह दी गई थी । महोदय, क्या आप इससे संतुष्ट हैं ?

अध्यक्ष महोदय : जब आपकी बारी आये ।

श्री चेंगलराया नायडू : क्या मैं सरकार से यह जान सकता हूं कि क्या वह संविधान में संशोधन करते हुए कोई विधान पेश करने पर विचार कर रही है, ताकि जिन बड़े बड़े उद्योग पतियों क पास कारखानों के नाम में हजारों एकड़ भूमि है, वे भी विधान के अन्तर्गत आयें ।

अध्यक्ष महोदय : मुख्य प्रश्न से यह प्रश्न कैसे उठता है ?

श्री चेंगलराया नायडू : पश्चिम बंगाल में संकट की स्थिति है·····

अध्यक्ष महोदय : आप स्वयं अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं ।

श्री चेंगलराया नायडू : मैंने प्रश्न पूछा है यह मंत्री महोदय की जिम्मेदारी है कि वह उत्तर दें या न दें । अन्यथा इस तरह के प्रश्न पूछने का लाभ ही क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी इच्छा के अनुसार प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। प्रश्न इस प्रकार है :

"क्या पश्चिम बंगाल की संयुक्त मोर्चा सरकार या इसके किसी अन्य मंत्री ने कुछ संवैधानिक संशोधन करने के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया था....."

और उन्होंने इसके बारे में बता दिया है। आप कुछ और ही बात शुरू कर रहे हैं।

श्री चेंगलराया नायडू : पश्चिम बंगाल में संकट की स्थिति है.....

अध्यक्ष महोदय : इसका इसमें उल्लेख नहीं है। आप ऐसी चीजें कैसे पूछ सकते हैं, जो उनके पत्र में नहीं है ?

Shri S. M. Joshi : A conference of the Chief Ministers was held. The points raised by Shri Samar Guha have appeared in the newspapers also. The Hon. Minister has said that there are such works, as can be done by the State Governments themselves. But there is President's rule in one State and Hon. Food Minister is very well aware of it and he belongs to that State. A decision was taken that the farmers should not be evicted. But I had gone there and seen that they are being evicted in broad day light. Such things are being done against the law. The surveys undertaken during the period from 1958 to 1960 have not been published. The landlords had filed title suits against the persons who had got shikmi rights and the number of such suits are about 40 thousand. You have stated that tribunals can do this. A law has been enacted there, but that is not followed. I would like to know whether you will make any arrangement to take action against the said eviction by an ordinance ?

अध्यक्ष महोदय : मुख्य प्रश्न केवल पश्चिम बंगाल की सरकार के पत्र से सम्बन्धित है।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मुख्य प्रश्न विशेषरूप से उस पत्र से सम्बन्धित है, जो पश्चिम बंगाल की सरकार से प्राप्त हुआ है। यदि आप चाहते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर मैं दूं, तो यह एक भिन्न मामला है।

श्री तेन्नेटी विश्वनाथम : पश्चिम बंगाल की सरकार ने यह प्रश्न उठाया है कि क्या शान्तिलाल मंगलदास के मामले को ध्यान में रखते हुए भूमि सुधार कार्यक्रम को लागू करने के लिये कुछ संवैधानिक संशोधन करना आवश्यक है और माननीय मंत्री ने बताया है कि महाधिवक्ता या एटर्नी जनरल ने अपनी राय दी थी। तो वह राय क्या दी गई थी ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : विधि मंत्रालय की राय यह है कि भूमि सुधार, चाहे वह पट्टा स्थिरता से सम्बन्धित हो, या उच्चतम सीमा आदि को कम करने से सम्बन्धित हो, सम्बन्धी कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिये संविधान में संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं है अथवा भूमि जोतने वालों को भूमि का स्वामी बनाने के मामले में भी संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है और इसलिये वर्तमान कानून ही पर्याप्त हैं।

श्री तेन्नेटी विश्वनाथम : शान्तिलाल मंगलदास के मामले के बाद विशेषरूप से क्या राय दी गई थी ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : वह राय यह है : विधि मंत्रालय ने बताया है कि वर्तमान संवैधानिक उपबन्ध पर्याप्त हैं और इनके अन्तर्गत राज्य सरकारें इस तरह का कोई विधान बना सकती हैं।

Shri Ram Sewak Yadav : Hon. Minister has stated that so far as the question of ceiling limits of land or distribution of land is concerned, there is no constitutional difficulty. Eviction of farmers can be prevented. I would like to know whether any Minister or Chief Minister of any State other than West Bengal had faced such difficulty and if so, the nature thereof and whether any note was taken during the discussion in this regard and if so, whether a copy thereof would be laid on the Table of the House?

Whether a date has been decided by which land reform programmes would be implemented, and legislation would be enacted ? If so, what is that date ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मुख्य प्रश्न का सम्बन्ध पश्चिम बंगाल की सरकार को लिखे गये पत्र से हैं। लेकिन माननीय सदस्य ने अन्य मामले उठाये हैं। यदि आप मुझसे इसका उत्तर चाहते हैं, तो यह एक भिन्न मामला है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने दो या तीन बार अपने विचार व्यक्त किये हैं, लेकिन फिर भी मैं देखता हूं कि सदस्य ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं, जिसका मुख्य प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री एस० एम० जोशी : यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : जो विचार मैंने पहले व्यक्त किये थे, मंत्री महोदय वही कहते हैं कि मुख्य प्रश्न का सम्बन्ध पश्चिम बंगाल से प्राप्त पत्र से है और उन्होंने कहा है कि ये जो अन्य प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उनका मुख्य प्रश्न से किस प्रकार सम्बन्ध है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : दिये गये उत्तर के अनुसार सरकार ने राज्य सरकार को सलाह दी है कि यदि राज्य सरकार भूमि की उच्चतम सीमा घटाना या बढ़ाना चाहती है, तो इसमें कुछ संवैधानिक कठिनाई नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि यदि कोई राज्य सरकार एक ऐसी उच्चतम सीमा निर्धारित करना चाहती है जो व्यक्ति तक ही लागू न हो, अपितु एक परिवार तक लागू हो, तो क्या सरकार भी समझती है कि कुछ संवैधानिक कठिनाई नहीं है।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : इसमें कोई कठिनाई नहीं है।

Criteria for Recognition of Trade Unions

*392. **Shri Shashi Bhushan :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of establishments in the Central sphere in which Trade Unions have been approved by the Law Ministry for according recognition to them ;

(b) whether it is a fact that the State Trading Corporation Staff Union and the Indian Standards Institution Staff Union have been given recognition ;

(c) whether it is also a fact that Central Provident Fund Employees Union was granted recognition earlier but it was withdrawn by the Law Ministry later on ; and

(d) if so, the criteria fixed by Government to accord recognition and withdraw it as in this case ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) There is no Central law for the recognition of trade

unions. Recognition of trade unions in the Central sphere, presently accorded under the Code of Discipline adopted at the 16th Session of the Indian Labour Conference (1958), is granted by managements on the basis, wherever required under the Code, of verification of membership which is carried out by the Central Industrial Relations Machinery under the Central Labour, and not Law Ministry. Recognition has been granted to 61 trade unions in the Central sphere following such verification.

(b) The State Trading Corporation **Employees** Union and the Indian Standards Institution **Employees** Union, being the only unions respectively at the State Trading Corporation, New Delhi and the Indian Standards Institution, New Delhi, which are both in the State sphere, have, it is reported, been granted recognition by the managements under the Code.

(c) This union had not been recognised. The question of withdrawal of its recognition does not arise.

(d) Excepting the States of Maharashtra, Gujarat, Madhya Pradesh and Rajasthan, where there are State enactments governing the subject, the criteria for recognition of unions and its withdrawal are as embodied in the voluntary Code of Discipline.

Shri Shashi Bhushan : In our country the history of Trade Union movement is of about fifty years old, but it is unfortunate that no Central Law has so far been made to recognise the Trade Unions. That law should be made. Central Provident Fund Union has not been recognised while State Trading Corporation Employees Union and Indian Standard Institution Employees Union have been recognised since the position and provision of those all are alike. This is a wrong thing that one Union is given recognition and the other debarred. We are marching towards Socialism and we also want that those employees who work in our Government Institutions may be given share in the management. But no law has been enacted in that conduct. Central Provident Fund Employees Union was once given recognition. When this matter was referred to the Law Ministry, they said that the recognition could be given. But when it was referred to the Law Ministry second time then it was not given recognition according to them. Recognition is given to a Union and withdrawn at will, how will it do ?

Shri Bhagwat Jha Azad : Hon. Members know that according to the Code of Conduct adopted in the Indian Labour Conference, which was Tripartite Conference, recognition is given to the Trade Unions in this country. That Code of Conduct has been accepted by all the States. The four States, that have been mentioned by me just now have not accepted the Code of Conduct and they have their own laws in this context. In 1966 enquiry was held about the Central Provident Fund and Law Ministry told that it was an industry but it could not get recognition as a right of an Employees Union. But while considering on this subject the judgement of the Supreme Court was received in which this was not treated as an industry. Therefore the question of giving recognition to that Employees Union does not arise since they have not been given recognition the question of taking it back, therefore does not arise.

Shri Shashi Bhushan : State Trading Corporation Employees Union and Indian Standards Institution Employees Union have been given recognition under the Central Government. When the Central Government Provident Fund Employees Union is also similar Union then why has it also not been given recognition ? I would also like to know when a Central Law to give share in the management to the employees would be enacted ?

Shri Bhagwat Jha Azad : As I have told that under Section 2 (J) of the Industrial Dispute Act State Trading Corporation is an industry. Its employees Union has, therefore,

been given recognition. But since the Central Provident Fund has not been considered an industry, it's employees Union has not, therefore, been given recognition. Trade Unions are given recognition according to the Code of Conduct adopted in the Indian Labour Conference of the three parties viz., employers, employees and Government. In the four States where they have their own laws recognition is given according to their laws. Therefore the question of enacting a new law concerning to them does not arise.

श्री स० मो० बनर्जी : यह प्रश्न मजदूर संघों की मान्यता की कसौटी के सम्बन्ध में है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या मंत्री महोदय के ध्यान में यह बात लायी गयी है कि पश्चिम बंगाल और केरल में एक मजदूर संघ विधेयक लाया जा रहा है जिसके अन्तर्गत उन संघों को मान्यता स्वीकृति दी जायेगी जो गुप्त मत के आधार पर प्रतिनिधि संघ हैं और केवल उन्हीं संघों को संगठन अथवा प्रतिनिधि संघ कहा जायगा। चूंकि गड़बड़ी का मुख्य कारण संघों को आपसी विरोध है और चूंकि मंत्री महोदय तथा उनसे पूर्व मंत्री महोदय ने संसद में कहा कि वे एक उद्योग में एक संघ के सिद्धान्त को मानते हैं, मैं यह जानना चाहूंगा कि मंत्री महोदय की पश्चिम बंगाल और केरल सरकारों द्वारा उठाये गये कदमों के प्रति क्या प्रतिक्रिया है और क्या इसका केन्द्र में भी अनुसरण किया जायगा, क्या वे इस सम्बन्ध में विधान बनायेंगे ताकि प्रतिनिधि-संघ के बारे में मत के आधार पर न कि किसी व्यक्ति के पक्षपात के आधार पर निर्णय किया जाय।

श्री भागवत झा आजाद : अभी जांच के आधार पर मान्यता दी जाती है। श्रम आयोग के समक्ष यह एक महत्वपूर्ण मामला विचार के लिये रखा गया था किन्तु श्रम आयोग भी कोई निश्चित निर्णय न कर सका कि यह जांच अथवा गुप्त मत द्वारा तय किया जाय। इसकी बजाय उन्होंने एक औद्योगिक सम्पर्क आयोग की सिफारिश की है जो इस बात का निर्णय करे कि यह जांच अथवा गुप्त मत द्वारा तय किया जाय। हमने भारतीय श्रम सम्मेलन की त्रिपक्षीय समिति की बैठक की है जो श्रम के क्षेत्र में उच्चतम है, इसमें पश्चिम बंगाल और दिल्ली के प्रतिनिधियों को छोड़ कर जांच के लिये सर्वसम्मति थी।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। मैं पश्चिम बंगाल और केरल में प्रस्तावित विधानों के प्रति केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहता था। यदि यह अनुकूल है और क्या वे इसी प्रकार का विधान केन्द्र में लाना चाहते हैं ?

श्री भागवत झा आजाद : जैसा कि मैंने कहा है कि यह एक महत्वपूर्ण मामला है जिस पर भारतीय श्रम सम्मेलन ने विचार किया और वहां सर्व-सम्मति यह थी कि प्रमाणीकरण, जैसा अभी किया जाता है, किया जाना चाहिये। सरकार अभी इस मामले पर विचार कर रही है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : श्रम संघों की क्या सर्व-सम्मति थी, उसके बारे में कहिये।

Shri Hukam Chand Kachwai : It has often been seen that all over the country in the industries those unions are given recognition which have bogus membership. Most of the unions related to I. N. T. U. C. are like this. Whether Government propose to formulate any such scheme in future under which employees unions may be given recognition on the basis of ballot ? The Government have election in all the spheres but it does not do so in labour sphere. The union which gets more votes may be given recognition. The Government has not

given recognition to the Indian Labour Union on an all India basis even after fulfilling all the qualifications of prescribed members and all such requirements. It has been given recognition in Bihar, Uttar Pradesh, Rajasthan, Himachal Pradesh, Punjab, Haryana, Madhya Pradesh, Maharashtra and Gujarat, but what is the difficulty in giving it recognition on an all India basis. It has got all the qualifications ?

Shri Bhagwat Jha Azad : Hon. Member has passed a sweeping remark that the recognition given to all the Trade Unions, has been on the basis of bogus membership. Our rules in this connection are quite clear and the work is going well in accordance with them. In the country recognition to the I. N. T. U. C., A. I. T. U. C., H. M. S. and all other existing unions have been given recognition on this basis. I think this is a wrong charge that recognition is given to the unions on the basis of bogus membership. For giving recognition verification is done in a correct way. The day Indian Labour Union will fulfil all the conditions under these rules, recognition will be given to it.

Shri Hukam Chand Kachwai : Mr. Speaker, Sir, my question has not been answered. Indian Labour Union has all kinds of qualifications. It has its unions in private industries as well as in the public sector. A memorandum has been submitted to the President on 21st November.....

Mr. Speaker : I have called Shri Madhu Limaye.

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, Sir, I would like to know that when two years ago I submitted a bill regarding giving compulsory recognition to the Trade Unions and for their election by ballot and when there was discussion on it then the Hon. Minister had assured that he agreed in principle but it will be supported only when the report of the National Labour Commission was received. Now that the report has been received, as you said the Commission have not given their opinion against it, then for implementation of the assurance that you agreed in principle, whether Central Government would introduce any bill immediately ?

Shri Bhagwat Jha Azad : As I have said we are considering all these recommendations of the National Labour Commission and we will express any definite opinion only after considering this.

Shri Madhu Limaye : What has happened to your assurance ?

श्री स० कुण्डू : क्या राष्ट्रीय श्रम आयोग ने कहा कि मजदूर संघों की मान्यता की सर्वोपरिता से सामुहिक प्रभावी सौदेबाजी होगी ? क्या आयोग ने उपयुक्त विधान यथाशीघ्र पारित किये जाने का सुझाव दिया है ? व्यापार संघों को मान्यता स्वीकृत करने के लिये विधान पेश करने के बारे में सरकार का क्या विचार है ?

श्री भागवत झा आजाद : जैसा मैंने कहा है कि श्रम आयोग ने सिफारिश की है कि एक औद्योगिक सम्पर्क आयोग होना चाहिये जो निर्णय करे कि मान्यता जांच अथवा गुप्त मत द्वारा दी जाय । इसके अतिरिक्त यदि विधान आवश्यक है इसके बारे में केवल तभी विचार किया जा सकता है जब हम सभी सम्बद्ध पक्षों से इस मामले पर चर्चा करें और उनकी राय सरकार को मिले ।

श्री कार्तिक उरांव : देश में बहुत से राजनीतिक दलों के होने के कारण देश की दुर्दशा हो रही है और उद्योगों में मजदूर संघों के अधिक संख्या में होने के कारण उद्योगों की दुर्दशा

हो रही है । मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार मजदूर संघों को कम करने के सम्बन्ध में कोई विधान बनायेगी ?

अध्यक्ष महोदय : यह इस प्रश्न के सीमा क्षेत्र से बहुत बाहर है ।

श्री जि० मो० बिस्वास : 15वें श्रम सम्मेलन की सिफारिशों के अनुसार भारत सरकार ने रेलवे में मजदूर संघों को आपस में मिलाने तथा इनकी संख्या में वृद्धि होने से रोकने का निर्णय किया है और इसी उद्देश्य से सरकार ने एक न्यायाधीश नियुक्त करने का निर्णय किया है ताकि रेलवे के दोनों मौजूदा संघ को मिलाकर एक संघ बनाया जाय जिसे मान्यता दी जाय । श्री वी० वी० गिरी द्वारा दिया गया सूत्र यह था कि दोनों संघों को रेलवे कर्मचारियों के गुप्त मत द्वारा मिला कर एक किया जाय । इन्टक की जिद् के कारण यह एकीकरण न हो सका । आज भी रेलवे में दो मजदूर संघ हैं । एक अखिल भारतीय रेल कर्मचारी संघ और दूसरा भारतीय रेल कर्मचारियों का राष्ट्रीय संघ है । चूंकि शांति बनाये रखने तथा मजदूरों को प्रतिनिधित्व के और अच्छे अवसर देने के लिये रेलवे सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है तो क्या सरकार रेलवे के दोनों संघों को मिला कर एक बनाने तथा एक उद्योग में एक संघ को मान्यता देने का विचार कर रही है ?

श्री भागवत झा आजाद : सरकार किसी ऐसे प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है ।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : क्या मैं जान सकता हूं कि राष्ट्रीय श्रम आयोग ने कुछ समय पहले अपना प्रतिवेदन पेश किया है ? क्या मैं खासतौर से यह पूछ सकता हूं कि सरकार ने एक औद्योगिक सम्पर्क आयोग नियुक्त करना सिद्धान्त रूप में मान लिया है अथवा राष्ट्रीय श्रम आयोग तथा विभिन्न राज्यों की राय मिलने तक प्रतीक्षा करेंगे ?

श्री भागवत झा आजाद : औद्योगिक सम्पर्क आयोग पर हाल के भारतीय श्रम सम्मेलन में चर्चा हो चुकी है और हमने राज्यों के मंत्रियों से भी इस पर चर्चा की है । सर्वसम्मति इस प्रकार के आयोग की नियुक्ति करने के विरुद्ध थी । किन्तु हम अभी भी इस पर विचार कर रहे हैं और दूसरे पक्षों से अपनी राय देने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं ।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : क्या कोई दूसरा सुझाव दिया गया था ?

श्री भागवत झा आजाद : उनका विचार है कि यह जिस प्रकार चल रहा है, चलता रहे ।

Ban on exhibition of Crime Films by West Bengal Government

*393. **Shri Deven Sen** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the West Bengal Government have imposed a ban on the exhibition of crime films in Hindi and English ;

(b) whether Government also propose to impose a ban on such films being passed by the Censors and exhibition thereof ;

(c) if so, the reaction of Government in this regard ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) सरकार द्वारा फिल्म सेन्सर बोर्ड को अपराध सम्बन्धी फिल्मों के प्रमाणीकरण के बारे में दिये गये निदेशों के विचार से सरकार यह आवश्यक नहीं समझती है कि "अपराध सम्बन्धी फिल्मों" के प्रमाणीकरण पर अलग से तथा औपचारिक प्रतिबन्ध लगाया जाय ।

(ग) और (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

Shri Deven Sen : I want to draw the attention of Hon. Minister to the statement made in the court by the main culprit in the theft committed in the National Museum that the trick and technique of the theft committed in the National Museum was learnt by him by seeing a picture named 'How to get one million and become rich'. If it is true, whether the Hon. Minister even then does not like to put restrictions on these crime films ?

श्री इ० कु० गुजराल : महोदय, मैंने अपने उत्तर में कहा है कि हमने फिल्म सेन्सर बोर्ड को अपराध सम्बन्धी फिल्मों के बारे में विशेष निगरानी रखने के लिये पहले ही अनुदेश जारी किये हैं और फिल्म सेन्सर बोर्ड के अध्यक्ष ने वास्तव में पहले ही भारत में फिल्म निर्माताओं तथा फिल्में आयात करने वालों से विदेशों में बात की है कि जहां तक अपराध सम्बन्धी फिल्मों का सम्बन्ध है, हम सख्ती करने जा रहे हैं ।

Shri Deven Sen : I want to know the difficulty in banning such a film by which anti Social element is benefited ?

श्री इ० कु० गुजराल : मैंने कहा है कि हमने उन्हें पहले ही कहा है कि फिल्म सेन्सर इस बारे में बहुत सख्त हैं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या उन्हें मालूम है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने "अपराध से सफलता नहीं मिलती है" विषय पर कुछ फिल्मों का निर्माण शुरू किया है ? क्या वे जानते हैं और क्या केन्द्रीय सरकार भी इस बात पर विचार करेगी कि इस प्रकार की डाकूमेन्टरी, शैक्षिक फिल्में बनायी जानी चाहिये ?

श्री इ० कु० गुजराल : मुझे प्रसन्नता है कि पश्चिम बंगाल सरकार "अपराध से सफलता नहीं मिलती है" विषय पर फिल्में बना रही है और हमें यह बात मालूम हो गयी है । हमारा यह अगले वर्ष का कार्यक्रम है किन्तु हम जब भी इस प्रकार के कार्यक्रमों पर विचार करेंगे तो इस सुझाव पर भी विचार किया जायगा । **(व्यवधान)**

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यदि आपका विचार है कि अपराध से सफलता मिलती है तो आप अभी क्यों नहीं कुछ कर लेते ? **(व्यवधान)**

श्री इ० कु० गुजराल : महोदय, मैं नहीं जानता कि कौन इस बात को प्रोत्साहित कर रहा है कि "अपराध से सफलता मिलती है" ।

कोचीन पत्तन के गोदी श्रमिकों द्वारा हड़ताल

*394. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या श्रम, तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन पत्तन के 2000 गोदी श्रमिकों ने अधिक मंहगाई भत्ता तथा साप्ताहिक छुट्टियों के लिये 'फाल बैक' मजूरी की अपनी मांग को मनवाने के लिये 21 अगस्त, 1969 से हड़ताल कर दी है ;

(ख) क्या उनकी मांग पर विचार कर लिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया है तथा इस हड़ताल के परिणाम-स्वरूप अनुमानत: कितनी हानि हुई ?

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग). 1792 गोदी श्रमिकों ने महंगाई भत्ते तथा अन्य मांगों के लिये 21 अगस्त, 1969 को हड़ताल कर दी। केन्द्रीय श्रम-मंत्री की सहायता से 3 सितम्बर, 1969 को नई दिल्ली में इस मामले के सौहार्दपूर्ण ढंग से तय हो जाने के बाद श्रमिकों ने 5 सितम्बर, 1969 को पुन: काम करना शुरू कर दिया । इस हड़ताल के परिणामस्वरूप श्रमिकों की मजूरी की अनुमानित हानि लगभग 2,10,000 रुपये थी ।

Shri Beni Shankar Sharma : Mr. Speaker, I understand that the Dock workers of Cochin Port are under Cochin Port Trust, and that Cochin Port Trust is a semi-Government institution, therefore, I would like to know that the demand of more dearness allowance and Fall Back Wages for holidays, which they had made, whether such allowances and Fall Back Wages are being given in other institutions of Kerala and Central Government, and whether that is being given in other Private institutions set up in Kerala.

Shri Bhagwat Jha Azad : Mr. Speaker, I am sorry that I can not tell you about the wages being given in the various undertakings of Kerala Government. I can, however, tell you that they had two demands—one was the question of weekly of wages and the other was of dearness allowance. The demand for weekly of wages is in accordance with the wages being given in Bombay and other Ports. As regards the dearness allowance they had demanded that those who were getting the wages in the range of Rs. 110 and Rs. 149, should be given Rs. 98 as dearness allowance. But employers had told that it was not possible to give such an amount. In the end they compromised and now the workers have been receiving Rs. 98 since 15th August on this condition that when the report of the wage board would be submitted, the amount would be adjusted accordingly. They had been given Rs. 100 on an ad-hock basis which was adjusted last month. Now both the parties have compromised. We hope that this compromise would continue in future and no new problem would be added to it.

Shri Beni Shankar Sharma : The object of my question was only this that the workers employed in the Government undertakings, semi-Government undertakings and in the private undertakings of the same place should get equal wages. I would like to know whether the wages which were given to these workers on the basis of the compromise in accordance with the wages being given to the workers of other Government or private institutions.

Shri Bhagwat Jha Azad: I had told you that if you wanted to see this question from the comparison point of view, then the comparison could be made only between horses and horses and between men and men. We could compare this only with the Docks of Bombay, Calcutta and Madras where workers are employed. I have just told you this also that we had received the report of Wage Board on 29th November and both the parties had compromised earlier than this date. They had received Rs. 100 as an ad-hock and that their demand of Rs. 98 had also been accepted. Now we would see the recommendations made by the Wage Board that what could be done about the adjustment.

श्री नी० श्रीकान्तन नायर : क्योंकि सभी मुख्य बन्दरगाहें भारत सरकार के नियंत्रण में हैं और इसलिये भी कि कोचीन बन्दरगाह को छोड़कर सभी अन्य मुख्य बन्दरगाहों में काम करने वाले मजदूरों को मजदूरी और मंहगाई भत्ता केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के अनुसार ही दिया जाता है, तब फिर उन्हें हड़ताल करने के लिये मजबूर करने से पहले सरकार उनकी मांग को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के लिये कार्यवाही क्यों नहीं करती, क्योंकि उनके हड़ताल करने से मजदूरों और सरकार दोनों को ही नुकसान होता है ?

श्री भागवत झा आजाद : जहां तक इस प्रश्न विशेष का सम्बन्ध है, यह अगस्त और सितम्बर में हुई हड़ताल से सम्बन्धित है । उस मामले में दोनों पक्षों में सौहार्दपूर्ण समझौता हो गया था । जहां तक अन्य बन्दरगाहों की तुलना में इस बन्दरगाह के कर्मचारियों की मजदूरी में अन्तर का प्रश्न है, हमें वेजबोर्ड का प्रतिवेदन 29 नवम्बर को प्राप्त हो गया था । इस प्रतिवेदन के सभी पक्षों पर विचार करके, और यदि आवश्यक हुआ तो दोनों पक्षों से सलाह करके ही हम कोई निर्णय ले सकते हैं ।

श्री नी० श्रीकान्तन नायर : मेरा प्रश्न कुछ और था । जब दोनों पक्षों के बीच बातचीत असफल हो गयी तब हड़ताल हुई और वह भी उचित नोटिस देने के बाद । मैं यह जानना चाहता हूं कि इस हड़ताल को रोकने के लिये पहले कार्यवाही क्यों नहीं की गई ।

श्री स० कुण्डू : इस प्रश्न का मजूरी बोर्ड के प्रतिवेदन से कोई सम्बन्ध नहीं है। कोचीन बन्दरगाह और डाक के मजदूरों ने यह मांग की थी कि उन्हें भी अन्य मुख्य बन्दरगाहों के मजदूरों के बराबर ही मजदूरी दी जानी चाहिये । परन्तु न तो भारत सरकार ने ही इस मांग को स्वीकार किया और न ही कोचीन पोर्ट ट्रस्ट पर इस मांग को स्वीकार करने के लिये दबाव डाला ।

श्री भागवत झा आजाद : मजदूरों ने जो मांग की थी उनका दूसरी ओर से प्रतिरोध हुआ था । दोनों पक्षों के बीच बातचीत और विचार-विमर्श होने के बाद ही समझौता होता है । हम उन पर दबाव नहीं डाल सकते । जब समय-समय पर मजदूर मांगे करते हैं तो अधिकारी उन पर विचार करते हैं । जैसा कि माननीय सदस्य अच्छी तरह जानते हैं कि मजदूर संघ अधिक लाभ पाने के लिये मोलतोल करने की शक्ति का उपयोग करते हैं ।

जब उनमें समझौता नहीं हो पाता तभी हम समझौता करवाने के लिये हस्तक्षेप करते हैं । हम केवल उचित समय में ही हस्तक्षेप कर सकते थे, उससे पहले या बाद में नहीं ।

पत्तन और गोदी श्रमिकों संबंधी केन्द्रीय मजूरी बोर्ड का प्रतिवेदन

*395. **श्रीमती इलापाल चौधरी :**

श्री वि० नरसिम्हा राव :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पत्तन और गोदी श्रमिकों संबंधी केन्द्रीय मजूरी बोर्ड ने सरकार को अपनी सिफारिशें भेज दी हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या उक्त बोर्ड द्वारा ये सिफारिश सर्वसम्मति से की गई हैं अथवा बहुमत द्वारा निर्णय के आधार पर की गई हैं ;

(घ) क्या सरकार ने बोर्ड द्वारा की गई सभी सिफारिशें अथवा केवल कुछ ही सिफारिशों को स्वीकार किया है ; और

(ङ) सिफारिशों को कब से लागू किया जायेगा ?

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हां । बोर्ड की रिपोर्ट सरकार को 29 नवम्बर, 1969 को प्राप्त हो गई है ।

(ख) से (ङ). बोर्ड की सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है । इनकी सरकारी निर्णयों के साथ यथाशीघ्र घोषणा कर दी जायेगी ।

श्री वि० नरसिम्हा राव : मैं यह जानना चाहता हूं कि विशाखापत्तनम पत्तन न्यास की सिफारिशें प्राप्त हुई हैं या नहीं ।

श्री भागवत झा आजाद : यह प्रश्न देश के सभी महत्वपूर्ण बन्दरगाहों में काम करने वाले सभी बन्दरगाह तथा डाक मजदूरों के लिये केन्द्रीय मजूरी बोर्ड के बारे में हैं । जैसा कि मैंने कहा है कि अभी हाल में ही प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है । दूसरे के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि यह प्रश्न उससे सम्बन्धित नहीं है ।

Shri Hukam Chand Kachwai : Hon. Minister had just said that the report has been received, I would like to know when the recommendations of this report would be implemented and how long it would take ?

Mr. Speaker : Any one can ask this question, please ask some other question.

Shri Hukam Chand Kachwai : I have asked about the report—you had called only me and no one else.

Shri Bhagwat Jha Azad : We have received this report only on 29th November that is just 5-6 days ago, therefore it is difficult to say how long it would take, but we would try to consider the report as soon as possible. This relates to many ministries, therefore, we will have to consult all interested concerns.

Shri Hukam Chand Kachwai : One year, two years, three years, some time limit should have been specified.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यद्यपि सरकार को अभी सभी सिफारिशों की पूरी जांच करने का समय नहीं मिला है, परन्तु यह सर्वविदित है और समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हो चुका है कि इन सिफारिशों में से अनेक महत्वपूर्ण सिफारिशें सर्वसम्मत नहीं थीं। मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा कि क्या कोई अन्तिम निर्णय लेने के पहले कम से कम उन सिफारिशों पर जो सर्वसम्मत नहीं थीं, उन पर कोई विचार किया जायेगा जिसमें सम्बद्ध संघों के विभिन्न महासंघों को अपने विचार व्यक्त करने के लिये आमन्त्रित किया जायगा क्योंकि संघों को, परिवहन मंत्री और श्रम मंत्री जो उनके पूर्वाधिकारी थे, ने ऐसा आश्वासन दिया था। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वे उन आश्वासनों के अनुरूप कार्य कर रहे हैं।

श्री भागवत झा आजाद : जैसा कि विदित ही है कि जब सरकार को मजूरी बोर्ड का कोई प्रतिवेदन प्राप्त होता है, हम हमेशा ही सम्बद्ध पक्षों को बुलाते हैं, विशेषकर मालिक, नौकर और सरकार की त्रिपक्षीय बैठक, मजूरी बोर्ड की सिफारिशों पर विचार करने के लिये बुलाते हैं। इस मामले में भी ऐसा ही किया जायेगा।

श्री स० कुण्डू : क्या मैं जान सकता हूं कि मजूरी बोर्ड ने अन्तरिम सहायता के लिये कोई सर्वसम्मत सिफारिश की थी और यदि की थी तो वह क्या थी और क्या सरकार ने उसे स्वीकार किया है। दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये कब तक घोषणा करेगी।

श्री भागवत झा आजाद : इस मजूरी बोर्ड ने पहले ही दो अन्तरिम सिफारिशें दे दी हैं और उन्हें कार्यान्वित भी कर दिया गया है। मजूरी बोर्ड की सिफारिशें सर्वसम्मत नहीं हैं परन्तु उनमें समझौते की काफी गुंजाइश है। इस अवस्था में सरकार के लिये इस मामले पर कोई टिप्पणी करना सम्भव नहीं है, जब तक त्रिपक्षीय बैठक के द्वारा या विभिन्न उपायों द्वारा सभी सम्बद्ध पक्ष सिफारिशों पर विचार नहीं कर लेते।

Removal of Levy of Tax on Fertilizers

*397. **Shri Raghuvir Singh Shastri:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in its first meeting held on the 5th September, 1969, the Central Advisory Committee on Agricultural Production unanimously adopted a resolution recommending to Government that the tax levied on the fertilizers be dispensed with ; and

(b) if so, the action taken by Government thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde): (a) and (b). A statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

A member of the Advisory Committee called for a unanimous resolution to be conveyed to Government pressing for withdrawal of duty on fertilizers. Though no resolution as such was passed, a large number of members expressed themselves in favour of such a move.

The matter is under consideration of the Government of India.

Shri Raghuvir Singh Shastri : Sir, in the statement which has been submitted by the Hon. Minister, it has been said that the resolution was not passed, but could the Government say that it was not the consensus of opinions of the entire advisory committee ?

I would like to know this also that the meeting of advisory committee was held three months ago, and had the Government taken some decision in that regard, the farmers would have received benefits worth crores of rupees. Then after many months there will be the opportunity for manuring, then whether Government are not to be blamed for this that it has delayed their decision and due to that the farmers had to incur such a heavy loss ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : जैसा कि मैंने वक्तव्य में कहा है कि उर्वरकों पर शुल्क को समाप्त करने पर जोर देते हुये सलाहकार समिति के एक सदस्य ने सर्वसम्मत संकल्प को सरकार को देने के लिये कहा । बैठक में जो कुछ मालुम हुआ उसे वक्तव्य में रखा गया है । श्रीमन्, जैसा कि आप जानते हैं कि उर्वरकों पर शुल्क-सभा में ही काफी प्रयत्नों के बाद लगाया गया था । इसलिये यदि सरकार इसे मानती है, तो पहले इस पर विचार करना होगा और यह स्वाभाविक है कि सलाहकार परिषद् की सलाहों पर विचार करेगी ।

Shri Raghuvir Singh Shastri : Sir, whether Government are aware that the prices of agricultural products are fast going down and that the farmers are suffering because of this depression. They do not have resources for manuring and other imputs. In the view of these, was it not the duty of Government to provide incentives to the farmers for manuring etc ? But istead the Government are acting contrary to that. Ten percent duty has been levied on manure here, and in Uttar Pradesh three percent sales tax has been levied and thus it becomes 13 percent. In these circumstances, should I hope that in view of the conditions of the farmers, Government would announce the withdrawal of this tax as soon as possible ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मैं केवल यही कह सकता हूं कि यह मामला विचाराधीन है । हमें अनावश्यक रूप से यह आतंक नहीं फैलाना चाहिये कि देश के किसानों के हितों की रक्षा नहीं की जा रही या उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा । मैं यह कह सकता हूं कि सरकार खरीद कीमतों पर ही अनाज ले रही है । जहां तक गेहूं और धान का सम्बन्ध है, नीति जारी है । सरकार किसानों के हितों की रक्षा नहीं कर रही, यह भय व्यक्त नहीं किया जाना चाहिये । किसानों के हितों की हमें भी उतनी ही चिन्ता है, जितनी माननीय सदस्य को ।

Shri Deorao Patil : I would like to know from the Government, whether after the submission of the proposal to the Government by the consultative committee, Food and Agriculture Ministry has agreed to withdraw the levy on fertilizer.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : अन्त में यह सरकार का ही निर्णय है और अन्य मंत्रियों से सलाह करके ही निर्णय लिया जाना है । मेरा मंत्रालय अकेले ही कुछ नहीं कर सकता । एक दूसरे से सलाह करके ही सभी बातों पर निर्णय किया जायेगा ।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : हमें ज्ञात हुआ है कि इस कर के कारण उर्वरक की खपत बहुत गिर गई है । क्या मंत्री महोदय इस स्थिति की जांच करेंगे ? यदि उन्हें इसकी सूचना है तो क्या वे तथ्यों पर आधारित वक्तव्य देंगे कि क्या यह सत्य है कि इस कर का समस्त भार किसानों पर पड़ने से उर्वरक की कीमतें बढ़ गई हैं और उसके परिणामस्वरूप उर्वरक की खपत कम हो गई है ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : माननीय सदस्य ने कहा कि हमारे देश में उर्वरक की खपत कम हो गई है। यह कहना ठीक नहीं है। यह गलत धारणा है। इसके विपरीत उर्वरक की खपत बढ़ रही है। पिछले दो वर्षों में भी उर्वरक की खपत 13-14 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से बढ़ी है। परन्तु यह हमारी आशा के अनुकूल नहीं है। परन्तु वह एक अलग बात है। हम 30 प्रतिशत वृद्धि चाहते हैं और इसकी योजना की गई थी। यह योजना हमारी आशा के अनुकूल नहीं है। यह कम नहीं हो रही है, बल्कि इसमें वृद्धि हुई है।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : इस कर को लगाने के बाद भी खपत बढ़ी है ? मैं पिछले दो वर्षों की बात नहीं कर रहा।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : कर लगाने के बाद भी खपत बढ़ रही है।

Shri Ramavtar Shastri : Mr. Speaker, Sir, in the last budget session, when the discussion was going on the Finance Bill, the then Finance Minister Mr. Morarji Desai had said that there was black maketing in fertilizer. I would like to know whether it is fact that there is black marketing in the fertilizer ? If so, the action proposed to be taken to check the same ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मैं कह सकता हूं कि इस समय उर्वरक आसानी से प्राप्त होता है और काला बाज़ार का प्रश्न ही नहीं उठता।

Shri G. S. Misra : Mr. Speaker, this year, the prices of agricultural products have gone down therefore the expenditure to be incurred on it should be reduced. How far is it proper to levy taxes on fertilizer in these circumstances and whether it would affect the so called Green Resolution ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : इस प्रश्न का मैंने पहले ही उत्तर दे दिया है।

श्री प्र० के० देव : क्या यह सत्य नहीं है कि विदेशी बाजारों में हमारे यहां की तुलना में आधे दामों पर उर्वरक प्राप्त है। सरकार गम्भीरतापूर्वक शुल्क को समाप्त करने पर विचार नहीं करती ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : यह कहना ठीक नहीं कि हमारे देश में उर्वरक की कीमतें अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों की अपेक्षा दुगनी हैं। निःसन्देह 10 प्रतिशत शुल्क लगने से उर्वरक की कीमतें अनेक देशों की कीमतों की अपेक्षा अधिक हैं, परन्तु यह कहना ठीक नहीं कि हमारी कीमतें बहुत अधिक या लगभग दुगनी हैं।

अध्यक्ष महोदय : जिन सज्जनों को पिछले दो दिनों में अनुपूरक प्रश्न पूछने के अनेक अवसर मिल चुके हैं, उन्हें अब दूसरों को प्रश्न पूछने का अवसर देना चाहिये।

Shri Jharkhande Rai : Mr. Speaker, Sir, when development programmes were being started in our country after the independence then it was proposed to give incentives to the farmers for utilizing fertilizers, the farmers hesitated at that time, but afterwards they started using it. During last two years the prices of fertilizers have gone up, and the prices of agricultural products gone down and subsequently farmers have suffered. Whether Government are considering to reduce the levy on fertilizers.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : शुल्क लगाते समय अनेक सुझावों पर विचार किया गया। पहले सभा में यह स्पष्ट कर दिया गया है।

Shri Onkar Lal Berwa : I would like to know the rates of the tax in the Centre and States separately and whether Government are considering to make the rates universal in all the States ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : यह कर फौरन नहीं हटाये जा सकते हैं। एक सुझाव दिया गया है और हम इस पर विचार करेंगे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

नलकूपों के लिये बिहार को केन्द्रीय सहायता

*396. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल :**
डा० सुशीला नैयर :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार राज्य सरकार ने नलकूपों के लिये, जो मई से अगस्त, 1969 के दौरान में बिहार में सूख गये थे, केन्द्रीय सरकार से सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उक्त राज्य को किस प्रकार की सहायता दी है और उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) मई से अगस्त, 1969 के दौरान राज्य में सूख जाने वाले नलकूपों के लिये बिहार सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कोई सहायता नहीं मांगी है।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

बम्बई पत्तन के पायलटों द्वारा हड़ताल

*398. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई पत्तन के पायलटों ने हाल में "नियम के अनुसार ही काम करो" हड़ताल की थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त पायलटों द्वारा "नियम के अनुसार ही काम करो" हड़ताल करने से पत्तन के कार्यचालन पर कितना कुप्रभाव पड़ा;

(ग) क्या यह भी सच है कि उनके वेतनमानों को 1 जुलाई, 1967 से भूतलक्षी प्रभाव से पुनरीक्षित करके प्राधिकारियों ने उनकी अधिकांश मांगों को स्वीकार कर लिया है, यदि हां, तो पायटलों द्वारा "नियम के अनुसार ही काम करो" हड़ताल किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिये क्या प्रयत्न किये गये हैं; किये गये थे कि पायलट अपना कार्य सामान्यरूप से पुन. आरम्भ कर दें ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग). बम्बई पत्तन के पायलटों की मागों की जांच करने के लिये भारत सरकार ने गुजरात उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश, श्री के० टी० देसाई की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की थी। इस समिति ने वेतन-क्रमों में वृद्धि सम्बन्धी संशोधन करने आदि के बारे में कुछ सिफारिशें कीं। इनको क्रियान्वित कर दिया गया है। परन्तु पायलेट इस समिति द्वारा की गई सिफारिशों से सन्तुष्ट नहीं थे और उन्होंने कुछ और मांगें उठाईं। विशेष रूप से वे पत्तन न्यास द्वारा अपनाई गई सामान्य 'बदली' प्रणाली की जगह आठ घंटे की पारी प्रणाली अपनाना चाहते थे। जब पत्तन न्यास ने अक्तूबर, 1969 में पुरानी 24 घंटे की बदली प्रणाली पर वापिस आने का आदेश दिया तो पायलेट हड़ताल पर चले गये। पायलेटों ने स्वयं ही और पत्तन न्यास के प्राधिकार के बिना 18 अगस्त, 1968 से कई प्रकार की प्रतिबंधक कार्यवाहियां अपनानी शुरू कर दीं। उदाहरण के लिये 6 बजे प्रातः से 10 बजे रात के बीच आठ-आठ घंटे की दो पारियों में काम करना तथा रात्रि में 10 बजे के बाद काम न करना। उन्होंने अनिधिकृत रूप से कुछ त्योहारी छुट्टियों को भी मनाया। इससे जहाजरानी को काफी असुविधा हुई और जहाजों को ठहराने और चलाने में भी बिलम्ब हुआ। बड़े-बड़े टैंकरों को बुचरद्वीप और पीर पाऊ ले जाने पर पायलटों द्वारा लगाये गये प्रतिबंधों से टैंकरों के पहुंचने में भी बिलम्ब हुआ। जब पायलटों ने जहाजों के लंगर डलवाने से इंकार कर दिया तो तीन नये अलेजेंड्रा डौक हारबर वाले लांगल-स्थानों का इस्तेमाल भी नहीं किया जा सका।

(ख) यह हड़ताल 5 नवम्बर, 1969 की शाम को शुरू हुई। परन्तु पायलेटों की प्रार्थना पर 12 तारीख को बातचीत की गई और एक समझौता हो गया जिसके परिणामस्वरूप उन्होंने 13 नवम्बर, 1969 की सुबह से पुरानी 'बदली' प्रणाली के अनुसार पुनः कार्य आरम्भ कर दिया।

चौथी पंचवर्षीय योजना में पश्चिम बंगाल, आसाम आदि के पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि उद्योग

*399. **श्री वी० कु० मोडक :** **श्री मुहम्मद इस्माइल :**
श्री गणेश घोष : **श्री कं० हाल्दर :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में पश्चिम बंगाल, आसाम, नागालैंड, मणिपुर तथा त्रिपुरा के पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि-उद्योगों का विकास करने के लिये सरकार की कोई विशेष योजना है;

(ख) यदि हां, तो उस योजना का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो सरकार के पास ऐसी विशेष योजना न होने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे : (क) से (ग) . अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

गरीब किसानों और हरिजनों को भूमि का वितरण

*400. **श्री सरजू पाण्डेय** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूमि की अधिकतम सीमा लागू किये जाने के परिणामस्वरूप अब तक कितनी फालतू भूमि उपलब्ध की गई है;

(ख) इसमें से कितनी भूमि निर्धन किसानों तथा खेतिहर मजदूरों में बांटी गयी है ; और

(ग) इस फालतू भूमि का कितना भाग हरिजनों में बांटा गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जोत की अधिकतम सीमा सम्बन्धी प्रतिबंध लगाने के परिणामस्वरूप अब तक 20 लाख एकड़ भूमि अधिशेष घोषित की जा चुकी है और लगभग आधा क्षेत्र वितरित किया जा चुका है ।

(ख) और (ग) . राज्य के अन्तर्गत बने कानूनों तथा नियमों के अनुसार ऐसी अधिशेष भूमि को अलाटमेन्ट करने में गरीब किसानों तथा कृषि मजदूरों और विशेषकर अनुसूचित जातियों तथा पिछड़ी जातियों के व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाती है ?

शिक्षित इंजीनियरों, वैज्ञानिकों तथा तकनीशनों में बेकारी

*401. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बढ़ती हुई बेकारी, विशेषकर शिक्षित लोगों में, जिनमें इंजीनियर, वैज्ञानिक तथा तकनीशियन भी शामिल हैं, को दूर करने के लिये कोई उपाय किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो वे उपाय क्या हैं और क्या कोई अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन अथवा दोनों प्रकार की योजनाएं बनाई गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो उस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) (क) से (ग) . रोजगार अवसरों में वृद्धि करने के लिये अपनाये विभिन्न उपायों पर चौथी पंचवर्षीय योजना प्रारूप में प्रकाश डाला गया है । सरकार ने मई, 1969 में डिप्लोमाधारियों समेत इंजीनियरों के लिये अतिरिक्त रोजगार अवसरों के सर्जन हेतु अनेक उपायों का अनुमोदन किया था । 20 जुलाई, 1968 को तारांकित प्रश्न संख्या 138 के उत्तर में सभा पटल पर इन

उपायों के बारे में एक विवरण रखा गया था। केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा इन उपायों पर कार्रवाई की जा रही है।

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, जो वैज्ञानिक और तकनीकी व्यक्तियों का राष्ट्रीय रजिस्टर रखती है तथा वैज्ञानिकों के पूल का संचालन करती है, वे बेरोजगार वैज्ञानिकों और तकनीशनों, विशेषकर विदेश से लौटे हुये, की नियुक्ति के लिये अनेक उपाय अपनाये हैं। वैज्ञानिकों के पूल पर नियुक्त व्यक्तियों को उनकी योग्यताओं, अनुभव और व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के अनुसार शोध संस्थानों, विश्वविद्यालयों सरकारी विभागों अथवा सरकारी क्षेत्र की स्थापनाओं से सम्बद्ध कर दिया जाता है।

उपग्रह संचार केन्द्रों की स्थापना के लिये अमरीका से सहायता

*402. **श्री धीरेश्वर कलिता** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समूचे देश में उपग्रह संचार केन्द्रों की स्थापना के लिये अमरीका से सहायता मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अमरीका से किस प्रकार की सहायता मिलने की आशा है ?

सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : (क) और (ख) देश-व्यापी उपग्रह-संचार-जाल स्थापित करने के लिये संयुक्त राज्य अमरीका से कोई सहायता नहीं मांगी गयी है। अलबत्ता, अमरीका के राष्ट्रपति वैमानिक तथा अंतरिक्ष प्रशासन (नासा) का अपना एक कार्यक्रम है जिसके अधीन विभिन्न प्रयोगों के लिये एक श्रृंखला में व्यवहार प्रौद्योगिकी उपग्रह (एप्लीकेशन टेक्नोलोजी सैटेलाइट्स) छोड़े जाने हैं। अणु-ऊर्जा के विभाग ने भारत से दीखने वाले इनमें से एक उपग्रह के उपयोग के विषय में 'नासा' से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं। यह उपयोग एक वर्ष की अवधि के लिये, शिक्षणात्मक दूरदर्शन (इंस्ट्रक्शनल टी० बी०) के क्षेत्र में प्रायोगिक कार्यक्रम के लिये किया जायगा।

Mao Described as President of India in Naxalities Papers

*404. **Shri Prakash Vir Shastri :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Naxalite Communists in West Bengal have brought out a paper 'Deshbrati' ;

(b) whether it is also a fact that there were such articles published in this paper describing Mao-tse-tung as the President of India also ;

(c) if so, the action taken against such newspapers ; and

(d) whether there are certain other places where such newspapers or literature are published ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c). Facts are being ascertained.

(d) Yes, Sir.

Venkataraman Committee on Automation

*405. **Shri Brij Bhushan Lal :** **Shri Atal Bihari Vajpayee :**
Shri Sharda Nand : **Shri Jagannath Rao Joshi :**
Shri Suraj Bhan :

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the details in respect of appointment of Venkataraman Committee on Automation and whether the Committee has been asked to give any interim Report ; and

(b) whether automation would be shelved till a decision is taken by Government on the Report of the said Committee ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) A statement is laid on the Table of the House.

(b) No, Sir ; in line with the conclusions of the 24th Session of the Indian Labour Conference (1966), as well as the 26th Session of the Standing Labour Committee (1967), introduction of automation during this interregnum is to be on a selective basis and regulated by the 'Model Agreement on Rationalization' as adopted at the 15th Session of the Indian Labour Conference (1957).

Statement

A Committee with the undermentioned composition and terms of reference has been set up on the 19th July, 1969 :

Composition
Chairman :

Shri R. Venkataraman — Member, Planning Commission.

Members :

1. Shri G. Ramanujam.
2. Shri Bagaram Tulpule.
3. Shri Satish Loomba.
4. Shri B. D. Somani.
5. Shri Babubhai M. Chinai.
6. Shri Naval H. Tata.
7. Prof. V. M. Dandekar, Gokhale Institute of Economics and Politics, Poona.
8. Prof. V. R. Rao, Computer Centre, Delhi.
9. Brig. B. J. Shahaney, Instrumentation Ltd., Kotah.
10. Dr. B. S. Garud, General Manager, Shriram Fertilisers.

Terms of Reference

(1) To review the total effects of the operation of automation in enterprises in the public and private sectors in which it has been already introduced.

(2) To recommend criteria for the determination of any specific areas and fields in

which introduction of measures of automation, including computers, may be permitted or restricted with due regard to—

(i) the need for raising efficiency and productivity in industry and trade, and in particular industries which are export-oriented ;

(ii) the requirements of scientific research and development ;

(iii) the need for timely tabulation, analysis, study, etc. of the large masses of data that arise in modern industry, trade, transport, etc. ; and

(iv) the need for restricting the import of foreign equipment for automation and for encouraging the use of such equipment manufactured in the country.

(3) To recommend safeguards for avoiding or minimising any harmful social effects of the introduction of automation ;

(4) To consider and make recommendations on any other related matters.

The Committee has not been asked for an interim report. Its report is expected in a year's time.

Price of Imported U.S. Wheat

*406. **Shri Yashwant Singh Kushwah :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that U. S. Government have reduced the price of the American wheat exported to India ; and

(b) if so, the details thereof and its likely effect on the prices in India ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) and (b). The U. S. Government announced reduction in the export prices of the U.S. Hard Winter Wheat and Soft Red Winter Wheat in July, 1969. Reductions in prices of Western White Wheat were announced in August, 1969. Further reductions in prices of Hard Winter Wheat and Soft Red Winter Wheat were made in September, 1969. These reductions were to all destinations including India. These reductions in export prices of U.S. wheat have no effect on the internal prices of wheat in India.

इंजीनियरी उद्योग में मजूरी ढांचा

*407. **श्री भगवान दास :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में राज्यवार और वर्षवार इंजीनियरी उद्योग के कर्मचारियों की मूल मजूरी और महंगाई भत्ते की दरें क्या थीं ; और

(ख) पिछले तीन वर्षों में राज्यवार और बर्षवार इंजीनियरी उद्योग में उत्पादिता की दरें क्या थीं ?

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) इंजीनियरी श्रमिकों की मूल मजूरी दरें और महंगाई भत्ता भिन्न-भिन्न स्थान पर भिन्न-भिन्न

है। इंजीनियरी प्रतिष्ठानों की संख्या बहुत बड़ी है और उनके द्वारा हर साल अदा की जाने वाली मजूरी के बारे में सरकार सूचना एकत्र नहीं करती।

(ख) सूचना उपलब्ध नहीं है।

कलकत्ता में भारतीय खाद्य निगम द्वारा अर्जित मुनाफा

*408. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :**
श्री जय सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम ने कलकत्ता में चावल बेचकर प्रति क्विंटल साधारण चावल पर 19 रुपये तथा बढ़िया किस्म के चावल पर पूरे 25 रुपये का मुनाफा कमाया है ;

(ख) निगम ने चावल मिलों से भिन्न-भिन्न किस्मों का चावल किस-किस मूल्य पर खरीदा था तथा किस-किस मूल्य पर बेचा था ;

(ग) क्या यह भी सच है कि विस्थापित व्यापारियों ने यह बताया है कि वे निगम द्वारा कमाये गये मुनाफे के एक-तिहाई मुनाफे पर चावल बेचने को तैयार थे ; और

(घ) ऊपर बताई गई बातें कहां तक सही हैं तथा क्या सरकारी उपक्रमों के लिये जनता से विशेषकर खाद्यान्नों पर जिनकी 95 प्रतिशत से अधिक लोगों को आवश्यकता होती है, मुनाफा लिये जाने की सीमा के बारे में कोई सिद्धान्त निश्चित किये गये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं। राज्य में चावल की अधिप्राप्ति तथा वितरण के लिये भारतीय खाद्य निगम राज्य सरकार के एजेन्ट के रूप में कार्य कर रहा है। भारतीय खाद्य निगम राज्य सरकार द्वारा निर्धारित गुंजाइश सीमा के अन्दर ही कार्य करता है जिसमें भारतीय खाद्य निगम के लिये किसी लाभ का अंश नहीं होता है।

(ख) यह जानकारी देने वाला एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है।

(ग) जी हां। पश्चिमी बंगाल के कुछ व्यापारियों ने राज्य सरकार को सूचित किया था कि वे राज्य में भारतीय खाद्य निगम के मुकाबले में लाभ की कम गुंजाइश पर चावल की अधिप्राप्ति तथा वितरण सम्बन्धी कार्य अपने हाथ में लेने के लिये तैयार हैं।

(घ) विवरणों की सत्यता के बारे में प्रश्न के उत्तर के भाग (क) तथा (ख) में स्थिति का उल्लेख कर दिया गया है। प्रश्न के उत्तर के भाग (क) में उल्लिखित स्थिति को दृष्टि में रखते हुए भारतीय खाद्य निगम को लाभ देने के कोई प्रतिमान निर्धारित नहीं किये गये हैं।

विवरण

(प्रति क्विंटल रुपयों में)

चावल की किस्म	क्रय मूल्य*	विक्रय मूल्य
सामान्य	102.00 106.58@	120.00
बढ़िया	106.00 110.74@	128.00
बहुत बढ़िया	110.00 120.75@	138.00

चीनी पर कर में कमी

*409. **डा० प० मंडल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीनी के उत्पादन में भावी वृद्धि को देखते हुए, सरकार के माध्यम से वितरित होने वाली चीनी पर लगने वाले कर की प्रतिशतता को 70 प्रतिशत से घटाकर 60 प्रतिशत करने के सुझावों के बारे में मंत्री महोदय की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ख) क्या चीनी-निर्माताओं द्वारा की गई चीनी-सम्बन्धी नीति को और अधिक निर्बाध बनाने की मांग पर, पुन: विचार किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या अन्तिम निर्णय किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग). चीनी की आंशिक विनियंत्रण की नीति, जिसके अधीन 1969-70 में उत्पादित चीनी का 70 प्रतिशत सरकार द्वारा निर्धारित लेवी मूल्य पर लिया जाना है और शेष 30 प्रतिशत खुले बाजारों में बेचने हेतु कारखाने वालों को दिया जाना है, चीनी निर्माताओं सहित सभी लोगों के विचारों पर सावधानी से विचार करने के बाद अपनाई गई है। फिलहाल, इस नीति अथवा लेवी और मुक्त बिक्री के कोटे की प्रतिशतता में कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं है ।

सिंचाई के लिये ड्रिलिंग रिगों तथा बोरिंग पाइपों की आवश्यकता

*410. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश की ऐसी समस्त खेती योग्य तथा खेतीवाली भूमि पर सिंचाई करने के लिये

* क्रय मूल्यों में 8 रुपये प्रतिक्विंटल के हिसाब से माल को पहुंचाने सम्बन्धी बोनस भी सम्मिलित है। वर्ष 1968-69 के मौसम में वसूली के लिये उपर्युक्त मूल्य निश्चित किये गये थे ।

@ धान उद्ग्रहण योजना के अधीन वसूल किये गये धान से प्राप्त चावल अथवा सीधे उत्पादकों से खरीदे गये चावल के सम्बन्ध में ।

जहां नहरों से सिंचाई नहीं की जा सकती कुल कितने ड्रिलिंग रिगों तथा बोरिंग पाइपों की आवश्यकता होगी ;

(ख) देश में ड्रिलिंग रिगों तथा बोरिंग पाइपों की अधिक से अधिक गहन उत्पादन क्षमता कितनी है ;

(ग) चौथी योजना में भूमिगत जल का अधिक से अधिक उपयोग करने के लिये यदि कोई उपाय किये जा रहे हैं वे क्या हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) (क) खुदाई के कुओं का बोरिंग करने और नलकूपों को ड्रिलिंग के लिए केवल चौथी योजना के लक्ष्यों के सम्बन्ध में ड्रिलिंग रिगों और बोरिंग पाइपों की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है । प्रतिवर्ष 400 ड्रिलिंग रिगों तथा लगभग 1 लाख टन पाइपों की आवश्यकता पड़ती है ।

(ख) ड्रिलिंग के कूओं/नलकूपों के लिए अपेक्षित ड्रिलिंग रिगों के उत्पादन की अधिकतम क्षमता इस समय प्रति वर्ष लगभग 100 है । यह क्षमता आगामी वर्ष काफी बढ़ जाने की सम्भावना है । विभिन्न प्रकार के पाइप बनाने की क्षमता अनुमानतः 5 लाख टन प्रति वर्ष है ।

(ग) भूमि गत जल का अधिकाधिक उपयोग करने के लिए उठाए गए कदम ये हैं : गहराई से जल लेने वाले तथा कृषकों को लाभ पहुंचाने वाले राजकीय नलकूपों के लिये योजना-कोष से अधिक नियतन करना, खुदाई के कुओं नलकूपों तथा पम्पसैटों आदि गैर सरकारी कार्यों के लिये भूमि विकास बैंकों, कृषि पुनर्वित निगम सम्बन्धी संस्थानात्मक निकायों के वित्तीय संसाधनों से अधिक लाभ उठाना, विभागीय संगठनों तथा प्राइवेट ठेकेदारों के माध्यम से कृषकों को बोरिंग व ड्रिलिंग सम्बन्धी सुविधायें प्रदान करना तथा भूमिगत जल संसाधनों के मूल्यांकन के सर्वेक्षण कार्यों को गतिमान करना ।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता ।

पूर्वी-पाकिस्तान से पश्चिम बंगाल और दिल्ली आये शरणार्थियों की बस्तियों को नियमित करना

*4 11. **श्री चपला कान्त भट्टाचार्य :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1 जनवरी, 1951 से पहले पूर्व पाकिस्तान से पश्चिम बंगाल में आये शरणार्थियों की बस्तियों को नियमित करना स्वीकार कर लिया है ; और

(ख) क्या पूर्व पाकिस्तान से आये तथा दिल्ली के चारों ओर बसे शरणार्थियों की बस्तियों के बारे में भी यही कार्यवाही की जायेगी ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों के बिठाव के फलस्वरूप पश्चिम बंगाल में, 1-1-1951 से पूर्व बनाई गई बस्तियों को नियमित करना स्वीकार कर लिया गया है ।

(ख) दिल्ली में, ऐसी उपवेशी बस्ती कोई नहीं है। दिल्ली में पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों के लिये स्थापित की गई केवल एक बस्ती है जो कि कालका जी के निकट है । क्योंकि यह बस्ती स्वयं सरकार द्वारा स्थापित की गई है, इसलिये इसके नियमानुकूलन का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पौधा संगरोध शालाओं की स्थापना

*412. **श्री मयावन :** **श्री चेंगलराया नायडू :**
श्री रा० बरुआ : **श्री सं० चं० सामन्त :**
श्री चन्द्रशेखर सिंह : **श्री ईश्वर रेड्डी :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 16 सितम्बर, 1969 को हुए कृषि वैज्ञानिकों के सम्मेलन में यह प्रस्ताव रखा गया था कि प्रत्येक मुख्य हवाई अड्डे तथा बन्दरगाह और सीमांत स्थल मार्ग पर पौधा संगरोधशाला स्थापित की जाये ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने यह प्रस्ताव किस सीमा तक स्वीकार किया है ;

(ग) उस सम्मेलन में इसके अतिरिक्त अन्य क्या सिफारिशें की गई थीं ; और

(घ) उनमें से कितनी सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं । भारत सरकार ने प्रमुख पत्तनों, हवाई अड्डों और भू-मार्गों पर ऐसे 16 केन्द्रों की स्थापना की हुई है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

(ग) कर्मशाला के पूर्ण अधिवेशन में जो कि विशेषकर भारत के संदर्भ में पौध पुरः स्थापन और पौध संगरोध पर विचार करने के लिये आयोजित किया गया था, कुल 6 सिफारिशें की हैं ।

(घ) अभी इनकी जांच की जा रही है ।

विदेशों द्वारा भारत को खराब हो गये दुग्ध चूर्ण की सप्लाई

*413. **श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसी रिपोर्ट मिली है कि विदेशों द्वारा भारत को खराब हो गये दुग्ध चूर्ण की सप्लाई की गई है जिसका स्वास्थ्य पर हानिकर प्रभाव पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी रिपोर्टों का ब्योरा क्या है और सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) विदेशों से वर्ष 1967-68 तथा 1968-69 में कुल कितना दुग्ध चूर्ण प्राप्त हुआ और उन्हें विदेशी मुद्रा तथा रुपयों में कितनी राशि दी गई ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जांच से पता चला है कि भारत में दुग्ध चूर्ण के आयात से सम्बन्ध रखने वाले किसी मन्त्रालय को भी विदेशों द्वारा ऐसे खराब दुग्ध चूर्ण की सप्लाई होने के विषय में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है जिससे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ा हो ।

(ख) प्रश्न नहीं होता ।

(ग) 1967-68 के दौरान 12.43 करोड़ रुपए के मूल्य के लगभग 33,900 मीटरी टन दुग्ध चूर्ण का भारत में आयात किया गया था । इसमें से कृषि विभाग द्वारा रक्षा स्थापनाओं सहित सरकारी क्षेत्र की डेरियों के लिए आयातित मात्रा की विदेशी मुद्रा 1.46 करोड़ रुपए बैठती है । 1968-69 के दौरान 12.70 करोड़ रुपए के मूल्य के लगभग 46,700 मीटरी टन दुग्ध चूर्ण के तदनुरूप आंकड़े थे । इसमें विदेशी मुद्रा की मात्रा 2.30 करोड़ रुपए थी ।

चूहों आदि द्वारा भण्डागारों तथा गोदामों में अनाज की बर्बादी

*414. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भण्डागारों तथा गोदामों में प्रति वर्ष लगभग 19 लाख टन अनाज चूहों आदि द्वारा बर्बाद किया जाता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारतीय कीट नियंत्रण संगठन ने सरकार को एक कीट-नियंत्रण योजना भेजी है और ऐसी ही एक योजना केन्द्रीय सरकार के विचारार्थ केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान, मैसूर ने भेजी थी ;

(ग) क्या इन दो संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत योजनाओं के गुण-दोष के आधार पर सरकार ने कोई निर्णय किया है और उक्त विचार करने के परिणाम स्वरूप आरम्भ की जाने वाली कार्यवाही का ब्योरा क्या है ; और

(घ) चौथी पंचवर्षीय योजना में कीट-नियंत्रण उपायों के लिए निर्धारित की गई प्रस्तावित राशि का वर्षवार ब्योरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) चूहों द्वारा नष्ट हुई खाद्यान्नों की मात्रा के सम्बन्ध में ठीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । अनुमान है कि चूहों के कारण प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के 24.0 लाख मीटरी खाद्यान्नों की हानि होती है । यह कुल हानि कुल कृषि उपज का 2 से 4 प्रतिशत है ।

देश में विभिन्न एजेंसियों के चूहा नियंत्रण कार्यों को सघन करने से इस हानि को धीरे-धीरे कम किया जा रहा है ।

(ख) अब तक खाद्य तथा कृषि मंत्रालय को ऐसी कोई योजना प्रस्तुत नहीं की गई है।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता । योजना प्रस्तुत होते ही सरकार उस पर विचार करेगी ।

(घ) विभिन्न राज्यों में चूहे मारने की औषधियों के निःशुल्क वितरण के लिये 1966-67 में भारत सरकार ने 12.9 लाख रुपये स्वीकृत किये थे। 1967-68 तथा 1968-69 में 200 लाख एकड़ भूमि को इसके अन्तर्गत लाने के लिये यह राशि बढ़ाकर 40 लाख रुपये कर दी गई थी । चालू वित्तीय वर्ष से केन्द्र द्वारा प्रायोजित यह योजना राज्य क्षेत्र को हस्तान्तरित कर दी गई है । राज्यों के साथ वार्षिक योजना पर विचार विमर्श करते समय उन्होंने राज्यों में चूहों के नियंत्रण सम्बन्धी कार्यों के लिये पर्याप्त राशि नियत करना स्वीकार कर लिया ।

दिल्ली दुग्ध योजना को एक स्वायतशासी निगम में परिवर्तित करना

*415. **श्री नि० रं० लास्कर :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार दिल्ली दुग्ध योजना को एक स्वायत्तशासी निगम के रूप में परिवर्तित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) इस बारे में अन्तिम निर्णय सम्भवत: कब तक किया जायेगा ;

(घ) यदि हां, तो क्या दिल्ली दुग्ध योजना अभी तक घाटे में जा रही है ; और

(ङ) यदि हां, तो यह सम्भवत: कब तक लाभ कमाने लगेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) दिल्ली दुग्ध योजना की गतिविधियों की पूर्ण जांच करने के लिए 1964 में नियुक्त किये गये विशेषज्ञ दल की सिफारिशों के अनुसरण में इसे एक स्वायत्त निगम में परिणित किया जा रहा है । दल का विचार था कि दिल्ली दुग्ध योजना को निगम में परिणित करने से यह विपणन अनाग्रही का प्रयोग कर सकेगी और वह सम्भरणकर्त्ताओं और ग्राहकों का समान सहयोग प्राप्त कर सकेगी ।

(ग) बहुत ही शीघ्र ।

(घ) जी हां ।

(ङ) चालू वित्तीय वर्ष में दिल्ली दुग्ध योजना को कुछ लाभ होने की आशा है ।

औद्योगिक विवाद अधिनियम का संशोधन

*416. **श्री शिव चन्द्र झा :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वर्तमान श्रमिक अशांति को देखते हुए सरकार का विचार औद्योगिक विवाद अधिनियम में कुछ परिवर्तन करने का है ;

(ख) यदि हां, तो कब तक और तत्संबंधी ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) (क) और (ख). औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में संशोधन करने वाले दो विधेयक राज्य सभा ने पास कर दिये हैं और अब उन पर लोक सभा द्वारा विचार किये जाने की प्रतीक्षा की जा रही है। इसी बीच राष्ट्रीय श्रम आयोग ने औद्योगिक संबंधों के बारे में कई एक सिफारिशें की हैं जिनसे इस अधिनियम में कुछ संशोधन करने की आवश्यकता भी हो सकती है। इन सिफारिशों पर सरकार संबंधित पक्षों से परामर्श लेकर विचार कर रही है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Setting up of New Sugar Mills

*417. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :**
Shri Kanwar Lal Gupta :
Shri Bansh Narain Singh :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of sugar mills proposed to be established by Government in private and public sectors during the next years ; and

(b) the quantity of sugar likely to be produced by them and whether it will meet country's demand for sugar ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) 56 letters of intent/licences for the establishment of new sugar factories are pending implementation. Out of these 47 are co-operatives, 8 in the Joint Stock Sector and 1 in the Public Sector. Of these, about 25 factories are expected to go into production during the next three years.

(b) The 25 new factories will have an annual sugar production capacity of about 5.00 lakh tonnes. Besides, some existing factories might also complete their expansion scheme during the next three years and, therefore, the installed annual sugar production capacity of the sugar industry after three years will be around 41 lakh tonnes. If enough sugarcane is available, sufficient sugar might be produced to meet the demand of the country.

आसनसोल कोयला खान क्षेत्र में असंतोष

*418. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 अक्तूबर, 1969 को 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित

हुए इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल के कार्यकर्त्ताओं ने कार्मिक संघों पर कब्जा पाने के लिए निराशांध प्रयत्नों द्वारा आसनसोल के पांच कोयला खानों के क्षेत्रों में आतंक फैला दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस समाचार तथा तथ्यों की सत्यता का पता लगाया गया है ;

(ग) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है ; और

(घ) साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) के कार्यकर्ताओं की अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ). अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा की मेज पर रख दी जाएगी ।

धान के खेतों में मछली पालन संबंधी अध्ययन

*419. **श्री ज्योतिमय वसु :**
श्री बदरुद्दुजा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाद्य तथा कृषि संगठन ने हाल ही में धान के खेतों में मछली पालन के संबंध में विस्तृत अध्ययन किया है और इस सम्बन्ध में कम खर्च वाले तरीके निकाले हैं ;

(ख) क्या सरकार को खाद्य तथा कृषि संगठन द्वारा किए गये उक्त अध्ययन की एक प्रति प्राप्त हुई है ;

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(घ) क्या उस अध्ययन में संकलित कुछ सिफारिशों को क्रियान्वित करने की सरकार की कोई योजना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) (क) और (ख). धान के खेतों में मछली पालन के सम्बन्ध में खाद्य तथा कृषि संगठन की विस्तृत अध्ययन सम्बन्धी कोई रिपोर्ट सरकार को नहीं मिली है । खाद्य तथा कृषि संगठन से अनुरोध किया गया है कि वे बताये कि क्या इस विषय में हाल ही में कोई अध्ययन किया गया है और यदि किया गया है तो अध्ययन रिपोर्ट की एक प्रति भेज दी जाये ।

(ग) तथा (घ). प्रश्न नहीं होते ।

वन तथा वन-भूमि सम्बन्धी नीति

*420. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वन तथा वन-भूमि सम्बन्धी नीति तथा नियम कब बनाये गये थे और इस नीति में नवीनतम परिवर्तन कब किये गये थे ;

(ख) क्या यह सच है कि वन तथा वनभूमि सम्बन्धी नियम तथा विनियम इतने अधिक पुराने हो गये हैं कि उनकी आज की परिस्थितियों में कोई सार्थकता ही नहीं रही है और ये वास्तव में उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के हित के विरुद्ध हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि अनेक राज्य करकारें केन्द्रीय सरकार से इन कानूनों, नियमों तथा विनियमों में उपयुक्त संशोधन करने का अनुरोध करती आ रही हैं और यदि हां, तो किन राज्य सरकारों ने ऐसी मांग की है ; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने इन कानूनों का अध्ययन किया है और उनके संशोधन के लिये कोई प्रस्ताव तैयार किये हैं और क्या इस कानून में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो ये परिवर्तन कब तक करने का विचार है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) भारत की वन नीति सर्वप्रथम सन् 1894 में शुरू की गई थी। वर्तमान वन नीति का श्रीगणेश खाद्य और कृषि मन्त्रालय द्वारा 1952 में किया गया था। वन राज्य सूची का विषय है। अतः भारत सरकार द्वारा इस दौरान में कोई नियम नहीं बनाये गये थे।

(ख) जी नहीं। फिर भी, जब कभी आवश्यक होता है, राज्य सरकारों द्वारा उनका संशोधन किया जाता है।

(ग) जी हां। उत्तर प्रदेश, बिहार और गुजरात की राज्य सरकारों ने केन्द्रीय वन मण्डल के विचारार्थ भारतीय वन अधिनियम में कुछ संशोधन करने का सुझाव दिया है।

(घ) जी हां। केन्द्रीय वन मण्डल ने इन सरकारों से प्राप्त हुये कुछ सुझावों की जांच करने का निश्चय किया था और वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार सभी राज्य सरकारों से प्राप्त सुझावों पर विचार के लिये एक उप-समिति नियुक्त करना उपयुक्त समझा गया। उप-समिति की सिफारिशों पर विचार किया गया और सम्बन्धित वन अधिनियमों में संशोधन के लिये इन्हें जनवरी, 1964 में सभी राज्य सरकारों के पास भेज दिया गया।

चीनी का उत्पादन, खपत तथा निर्यात

2601. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969-70 में चीनी का कुल कितना उत्पादन होगा और कितनी चीनी पिछले वर्ष की बची हुई थी और 1969-70 में चीनी की कितनी खपत होने तथा कितनी चीनी

का निर्यात किये जाने की संभावना है और यदि कुछ चीनी बची रहेगी तो उसका क्या किया जायेगा ;

(ख) चौथी योजना के अन्तिम वर्ष अर्थात् 1973-74 में चीनी की खपत तथा निर्यात का लक्ष्य क्या है और उसके उत्पादन के लिये कितनी उत्पादन क्षमता की आवश्यकता होगी ;

(ग) देश में चीनी की उत्पादन की वर्तमान क्षमता कितनी है और कितनी क्षमता के लिए नये लाइसेंस जारी किये गये हैं ; और

(घ) वास्तविक अपेक्षित क्षमता तथा वर्तमान एवं लाइसेंस प्राप्त क्षमता के बीच यदि कोई अन्तर है तो वह कितना है और इस अन्तर का क्या कारण है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) 1-10-69 को चीनी का कुल बकाया स्टाक 13.06 लाख मीटरी टन था। 1969-70 के दौरान चीनी का उत्पादन 40 लाख मीटरी टन के आस-पास होने का अनुमान है। 1969-70 के मौसम के दौरान आन्तरिक खपत के लिए चीनी की निर्मुक्ति लगभग 36.0 लाख मीटरी टन हो सकती है। निर्यात के लिए चीनी की बिक्री पंचांग वर्ष के आधार पर की जाती है। 1969 में लगभग 0.94 लाख मीटरी टन चीनी निर्यात की गयी है। 1970 की निर्यात नीति और बफर स्टाक तैयार करने के प्रश्न की जांच हो रही है।

(ख) चौथी पंच वर्षीय योजना (1969—74) में आन्तरिक खपत, निर्यात और बफर स्टाक की अनुमानित जरूरतें पूरी करने के लिए चीनी उद्योग की स्थापित क्षमता 47 लाख मीटरी टन आंकी गयी है।

(ग) और (घ). 1968-69 के पिराई मौसम में चीनी उत्पादन की वार्षिक स्थापित क्षमता 33.03 लाख मीटरी टन थी। लगभग 15.47 लाख मीटरी टन अतिरिक्त क्षमता के लिए लाइसेंस/आशय पत्र जारी किए गए हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त में होने वाली क्षमता के लिए कुछ गुंजाइश रखते हुए यह अनुमान लगाया जाता है कि 1973-74 में स्थापित क्षमता लगभग 47 लाख मीटरी टन चीनी का उत्पादन करने के लिए पर्याप्त होगी।

देश में अनाज की कुल मांग

2602. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अनाज की प्रति व्यक्ति मध्यमान वार्षिक मांग कितनी है और इस आधार पर 1968-69 में कुल कितने अनाज की आवश्यकता है ;

(ख) 1968-69 में अनाज का कितना उत्पादन हुआ, कितना अनाज आयात किया गया और यदि कोई निर्यात किया गया तो कितने अनाज का निर्यात किया गया और देश के अन्दर खपत के लिये कुल कितना अनाज उपलब्ध था ;

(ग) सौदेबाजों के लिये कुल कितने अनाज की आवश्यकता थी और रक्षित भण्डार के लिये कितना अनाज रखा गया था ; और

(घ) एक ओर (क) और दूसरी ओर (ख) और (ग) के बीच यदि कोई अन्तर था तो कितना और इस अन्तर के क्या कारण थे ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) खाद्य खपत के तरीके तथा उसकी मात्रा पर किसी वैज्ञानिक सर्वेक्षण के अभाव में तथा खाद्यान्नों की आवश्यकताओं के लचीलेपन जो अनाजों की तथा अन्य खाद्यान्नों की उपलब्धि, आय के स्तर, शहरीकरण की रफ्तार तथा प्रगति की दर, अन्य वैकल्पिक खाद्य पदार्थों की उपलब्धि तथा उनके तुलनात्मक मूल्यों आदि जैसे अनेक तत्वों पर निर्भर होता है, को ध्यान में रखते हुए 1968-69 में अनाजों की प्रति व्यक्ति तथा कुल आवश्यकताओं का अन्दाजा लगाना सम्भव नहीं है ।

(ख) 1968-69 में अनाजों के अनुमानित उत्पादन के आधार पर, 1969 में बीज, चारे तथा क्षति की मात्रा अलग रखने के बाद मानव उपभोग के लिये कुल 731.5 लाख मीटरी टन अनाज उपलब्ध होने का अनुमान है । आयात/निर्यात का पूरा ब्यौरा केवल 1969 के अन्त में उपलब्ध होगा, लेकिन 40 लाख मीटरी टन अनाज के आयात होने की सम्भावना है । निर्यात मुख्यतः बढ़िया बासमती तक ही सीमित है और लगभग केवल 15 से 20 हजार मीटरी टन होने की सम्भावना है । इन सभी तथ्यों को सरकारी स्टाक में परिवर्तनों के साथ ध्यान में रखते हुए मानव उपभोग के लिये 765 लाख मीटरी टन अनाज के उपलब्ध होने की सम्भावना है ।

(ग) अनाजों की बीज के लिये अपेक्षित मात्रा के संबंध में ठीक-ठीक अनुमान उपलब्ध नहीं है । परम्परागत आधार पर 1968-69 में 838 लाख मीटरी टन की कुल मात्रा में से लगभग 50 लाख मीटरी टन मात्रा का बीज के रूप में प्रयुक्त होने का अनुमान है । पहली नवम्बर, 1969 को सरकार के पास जो स्टाक थे, वे गत वर्ष की तुलना में लगभग 8 लाख मीटरी टन अधिक थे ।

(घ) उपरोक्त परिस्थितियों के कारण अन्तर का हिसाब नहीं लगाया जा सकता है और इसलिये इसके लिये कोई कारण बताने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

आकाशवाणी के विविध भारती के कार्यक्रम में विज्ञापन

2603. **श्री न० रा० देवघरे**: क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के आकाशवाणी केन्द्र से विविध भारती कार्यक्रम में विज्ञापनों के प्रसारण को कुल कितना समय दिया जाता है और इन विज्ञापनों की दरें क्या हैं ;

(ख) इन विज्ञापनों से प्रति मास औसतन कितनी आय होती है ; और

(ग) अब तक किन-किन केन्द्रों से विज्ञापन प्रसारित किये जाने लगे हैं और किन-किन केन्द्रों से विज्ञापनों का प्रसारण शुरू करने का प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल)

(क) प्रतिदिन लगभग 85 मिनिट । विज्ञापन की दरें इस प्रकार हैं :—

	रविवार के दिन			सप्ताह के अन्य दिन		
	(क)	(ख)	(ग)	(क)	(ख)	(ग)
	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये
15 सैकण्ड (30 शब्द)	65	45	20	45	20	15
30 सैकण्ड (60 शब्द)	115	75	35	75	40	30
60 सैकण्ड (120-130 शब्द)	190	120	55	120	60	40

टाइम चैक्स तथा सिगनल्ज		(क)	(ख)	(ग)
		रुपये	रुपये	रुपये
7 सैकण्ड (12 शब्द)	रविवार के दिन	40	30	20
	सप्ताह के अन्य दिन	30	20	15

नोट : (क) सबसे अधिक सुने जाने का समय (ख) अधिक सुने जाने का समय (ग) कम सुने जाने का समय

(ख) प्रति मास औसत कुल आय 4,14,691 रुपये है ।

(ग) वाणिज्यिक विज्ञापन निम्नलिखित केन्द्रों से प्रसारित किये जाते हैं :

1. बम्बई/नागपुर/पूना
2. कलकत्ता
3. दिल्ली
4. मद्रास-तिरुची

निम्नलिखित केन्द्रों से वाणिज्यिक विज्ञापनों के प्रसारण का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

1. जलंधर/चण्डीगढ़
2. अहमदाबाद/राजकोट
3. इलाहाबाद/कानपुर/लखनऊ
4. हैदराबाद/विजयवाड़ा
5. बंगलौर/धारवाड़

नागपुर के लिये पृथक टेलीफोन निर्देशिका

2604. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नागपुर के लिये एक अलग टेलीफोन निर्देशिका निकालने का है ;

(ख) यदि हां, तो कब ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) डाक-तार विभाग सर्कल या जिले के आधार पर टेलीफोन डायरेक्टरियां प्रकाशित करता है । नागपुर टेलीफोन जिला नहीं है और यह महाराष्ट्र के पोस्टमास्टर जनरल के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार में है । इस लिये नागपुर के टेलीफोन उपभोक्ताओं की सूची महाराष्ट्र सर्कल टेलोफोन डायरेक्टरी में शामिल कर ली जाती है ।

सूखा तथा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र

2605. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में देश में, राज्य-वार सूखे से कुल कितना भाग प्रभावित हुआ है ; और

(ख) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). 1968-69 के दौरान अपर्याप्त अथवा असमान वर्षा होने के कारण विभिन्न राज्यों में सूखे की स्थिति और जसका मुकाबला करने के लिये किये गये सहायता उपाय बताने वाला एक विवरण 25 जुलाई, 1969 को सभा के पटल पर रखा गया था । 1969-70 में खासी अच्छी वर्षा होने से अधिकांश प्रभावित राज्यों में स्थिति धीरे-धीरे सामान्य हो रही है । तथापि, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और मैसूर के कुछ भागों में अपर्याप्त अथवा असमान वर्षा होने के कारण पुनः सूखे की स्थिति पैदा होने की सूचना मिली है । कुछ प्रभावित क्षेत्र के बारे में पूर्ण ब्योरा अभी उपलब्ध नहीं है । राज्य सरकारों ने सहायता कार्यों का गठन, पेयजल की सप्लाई, मवेशियों के प्रव्रजन आदि जैसे राहत कार्य शुरू किये हैं । सूखे की स्थिति का अन्दाजा लगाने के लिये केन्द्रीय दलों ने गुजरात, मैसूर और राजस्थान राज्यों का दौरा किया है ।

जन प्रचार साधनों सम्बन्धी समिति की सिफारिशें

2606. **श्री न० रा० देवघरे :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जन प्रचार साधनों सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ख) की गई कार्यवाही का ब्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) समय-समय पर राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थाई समिति द्वारा स्वीकृत जन संचार साधनों सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति की सिफारिश इस मन्त्रालय के विभिन्न प्रभार विभागों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है ।

(ख) एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है । **[ग्रंथालाय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-2217/69]**

आकाशवाणी केन्द्र दिल्ली से प्रसारित चलचित्र संगीत का सर्वप्रिय स्वरूप

2607. **श्री सोमसुन्दरम :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी केन्द्र दिल्ली से चलचित्र संगीत के प्रसारण हेतु प्रत्येक मान्य भारतीय भाषा को कुल कितने घण्टे दिये जाते हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि चलचित्र संगीत के लिये प्रत्येक भारतीय भाषा को दिये जाने वाले समय में बड़ा भारी अन्तर है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) दिल्ली तथा नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के कितने व्यक्ति रहते हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र के फिल्म संगीत प्रसारण के लिये दिये जाने वाले प्रति मास औसत कुल घन्टे इस प्रकार है :

	घण्टे	मिनट
हिन्दी (उर्दू समेत)	355	20
पंजाबी	4	35
तमिल	7	45
तेलुगु	7	45
मलयालम	7	14
कन्नड़	7	14
	योग : 387	53

(ख) जी, नहीं। कुछ प्रादेशिक भाषाओं के कार्यक्रम अन्य केन्द्रों से भी सुने जाते हैं। उदाहरणतया, जलंधर का पंजाबी कार्यक्रम दिल्ली में सुना जा सकता है।

(ग) सवाल नहीं उठता।

(घ) 1961 की जनगणना के अनुसार, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र की भाषावार जनसंख्या का विवरण इस प्रकार है :

क्रम संख्या	भाषा	जन संख्या
1.	असमिया	212
2.	बंगला	28,136
3.	गुजराती	6,626
4.	हिन्दी	20,57,241
5.	कन्नड़	2,001
6.	काश्मीरी	3,043
7.	मलयालम	9,495
8.	मराठी	7,578
9.	उड़िया	734
10.	पंजाबी	3,17,333
11.	संस्कृत	64
12.	तमिल	22,963
13.	तेलुगु	5,230
14.	उर्दू	1,53,251

Transfer of Producers and Assistant Producers

2608. **Shri Shiv Kumar Shastri :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to refer to the reply given to unstarred Question No. 1711 on the 31st July, 1969 regarding transfer of Producers and Assistant Producers and state :

(a) whether all the 20 persons who were transferred have assumed their charge at their respective places ;

(b) whether transfer orders of some persons were withheld ;

(c) if so, whether a statement showing the details of reasons therefor and the names of those persons would be laid on the Table ; and

(d) whether Government have formulated any definite policy in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) (a) No, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) The statement is enclosed. **[Placed in Library. See No. LT-2218/69]**

(d) A uniform policy in regard to transfers is under consideration.

Production Assistants in all India Radio, Delhi

2609. **Shri Shiv Kumar Shastri :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the number of Production Assistants working in various units of the All India Radio, Delhi ;

(b) the names and details of educational qualifications of each of them ;

(c) whether it is a fact that some Production Assistants are working in senior scales ; and

(d) the rules for promotion from junior scale posts to senior scale posts ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) (a) Forty-four.

(b) The information is contained in the statement attached. **[Placed in Library. See No. LT/2219/69]**

(c) Yes, Sir.

(d) By selection through Departmental Promotion Committee on the basis of assessment of the confidential reports of the persons concerned, failing which by advertisement.

मोहिनी शूगर मिल्स, गया का बन्द होना

2610. **श्री चन्द्र शेखर सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में मोहिनी शूगर मिल्स, वार्सलीगंज (गया), गत पांच वर्षों से बन्द पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या उस क्षेत्र के लोग हाल ही में उस क्षेत्र के कलेक्टर से मिले थे और इस मिल को पुनः चालू करने के लिये 15 लाख मन गन्ना सप्लाई करने का आश्वासन दिया था ;

(घ) यदि इस मिल के मालिक मैसर्स करम चन्द थापर, इसे चलाने में असमर्थ हैं, तो क्या सरकार इस मिल को स्यवं चलाने के बारे में विचार करेगी ताकि इस क्षेत्र के लोगों के लिये जीविका की व्यवस्था की जा सके ; और

(ङ) यदि हां, तो यह मिल किस तारीख से पुनः चालू हो जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) तथा (ख). मोहिनी चीनी मिल्स, वारसलीगंज (गया) के मालिकों ने गत दो सीजनों अर्थात 1967-68 तथा 1968-69 में गन्ने की कमी तथा गत सीजनों की भारी देनदारियों के कारण अपना कारखाना नहीं चलाया था ।

(ग) उस इलाके के निवासी राज्य सरकार के अधिकारियों से मिले थे और उन्होंने उन्हें 15 लाख मन गन्ने की उपलब्धि के बारे में सूचित किया था।

(घ) तथा (ङ). भारी बकाया देनदारियां होने तथा गन्ने की अपर्याप्त सप्लाई के कारण सरकार का विचार इस कारखाने का प्रबंध अपने हाथ में लेने का नहीं है।

गया जिले में गुरारू में चीनी मिल बन्द होना

2611. **श्री चन्द्र शेखर सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में गया जिले में एक चीनी मिल गत दो-तीन वर्षों से बन्द पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) यदि इस मिल के मालिक इसे चलाने में असमर्थ हैं, तो क्या सरकार इसे स्वयं चलाने के बारे में विचार करेगी ताकि उस क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिल सके ; और

(घ) यदि हां, तो यह मिल कब तक पुनः चालू हो जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) यह मिल बिहार सरकार की है और 1962 से सभी वर्षों में कार्य किया है।

(घ) आशा है कि यह मिल दिसम्बर, 1969 के तीसरे सप्ताह में 1969-70 के मौसम का पिराई कार्य प्रारम्भ कर देगी।

Buddha House Building Co-operative Society, Patna

2612. **Shri Lakhan Lal Kapoor :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Buddha House-building Co-operative Society Patna, Bihar had been constituted in March, 1958 ;

(b) if so, the names and full addresses of its members at the time of its constitution ;

(c) the names and full addresses of the persons who have been on its Board of Directors and on the Working Committee so far ; and

(d) the names and full addresses of those Members of the Society who deposited money with the Society as share-money and for its land as also the amount of money deposited by each of them ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) to (d). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

टेलीग्राफ स्टोरों में चोरियां

2613. **श्री प्रेमचन्द वर्मा :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फरवरी, 1967 और अप्रैल, 1968 के दौरान टेलीग्राफ स्टोरों में लगातार 6 बार चोरियां हुयीं, जिनमें लगभग $1\frac{1}{2}$ लाख रुपये की हानि हुई;

(ख) क्या यह भी सच है कि 60 से लेकर 146 दिन तक पुलिस को इन चोरियों की सूचना नहीं दी गई थी;

(ग) यदि हां, तो इस लापरवाही के लिये कौन लोग जिम्मेदार थे और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) विशेष पुलिस संस्थान तथा पुलिस द्वारा की गई जांच-पड़ताल का क्या परिणाम निकला है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) दूर संचार कारखाना कलकत्ता में चोरी के छः वारदातें विभाग की जानकारी में आई हैं, जिनमें कुल 1.24 लाख रुपये का नुकसान हुआ है ।

(ख) स्टाक की जांच करने के दौरान कच्चा माल कम पड़ जाने के पांच मामले सामने आये । एक दूसरे मामले में "इशू सरकार" को भी माल कम पड़ जाने की शंका हुई थी । इस तथ्य का पता लगाना आवश्यक था कि माल में कमी चोरी के कारण पड़ रही थी या अन्य किसी कारण से और पड़ने वाली कमियों का कारण पता न चलने पर ही उनकी रिपोर्ट चोरी के संदेहास्पद मामलों के तौर पर पुलिस में कर दी गई । जिन तारीखों पर नुकसानों का पता लगाया गया और जिन तारीखों पर इन मामलों की रिपोर्ट पुलिस में की गई, वे इस प्रकार हैं :—

जिस तारीख को नुकसान का पता लगाया गया	जिस तारीख को मामले की रिपोर्ट पुलिस में की गई
10-5-68	13-5-68
9-5-68	13-5-68
28-9-67	4-10-67
10-5-68	4-5-68
1-5-68	1-5-68
1-5-68	1-5-68

(ग) जैसा कि प्रश्न के भाग (ख) में स्पष्ट किया गया है पुलिस अधिकारियों को मामलों की रिपोर्ट देने में कोताही के लिये जिम्मेदारी निश्चित करने का प्रश्न ही नहीं उठता । इस बारे में इतना और कहना होगा कि निगरानी और स्टाक की जांच में सख्ती बरतने के लिये आवश्यक कदम उठाये गये हैं, ताकि चोरी के कारण पड़ने वाली कमी का शीघ्रता से पता लगाया जा सके और चोरी की वारदातों को अधिक कारगर ढंग से रोका जा सके ।

(घ) पुलिस अधिकारियों को छानबीन करने के बाद चोरी की इन वारदातों के बारे में कोई संकेत नहीं मिल सका और उन्होंने मामलों को डायरी में दर्ज कर लिया है। अलबत्ता जिन कर्मचारियों को स्टाक की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उनके विरुद्ध कार्रवाई जारी है।

पंजाब और हरियाणा में पुनर्वास विभाग द्वारा वक्फ सम्पत्ति की बिक्री

2614. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुनर्वास विभाग ने पंजाब और हरियाणा में सैकड़ों सम्पत्तियों को काफी मूल्य पर बेचा है जिनके बारे में अब यह दावा किया जा रहा है कि वह वक्फ सम्पत्ति है;

(ख) क्या यह भी सच है कि वक्फ ने इन सम्पत्तियों के कब्जे के लिये क्रेताओं के विरुद्ध दीवानी मुकदमें दायर किये हैं; और

(ग) क्या सरकार इन मुकदमों में क्रेताओं की ओर से पैरवी करेगी ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) कुछ निश्क्रान्त सम्पत्तियों पर जो पंजाब तथा हरियाणा में स्थित हैं और जिन्हें पुनर्वास विभाग ने बेचा है, पंजाब वक्फ बोर्ड द्वारा अधिकार जताया जा रहा है।

(ख) जी, हां। पंजाब वक्फ बोर्ड ने उन सम्पत्तियों का कब्जा लेने के लिये उन सम्पत्तियों के खरीदारों के विरुद्ध दीवानी दावे दायर कर दिये हैं।

(ग) सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि यदि कोई प्रतिवादी ऐसा कोई मामला उनके नोटिस में लाये तो उस मामले में पैरवी की जाये।

जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों की मांगें

2615. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों की विभिन्न मांगों पर विचार के लिये जो राष्ट्रीय न्यायाधिकरण नियुक्त किया गया था, क्या उसने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) अखिल भारतीय जीवन बीमा निगम के कर्मचारी संघ द्वारा जिन कुछ और मामलों के लिये अनुरोध किया गया था, क्या उन्हें भी पंच निर्णय के लिये सम्मिलित कर लिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) यदि हां, तो वे बातें क्या हैं ?

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) राष्ट्रीय न्यायाधिकरण ने अभी अपना अन्तिम पंचाट प्रस्तुत नहीं किया है।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) 1. छुट्टी भाड़ा सुविधायें;
2. चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये वर्दी;
3. विशिष्ट वेतन वृद्धियां;
4. निर्वाह भत्ता;
5. यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता;
6. त्योहारी छुट्टियों सहित छुट्टी नियम;
7. पदोन्नति नियम ।

साउथ एवेन्यू (नई दिल्ली) में टेलीविजन शो में कुत्तों का उत्पात

2616. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि साउथ एवेन्यू, नई दिल्ली में टेलीविजन कार्यक्रम दिखाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो यह टेलीविजन शो किसकी देखरेख में किया जा रहा है;

(ग) क्या यह सच है कि दर्शक अपने साथ अपने कुत्ते ले आते हैं, जो उत्पात मचाते हैं और बच्चों को डराते हैं;

(घ) क्या संसद् सदस्यों ने इसके बारे में कोई शिकायत की है; और

(ङ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां ।

(ख) टेलीक्लब के सचिव क्लब के संचालन तथा उसकी देखरेख के लिये उत्तरदायी हैं ।

(ग) तथा (घ). कार्यक्रम को देखने के लिये आस-पास के क्षेत्रों के लोगों के आने से क्लब में भीड़ होने की शिकायत प्राप्त हुई हैं । इस शिकायत की जांच की जा रही है ।

उर्वरकों के ऊंचे विक्रय मूल्य

2617. **श्री प्रेमचन्द वर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिन दामों पर उर्वरक उपभोक्ताओं को बेचे जाते हैं, वे उर्वरकों के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों से बहुत अधिक हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि उर्वरकों पर उत्पादन शुल्क लगाने का विचार है, जिससे किसानों को इसके लिये और अधिक मूल्य देना पड़ेगा; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिये कि खाद्यान्नों के मूल्य अनुचित रूप से न बढ़ें, किसानों को अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर उर्वरक सप्लाई करना सम्भव क्यों नहीं हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) यह सच है कि भारत में उपभोक्ताओं को जिन मूल्यों पर उर्वरक बेचे जाते हैं, वे अन्य देशों की तुलना में अधिक हैं।

(ख) पहली मार्च, 1969 से उत्पादन शुल्क पहले ही लगा दिया गया है और इस शुल्क के कारण उर्वरकों के मूल्य बढ़ाये गये थे।

(ग) केन्द्रीय उर्वरक पूल को समुद्री भाड़े पर अधिक व्यय करना पड़ता है, इसलिये आयातित उर्वरक महंगे पड़ते हैं। आयातित मशीनरी को अधिक लागत पूंजी, फीड स्टाक की अधिक लागत और फीड स्टाक पर आयात शुल्क आदि कई कारणों से देशी उत्पादन की लागत भी अधिक है। राष्ट्रीय विकास परिषद् ने यह निर्णय किया है कि उर्वरक समेत कृषि आदानों के लिये सहायता प्रदान न की जाये और किसानों को प्रोत्साहन देने के लिये उत्पाद के प्रोत्साहन मूल्य को बनाये रखा जाना चाहिए।

पूर्वी बंगाल से शरणार्थियों का निष्क्रमण

2618. **श्री समर गुह** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के विरुद्ध अपनाये गये दमनकारी उपायों के कारण, वहां से शरणार्थियों का असम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में आना बढ़ गया है; और

(ख) यदि हां, तो 1967—69 की अवधि में पूर्वी पाकिस्तान से भारत में आये शरणार्थियों की संख्या कितनी है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी नहीं। जनवरी 1969 में और उसके बाद पूर्वी पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजन का वैसा ही स्वरूप है जैसा कि तदनुरूपी अवधि का पिछले वर्ष था। पाकिस्तानी प्राधिकारियों द्वारा वहां के अल्प समुदायों के विरुद्ध हाल ही में उठाये गये किन्हीं विशेष अत्याचारी कदमों से सरकार परिचित नहीं है। जैसा कि पहले था, अरक्षित स्थितियों, आर्थिक संकट तथा वहां पर अल्पसंख्यक समुदायों के प्रति भेदमूलक बर्ताव के फलस्वरूप पूर्वी पाकिस्तान से लोग भारत आ रहे हैं।

(ख) 1-1-1967 से 31-10-1969 तक की अवधि के अन्तर्गत 43,480 व्यक्ति भारत आये हैं।

सूती कपड़ा औद्योगिक श्रमिकों के सम्बन्ध में दूसरे केन्द्रीय मजूरी बोर्ड के पंचाट को लागू करना

2619. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूती कपड़ा औद्योगिक श्रमिकों के सम्बन्ध में दूसरे केन्द्रीय मजूरी बोर्ड के पंचाट को प्रत्येक राज्य में कहां तक लागू किया गया है ; और

(ख) प्रत्येक राज्य में ऐसे संकटग्रस्त तथा कमजोर औद्योगिक कारखानों की संख्या कितनी

है जिनके बन्द हो जाने की आशंका है और विलय द्वारा या अन्यथा उनके पुनर्वास के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) यह सूचना मिली है कि सिफारिशों की क्रियान्विति के सम्बन्ध में गुजरात, महाराष्ट्र, तामिलनाडु और पश्चिम बंगाल में जहां कि अधिकांश उद्योग स्थित हैं, समझौते हो गये हैं। अन्य राज्यों से सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ख) सूचना उपलब्ध नहीं है।

Soviet Experts For Forest Survey in Jammu and Kashmir

2620. **Shri Prakash Vir Shastri :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some experts of the Soviet Union have been invited for surveying forests in Jammu and Kashmir ;

(b) whether this decision has deen taken by the State Government or by the Central Government ; and

(c) the terms and conditions laid down for this survey ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) and (b). No, Sir. However, a team of Russian Experts was invited by the Central Government for advising on mechanical logging, transport of timber for Supply for Industrial uses including units for manufacture of Pulp and Paper dissolving pulp for manufacture of suppergrade tyre cord.

(c) Does not arise, as Russian Team will not at all be associated with the surveying of the forests which is being done by Preinvestment Survey Unit of the Government of India.

प्रधान मंत्री के निवास स्थान तथा सचिवालय से किये गये स्थानीय तथा ट्रंककालों पर व्यय

2621. **डा० प० मण्डल** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रधान मंत्री के निवास स्थान पर तथा प्रधान मंत्री के सचिवालय में 13 मार्च, 1967 से 31 अगस्त, 1969 तक की अवधि में स्थानीय कालों तथा ट्रंक-कालों पर कुल कितना व्यय हुआ ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा समय लोक सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

Famine Situation in Madhya Pradesh

2622. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether any Central Study Group visited any part of Madhya Pradesh during the last one year to make an on-the-spot study of the famine situation obtaining in that State ;

(b) if so, the conclusions thereof; and

(c) the amount of the Central assistance asked by the Madhya Pradesh Government and that made available to it ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) (a) and (b). Central Teams are sent to States at the request of State Governments to assess the requirements of funds for drought relief operations, for purposes of Central financial assistance. A Central Team visited Madhya Pradesh from 3rd to 5th May, 1969 for making a assessment of the requirements of funds for drought relief measures in the State during 1968-69 and 1969-70. The Team observed that only an amount of Rs. 12 lakhs was spent from the famine relief budget during 1968-69 which was within the margin of Rs. 30 lakhs prescribed by the Fourth Finance Commission for expenditure to be incurred by the State Government for relief of natural calamities. For the year 1969-70, the Team fixed the ceiling at Rs. 2.15 crores.

Normally relief operations are to be wound up by the time monsoon sets in namely the end of June. In the case of Madhya Pradesh, however, the Team recommended continuance of relief works up to the end of September and on a reduced scale in October, in view of the predominantly tribal population in the affected areas and their inability to suprort themselves until the crops are harvested.

(c) Normally, Central financial assistance is released as reimbursement of expenditure on relief incurred by the State Governments, according to the prescribed pattern, subject to the ceilings fixed on the recommendations of Central Teams. The Government of Madhya Pradesh had reported that the expenditure on relief upto the end of August, 1969, was Rs. 73.75 lakhs and had requested that a loan assistance of Rs. 50 lakhs may be released. A loan of Rs. 50 lakhs has accordingly been released to the State Government.

Improvement in Panchayat Raj Institutions

2623. **Shri Brij Bhushan Lal :** **Shri Atal Bihari Vajpayee :**
Shri Yajna Datt Sharma : **Shri Jagannath Rao Joshi :**
Shri Sharda Nand : **Shri N. K. Sanghi :**
Shri Suraj Bhan :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether any Study Group is being appointed to study the fuctions of the Panchayat Raj institutions and the ways to improve them ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) The Programme Evaluation Organisation of the Planning Commission has decided to take up an evaluation study of the working of Panchayat Raj institutions in the country.

(b) The evaluation will be undertaken with regard to economic and development aspects of the Panchayat Raj institutions. Programme Evaluation Organisation is likely to initiate the study some time next year.

(c) Does not arise.

Ban on Cow Slaughter

2624. **Shri Brij Bhushan Lal :** **Shri Suraj Bhan :**
Shri Yajna Datt Sharma : **Shri Atal Bihari Vajpayee :**
Shri Sharda Nand : **Shri Jagannath Rao Joshi :**

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that most of the Indians are in favour of complete ban on Cow slaugther ; and

(b) if so, the action so far taken in this regard and the details of future plan therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) No survey has been carried out by the Government to ascertain the view of the public in this regard.

(b) Information on the steps taken to prevent cow slaughter is given in the attached statement. **[Placed in Library. See No. LT-2220/69.]**

Sub-post-offices in Bhind and Datia Districts in Madhya Pradesh

2625. **Shri Yashwant Singh Kushwah :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the names of places in Bhind and Datia Districts in Madhya Pradesh where Sub-Post-Offices are functioning ; and

(b) the names of the towns in the said two districts where there are arrangements for the distribution of mail more than once in a day ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) Sub-Post offices are functioning at the following places in Bhind and Datia Districts of Madhya Pradesh :

Bhind District :

1. Bhind, 2. Bhind Mandi, 3. Bhind Kutchery, 4. Attair, 5. Alampur, 6. Lahar, 7. Umri, 8. Phoop, 9. Mihona, 10. Mehgaon, 11. Gormi, 12. Ayaymn 13. Raun, 14. Mau, 15. Gohad.

Datia District :

1. Datia, 2. Datia Bazar, 3. Seondha, 4. Indergarh.

(b) The mails are delivered more than once in a day at the following towns in Bhind and Datia districts of Madhya Pradesh :

Bhind District :

1. Bhind, 2. Gohad, 3. Mehgaon, 4. Mau.

Datia District :

1. Datia, 2. Seondha.

Hindustan Teleprinter Ltd., Madras

2626. **Shri Yashwant Singh Kushwah :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the revised installed capacity of the Hindustan Teleprinter Limited, Madras and its present capacity of production per year ;

(b) the number of teleprinter of various types being manufactured per year by the said Company, separately ; and

(c) the value of annual exports of the production of the said Company and whether the question of exporting teleprinters after 1970 to countries other than those to which they are being exported at present, has also been considered ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh): (a) The revised installed capacity per year of the Hindustan Teleprinters Ltd., Madras is 5400 units on single shift and 8500 units on double shift by 1970-71. The present capacity is 6500 units for the year 1969-70.

(b) The requisite information in respect of the years 1966-67, 1967-68 and 1968-69 is given below :

Type of teleprinters	Manufactured in the year (Quantity in units)		
	1966-67	1967-68	1968-69
1. Page Model (English)	1624	2393	3236
2. Tape Model (English)	850	1030	790
3. Page Model (Devnagri)	—	—	337
4. Tape Model (Devnagri)	—	—	212
5. Attachments	227	81	435

(c) For the first time during the year 1968-69, the Company made exports to the extent of Rs. 2.38 lakhs to Ceylon. The question of exporting teleprinters to other countries has also been considered and the Company propose to export Rs. 6 lakhs worth of teleprinters equipment to Kuwait during 1969-70.

तेपियोका पाउडर तैयार करना

2627. **श्री मंगलाथुमाडोम :**

श्री अनिरुद्धन :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तेपियोका पाउडर तैयार करने के लिये जो केरल में बहुतायत से मिलता है, कोई प्रयोग किया है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसन्धान संस्थान द्वारा कोई अनुसन्धान किया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इस अनुसन्धान का ब्योरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) केन्द्रीय खाद्य औद्योगिकी अनुसंधान संस्थान ने इस समस्या पर अनुसंधान कार्य किया था । औद्योगिक अनुसंधान केन्द्र त्रिवेन्द्रम में भी खाने योग्य टेपियोका के आटे का बड़े

पैमाने पर उत्पादन करने के लिये स्थितियों के मानकीकरण हेतु अनुसंधान कार्य किया जा रहा है ।

(ग) केन्द्रीय खाद्य औद्योगिकी अनुसंधान संस्थान नेटेपियोका के आटे को आटे में मिलाने के लिये प्रयुक्त करने की स्थितियों का मानकीकरण किया था । इस आटे का मिश्रित आटा जिसमें 17 प्रतिशत टेपियोका का आटा था, बनाने के लिये उपयोग किया गया । यह आटा वर्ष 1967 में बिहार के सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में इस्तेमाल किया गया था ।

Mode of Selection of Members of Telephone Advisory Committee

2628. **Shri Shashi Bhushan :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the policy of Government in regard to the selection of Members of the Telephone Advisory Committee ;

(b) the reasons for not giving chance to other persons by not re-nominating the member on the expiry of his term as a member of the Advisory Committee ;

(c) whether it is also a fact that an M. P. has been working as a member of the Telephone Advisory Committee, Bombay since its inception ; and

(d) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) and (b). Recommendations are obtained from the State Governments and organizations of the various interests represented on the Committee and dominations are thereafter made by the Minister at his discretion.

(c) No.

(d) Does not arise.

Abolition of Delhi Rehabilitation Department

2629. **Shri Shashi Bhushan :**
Shri George Fernandes :

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether Government propose to abolish Rehabilitation Department in Delhi ;

(b) the number of cases pending with the Rehabilitation Department for disposal at present and the time by which they are likely to be disposed of ;

(c) the number of such employees as have been working in the Delhi Rehabilitation Department for the last 10 to 15 years ; and

(d) the action being taken by Government to transfer these employees to the various other Departments so that they are not rendered unemployed when the Delhi Rehabilitation Department is closed ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) Presumably, the Hon. Members are enquiring about the Settlement Organisation of the Department of Rehabilitation. It is proposed to finish the bulk of the work of this Organisation by the 31st March, 1970, and close down as many

Regional Offices as possible. The work of the remaining Regional Offices is likely to be reduced appreciably so that it can be handled by one small unit located at Delhi.

(b) The position of the pending work in the Settlement Organisation as on 1.11.1969 was as under :—

(i)	Fresh Compensation cases	24
(ii)	Statements of account	4963
(iii)	Re-opened compensation cases	3679
(iv)	Disposal of properties	5529
(v)	Issue of transfer documents	1200
(vi)	Judicial cases	2031

As stated above, the number of pending cases is expected to go down considerably by 31-3-1970.

(c) The number of employees of the Settlement Organisation in Delhi who have rendered service for 10 years or more is 524.

(d) Efforts will be made as usual to find employment in other Departments of Government and in Public Undertakings for the staff rendered surplus. This will be done in accordance with the prescribed procedure/instructions of the Ministry of Home Affairs.

खण्ड विकास कार्यालयों के लिये जीपकार

2630. **श्री राम स्वरूप विद्यार्थी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितने विकास खण्ड हैं और उनके पास कुल कितनी जीपें हैं ;

(ख) इन जीपों पर कुल कितनी लागत आई है और उनके रख-रखाव पर प्रति वर्ष कुल कितना खर्च आता है ;

(ग) खण्ड विकास अधिकारियों का कार्य क्या है और यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है कि इन जीपों का उनके द्वारा अथवा उनके कर्मचारियों द्वारा दुरुपयोग न होने पावे और उनके परिवार इन जीपों का प्रयोग न करें ;

(घ) क्या सरकार ने इस बात का पता लगाया है कि 26 जनवरी, 1969 की पूर्व संध्या को ऐसी कितनी जीपें नई दिल्ली लाई गई थीं और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या सरकार का विचार इन जीपों को वापिस लेने का है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री(श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ङ). राज्य सरकारों से जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

प्रादेशिक कार्यालय पटसन विकास, कलकत्ता के निदेशक के विरुद्ध आरोप

2631. **श्री भगवान दास :**
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री कं० हाल्दर :
श्री वि० कु० मोडक :
श्री मुहम्मद इस्माइल :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें प्रादेशिक कार्यालय, पटसन विकास कलकत्ता के निदेशक के विरुद्ध भ्रष्टाचार तथा अनियमितताओं के आरोप प्राप्त हुये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) (i) कुछ कर्मचारियों की वेतन वृद्धि को अनुचित रूप से रोकना ।

(ii) कर्मचारियों के अंतरण तथा पदोन्नति सम्बन्धी मामलों में अनुचित कार्यवाही ।

(iii) 19-9-1968 को हुई धमकी वाली टोकन हड़ताल को संभालने में उत्तर-दायित्व का अभाव ।

(ग) आरोपों के बारे में पूर्णतः जांच-पड़ताल की गई । संख्या (i) तथा (ii) के आरोप आधारहीन पाये गये । आरोप संख्या (iii) के सम्बन्ध में, भारत सरकार की असंतुष्टि निदेशक को बता दी गई थी ।

पोषाहार बोर्ड का स्थापित किया जाना

2633. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :**
श्री जय सिंह :
श्री हरदयाल देवगुण :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पोषाहार बोर्ड स्थापित करने के लिये इस बीच निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और मामले में निर्णय किये जाने की संभावना है ; और

(घ) विभिन्न मंत्रालयों के कार्य के समन्वय हेतु एक स्वीकृत संगठन के न होने पर इस कार्य में हितबद्ध विभिन्न मंत्रा लयों द्वारा समन्वय किस प्रकार स्थापित किया जाता है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) सभी सम्बन्धित मंत्रियों के परामर्श से प्रस्ताव की जांच की जानी है और इसलिये कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है ।

(घ) केन्द्रीय स्तर पर समन्वय लाने और चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये पोषाहार का एक समन्वित कार्यक्रम तैयार करने और उसे कार्य रूप देने हेतु योजना आयोग में सदस्य (कृषि) की अध्यक्षता में एक कार्यकारी दल स्थापित किया गया है जिसमें विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि होंगे । सहायक खाद्य और पोषाहार योजनाओं के विकास के लिये खाद्य विभाग में एक खाद्य तथा पोषाहार बोर्ड है ।

अहमदाबाद के मन्दिर पर आक्रमण के बारे में आकाशवाणी और रेडियो पाकिस्तान द्वारा प्रसारण

2634. **श्री बेणी शंकर शर्मा** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुसलमानों की भीड़ ने अहमदाबाद के जगन्नाथ मन्दिर पर किस तारीख को तथा किस समय आक्रमण किया था ;

(ख) आकाशवाणी ने उस समाचार का प्रसारण किस तारीख को तथा किस समय किया था ; और

(ग) रेडियो पाकिस्तान ने उसका प्रसारण कब किया ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) अहमदाबाद पुलिस द्वारा 18 सितम्बर, 1969 को रात के 11 बजे जारी किये गये एक प्रेस नोट में निहित सूचना के अनुसार, 18 सितम्बर, 1969 को दोपहर के लगभग 3 बजकर 45 मिनट पर जगन्नाथ मन्दिर के बाहर सड़क पर लोगों के दो दलों के बीच झगड़ा हुआ था ।

(ख) पुलिस प्रेस नोट में निहित समाचार को 19 सितम्बर, 1969 को दिल्ली के प्रात: के 8 बजकर 15 मिनट के अंग्रेजी बुलेटिन में शामिल किया गया था तथा 8 बजकर 30 मिनट के मराठी बुलेटिन और 8 बजकर 45 मिनट के गुजराती बुलेटिन में भी प्रसारित किया गया था ।

(ग) सरकार को कोई जानकारी नहीं है ।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पूसा (नई दिल्ली) में कार्य करने वाले कर्मचारियों को क्वार्टरों का आवंटन

2635. **श्री बेणी शंकर शर्मा** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पूसा, नई दिल्ली में कर्मचारियों के लिए कुल कितने क्वार्टरों का निर्माण किया गया है ;

(ख) उन सभी आवंटियों के नाम तथा पदनाम क्या हैं और वे किस-किस कार्यालय में काम करते हैं ;

(ग) कुल कितने कर्मचारियों ने आवेदन पत्र दिये थे और उन कर्मचारियों की संख्या कितनी है जो 1968 से संस्थान, में कार्य कर रहे हैं परन्तु जिन्हें क्वाटर नहीं मिले हैं ?

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) छयासी ।

(ख) जैसा परिशिष्ट एक में है । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-2221/69]** ।

(ग) चार, इनमें से दो का औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पूसा से तबादला हो चुका है ।

बम्बई टेलीविजन केन्द्र के लिये पश्चिम जर्मनी द्वारा स्टूडियो और ट्रांसमिशन उपकरणों का उपहारस्वरूप लिया जाना

2636. **श्री बेणी शंकर शर्मा :** **श्री सीताराम केसरी :**
श्री बलराज मधोक : **श्री देवराव पाटिल :**

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई टेलीविजन केन्द्र, जिसके लिये जर्मनी संघीय राज्य ने स्टुडियो और ट्रांसमिशन उपकरणों को उपहारस्वरूप दिये जाने का प्रस्ताव रखा है, कब से कार्य करना आरम्भ कर देगा ;

(ख) क्या टेलीविजन के प्रसार के लिये कोई और योजना तैयार की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो योजना का ब्योरा क्या है और उन नगरों के नाम क्या हैं जहां यह योजना शीघ्र आरम्भ की जायेगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) उम्मीद है कि अनन्तिम योजना के अनुसार बम्बई का टेलीविजन केन्द्र 1971 के मध्य तक चालू हो जाएगा ।

(ख) जी, हां ।

(ग) बम्बई के अतिरिक्त कलकत्ता, मद्रास, कानपुर, लखनऊ तथा श्रीनगर में टेलीविजन केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है । इसके अतिरिक्त दिल्ली टेलीविजन केन्द्र के विस्तार का भी प्रस्ताव है । विस्तार कार्यक्रम का ब्योरा तैयार किया जा रहा है ।

श्रीनगर टेलीविजन प्रायोजना सम्बन्धी कार्य शुरू हो गया है । मद्रास तथा कानपुर/लखनऊ के टेलीविजन केन्द्रों से सम्बन्धित प्रारम्भिक काम भी हाथ में ले लिया गया है ।

दूध के क्रय-विक्रय तथा डेरी फार्मिंग के लिये निगम

2637. **डा० प० मंडल :**

श्री विभूति मिश्र:

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूध के क्रय-विक्रय और दुग्ध-शालाओं को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित 95 करोड़ रुपये की लागत से एक निगम स्थापित करने की योजना को क्रियान्वित करने में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) यह निगम कब तक अपना कार्य आरम्भ कर देगा ; और

(ग) क्या यह निगम एक स्वतंत्र निकाय होगा अथवा इसको भारत सरकार की दुग्ध योजना में शामिल कर लिया जायेगा अथवा इसमें वह योजना शामिल कर दी जायेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) विश्व खाद्य कार्यक्रम के सहयोग से दूध के क्रय-विक्रय और डेरी विकास के कार्य को बढ़ाने के लिए एक नई सरकारी कम्पनी की स्थापना करने के सरकारी निर्णय के परिणामस्वरूप नई सरकारी कम्पनी के ज्ञापन तथा संगम की नियमावली का मसौदा तैयार कर लिया गया है और विभिन्न प्राधिकारी उसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं। कम्पनियों के रजिस्ट्रार, अहमदाबाद को नाम देने के लिए प्रार्थना-पत्र दिया गया है । मूल्य संरचना के निश्चय, निदेशक मण्डल के संघटन, प्रमुख व्यक्तियों के चयन तथा संस्थानिक स्रोतों का पता लगाने की औपचारिकताओं को पूरा करने का कार्य भी किया जा रहा है ।

(ख) विभिन्न औपचारिकताओं के पूरा होने के पश्चात पंजीकृत होने तथा विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा क्रियाविधि की योजना पर हस्ताक्षर होने के पश्चात् नयी सरकारी कम्पनी अपना कार्य प्रारम्भ कर देगी । आशा है ये प्रबन्ध लगभग तीन मास में पूरे हो जायेंगे ।

(ग) नयी सरकारी कम्पनी की स्थापना कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत की जाएगी और उसका अपना अलग अस्तित्व होगा । यह कम्पनी बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली तथा मद्रास के 4 महानगरों की सरकारी क्षेत्र की दुग्ध योजना को उनकी दुग्ध प्रक्रिया सम्बन्धी सुविधाओं का विस्तार करने तथा उनके ग्रामीण दुग्ध क्षेत्रों के दुग्ध की प्राप्ति में सहायता प्रदान करेगी ।

भूमिगत जल निकालने के काम के विनियमन के लिए विधान

2638. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री 21 अगस्त, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4343 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्यकारी दल ने राज्य सरकारों के मार्गदर्शन के लिये आदर्श विधेयक का प्रारूप इस बीच तैयार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) तथा (ख). कार्यकारी दल ने भूगर्भ जल पर प्रस्तावित विधान के सम्बन्ध में कई आधारिक प्रश्नों पर विस्तार में विचार कर लिया है और राज्य सरकारों के मार्ग दर्शन के लिये अब एक आदर्श बिल का प्रारूप तैयार किया जा रहा है ।

(ग) बिल का प्रारूप तैयार करने से पहले, अन्य देशों में वर्तमान भूगर्भ जल कानून की जानकारी इकट्ठा करने तथा ऐसे कानून के सम्बन्ध में उनके अनुभव प्राप्त करने के लिये काफी समय लगा ।

रोजगार के अवसरों का अनुमान लगाने वाली समिति का प्रतिवेदन

2639. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री रोजगार के अवसरों का अनुमान लगाने वाली समिति के बारे में 21 अगस्त, 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 663 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग द्वारा गठित की गई समिति ने रोजगारी की आवश्यकताओं तथा अवसरों के बारे में इस बीच अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(घ) चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में शिक्षित युवकों को रोजगार देना सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है तथा इस बारे में चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या उपबन्ध किये जा रहे हैं ?

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख). समिति का कार्य प्रगति में है । विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिये समिति ने दिसम्बर, 1969 तक का समय मांगा था जिसकी योजना आयोग ने मंजूरी दे दी थी ।

(ग) सवाल ही पैदा नहीं होता ।

(घ) चौथी योजना और 1969-70 को वार्षिक योजना में सम्मिलित कृषि, उद्योग, यातायात और संचार तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और समाज कल्याण की सामाजिक सेवाओं के विभिन्न विकास कार्यक्रमों द्वारा बेरोजगार (पढ़े लिखे समेत) लोगों के लिये अधिकाधिक रोजगार अवसर प्राप्त होने की आशा है ।

पश्चिम बंगाल को चावल की सप्लाई

2640. **श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्र से नवम्बर के पूर्वार्ध तक 100,000 टन चावल ऋण अथवा अनुदान के रूप में देने का अनुरोध किया था ;

(ख) क्या केन्द्र ने इस मांग को अस्वीकृत कर दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग). 27-9-69 को हुये मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में यह सुझाव था कि नवम्बर और दिसम्बर, 1969 में पश्चिमी बंगाल को उनकी 1970 की आवश्यकताओं के लिये शायद 1 लाख मीटरी टन चावल सप्लाई किया जा सके । 1970 के कोटे के प्रति 20,000 मीटरी टन चावल आवंटित किया जा चुका है और अन्य 30,000 मीटरी टन भी दे दिया गया है ।

कलकत्ता में बड़ा शक्तिशाली ट्रांसमीटर

2641. **श्री मयाबन :** **श्री पी० सी० अदिचन :**
श्री नि० रं० लास्कर : **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
श्री चेंगलराया नायडू : **श्री हेम बरुआ :**
श्री रा० बरुआ : **श्री वेणी शंकर शर्मा :**

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत का प्रथम बड़ा शक्तिशाली मध्यम तरंग ट्रांसमीटर कलकत्ता में 22 सितम्बर, 1969 को चालू किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इस ट्रांसमीटर को स्थापित करने में किन देशों ने सहयोग दिया था और इस ट्रांसमीटर का प्रसारण कितने देशों में सुना जायेगा ; और

(ग) यह ट्रांसमीटर कितनी दूरी तक सुना जा सकेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) जी, हां ।

(ख) ट्रांसमीटर की योजना तथा उसे लगाने सम्बन्धी वाणिज्यिक करार के अनुसार कीमत पर उपकरण तथा रूस के तकनीकी विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त की गई थीं। इस ट्रांसमीटर के प्रसारण बर्मा, थाईलैण्ड, मलेशिया, इन्डोचीन के भाग, तिब्बत, सिक्किम, भूटान, नेपाल तथा पश्चिमी पाकिस्तान तथा चीन के भाग में सुने जा सकते हैं।

(घ) रात्रि को 2500 किलोमीटर तक तथा दिन में लगभग 600 किलोमीटर तक।

चीनी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण

2643. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :**

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण के बारे में योजना आयोग की राय ले ली है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना आयोग ने इस मामले में जो विचार व्यक्त किये हैं, उनका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

खाद्यान्न तथा उर्वरकों के आयात के लिये विदेशी नौवहन समवायों का उपयोग

2644. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार खाद्यान्न तथा उर्वरकों के आयात के लिये विदेशी नौवहन समवाय का प्रायः उपयोग करती है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) गत तीन वर्षों में इस उद्देश्य के लिये विभिन्न नौवहन समवायों को विदेशी मुद्रा तथा रुपयों में कितनी धनराशि दी गई ; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस काम के लिये अधिक भारतीय नौवहन सुविधाओं का उपयोग करने का है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). यह सच है कि विभिन्न देशों से खाद्यान्नों और उर्वरकों का आयात करने में विदेशी जहाजों का उपयोग किया जा रहा है। इसका एक कारण यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका से पी० एल० 480 करार/सहायता कार्यक्रमों के अधीन खाद्यान्नों और

उर्वरकों के आयात के मामले में यह अनिवार्य है कि आयात की 50 प्रतिशत मात्रा सहायता देने वाले देश के जलपोतों में लादकर लाई जाय। इसका अभिप्राय यह हुआ कि केवल शेष 50 प्रतिशत माल भारतीय जलपोतों में, यदि उपलब्ध हैं, अथवा सहायता देने वाले देश को छोड़कर अन्य विदेशी जलपोतों में लाया जा सकता है। ऐसे मामले में भारतीय जलपोतों का, जब कभी वे प्रतियोगी दरों पर अपेक्षित संख्या में उपलब्ध होते हैं, यथा सम्भव अधिक से अधिक उपयोग करने का प्रयत्न किया जाता है।

(ग) 1966-67 से 1968-69 के वर्षों में खाद्यान्नों के आयात के लिये विदेशी मुद्रा और रुपये में दिये गये भाड़े तथा उन्हीं वर्षों के दौरान उर्वरकों के लदान के लिये दिये गये भाड़े की धनराशि बताने वाला एक विवरण संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2222/69]**

(घ) सरकार सभी भारतीय जलपोतों को यथा सम्भव अधिक से अधिक सरकारी माल लाने में प्रयोग करने की आवश्यकता से पूर्णतः अवगत हैं और उपर्युक्त उल्लिखित सीमा में रहते हुये इस दिशा में प्रयत्न जारी हैं।

आंध्र प्रदेश और मैसूर में कृषि सम्बन्धी योजनाओं के लिये कृषि वित्त निगम द्वारा दिये गये ऋण

2645. **श्री गाडिलिंगन गौड :**

श्रीमती सुधा वी० रेड्डी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि वित्त निगम ने आंध्र प्रदेश और मैसूर में वर्ष 1969-70 के लिये कृषि योजनाओं के क्रियान्वित करने के लिये ऋण मंजूर किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1967-68, 1968-69 और 1969-70 के लिये प्रत्येक राज्य को कुल कितनी राशि के ऋण दिये गये ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) निगम 10 अप्रैल, 1968 को स्थापित की गई थी। तब से आन्ध्र प्रदेश और

मैसूर की कृषि योजनाओं के लिये जो राशियां मंजूर की गई हैं, उनका ब्योरा इस प्रकार है:

राज्य का नाम	किस मास में मंजूर की गई	स्कीम की राशि	किसके लिये और किस योजना के लिये मंजूर की गई
(1) आन्ध्र प्रदेश	अक्तूबर, 1968	1.20	नलकूपों के विद्युतिकरण के लिये आन्ध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को ।
(2) मैसूर	(क) अक्तूबर, 1968	1.20	नलकूपों के विद्युतिकरण के लिये मैसूर राज्य बिजली बोर्ड को ।
	(ख) जून, 1969	0.60	यन्त्रिकृत कम्पोस्ट प्लान्ट लगाने के लिये बंगलौर नगर निगम को ।
	(ग) जुलाई, 1969	0.125	पम्प सैटों की बिक्री व वितरण हेतु अग्रो-सप्लाइस एण्ड फाइनेन्स प्राईवेट लिमिटेड बंगलौर को ।
		1.925	

बीज संगठन के लिये सुविधाओं सम्बन्धी वेंकटापैया समिति का प्रतिवेदन

2646. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृप करेंगे कि :

(क) क्या बीज संगठनों को दी जाने वाली सुविधाओं के प्रश्न पर वेंकटापैया समिति ने अपना प्रतिवेदन सरकार को दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने जिन विभिन्न सिफारिशों को क्रियान्विति के लिये स्वीकार किया है, उनका ब्योरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) बीज संगठनों को सुविधायें प्रदान करने के प्रश्न पर विचार करने के लिये श्री वेंकटापैया की अध्यक्षता में सरकार ने कोई समिति नियुक्त नहीं की है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

राज्यों में भूमि पर अवैध कब्जा

2648. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में कुछ राज्यों में गुंडे और नक्सलवादी लोग बिना जोती गई/जोतने योग्य भूमि पर बलात् कब्जा कर रहे हैं ;

(ख) क्या इस बात का सही अनुमान लगाया गया है कि नक्सलवादियों द्वारा अवैध रूप से कब्जा की गई भूमि का क्षेत्रफल कितना है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग) . संविधान के अनुसार भूमि (जिसमें भूमि की मलकियत तथा भूमि पर कब्जा) भूमि की पट्टेदारी, मालिक तथा काश्तकार का सम्बन्ध, हस्तान्तरण आदि शामिल हैं, राज्य का विषय है । अपने-अपने राज्यों में भूमि के अनधिकृत कब्जे तथा भूमि सम्बन्धी कानूनों को लागू करना आदि सम्बन्धित राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है । केन्द्रीय सरकार ने प्रश्न में उल्लिखित ऐसी भूमि का कोई अनुमान नहीं लगाया है ।

थोक उपभोक्ता सहकारी भंडार, दिल्ली का दोषपूर्ण कार्यसंचालन

2649. **श्री नि० रं० लास्कर :** **श्री चेंगलराया नायडू :**
श्री मयाबन : **श्री रा० बरुआ :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी विभाग ने थोक उपभोक्ता सहकारी भंडार के कार्य-संचालन की जांच पड़ताल करने पर यह पाया है कि दोषपूर्ण क्रय नीति के कारण 2,30,000 रुपयों की हानि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि सहकारी भंडार सरकार और बैंक के लिये गये ऋण से ब्याज की कोई किस्त अदा नहीं कर सका है ;

(ग) जांच प्रतिवेदन में और क्या बातें बताई गई हैं ; और

(घ) सरकार ने भंडारों के कार्य संचालन को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) 2.30 लाख रु० के लगभग की हानि दोषपूर्ण खरीददारी तथा अन्य कारणों से हुई बताई जाती है।

(ख) सरकारी ऋण की दो किश्तें, जिसमें मूलधन और ब्याज भी शामिल है, और बैंक ऋण का कुछ अंश अतिदेय हो गया है ।

(ग) अन्य महत्वपूर्ण बातें यह थीं—

(1) प्रबन्ध समिति के 11 निर्वाचित सदस्यों में से 10 उन सदस्य समितियों के प्रतिनिधि थे जिन्होंने भण्डार के बकाया का भुगतान नहीं किया था और इस प्रकार भण्डार की उप-विधियों के अनुसार प्रबन्ध समिति के सदस्यों के रूप में बने रहने के पात्र नहीं थे ;

(2) सदस्य-समितियों को माल उधार पर देने का कार्य ठीक प्रकार से नियमित नहीं किया गया था, जिससे भारी अतिदेय हो गये ;

(3) स्थापना तथा आकस्मिक व्ययों पर अनावश्यक तथा अनुचित खर्च किया गया था ;

(4) प्रबन्ध समिति के कुछ सदस्यों द्वारा भण्डार की निधियों का दुरुपयोग किया गया था ;

(5) भण्डार के लेखाओं को पूरा करने का कार्य काफी मात्रा में बकाया पड़ा हुआ था और भण्डार का कार्य कुशल तथा मितव्ययी ढंग से नहीं चल रहा था, जिससे भारी हानि हुई ।

(घ) 4 अक्तूबर, 1969 से भण्डार की प्रबन्ध समिति को हटा दिया गया है और नई प्रबन्ध समिति मनोनीत कर दी गई है । इसके अतिरिक्त भण्डार को उसके महा प्रबन्धक के रूप में कार्य करने के लिये सहकारी समितियों के एक सहायक पंजीयक की सेवाएं उपलब्ध की गई हैं ।

आकाशवाणी से विदेशी भाषाओं में प्रसारण

2650. **श्री नि० रं० लास्कर :**

श्री चेंगलराया नायडू :

श्री मयाबन :

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी ने रूसी भाषा में प्रसारण आरम्भ करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या सरकार चीनी और तिब्बती भाषाओं में भी प्रसारण के समय को बढ़ाने का विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो इसके मुख्य क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां । केवल चीनी सेवा के बारे में ।

(ग) उस देश के लोगों तक अधिक प्रभावशाली ढंग से पहुंचने के लिये ।

गन्ने का मूल्य निर्धारण करने की नीति

2651. **श्री शिवचन्द्र झा :**

श्री सीताराम केसरी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्तमान गन्ना पिराई ऋतु में गन्ने का मूल्य निर्धारित करने के लिये कोई नीति निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो उसका राज्यवार ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). गन्ना (नियन्त्रण) आदेश, 1966 की धारा 3 के उपबन्धों के अनुसार केन्द्रीय सरकार तो केवल चीनी कारखानों द्वारा देय न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती है। सरकार ने 1969-70 के मौसम के लिये देश में सभी फैक्ट्रियों के लिये गन्ने का न्यूनतम मूल्य 9.4 प्रतिशत की उपलब्धि पर 7.37 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। उपलब्धि में 9.4 प्रतिशत से प्रत्येक 0.1 प्रतिशत की वृद्धि पर मूल्य में 5.36 पैसे अधिक देने की व्यवस्था है। 30 सितम्बर, 1969 की अधिसूचना की एक प्रति संलग्न है जिसमें उपयुंक्त आधार पर फैक्ट्रीवार गन्ने का न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया गया है। **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-2223/69]**

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

बिहार में मधुबनी-उपमण्डल में विजयी गांव में डाकघर खोलना

2652. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में दरभंगा जिले में मधुबनी उपमण्डल के विजयी गांव में एक डाकघर (वर्तमान डाकघर कोटिया बरास्ता झंझरपुर में है) खोलने के बारे में प्रारम्भिक जांच कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उस गांव में कब डाकघर खोला जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या विजयी गांव में डाकघर होने के लिये वहां अपेक्षित जनसंख्या आदि नहीं है; और यदि हां, तो सरकार ने वहां डाकघर खोलने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) बिहार के पोस्टमास्टर जनरल ने यह सूचित किया है कि विजयी नाम का कोई गांव नहीं है और सम्भवतः यह प्रश्न विजई गांव के सम्बन्ध में है।

(ख) भाग (क) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुये प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) पटना के पोस्टमास्टर जनरल से इस बात की जांच करने के लिये कहा जा रहा है कि यदि निर्धारित शर्तें पूरी होती हों तो वे विजयी गांव मे डाकघर खोलने के प्रस्ताव की जांच करें।

Radio Station at Darbhanga, Bihar

2653. **Shri Shiva Chandra Jha** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether Government have fixed any deadline for opening a Radio Station at Darbhanga in Bihar ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral): (a) and (b). A Radio Station will be set up at Darbhanga during the Fourth Five Year Plan period.

(c) Does not arise.

Nationalisation of Sugar Industry in U. P.

2654. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a motion was adopted in the U. P. Legislative Assembly in 1964 in regard to the nationalisation of sugar mills and/or for running them in co-operative sector ; and

(b) it so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) It is understood from the Government of Uttar Pradesh that mention of such a motion is not available in the recorded proceedings of the Uttar Pradesh Legislative Assembly.

(b) Does not arise.

Study of Problems Concerning Consolidation of Holdings

2655. **Shri Molahu Prashad :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have since received the report of the Programme Evaluation Organisation of Planning Commission, which was set up to study the problems concerning consolidation of holdings in eight States ; and

(b) if so, its main recommendations and the action being taken thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) and (b). The report in question has been received. It has been stated by the Programme Evaluation Organisation that in Haryana and Punjab the consolidation operations have been almost completed and in Uttar Pradesh, in respect of the four districts selected for assessment, about 67% of the total number of villages and about 50% of the area have already been consolidated. Except in one State, viz., Mysore where the programme has been slowed down or temporarily suspended, consolidation programmes have made further progress since the Third Plan period. Jaipur District in Rajasthan and Durg in Madhya Pradesh have shown significant progress, upto-date. However, even though the progress of the programme has been stepped up to some extent recently, it is on the whole slow and halting. Unless higher priority is accorded to this programme and its importance in the context of the current agricultural development is realised it may take a long time to complete consolidation operations in the major states. The impediments to expeditious implementation of the programme mentioned in the Report are :

(1) **Selection of Areas :** The experience of Gujarat and Maharashtra have shown that the progress is more rapid in area coming under the command of the medium and major

irrigation works and the areas covered by the intensive agricultural programme. There is more resistance to consolidation in backward areas.

(2) **Preparation of Record of Rights** : The majority of selected areas have reported that the record of rights was not upto-date and the work involved in bringing them upto-date was tremendous.

(3) There was not sufficient publicity about the advantages of consolidation preceding the undertaking of the scheme of consolidation.

(4) Arrangements were not made in some States for providing adequate trained staff for consolidation work.

(5) Adequate financial provisions have not been made in the State Plans for consolidation schemes.

The Report of the Programme Evaluation Organisation have been forwarded to the State Governments for necessary action.

Selection of Stenographers in Food Corporation of India

2656. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that selection for the posts of stenographers in the Food Corporation of India was held on the 25th August, 1969 ; and

(b) if so, the number of candidates called and of those who appeared in the written and oral tests and the number of those who qualified and also the number of candidates appointed against the aforesaid posts ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) No, Sir. No selection was held on 25th August, 1969.

(b) Does not arise.

कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशि

2657. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में ऐसी कम्पनी का नाम तथा ब्योरा क्या है जिन्होंने मजदूरों और कर्मचारियों के सम्बन्ध में कर्मचारी भविष्य निधि का अपना भाग जमा नहीं कराया है;

(ख) प्रत्येक कम्पनी को कितनी-कितनी धनराशि देनी है; और

(ग) धनराशि जमा न कराने पर यदि कोई कार्यवाही की गई है, तो क्या ?

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : कर्मचारी भविष्य निधि के प्रशासन का ताल्लुक कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत न्यासियों के केन्द्रीय बोर्ड से है जो कि एक स्वायत्त निकाय है और भारत सरकार का इससे सीधा सम्बन्ध नहीं है । भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्नलिखित सूचना भेजी हैं :—

(क) और (ख). एक विवरण, जिसमें बकाया राशि और उन प्रतिष्ठानों के नाम दिये

गये हैं, जिनके पास नियोजकों और श्रमिकों के अंशदान की एक लाख या उससे अधिक रुपये की राषि (30-6-1969 को) बकाया थी, संलग्न है। जिन प्रतिष्ठानों ने नियोजकों के हिस्से का अंशदान अदा नहीं किया है, उनके सम्बन्ध में अलग सूचना उपलब्ध नहीं है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2224/69]**

(ग) अधिकांश बकायेदार प्रतिष्ठानों के विरुद्ध अभियोजन / वसूली कार्रवाई के रूप में कानूनी कार्यवाही सम्बन्धित राज्य सरकारों से परामर्श लेकर शुरू कर दी गई है। जहां तक सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का सम्बन्ध है, मामला सम्बन्धित राज्य सरकारों तथा केन्द्र के प्राधिकारियों के साथ उठाया गया है। जो प्रतिष्ठान समापन की अवस्था को पहुंच गये हैं, उनके दावे समापनों के समक्ष विचाराधीन हैं। कुछ प्रतिष्ठानों ने राज्य सरकारों / कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से अदायगी चुकती करने की योजनाओं के अनुसार, वर्तमान देय राशि के साथ बकाया राशि चुकाने के बारे में समझौते किये हैं।

कम निकोटीन वाले हल्के तम्बाकू की नई किस्म

2658. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम निकोटीन वाले एक नई किस्म के हल्के तम्बाकू की सघन खेती के लिये देश व्यापी योजना आरम्भ की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्योरा क्या है और अब तक इसके क्या परिणाम रहे हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अन्दमान द्वीप समूह द्वारा खाद्यान्न का आयात

2659. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्दमान द्वीप समूह ने गत तीन वर्षों में कुल कितनी मात्रा में खाद्यान्नों का आयात किया है;

(ख) प्रत्येक मद के अन्तर्गत कितना-कितना खाद्यान्न आयात किया गया; और

(ग) स्थानीय तौर पर आयात की फसलें उगाने के लिये वहां प्रयत्न क्यों नहीं किये गये अथवा किये जा रहे ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) 20.9 हजार मीटरी टन।

(ख) चावल 10.2 हजार मीटरी टन।

गेहूं 10.7 हजार मीटरी टन।

(ग) संघीय क्षेत्र को चावल की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं। भूमि तथा जलवायु स्थितियों के कारण इन द्वीपों में मितव्ययिता से गेहूं की खेती नहीं की जा सकती है।

अन्दमान द्वीप समूह में मछली परिष्करण केन्द्र

2660. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान द्वीप समूह में मछली परिष्करण केन्द्र का विकास करने की उनके मंत्रालय की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो उस योजना का ब्योरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) तथा (ख). अन्दमान में मछली के विकास के कार्यक्रम के सम्बन्ध में उपयुक्त प्रक्रिया उद्योग की स्थापना की आवश्यकता को दृष्टि में रखा जाता है। पोर्ट ब्लेयर में प्रक्रिया उद्योग की स्थापना के लिये काफी भूमि सुरक्षित रखी गई है। पोर्ट ब्लेयर में प्रस्तावित मछली पकड़ने वाले बन्दरगाह के लिये बनाई गई योजनाओं में वपनीभरण तथा प्रशीतन जैसे मछली प्रक्रिया उद्योगों के लिये जल और शक्ति प्रदान करना भी सम्मिलित है। इन उद्योगों को संगठित करने से पहले मछली पकड़ने की क्षमता को विकसित करना आवश्यक है। यंत्रीकृत जलयानों को चलाने और पोर्ट ब्लेयर से गहरे समुद्र का सर्वेक्षण शुरू करने के लिये कदम उठाये गये हैं।

छोटी सिंचाई कार्यों के लिये राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को ऋण

2661. **श्री हेमराज** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की छोटी सिंचाई कार्यों के लिये दिये गये अनुदानों अथवा ऋणों की अधिकतम सीमा कितनी है; और

(ख) छोटी सिंचाई कार्यों के लिये ऋणों तथा अनुदानों की कितनी अधिकतम राशि निर्धारित की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे : (क) और (ख). गत तीन वर्षों के दौरान राज्य योजनाओं में सम्मिलित छोटे सिंचाई कार्यों के लिये केन्द्रीय सहायता कुल व्यय का 60 प्रतिशत ऋण और कुल व्यय का 15 प्रतिशत अनुदान तक ही सीमित थी। चालू वित्तीय वर्ष से, राज्य प्लान स्कीमों के लिये सहायता समग्र रूप से योजना के सभी क्षेत्रों के लिये ब्लाक ऋणों और अनुदानों के रूप में निर्मुक्त की जायेगी और वह किसी विशेष कार्यक्रम या योजना से सम्बन्धित नहीं होगी। जहां तक उन संघ राज्य क्षेत्रों का सम्बन्ध है जहां विधान सभायें मौजूद हैं, बजट का सारा घाटा केन्द्रीय सरकार राजस्व व्यय के लिये अनुदान देकर और पूंजीगत व्यय के लिये ऋण देकर पूरा करती है। जिन संघ राज्य क्षेत्रों में विधान-सभायें मौजूद नहीं हैं, वहां छोटी सिंचाई पर होने वाला सारा व्यय केन्द्र द्वारा वहन किया जाता है।

छोटे सिंचाई कार्यों के लिये ऋणों और अनुदानों की कोई अधिकतम राशि निर्धारित नहीं की गई है।

चीनी, गुड़ तथा खांडसारी का निर्यात

2662. **श्री सु० कु० तापड़िया :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में चीनी, गुड़ तथा खांडसारी के मूल्यों में हुई गिरावट को देखते हुये कुछ देशों को उनका और अधिक निर्यात करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). भारत अन्तर्राष्ट्रीय चीनी करार सदस्य बना है और 1970 के दौरान लगभग 3.20 लाख मीटरी टन चीनी निर्यात करने का हकदार है। 1970 में चीनी निर्यात करने का प्रश्न विचाराधीन है। गुड़ के निर्यात पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है और यदि प्राइवेट पार्टियां निर्यात करने और बाजार ढूंढने की इच्छुक हों तो वे ऐसा कर सकती हैं। खंडसारी का आमतौर पर निर्यात नहीं किया जाता है।

रुई की फसल पर कीटनाशक दवाइयां छिड़कने के लिये हैलीकाप्टरों की कमी

2663. **श्री जगेश्वर यादव :** **श्री धीरेश्वर कलिता :**
श्री सरजू पाण्डेय : **श्री चन्द्रशेखर सिंह :**
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में हैलीकाप्टरों की कमी के कारण रुई की फसलों पर आकाश से कीटनाशक दवाइयां छिड़कने की सरकार की एक करोड़ रुपये की योजना में पूरी तरह गतिरोध उत्पन्न हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो रुई की फसलों पर आकाश से छिड़काव करने के लिये अपेक्षित संख्या में हैलीकाप्टर प्राप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) वर्ष के दौरान रुई की फसल पर आकाश से रसायन छिड़कने का कार्य पूर्णरूप से योजनाओं के अनुसार किया गया है। गैर-सरकारी प्रचालकों के हवाई जहाजों की दो दुर्घटनाएं होने के कारण हैलीकाप्टरों की स्थानीय कमी महसूस की गई थी, परन्तु यह ऐसी न थी जिससे कि योजना की क्रियान्विति में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है।

(ख) संयुक्त राज्य अमेरिका के निर्यात-आयात बैंक से प्राप्त ऋण से और अधिक हैली-काप्टर आयात किये जा रहे हैं।

Weeklies of Rajasthan Registered with Central Government

2664. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the number of such weekly papers of Rajasthan as are registered with the Central Government ;

(b) the number of circulation of these papers ;

(c) whether Government have ever verified the number of circulation stated by these papers ; and

(d) if not, the reasons therefor and the quota of newsprint allotted to them and the price charged therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) One hundred and ninety-eight.

(b) According to the latest information available with Registrar of Newspapers, 110 out of the 198 weeklies of Rajasthan, which furnished circulation figures in their Annual Statements for 1968, had a total circulation of 2.14 lakh copies per publishing day.

(c) The circulation claims of newspapers are verified according to a phased programme. During 1968, the claims of 21 weeklies published from Rajasthan were verified.

(d) Total quantity of newsprint allocated to 30 weeklies, from whom applications were received for 1969-70, was 94.28 metric tonnes.

The contracted price of imported newsprint for the current year is Rs. 1,190 per metric tonne.

जयपुर में टेलीफोन केन्द्र के लिये नई इमारत

2665. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जयपुर नगर के टेलीफोन केन्द्र को वर्तमान भवन में अपर्याप्त स्थान है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार एक नया भवन बनवाने का है; और

(ग) यदि हां, तो निर्माण कार्य कब तक आरम्भ हो जाने की संभावना है तथा भवन के कब तक पूरा किये जाने का प्रस्ताव है।

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जयपुर नगर में टेलीफोन एक्सचेंज की वर्तमान इमारत टेलीफोन की मौजूदा मांग और अगले कुछ वर्षों की मांग को पूरा करने के लिये पर्याप्त है।

(ख) भविष्य में और अधिक मांग को पूरा करने के लिये एक जमीन का टुकड़ा प्राप्त करने का प्रस्ताव है। इस मामले में राज्य सरकार से बातचीत भी चल रही है :

(ग) फिलहाल प्रश्न ही नहीं उठता।

मोटे अनाज के मूल्यों को गिरने से रोकना

2666. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत कुछ महीनों में अनाज, विशेषतया मोटे अनाज के मूल्यों में गिरावट आई है; और

(ख) क्या कृषकों की सहायता करने के लिये मूल्यों को गिरने से रोकने के बारे में सरकार ने कोई कार्यवाही की है और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) खाद्यान्नों के मूल्यों में सितम्बर/अक्तूबर, 1969 से आमतौर पर गिरावट की प्रवृत्ति आई है।

(ख) सरकारी एजेंसियों ने लाभकारी अधिप्राप्ति मूल्यों पर खरीदारी करना पहले ही शुरू कर दिया है।

राजस्थान-रेगिस्तान का फैलाव रोकने के लिये इसरायली विशेषज्ञ

2667. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान राज्य सरकार के अनुरोध पर इसरायल के विशेषज्ञों ने राजस्थान मरुभूमि को समाप्त करने के लिये राजस्थान आना मंजूर कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत ने ऐसी अनुमति देने से इन्कार किया है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और क्या सरकार अपने पहले निर्णय पर फिर से विचार करने के लिये तैयार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) राजस्थान के रेगिस्तान को दूर करने के लिये राजस्थान सरकार के पास इस्राइली विशेषज्ञ भेजने की किसी पेशकश का भारत सरकार को कोई ज्ञान नहीं है।

(ख) तथा (ग). प्रश्न ही नहीं होता।

कृषि उद्योग निगम

2668. **श्री सरजू पाण्डेय :**
श्री योगेन्द्र शर्मा :
श्री रा० कृ० बिड़ला :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री कं० हाल्दर :
श्रीमती सुधा बी० रेड्डी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने राज्यों ने अब तक कृषि उद्योग निगम स्थापित किये हैं;

(ख) इस निगम की स्थापना में केन्द्रीय सरकार राज्यों को क्या सहायता देती है;

(ग) क्या सरकार ने इन निगमों की कार्यप्रणाली का पुनर्विलोकन किया है; और

(घ) यदि हां,तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) अब तक 15 राज्यों, अर्थात आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, केरल, मैसूर, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में कृषि उद्योग निगमें स्थापित की जा चुकी हैं।

(ख) ये निगमें कम्पनी अधिनियम (1956 के अधिनियम 1) की धारा 617 के अनुसार सरकारी कम्पनियां हैं। जहां तक आन्ध्र प्रदेश, बिहार, केरल, मैसूर, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की निगमों का सम्बन्ध है, सम्बन्धित राज्य सरकारें तथा केन्द्रीय सरकार 51:49 के अनुपात से और शेष निगमों के लिये 50:50 के अनुपात से अंश पूंजी देती है। ईक्विटी शेयर में योगदान देने के अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार निगमों की परियोजनाओं की कार्यान्विति और विदेशों से फार्म मशीनरी उपलब्ध कराने के कार्य के लिये सहायता देती है और जहां पर आवश्यक हो तकनीकी मार्गदर्शन भी करती है। वह उपकरणों आदि के निर्माण के लिये लोहे और इस्पात का नियतन भी करती है।

(ख) और (ग) . विभिन्न निगमों द्वारा की गई प्रगति का पुनर्विलोकन जुलाई, 1969 में हुये राज्य कृषि उद्योग निगमों के अध्यक्षों और प्रबन्ध निर्देशकों के सम्मेलन में किया गया। ये निगमें हाल ही में स्थापित हुई हैं। अत: इनके कार्य का यथोचित मूल्यांकन करना कठिन है। फिर भी निगमों ने विभिन्न कार्य-क्षेत्रों में जो सफलतायें प्राप्त की हैं, उनके विषय में सम्मेलन में सन्तोष प्रकट किया गया। यद्यपि ये निगमें विभिन्न स्तरों पर हैं फिर भी कुछ निगमों ने प्रभावशाली प्रगति की है।

निगमों के कार्यकलापों की चर्चा समय-समय पर होने वाली निर्देशक मण्डलों की बैठकों में भी की जाती है जिनमें भारत सरकार का प्रतिनिधित्व उसके द्वारा मनोनीत निर्देशकों द्वारा किया जाता है। इन बैठकों में सभी महत्वपूर्ण विषयों के सम्बन्ध में मार्ग दर्शन किया जाता है।

कोयला खान मजदूरों के लिये उपदान

2669. **श्री योगेन्द्र शर्मा** : **श्री इंद्रजीत गुप्त** :
डा० रानेन सेन : **श्री जि० मो० विश्वास**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खान कार्मिक-संघों ने कोयला क्षेत्रों में उपदान योजना आरम्भ करने की मांग की है ;

(ख) क्या कार्मिक संघों ने कोयला-खान भर्ती संगठनों को समाप्त करने की भी मांग की है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख). जी हां ।

(ग) इस विषय पर 6 नवम्बर, 1969 को हुई कोयला खान संबंधी औद्योगिक समिति की बैठक में विचार-विमर्श हुआ । उसमें यह घोषणा की गई कि सरकार ने उपदान योजना को सिद्धान्त रूप से स्वीकार कर लिया है और योजना के ब्योरे को शीघ्र ही अन्तिम रूप दिया जायेगा । जहां तक कोयला क्षेत्र भर्ती संगठन का प्रश्न है, नियोजकों ने यह कहा कि उन्हें इसकी समाप्ति के बारे में कोई आपत्ति नहीं है । अध्यक्ष ने तब यह घोषणा की कि भारत सरकार ने गोरखपुर श्रमिकों की भर्ती के काम को स्वयम् न करने का निर्णय कर लिया है ।

दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दूध के टोकन जारी करना

2670. **श्री वि० नरसिम्हा राव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना ने दूध के नये टोकन जारी करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो कितने टोकन जारी करने का विचार है ;

(ग) टोकन जारी करने के पश्चात् प्रतीक्षा सूची में कुल कितने व्यक्ति रह जाएंगे ; और

(घ) दिल्ली दुग्ध योजना को प्रतिदिन कुल कितना दूध मिल जाता है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) 17,500

(ग) 15-11-1969 तक प्राप्त हुए आवेदनों में से लगभग 64,500 आवेदन उपरोक्त (ख) में लिखे टोकनों को जारी किये जाने के बाद भी प्रतीक्षा सूची में रह जायेंगे ।

(घ) लगभग 2,50,000 लिटर प्रति दिन ।

चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण का अध्ययन करने के लिये विशेषज्ञ निकाय

2671. **श्री वि० नरसिम्हा राव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चीनी मिल संघ के प्रधान ने चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण के

मामले का अध्ययन करने के लिये एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने का सरकार से अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) सरकार को भारतीय शुगर मिल्स एसोसियेशन से ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अहमदाबाद में पांच पैसे के टिकटों की कमी

2673. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 31 अक्तूबर, 1969 के वैस्टर्न टाइम्स नामक समाचार पत्र में "दि मोस्ट सोट आफ्टर स्टैम्प" (टिकट जिसकी अत्यधिक मांग हैं) शीर्ष के अन्तर्गत प्रकाशित हुये समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि अहमदाबाद में पांच पैसे के टिकटों की कमी थी, जिससे नागरिकों को अधिक पैसों वाली टिकटें खरीदने को बाध्य होना पड़ा था जब कि कम पैसे के टिकटों से काम चल सकता था ; और

(ग) यदि हां, तो इस कमी के क्या कारण हैं तथा भविष्य में ऐसी स्थितियां पैदा न हों, यह सुनिश्चित करने लिये क्या कार्यवाही की है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) कभी-कभी स्थानीय खजाने में 5 पैसे के डाक टिकटों की कमी हो गई थी ; किन्तु 5 पैसे के अकेले डाक-टिकट के बदले में 2 पैसे 3 पैसे के डाक-टिकट की खुली आम बिक्री की गई थी । यह सही नहीं है कि पांच पैसे के डाक-टिकटों की कमी हो जाने के कारण नागरिकों को अधिक पैसों वाली टिकटें खरीदने को वाध्य होना पड़ा ।

(ग) चूंकि 2 पैसे और तीन पैसे के पुराने डाक टिकटों का भारी स्टाक भरा पड़ा है, नासिक के डाक-टिकट नियंत्रक ने खजाने को उन्हें निकालने की सलाह दी थी । फिर भी, इस मामले में आगे जांच की जा रही है ।

तमिल समाचार बुलेटिन में अत्यावश्यक समाचारों को छोड़ कर केन्द्रीय औद्योगिक विकास मंत्री के भाषण का प्रसारित किया जाना

2674. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 29 अक्तूबर, 1969 को प्रातः 7-15 बजे के तमिल समाचारों में अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय उम्मीदवार की पराजय का जिक्र तक नहीं किया गया ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त समाचार बुलेटिन में श्री फख्रुद्दीन अली अहमद के गत रात्रि भाषण की विस्तृत रिपोर्ट थी ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) तथा (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो आकाशवाणी के समाचार बुलेटिनों में अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय उम्मीदवार की पराजय जैसे महत्वपूर्ण समाचार को तुरन्त शामिल न करने के क्या कारण हैं, जबकि श्री अहमद के भाषण की रिपोर्ट विस्तार से प्रसारित की गई ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) (क) जी, हां। यह समाचार उस बुलेटिन में प्रसारित करने के लिये बहुत पुराना हो चुका था, क्योंकि यह पहले दिन अर्थात् 28 अक्तूबर, 1969 को सुबह प्राप्त हुआ था और कई बुलेटिनों से प्रसारित हो चुका था।

(ख) 29 अक्तूबर के प्रातःकाल के तमिल बुलेटिन में गत रात्रि के महत्वपूर्ण समाचार थे जिनमें श्री फख्रुद्दीन अली अहमद का भाषण तथा कांग्रेस अध्यक्ष श्री निजलिंगप्पा का बंगलौर में पत्रकारों के सम्मुख दिया गया वक्तव्य भी शामिल था।

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय उम्मीदवार के न चुने जाने के बारे में समाचार 28 अक्तूबर को कई बुलेटिनों में प्रसारित किया गया था।

समाचारपत्रों पर से बड़े व्यापार गृहों के नियंत्रण को समाप्त करने की कार्यवाही

2675. **श्री जनार्दनन :**
श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रेस आयोग जिसने अपना प्रतिवेदन लगभग 15 वर्ष पहले प्रस्तुत किया था, ने इस बात पर जोर दिया था कि समाचार पत्रों पर बड़े व्यापारगृहों का नियन्त्रण आरम्भ हो गया हैं और इसके लिये उसने उपचारात्मक उपाय सुझाये थे ;

(ख) क्या भारतीय समाचार पत्रों पर बड़े व्यापार गृहों के नियंत्रण के बारे में महलानोविस आयोग, एकाधिकार जांच आयोग छोटे समाचार पत्र जांच समिति ने सिफारिशें की थीं ;

(ग) क्या यह सच है कि इस आयोगों तथा समितियों के निष्कर्षों और सिफारिशों के बावजूद भी सरकार ने समाचार पत्रों पर से बड़े व्यापार गृहों के नियंत्रण को समाप्त करने के लिये कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की है ;

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में कोई प्रभावी कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या सरकार इस दिशा में कोई कार्यवाही करना चाहती है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) तथा (ख). जी, हां ।

(ग) से (ङ). समाचार उद्योग में एकाधिकार की प्रवृत्ति को रोकने के लिये सरकार द्वारा उठाये गये या उठाये जा रहे विभिन्न कदमों को दर्शाने वाला एक विवरण 19 फरवरी, 1969 को लोक सभा के तारांकित प्रश्न संख्या 38 के उत्तर में सभा की मेज पर रखा गया था ।

मजदूर शिक्षा संबंधी कार्यक्रम के बारे में पुनर्विचार

2676. **श्री जनार्दनन :** **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
डा० रानेन सेन : **श्री जि० मो० बिस्वास :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मजदूर शिक्षा संबंधी कार्यक्रम के बारे में पुनर्विचार किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) मजदूर शिक्षा के कार्य क्षेत्र का विस्तार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई हैं ?

श्रम, सेवा नियोजन और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग). राष्ट्रीय श्रम आयोग ने श्रमिक शिक्षा कार्यक्रम का हाल ही में व्यापक रूप से पुनरीक्षण किया है और उसकी सिफारिशें अब सरकार के सामने हैं । राष्ट्रीय श्रम आयोग की रिपोर्ट की एक प्रति संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध है ।

"अपना टेलीफोन लगाओ" योजना के अन्तर्गत अनिर्णीत आवेदन पत्र

2677. **श्री रा० कृ० बिड़ला :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय "अपना टेलीफोन लगाओ" योजना के अन्तर्गत कितने आवेदन पत्र अनिर्णीत हैं ;

(ख) ये आवेदन पत्र कब से अनिर्णित हैं ; और

(ग) आवेदकों को कब तक टेलीफोन दिये जाने की सम्भावना है तथा इस कार्य को शीघ्र करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) 1-11-1969 को 90,211

(ख) सबसे पुराना अनिर्णीत आवेदन 1-12-1961 का है ।

(ग) ऐसे स्थानों की संख्या काफी बड़ी है जहां इसके लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती, जबकि कुछ अन्य स्थानों पर या तो यह एक्सचेंज क्षमता अथवा भूमिगत केबिल या दोनों के ही अभाव में पूरी नहीं की जा सकी । इन कठिनाइयों को दूर करने और प्रतीक्षा की अवधि कम करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं । फिर भी कोई ऐसी निश्चित तारीख बता सकना संभव नहीं है जब मौजूदा प्रतीक्षा सूचियों में से सभी व्यक्तियों को टेलीफोन कनेक्शन दिए जा सकेंगे ।

भाण्डागार रसीदों के आधार पर बैंकों द्वारा कृषकों तथा व्यापारियों को ऋण दिया जाना

2678. **श्री रा० कृ० बिड़ला :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भाण्डागार रसीदों के आधार पर बैंकों द्वारा कृषकों और व्यापारियों को अलग-अलग कुल कितना ऋण दिया जाता है ;

(ख) क्या भाण्डागार कर्मचारियों के वेतन और निबन्धन तथा शर्तें भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों के तुल्य ही हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सरकार का विचार शीघ्र ही उन्हें समान बनाने का है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) बैंकों द्वारा कृषकों और व्यापारियों को भाण्डागार रसीदों पर दी गई कुल राशि जो कि 28 मार्च, 1969 को बाकी थी, लगभग 24.30 करोड़ रुपये थी । कृषकों और व्यापारियों को दिये गये ऋण सम्बन्धी आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) क्योंकि केन्द्रीय भाण्डागार निगम गत तीन वर्षों को छोड़कर अपनी स्थापना से हानि ही उठाता रहा है, उसे अपने कर्मचारियों के लिए उन शर्तों को लागू करना सम्भव नहीं हुआ है जो कि भारतीय खाद्य निगम में लागू हैं । तथापि, पिछले दो वर्षों में विभिन्न पदों के वेतन-मानों में बढ़ोतरी की गई है । अन्य वेतनमानों में संशोधन करने के मामले पर विचार हो रहा है और केन्द्रीय भाण्डागार निगम की वित्तीय स्थिति सुधारते ही उन्हें लागू किया जाएगा ।

(घ) निधि की उपलब्धि होने पर केन्द्रीय भाण्डागार निगम के कर्मचारियों की सेवा-शर्तें भारतीय खाद्य निगम के समान करने के लिए प्रयत्न किये जाते रहेंगे ।

राज्यों में ट्रैक्टर केन्द्र खोलना

2679. **श्री रा० कृ० बिड़ला :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसानों को किराये पर ट्रैक्टर देने के लिये सरकार ने सभी राज्यों में ट्रैक्टर केन्द्र खोले हैं ;

(ख) राज्यवार ऐसे कितने केन्द्र खोले गये हैं ;

(ग) राजस्थान में किन-किन ब्लाकों में ऐसे केन्द्र खोले गये हैं ; और

(घ) इस योजना की क्रियान्विति का ब्योरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं । विभिन्न राज्यों में किसानों को सीधा किराये पर ट्रैक्टर देने की भारत सरकार की कोई योजना नहीं है । देश में किसानों के लाभ के लिए विभिन्न राज्यों में चतुर्थ योजना के दौरान कृषि मशीनरी को किराये पर देने के केन्द्रों की स्थापना की योजना को पहले ही अन्तिम रूप दिया जा चुका है और योजना के अन्तर्गत कृषि मशीनरी को किराये पर देने के 30 केन्द्रों और अनेक उपकेन्द्रों की स्थापना की व्यवस्था है । ये केन्द्र विभिन्न राज्यों में कृषि उद्योग निगमों द्वारा स्थापित किये जायेंगे ।

(ख) ऐसे केन्द्र असम, बिहार, हरियाणा, केरल, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल राज्यों में शुरू हो चुके हैं । पंजाब में ऐसे पांच केन्द्र हैं जबकि हरियाणा में तीन और अन्य राज्यों में एक-एक केन्द्र की स्थापना की गई है ।

(ग) राजस्थान में अभी तक कोई केन्द्र नहीं खोला गया है । हनुमानगढ़ में शीघ्र ही एक केन्द्र स्थापित करने का निर्णय किया गया है ।

(घ) भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों/कृषि उद्योग निगमों को परिचालित की गई मार्गदर्शी योजना में चतुर्थ योजना के दौरान विभिन्न राज्यों में कृषि मशीनरी किराये पर देने के केन्द्रों की स्थापना की व्यवस्था मौजूद है ; प्रत्येक केन्द्र में कई एक क्रालर और व्हील्ड ट्रैक्टरों और क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुसार अन्य कृषि मशीनरी की व्यवस्था होगी, जहां ये केन्द्र स्थापित किये जाने चाहिए । प्रत्येक केन्द्र के साथ एक वर्कशाप भी होगी । मशीनों की मरम्मत के अतिरिक्त, वर्कशाप में काश्तकारों के उपकरणों का मूल्य ले कर मरम्मत भी की जायेगी । मार्गदर्शी योजना के अनुसार, प्रत्येक केन्द्र को 2 कार्यकारी एककों में बांटा जायेगा और प्रत्येक कार्यकारी केन्द्र को 4 फील्ड एककों में बांटा जायेगा और प्रत्येक एकक में 6 से 7 तक ट्रैक्टर काम करने के स्थान अथवा गांव में खड़े रहेंगे । ट्रैक्टरों, उपकरणों और अन्य मशीनों की वास्तविक संख्या प्रत्येक केन्द्र में कितनी रहनी चाहिए यह स्थानीय परिस्थितियों के अन्तर्गत

उनकी आवश्यकता और उपयोगिता पर निर्भर करेगा और इसका निर्णय कृषि-उद्योग निगमें (जहाँ भी यह स्थापित कर दी गई है) अथवा सम्बन्धित राज्य सरकारें स्वयं करेंगी, जो योजना को लागू करेंगी ।

योजना के लिए वित्तीय व्यवस्था 50 प्रतिशत इक्विटी और 50 प्रतिशत ऋण के आधार पर की जायेगी । केन्द्र और राज्य सरकारें निगम की इक्विटी शेयर में बराबर अनुपात से योगदान देंगी । राज्य निगम की ऋण सहायता को आवश्यकता को ध्यान में रख कर ही भारत सरकार सम्बन्धित राज्य को ऋण देगी । इस प्रकार भारत सरकार आवश्यकतानुसार राज्य निगमों की अतिरिक्त धनराशि की मांग को 75 प्रतिशत तक पूरा करने के लिए तैयार रहेगी ।

Government Advertisements to Pratap and Vir Arjun

2680. **Shri Om Prakash Tyagi :** **Shri Ram Gopal Shalwale :**
Shri Narain Swarup Sharma : **Shri Ranjeet Singh :**

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the main object of and basis for giving Government advertisements to the newspapers ;

(b) whether it is a fact that the Daily Pratap and Vir Arjun published from Delhi are not given Government advertisement ; if so, the reasons therefor ;

(c) whether both the above newspapers have ever been convicted in the court ; and

(d) if not, the reasons for not giving them Government advertisements ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) to (d). The considerations kept in view while releasing advertisements are to secure the widest possible coverage within the limited funds available by a judicious process of selection of newspapers and periodicals so as to reach the class of readership required to be catered and the masses in different walks of life, especially in regard to display advertisements which carry a message to the people.

While selecting newspapers and periodicals for the release of Government advertisements, the following factors are taken into account :—

(i) effective circulation (normally, papers having a circulation of below 1000 are not used) ;

(ii) regulurity in publication (a period of six months of uninterrupted publication is essential) ;

(iii) class of readership ;

(iv) adherence to accepted standards of journalistic ethics ;

(v) other factors such as production standards, the languages and areas intended to be covered within the available funds ; and

(vi) advertisement rates which are considered suitable and acceptable for Government publicity requirements.

Advertisements are however withheld from such newspapers and periodicals as indulge in virulent writings inciting communal passions or preaching violence, or offend socially accepted conventions of public decency and morals in journalism. It would not be in the public interest to disclose the names of the newspapers that are not being used in keeping with these principles.

Hindi Transmission of news by Information Officers of All India Radio

2681. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the total number of Information Officers in the All India Radio ;

(b) the number out of them who transmit news in Hindi ;

(c) whether it is a fact that English news items are transmitted earlier than the Hindi news items and thus Hindi newspapers lag behind as compared to the English papers ; and

(d) the steps being taken by Government to remove this drawback so that the news in English and Hindi could be broadcast simultaneously ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) All India Radio has no Information Officers but there are Correspondents who supply news. The total number of full time Correspondents is 52.

(b) Fifteen send news in Hindi in addition to English. Their Hindi despatches are sent mostly over the telephone, as that is the quickest method.

(c) and (d). This is sometimes possible as two of the important news agencies transmit news only in English. However, every effort is made to see that Hindi news bulletins are not allowed to suffer because of this. As regards reference to newspapers AIR does not cater to newspapers.

सिंचाई के लिए भूमिगत जल की उपलब्धि

2682. **श्री बेदव्रत बरुआ :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे क्षेत्र तथा राज्य कौन से हैं जहां सिंचाई कार्यों के लिये भूमिगत जल संसाधन उपलब्ध कराये जा सकते हैं ; और

(ख) भूमिगत जल की सप्लाई द्वारा सिंचाई कार्य के विकास के लिये क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) विभिन्न राज्यों में इन संसाधनों से भूमिगत जल स्रोतों द्वारा सिंचित मौजूदा क्षेत्र तथा अनन्तिम दीर्घकालीन संभावित सिंचाई संसाधनों को प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ख) भूमिगत जल के प्रयोग से सिंचाई कार्य को विकसित करने की दिशा में जो प्रयास किये जा रहे हैं, उनमें सम्मिलित हैं :—

गहराई से जल लेने वाले तथा कृषकों को लाभ पहुंचाने वाले राजकीय नलकूपों के लिये योजना कोष से अधिक नियतन करना, खुदाई के कुओं, नलकूपों तथा पम्पसैटों आदि गैर-सरकारी कार्यों के लिये भूमि विकास बैंकों, कृषि पुनर्वित्त निगम सम्बन्धी संस्थानात्मक निकायों के वित्तीय संसाधनों से अधिक लाभ उठाना, विभागीय संगठनों तथा प्राइवेट ठेकेदारों के माध्यम से कृषकों को बोरिंग व ड्रिलिंग सम्बन्धी सुविधायें प्रदान करना तथा भूमिगत जल संसाधनों के मूल्यांकन के सर्वेक्षण कार्यों को गतिमान करना। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2225/69]**

सहकारी क्षेत्र में समाचार-पत्र

2683. **श्री वेदव्रत वरुआ** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जन सहयोग से सहकारी क्षेत्र में कुछ समाचार पत्र आरम्भ करने की सम्भाव्यता का पता लगा रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी प्रस्तावों का ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं तो और क्या विकल्प सोचा गया है ताकि समाचारपत्रों के एकाधिकार नियंत्रण को समाप्त किया जा सके ?

सूचना प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, नहीं। तथापि सरकार, पत्रकारों द्वारा बनाए गए निगमों द्वारा समाचार-पत्र आरंभ किए जाने का स्वागत करेगी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) समाचार-पत्र उद्योग में एकाधिकार की प्रवृति को रोकने के लिए उठाए गए या उठाए जा रहे विभिन्न कदमों को दर्शाने वाला एक विवरण लोक सभा के तारांकित प्रश्न संख्या 33 का 19 फरवरी, 1969 को दिए गए उत्तर में सदन की मेज पर पहले ही रखा जा चुका है।

राजस्थान अकाल सहायता हेतु नियत धन का दुरुपयोग

2685. **श्री मधु लिमये** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि राजस्थान के बहुत बड़े क्षेत्रों में फिर बहुत कम वर्षा हुई है और जोधपुर क्षेत्र में बिल्कुल ही नहीं हुई है ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि राजस्थान में अकाल सहायता कार्य पर 57 करोड़ रुपये अथवा इससे भी अधिक भारी राशि खर्च की गई है जिसका एक बहुत बड़ा भाग भ्रष्ट श्रम ठेकेदारों की जेबों में चला गया है ;

(ग) क्या सरकार का विचार राजस्थान राहत कार्य के प्रशासन के बारे में जिसमें केन्द्र द्वारा बहुत अधिक धन दिया गया है, जांच का आदेश देने का है ;

(घ) क्या सरकार राज्य सरकार के सहयोग से राजस्थान को अकाल की स्थिति से उबारने के लिये एक योजना तैयार करेगी ताकि सहायता कार्यों से फजूलखर्ची और भ्रष्टाचार को पूर्णतया समाप्त किया जा सके ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उस राज्य को अकाल सहायता के लिये केन्द्र द्वारा दिये गये धन के दुरुपयोग की जांच कराने के आदेश न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां । राजस्थान सरकार ने सूचित किया है कि जोधपुर सहित कई जिलों में वर्षा नहीं हुई है जिसके फलस्वरूप कमी की स्थिति पैदा हो गयी है।

(घ) से (ङ). सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में सहायता कार्य शुरू करने की जिम्मेदारी प्रमुखतः राज्य सरकारों की होती है । केन्द्रीय दलों की सिफारिशों के आधार पर निहित प्रतिमान के अनुसार प्राकृतिक विपदाओं से बचाव के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता सुलभ की जाती है । यह सहायता सामान्यतः राज्य सरकारों द्वारा अनुमोदित योजनाओं पर किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति के रूप में दी जाती है । अन्तिम लेखों का निपटारा राज्य सरकारों द्वारा पेश किए खर्च के लेखा परीक्षित लेखों के आधार पर किया जाता है । यह सुनिश्चित करना मुख्यतः राज्य सरकारों का कार्य है कि उनके द्वारा स्वीकृत राशि विहित नियमों तथा विनियमनों के अनुसार खर्च की जाती है और जहां कहीं उस राशि के दुरुपयोग की सूचना मिलती है, उस पर उन्हें ही आवश्यक कार्यवाही करनी होती है । राजस्थान सरकार ने बताया है कि जहां कहीं विशिष्ट शिकायतें हुई हैं अथवा उनके ध्यान में लाई गयी हैं, उन पर आवश्यक कार्यवाही की गयी है और की जाएगी । उन्होंने सरकारी निर्माण तथा सिंचाई विभागों द्वारा किए गए कार्यों के मामले में कार्यकारी-एजेंसी से भुगतान के लिए एजेंसी को पृथक करने का भी निर्णय किया है ।

क्योंकि इस वर्ष सूखे से कई जिले पुनः प्रभावित हुए हैं इसलिए राज्य सरकार के अनुरोध पर एक केन्द्रीय दल ने हाल ही में राज्य के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श भी किया । राज्य सरकार से कहा गया है कि वे इस विचार-विमर्श की दृष्टि में सहायता की व्यवस्था करने के लिए कार्य की विस्तृत योजना तैयार करें ।

सहकारी खेती

2686. **श्री मधुलिमये** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान सहकारी खेती सम्बन्धी डी० आर० गाडगिल समिति के प्रतिवेदन की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या गाडगिल प्रतिवेदन के प्राप्त होने के बाद सरकार ने सहकारी खेती की प्रगति के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है ;

(ग) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला ; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संकल्प को क्रियान्वित करने के लिये सरकार क्या कारगर तथा समय-सीमित कार्यक्रम बनाना चाहती है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) सहकारी खेती समितियां गठित करने की दिशा में होने वाली प्रगति के बारे में राज्य सरकारों से नियतकालिक रूप से जानकारी इकट्ठी की जा रही है। कुछ राज्यों में कृषि-आर्थिक अनुसंधान केन्द्रों के माध्यम से कुछ चुनी हुई समितियों के बारे में विस्तृत अध्ययन भी किये गये हैं।

(ग) तथा (घ). 31-3-1965 को इन समितियों की संख्या 4305 थी, जो 31-3-1968 को बढ़ कर लगभग 8582 हो गई थी। इसी अवधि में इनकी सदस्य संख्या 83429 से बढ़ कर 2,14,440 और अन्तर्गत क्षेत्र 4.6 लाख एकड़ से बढ़कर 11 लाख एकड़ हो गया था। कृषि-आर्थिक अनुसंधान केन्द्रों द्वारा किये गये विस्तृत अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर चौथी योजना में वर्तमान समितियों को पुनर्जीवित करने और उनकी किस्म में सुधार करने के कार्य को प्राथमिकता दी गई है। नई समितियां केवल उन्हीं क्षेत्रों में गठित की जानी हैं, जहां उनके विकास के लिये सम्भावना है।

गन्ना उत्पादकों को दिये गये मूल्य

2687. **श्री मधुलिमये** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश, बिहार, मैसूर तथा तमिलनाडु के चीनी निर्माताओं द्वारा गन्ना उत्पादकों को दिये गये मूल्यों के बारे में जानकारी एकत्र कर ली है ;

(ख) क्या सरकार ने महाराष्ट्र तथा गुजरात में सहकारी चीनी मिलों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र के गन्ना उत्पादकों को दिये गये मूल्यों के बारे में भी आंकड़े एकत्र कर लिये हैं ;

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि गैर-सरकारी निर्माताओं तथा सहकारी चीनी मिलों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र के गन्ना-उत्पादकों को दिये गये मूल्यों में बड़ा अन्तर है ; और

(घ) इस अन्तर को दूर करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). जी हां, सम्बन्धित चीनी कारखानों से।

(ग) और (घ). केन्द्रीय सरकार चीनी कारखानों द्वारा देय केवल गन्ने का न्यूनतम मूल्य ही निर्धारित करती है। सामान्यतः चीनी कारखानों द्वारा निजी क्षेत्र में दिये गये मूल्यों और मिलों द्वारा सहकारी क्षेत्र में दिये गये मूल्यों में कुछ अन्तर रहा है। इसका यह कारण है कि सहकारी क्षेत्र के चीनी कारखानों के मामले में गन्ना उत्पादक भी कारखाने के मालिक हैं।

अभ्रक उद्योग के लिये मजूरी बोर्ड की नियुक्ति

2688. **श्री मधुलिमये** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि खान उद्योग के अन्य क्षेत्रों की तुलना में अभ्रक उद्योग के मजदूरों की सेवा की शर्तें और कुल परिलब्धियां दयनीय हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार अभ्रक उद्योग खनन तथा कारखाना दोनों क्षेत्रों के लिये एक मजूरी बोर्ड नियुक्त करने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसे मजूरी बोर्ड की नियुक्ति न किये जाने के क्या कारण हैं, जबकि कोयला खनन सहित अन्य उद्योगों के सम्बन्ध में मजूरी बोर्ड नियुक्त किये गये हैं ?

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) अभ्रक खनन उद्योग में मजूरी दरें न्यूनतम मजूरी अधिनियम 1948 के अन्तर्गत निर्धारित की गई हैं और ये दरें कुछ अन्य ऐसे उद्योगों की मजूरी दरों से सामान्यतः कम हैं, जिनके लिये बोर्ड नियुक्त किये गये हैं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) राष्ट्रीय श्रम आयोग ने मजूरी बोर्ड की प्रणाली का पुनरीक्षण किया है । आयोग ने वर्तमान प्रणाली में कुछ परिवर्तन करने की सिफारिशें की हैं । जब तक इन सिफारिशों पर निर्णय नहीं हो जाता, तब तक नये मजूरी बोर्ड स्थापित करने का विचार नहीं है ।

अभ्रक उद्योग में मजदूरों की न्यूनतम मजूरी

2689. **श्री मधुलिमये** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अभ्रक खनन उद्योगों में कुल कितने स्थाई और अस्थाई मजदूर काम करते हैं ;

(ख) अभ्रक-कारखानों में कुल कितने स्थाई और अस्थाई कर्मचारी काम कर रहे हैं ;

(ग) क्या केन्द्र अथवा सम्बन्धित राज्यों द्वारा अभ्रक उद्योग के लिये कोई न्यूनतम मजूरी निर्धारित की गई हैं ;

(घ) ये दरें क्या हैं और क्या इनको पूर्ण रूप से लागू किया गया है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार का इन न्यूनतम मजरियों को लागू करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग). अभ्रक उद्योग में रोजगार और मजूरी-दरों के सम्बन्ध में सूचना "इंडियन लेबर स्टेटिस्टिक्स 1969" नामक प्रकाशन की तालिका 2.3,2.7 और 4.10 में उपलब्ध है ।

(घ) और (ङ). बिहार और राजस्थान राज्यों में, अधिसूचित मजूरी दरों को लागू करने के विरुद्ध क्रमशः सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा रोधनादेश जारी किये गये हैं। मजूरी-दरें आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु में लागू की जा रही हैं। जहां तक अभ्रक खानों का सवाल है, दोषी नियोजकों के विरुद्ध, जहां कहीं आवश्यक होता है, राष्ट्रीय औद्योगिक सम्बन्ध मशीनरी द्वारा कानूनी कार्यवाही की जाती है।

Sale of Wheat at Cheaper Rate in Rajasthan

2690. **Shri Meetha Lal Meena :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the imported and other wheat stored in various mandis of Rajasthan in large quantities was recently sold only at the rate of Rs. 52/50 per quintal by the Rajasthan Branch of the Food Corporation of India during August and September, 1969 ;

(b) whether the said rate was much lower than the market rate ;

(c) whether officials of the Food Corporation had shown wrong samples of useless and rotten wheat to the general traders at the time of the auction as a result of which the wheat could not be sold at the high rate though good quality of wheat was available at each place ;

(d) the total financial loss including the interest suffered by Government as a result of this sale ; and

(e) whether Government propose to conduct an inquiry into this matter and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) No, Sir, the Food Corporation of India (Rajasthan Branch) did not sell any wheat by auction during August and September, 1969.

(b) to (e). Do not arise.

महाराणा प्रताप के बारे में नाटक की रचना

2691. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संसदीय परामर्श समिति में यह आश्वासन दिया गया था कि उनका मंत्रालय अपने गीत तथा नाटक प्रभाग के माध्यम से महाराणा प्रताप की जीवनी के सम्बन्ध में एक नाटक बनायेगा जिसको महाराणा जयन्ती के अवसर पर दिखाये जाने के लिये मई, 1970 के पहले पूरा किया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसका प्रोड्क्शन आरम्भ किया जा चुका है और यदि हां, तो उसमें क्या प्रगति हुई है, यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) राष्ट्रीय नेताओं के सम्बन्ध में अब तक कितने नाटकों की रचना की गई है और उनको जनता को दिखाने के सम्बन्ध में क्या नीति है ; और

(घ) राष्ट्रीय नेताओं के सम्बन्ध में अन्य कितने नाटक निर्माणाधीन हैं अथवा कितने नाटकों के निर्माण का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) :

(क) महाराणा प्रताप की जीवनी के सम्बन्ध में 1970 से पूर्व एक नाटक बनाये जाने का कोई आश्वासन संसदीय परामर्श समिति की पिछली बैठक में नहीं दिया गया था। केवल एक सदस्य ने यह सुझाव दिया था कि महाराणा प्रताप, गुरू गोविन्द सिंह, टीपू सुल्तान तथा हैदर अली जैसे राष्ट्रीय नेताओं पर नाटक बनाये जायें।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) तथा (घ). ऊपरलिखित नेताओं में से किसी पर अभी तक कोई नाटक नहीं बनाया गया। तथापि, प्रभाग कुछ स्क्रिप्टों की जांच कर रहा है। और यदि उसमें कोई एक उपयुक्त पाई गई तो उस पर नाटक तैयार किया जायेगा।

गीत तथा नाटक प्रभाग का वार्षिक व्यय

2692. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गीत तथा नाटक प्रभाग में कितने कर्मचारी हैं इस प्रभाग का वार्षिक व्यय कितना है तथा इसके कार्यकलाप का ब्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : सूचना इस प्रकार है :—

(1) 1.12.1969 को काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या ... 597

(2) व्यय तथा कार्यकलाप

वर्ष	व्यय	कार्यकलाप
1967-68	27,10,365	9,014
1968-69	47,63,569	14,253
1969-70 (31 अक्टूबर, 1969 तक)	29,35,123	6,492

Target for Trawlers under Fourth Plan

2693. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that even 50 per cent of the target fixed for trawlers in the Fourth Five Year Plan has not been achieved ;

(b) whether it is also a fact that there is much scope for deep sea fishing which cannot be achieved due to the shortage of trawlers ; and

(c) if so, the efforts being made in this connection ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) Under the Fourth Five-Year Plan, 300 fishing trawlers are proposed to be introduced. Arrangements have already been made for introducing nearly 100 trawlers by the second year of the Plan (1970-71).

(b) and (c). The deep sea fish-resources have not been exploited significantly so far. This is attributable not only to shortage of trawlers but to several inter-related factors. The chief requisites for the development of a substantial deep sea fishing industry are availability of fishing harbours with adequate operational and repair facilities, location of fish stocks and determination of suitable vessels and equipment through exploratory and experimental fishing, and availability of deep sea fishing vessels together with trained personnel for their operation. Coordinated measures are necessary in these inter-related fields. Deep Sea Fishing harbours have already been sanctioned at several ports, and investigations have been taken up at additional ports. The Central Government's Deep Sea Fishing Organisation is being strengthened by the addition of 24 vessels for exploratory and experimental fishing. A project assisted by the United Nations Development Programme for survey of sardines and mackerel in the deep sea is proposed to be taken up shortly. Training facilities in the country for operatives of deep sea fishing vessels both in navigation and modern fishing techniques have been strengthened by the establishment in 1968 of an Institute on the East Coast in addition to the existing Institute on the West Coast.

So far as deep sea fishing vessels are concerned, while a limited number of vessels are proposed to be imported to meet immediate and specialized requirements, steps have already been taken to organize the ship-building capacity in the country to meet the bulk of the requirements of the fishing industry. Orders for forty trawlers were placed on Indian ship-building firms last year and some of the vessels have already been launched. It has been assessed that the Indian Ship-building industry could build sixty such vessels annually.

Planting of Trees of Israel in Indian Deserts

2694. **Shri Maharaj Singh Bharati:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) the progress made so far in planting the trees of Israel, found suitable for plantation, in the deserts of India; and

(b) the time by which the entire desert would be converted into a green belt with the said trees?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) and (b). The required information is being collected from the concerned State Governments and will be placed on the Table of the Sabha as soon as it is received.

Production of Date Palm in India

2695. **Shri Maharaj Singh Bharati:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether any experiment has been made to grow in India the Date palm imported from the Arab countries;

(b) if so, the outcome thereof; and

(c) if not, the reasons for not doing so when there is a vast desert and climate conditions in the country are suitable to it?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) Yes.

(b) A scheme on Date Palm research was financed by the Indian Council of Agriculture Research of about 6 years i.e. from February 1955 to August, 1961 at Govt. Fruit Research Station, Abohar (Punjab). A similar scheme was financed in Kutch (Gujarat State) for a period of 3 years from April, 1959 to March, 1962. Under both the Schemes superior varieties of date palm suckers were imported from Arab Countries. The agro-climatic conditions existing in some parts of Punjab were found to be suitable for cultivation of date palm while those in Kutch were not found to be favourable. The date palms take about 6 years to give out suckers which are used as plant material. The date suckers of the imported varieties are now available for supply to suitable places in the country, for planting.

(c) Does not arise.

Variation in the Prices of Imports of Potash Fertilisers

2696. **Shri Maharaj Singh Bharati:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is a great variation in the prices of potash fertilizers being imported from Canada, East Germany and Russia; and

(b) if so, the reasons for not importing the major portion of it from the country which is supplying at the cheapest rate?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) No, Sir. The prices of Muriate of Potash imported from Canada, East Germany and Russia are found to be practically at par if we take into account the ocean freight and bagging costs.

(b) Does not arise.

नवम्बर, 1969 में हुआ राज्य श्रम मंत्रियों का सम्मेलन

2697. **श्री रा० बरुआ :**
श्री रवि राय :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 5 नवम्बर, 1969 को राज्य श्रम मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो किन विषयों पर चर्चा की गई और क्या निर्णय किये गये थे ?

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हां ।

(ख) यह सम्मेलन राष्ट्रीय श्रम आयोग की विशेष महत्वपूर्ण सिफारिशों पर विचार-विनिमय और सामान्य विचार-विमर्श करने के लिये बुलाया गया था । इसमें कोई निर्णय नहीं लिए गए ।

विस्थापित व्यक्तियों को मकानों तथा सम्पत्ति का आवंटन

2698. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लगभग 50 हजार विस्थापित मुसलमान अपने मकान तथा अपनी सम्पत्ति नहीं ले सके ; और

(ख) यदि हां, तो उनके मामलों के गत 23 वर्षों से अभी तक अनिर्णीत पड़े रहने के क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख). जी, नहीं । निश्क्रान्त सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम, 1950 की धारा 16 के अधीन केवल लगभग 25 अर्जियों को निपटाना शेष है ; इन अर्जियों की निश्क्रान्त सम्पत्ति अभिरक्षक द्वारा छान-बीन की जा रही है ।

बिना लाइसेंस के बेतार (वायरलैस) सेट

2699. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत तीन वर्षों में अनेक बेतार (वायरलैस) सेट पकड़े गये हैं, जो अवैध रूप से रखे गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो अपराधियों के नामों सहित ऐसे कितने बेतार सेट पकड़े गये और सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

सूचना और प्रसारण तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) तथा (ख). गत तीन वर्षों के दौरान बिना लाइसेंस के या जिनके लाइसेंस की अवधि समाप्त हो गई हो ऐसे पकड़े गये बेतार सेटों की संख्या इस प्रकार थी :—

1966	1,19,734
1967	1,15,311
1968	1,27,510

इन तीन वर्षों के दौरान लाइसेंस वाले सेटों की संख्या इस प्रकार थी :

1966	64,87,123
1967	75,79,468
1968	92,82,355

इस प्रकार इन तीन वर्षों के दौरान बिना लाइसेंस के या जिनके लाइसेंसों की अवधि समाप्त हो गई थी ऐसे सेटों का प्रतिशत लाइसेंस वाले सेटों के अनुपात में 1.84, 1.51 और

1.63 था। ऐसी पार्टियों का ब्योरा, जिनके पास बिना लाइसेंस के या जिनके लाइसेंसों की अवधि समाप्त हो गई थी, ऐसे सेट पकड़े गये हैं, इकट्ठा किया जा रहा है और यथासमय सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

टेलीफोनों को बीच में सुनना

2700. **श्री अब्दुल गनी दार :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तरदायी अधिकारियों द्वारा कुछ टेलीफोन कनेक्शनों को नियमित रूप से बीच में सुना गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सम्बन्धित टेलीफोन प्रभोक्ताओं की संख्या तथा नाम क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) से (ग). भारतीय तार अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत केंद्रीय या राज्य सरकार किसी भी आपात स्थिति में या सार्वजनिक सुरक्षा के हित में टेलीफोनों को बीच में सुनने के आदेश दे सकती है। केंद्रीय सरकार के अनुरोध पर कोई भी टेलीफोन कनेक्शन बीच में नहीं सुने जा रहे हैं।

कृषि श्रमिकों में बेरोजगारी

2701. **श्री अब्दुल गनी दार :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बड़ी फर्मों को हजार एकड़ भूमि में कृषि करने के लिए बड़े फार्म बनाने की अनुमति देने के कारण बेरोजगार कृषि-श्रमिकों की संख्या दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है और वे कृषक-श्रमिकों की बजाय मशीनों को उपयोग में ला रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में बेरोजगारी में वर्षवार तथा राज्यवार कितनी वृद्धि हुई है ?

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ख) सवाल ही पैदा नहीं होता।

Donations to Political Parties by Sugar Mills, U.P.

2702. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state the donations made by each Sugar Mill in Uttar Pradesh to the Political parties and political leaders in their personal capacity separately during 1967-68 and 1968-69 along with the names of the political parties and the political leaders ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : The information in respect of the year 1968-69 and of factories other than limited concerns is not available. Information in respect of the year 1967-68 as available in respect of limited concerns is attached. **[Placed in Library. See No. LT-2226/69]**

Irregularities in House Building Societies in Delhi

2703. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that many of the House-Building Societies formed in Delhi are indulging in serious irregularities and are collecting money by deceiving the people ;

(b) whether auditing of these Societies is being done regularly and whether proper action is being taken to caution the people against their functioning and their malpractices ;

(c) if not, the reasons therefor ; and

(d) the names of the House-Building Societies in Delhi where irregularities have been found during the last three years and the action taken to safeguard the interests of their members ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) to (d). It has been reported by the Delhi Administration that out of about 300 house building cooperative societies in Delhi, irregularities have been detected in the case of the following 13 societies during the last 3 years :

1. Vardhman House Building Society.
2. Lake View House Building Society.
3. Friends Central House Building Society.
4. Refugee House Building Society.
5. New Friends House Building Society.
6. Nav Ketan House Building Society.
7. Swatantra House Building Society.
8. East Punjab Railway House Building Society.
9. Gulmarg Garden House Building Society.
10. Delhi School Teachers' House Building Society.
11. Adarsh Bhavan House Building Society.
12. Hansa Cooperative House Building Society.
13. Haryana House Building Society.

Enquiry as envisaged in the Act has been instituted against these societies.

Annual Audit of the house building societies is being conducted. Out of 275 societies whose audit was due on 30-6-69, audit of 199 societies has so far been completed.

Outstanding Amount against Sugar Mills in U. P.

2704. **Shri Raghuvir Singh Shastri :**
Shri Bibhuti Mishra :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the payment of the prices of the sugarcane to

the farmers is delayed by the sugar mills in Uttar Pradesh and a large amount is outstanding against the sugar mills at present ;

(b) the total amount outstanding against these sugar mills and the figures for the last three years in this regard ; and

(c) the action being taken by Government to expedite the payment of outstanding amount to the canegrowers and to ensure the payment of the cane-price to them in a reasonable time in future ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) and (b). The total value of cane purchased by Sugar Mills in Uttar Pradesh and the balance outstanding for payment for the last three years as on September 30, 1969, is as follows :—

Season	Total of cane price of purchased cane	(Figures in lac Rupees) Balance
1966-67	3969.17	3.00
1967-68	11400.26	9.03
1968-69	11801.66	308.19

(c) The Government of U. P. have taken action for the realisation of dues by attachment under the provisions of U. P. Revenue Act/U. P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act. They have also instructed the Collectors to take action under the provisions of Rule 48 A of the U. P. Sugarcane (Regulation and Supply and Purchase) Rules, 1954, asking the defaulting sugar factories to furnish irrevocable letters of credit from their bankers for payment of specified amount out of the advance to be paid by them to the factory, directly to the cane unions towards cane price due.

Cow Protection Committee's Report

2705. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Sircar Committee on Cow Protection appointed about three years ago has not made any progress in its work due to which its term of office had to be extended many times ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the time by which the report of the Committee is likely to be received ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) Committee on Cow Protection was set up under the Chairmanship of Shri A. K. Sarkar, retired Chief Justice of India on 29-6-1967. Its terms of office has been extended five times. The Committee has so far held 12 meetings, interviewed 53 persons who tendered oral evidence, recieved written memoranda from 135 persons and have received replies to the questionnaire from all the States and Union Territories.

(b) The Committee could not complete its work owing to the withdrawal of the representatives of the Sarvadaliya Goraksha Mahabhiyan Samiti from its work. Deposite requests made to them, these representatives have not yet agreed to participate in the delibrations of the Committee.

(c) No specific time limit can be indicated, at present. However, the present term of the Committee is upto 31st March, 1970.

रबात सम्मेलन के बारे में आकाशवाणी पर चर्चा

2706. **श्री बलराज मधोक :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी द्वारा रबात सम्मेलन के बारे में कुछ चर्चाएं प्रसारित की गई थीं ; और

(ख) यदि हां, तो इन चर्चाओं में किन व्यक्तियों ने भाग लिया ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां ।

(ख) भाग लेने वाले ये थे :

सन्त वक्ष सिंह, संसद सदस्य,

श्री केवल सिंह, सचिव, विदेश मंत्रालय ।

श्री ए० एन० मुल्ला, संसद सदस्य तथा

सईद सज्जद जहीर, सदस्य, साहित्य अकादमी ।

सुपर बाजार, नई दिल्ली के कार्य की जांच

2708. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में स्थापित सुपर बाजार लगातार घाटा उठाता जा रहा है और अत्यावश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि को रोकने के अपने उद्देश्य में असफल रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या घाटे के तथा मूल्यों की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने में उसकी असफलता के कारणों का पता लगाने के लिए सरकार का विचार इस बाजार के कार्यों के बारे में जांच करने के लिए एक जांच आयोग नियुक्त करने का है, और यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय लिया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) नई दिल्ली के सुपर बाजारों को पिछले तीन वर्षों में हानि हुई है । तथापि, उन्होंने उपभोज्य वस्तुओं को उचित मूल्यों पर बेचकर और उचित व्यापारिक पद्धतियां अपनाकर उपभोज्य वस्तुओं के मूल्यों के रुख पर स्वस्थ प्रभाव डाला है ।

(ख) जी नहीं । तथापि, सुपर बाजार के प्रबन्धकों ने हानि के कारणों का अध्ययन किया है और अपने कार्यकरण में सुधार करने के लिए प्रतिकारी उपाय किए हैं ।

उपग्रह-एवं-स्थलीय व्यवस्था द्वारा टेलीविजन संचार

2709. **श्री हिम्मतसिंहका:** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपग्रह-एवं स्थलीय व्यवस्था द्वारा राष्ट्रव्यापी आधार पर टेलीविजन संचार स्थापित करने का कोई कार्यक्रम है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और इस पर कितनी राशि खर्च होगी और उसमें विदेशी मुद्रा का अंश कितना होगा ; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई विदेशी सहयोग लिया जायेगा ; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में किये जाने वाले करार की शर्तों का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) से (ग). उपग्रह-एवम् स्थलीय व्यवस्था द्वारा टेलीविजन संचार स्थापित करने के प्रस्तावों का अध्ययन किया जा रहा है। विभिन्न पद्धतियों से होने वाले प्रसारण क्षेत्र तथा लागत आदि के बारे में ब्यौरा अभी तैयार करना है।

टेलीविजन सेवा का विस्तार

2710. **श्री हिम्मतसिंहका:** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में टेलीविजन सेवा के प्रसार के सम्बन्ध में चन्दा समिति की सिफारिशों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) एक राष्ट्रीय टेलीविजन सेवा कार्यक्रम तैयार करने के सम्बन्ध में भगवन्तम समिति ने क्या सिफारिशें की हैं और उन पर सरकार ने क्या निर्णय किया है तथा उनके अनुसरण में क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) (क) तथा (ख) : इन समितियों द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार ने बहुत सावधानी पूर्वक विचार किया था और टेलीविजन विस्तार के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना तैयार करते समय उपलब्ध साधनों के अन्दर जहां तक हो सका है, उन्हें अपनाया गया है।

Representatives of Newspapers with Communist Leaning on A. I. R. Talks

2711. **Shri Kanwar Lal Gupta :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the names of the representatives of various newspapers who were given opportunities to speak on the A. I. R. during the last six months, the names of those newspapers and the number of opportunities they were given ;

(b) whether Government give more opportunities to the representatives of such newspapers as have communist leaning ; and

(c) the rules framed by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral): (a) The information is being collected and will be laid on the table of the House.

(b) No, Sir.

(c) Journalists are invited on the basis of their familiarity with the subject scheduled for broadcast on a given occasion, their ability to prepare a script within short time and their ability to participate in a discussion. The political affiliations or leanings of a participant is not the deciding factor in such selection. Although journalists are not invited, because of ther affiliation to any paper but an attempt is nevertheless made to maintain a balance over a period of time.

"पैसा या प्यार" चलचित्र का सेंसर

2712. **श्री ही० ना० मुकर्जी :**
श्री ईश्वर रेड्डी :
श्री योगेन्द्र शर्मा :

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेंसर बोर्ड ने "पैसा या प्यार" फिल्म का एक भाग, जिसमें सुविख्यात उर्दू के शायर साहिर लुधियानवी द्वारा लिखा गया एक गीत था, निकाल दिया गया क्योंकि गीत में "सिंडीकेट" शब्द प्रयोग किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या औचित्य था ;

(ग) क्या शायर ने स्वयं फिल्म के उस भाग के निकाले जाने की, जिसमें उनका गीत था, बोर्ड की कार्यवाही पर आपत्ति की है ; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) तथा (ख). केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड ने "पैसा या प्यार" फिल्म के कुछ अंशों में काट छांट की, क्योंकि वे आपत्तिजनक थे । निर्माता ने काट-छांट स्वेच्छा से स्वीकार कर ली ।

(ग) तथा (घ). फिल्म के उन अंशों को, जिनकी कांट-छांट की गई थी, बनाये रखने के लिये निर्माता ने चलचित्र अधिनियम की धाराओं के अन्तर्गत एक अपील दायर की है । मामला विचाराधीन है ।

दिल्ली-कलकत्ता के बीच ट्रंक डायल व्यवस्था

2713. **डा० सुशीला नैयर :**

श्री यमुना प्रसाद मंडल :

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने दिल्ली कलकत्ता के बीच ट्रंक डायल व्यवस्था स्थापित करने में अब तक क्या प्रगति की है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) यह डायल व्यवस्था कब तक काम करना आरम्भ कर देगी ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह): (क) से (ग). कलकत्ता तथा दिल्ली के बीच ट्रंक डायल सुविधा की व्यवस्था के लिए इन दोनों स्थानों पर ट्रंक स्वचल एक्सचेंजों तथा इन दोनों स्थानों को जोड़ने वाले लम्बी दूरी के परिपथों की योजना बना ली गई है। दिल्ली ट्रंक स्वचल एक्सचेंज चालू हो चुका है तथा कलकत्ते वाले के 1973 तक चालू हो जाने की आशा है।

लम्बी दूरी के परिपथ 1973-74 तक उपलब्ध हो सकेंगे और उसके बाद ही दिल्ली तथा कलकत्ता के बीच ट्रंक डायल व्यवस्था करना संभव हो सकेगा।

नई ट्रंक डायल व्यवस्था

2714. **डा० सुशीला नैयर :**

श्री यमुना प्रसाद मंडल :

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1970-71 में आरम्भ की जाने वाली नई ट्रंक डायल व्यवस्था की संख्या और नाम क्या हैं ;

(ख) क्या दिल्ली को बड़े नगरों के साथ डायल व्यवस्था से जोड़ने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री, (श्री शेर सिंह): (क) 1970-71 में 8 नये मार्गों पर इस व्यवस्था को चालू करने का प्रस्ताव है जो कि इस प्रकार हैं :

1. जालन्धर-अमृतसर
2. आटी-कोयम्बटूर
3. दिल्ली-अमृतसर
4. मद्रास-चिंगलपुट

5. मंसूरी-देहरादून
6. गौहाटी-शिलांग
7. जालन्धर-आगरा
8. जालन्धर-चंडीगढ़

(ख) यद्यपि योजनाएं बना ली गई हैं तथा उन्हें कार्यान्वित करने के लिए कार्यवाई की जा रही है, फिर भी कोई निश्चित लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जा सका है, क्योंकि कतिपय उपस्कर, जिनका कुछ भाग अथवा सारे का सारा आयात किया जाना है उनकी सप्लाई का कोई भरोसा नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

स्टाफ आर्टिस्टों, ब्राडकास्टरों तथा टेलीकास्टरों के संघ द्वारा संयुक्त ज्ञापन

2715. **श्री धीरेश्वर कलिता :** **श्री रामावतार शास्त्री :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त : **श्री क० मि० मधुकर :**

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्ट यूनियन तथा ब्राडकास्टर एण्ड टेलीकास्टर गिल्ड द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया गया ज्ञापन मिला है जिसमें उन्होंने अपनी शिकायतों को दूर करने की मांग की है ;

(ख) उन्होंने अपने ज्ञापन में क्या मांगें रखी हैं ; और

(ग) सरकार द्वारा उनकी मांगों को पूरा करने के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री(श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां।

(ख) मुख्य भागों में मसानी समिति रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को अस्वीकार करना। कार्य मूल्यांकन समिति नियुक्त करना तथा कार्य मूल्यांकन समिति की सिफारिशों को अन्तिम रूप दिये जाने तक अन्तरिम सहायता देना शामिल है।

(ग) सरकार, कार्य मूल्यांकन समिति को नियुक्त करना या मसानी समिति रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों को संक्षेपतः अस्वीकार करना आवश्यक नहीं समझती। स्टाफ आर्टिस्टों की सेवा शर्तों में सुधार करने के उपायों पर बराबर पुनर्विलोकन होता है।

Refugees from East Bengal

2716. **Shri Prakash Vir Shastri :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether some displaced persons have come to India from East Bengal during the last three months ;

(b) if so, the particular area from where the displaced persons have come to India ; and

(c) whether these displaced persons have also expressed any difficulty for which they had to leave their home and come to India ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad): (a) During the three months ending October, 1969, 2195 persons have migrated from East Pakistan to India.

(b) This information is not available.

(c) The influx has taken place, as in the past, on account of insecure conditions in East Pakistan, economic distress and discriminatory treatment meted out to the minority communities there.

Delhi Telephone Directory in English and Hindi

2717. **Shri Prakash Vir Shastri :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether certain important decisions about the English and Hindi editions of the Delhi Telephone Directory have been taken ;

(b) whether at the time of bringing out the Directory, it would also be borne in mind that both the languages are given equal respect ; and

(c) if so, the date from which this decision is likely to be implemented ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh): (a) A meeting was convened by the Minister of State (C) on 29-10-1969 at which the Hon'ble Member and representatives of various printers and publishers, Chief Controller of Printing and Stationery and Hindi Sahitaya Samelan etc. were present. A suggestion was made that the Hindi and English Directories may be supplied alternately to all subscribers in Delhi, instead of following the present practice of either Hindi or English Directory according to the choice of the subscriber. This suggestion is being examined.

(b) Yes.

(c) The decision, when arrived at, will be implemented, as soon as possible.

Minimum Wage of Agricultural Labourers

2719. **Shri Yashpal Singh :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of Agricultural labourers in the country and the names of the State where the minimum and maximum amount of daily wages are paid on an average ;

(b) the names of the States wherein legislation has been made for the payment of minimum wages to the labourers and the amount of minimum wages paid to them thereunder ;

(c) the action being taken by the Central Government for similar legislation in other States ; and

(d) whether Government would give an assurance that such legislation would be made in all the States within next one year ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad): (a) Information regarding the number of agricultural labourers in the Country is available from the Census of India, 1961 (Paper No. 1 of 1962) according to which the number is 31.38 million. The minimum rates of wages fixed by the State Governments under the Minimum Wages Act, 1948 are notified in their official Gazettes as and when the fixation/revision takes place. The rates of wages vary from State to State and from area to area.

(b) The Minimum Wages Act, 1948 applies to all States/Union Territories excepting Jammu and Kashmir. The Act is being extended to Jammu and Kashmir also. The Government of Tamil Nadu have recently undertaken legislation to fix wages of agricultural workers in the Thanjavur district.

(c) and (d). Do not arise.

क्रिकेट मैच के आंखों देखा हाल के प्रसारण का रद्द किया जाना

2 720. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के अधिकारियों और क्रिकेट अधिकारियों के बीच कुछ गलतफहमी के कारण भारत और आस्ट्रेलिया के बीच प्रथम क्रिकेट टेस्ट मैच के अन्तिम दिन के खेल के आंखों देखे हाल का प्रसारण ऐन मौके पर रद्द कर दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे; और

(ग) ऐसी गलतियों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, नहीं। महाराष्ट्र के राज्यपाल डा० पी० वी० चेरियान की मृत्यु होने के कारण कमेंट्री रद्द कर दी गई थी।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते।

कानपुर में टेलीविजन केन्द्र

2721. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कानपुर में एक टेलीविजन केन्द्र स्थापित करने के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) निर्माण कार्य के कब तक आरम्भ तथा समाप्त होने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) तथा (ख). कानपुर /लखनऊ में एक टेलीविजन केन्द्र स्थापित करने की योजना चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में शामिल कर ली गई है। इस योजना से सम्बन्धित प्रारम्भिक कार्रवाई 1970-71 में शुरू करने का विचार है। उम्मीद है कि यह केन्द्र चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त तक मुकम्मल हो जायेगा।

उत्तर प्रदेश में खाद्यान्नों के मूल्य

2722. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अच्छे उत्पादन के बावजूद भी सितम्बर और अक्तूबर, 1969 में उत्तर प्रदेश के खुले बाजारों में खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा मूल्यों को एक उचित सीमा पर स्थिर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). सितम्बर में खाद्यान्नों के मूल्यों में आम तौर पर स्थिरता रही और अक्तूबर, 1969 में सामान्यतः गिरावट की प्रवृत्ति आई है ।

(ग) उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से खाद्यान्नों का वितरण करना जारी रखा जा रहा है और राज्य सरकार मूल्यों पर कड़ी निगरानी रख रही है ।

पी० एल० 480 योजना के अधीन गेहूं का आयात

2723. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पी० एल० 480 के अन्तर्गत आयात किये जाने वाले गेहूं के आयात को वर्ष 1971 से रोकने के बारे में अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो ऐसा निर्णय करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). जब तक देश खाद्यान्नों के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं हो जाता तब तक खाद्यान्नों का कुछ आयात करना आवश्यक है । खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि होने से आयात में धीरे धीरे कमी की जाती रही है । वर्तमान आंकन के अनुसार 1970-71 के बाद रियायती आयात बन्द कर देने का विचार है ।

उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण

2724. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के बहुत से विधायकों ने उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) उत्तर प्रदेश विधान सभा के कुछ सदस्यों ने विधान सभा के पिछले अधिवेशन के

दौरान बजट वाद-विवाद के समय राज्य में चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न उठाया था। विधान सभा के कुछ सदस्यों और कुछ भूतपूर्व सदस्यों ने भारत के राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भी प्रस्तुत किया है।

(ख) इस विषय के विभिन्न पहलुओं की जांच हो रही है।

तिलहन का आयात

2725. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत तिलहन की आवश्यकता पूरी करने के लिये अब भी आयात पर निर्भर है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) 1968-69 और 1969-70 में कितने तिलहनों का आयात किया गया; और

(घ) तिलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) क्योंकि देश में तिलहनों की मांग सप्लाई से बढ़ गई है।

(ग) तिलहनों तथा तेलों के आयात को प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है।

(घ) तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिये पैकेज पद्धतियों को अपनाकर और संसाधनों वाले क्षेत्रों में सिंचाई का प्रभावी ढंग से प्रयोग करके प्रति एकड़ उपज बढ़ाने पर बल दिया जा रहा है। चौथी योजना की अवधि में इस प्रयोजन के लिये मुख्य तिलहन फसल मूंगफली के उत्पादन को अधिकतम सीमा तक बढ़ाने के लिये केन्द्रीय प्रायोजित परियोजना के अधीन 26.50 लाख एकड़ का अतिरिक्त क्षेत्र लाने का प्रस्ताव है। इस परियोजना की सफल क्रियान्विति के लिये निम्नलिखित वित्तीय सहायता मिलती रहेगी :-

(1) उत्पादकों को वनस्पति संरक्षण रासायनों और हस्त-चालित औजारों पर उपदान के रूप में सहायता।

(2) सघन कृषि जिला कार्यक्रमों या सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रमों में कर्मचारियों के अतिरिक्त इन विशेष परियोजनाओं की देखभाल के लिये रखे गये अतिरिक्त कर्मचारियों पर किये जाने वाले व्यय की पूर्ण पूर्ति के लिये अनुदान।

इसके अतिरिक्त अरंडी की अधिक उपज देने वाली किस्म के विषय में पैकेज पद्धतियों के प्रदर्शन के लिये एक केन्द्रीय संचालित योजना शुरू की जा रही है। इन प्रदर्शनों के लिये **वर्षा**

पर आश्रित फसल के लिये प्रति हैक्टर 125 रुपये की राशि और सिंचाई वाली फसल के लिये प्रति हैक्टर 200 रुपये की राशि दी जा रही है ।

उपज बढ़ाने के लक्ष्य से अनुसन्धान पर काफी बल दिया जा रहा है । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2227/69]**

यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन

2726. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री बे० कृ० दासचौधरी :

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, जिसका अक्तूबर, 1969 में टोक्यो में सोलहवां पंचवर्षीय कांग्रेस सम्मेलन हुआ था, के प्रशासनिक तथा वित्तीय ढांचे में क्या परिवर्तन हुये हैं;

(ख) क्या इस यूनियन ने विकासशील देशों की तकनीकी सहायता सम्बन्धी गतिविधियां बढ़ाने की योजना का अनुमोदन किया है और यदि हां, तो भारत तथा अन्य विकासशील देशों को यदि कोई सहायता उपलब्ध किये जाने की सम्भावना है तो क्या; और

(ग) अक्तूबर, 1969 में आयोजित यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की सोलहवीं पंचवर्षीय कांग्रेस के फलस्वरूप पार्सल पोस्टेज का क्या सरलीकरण किया गया है और लेटर पोस्ट के प्रशुल्क ढांचे में क्या अन्य उपयुक्त परिवर्तन किये गये हैं और विमान वाहन लागत में कितनी कमी की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह): (क) से (ग). एक विवरण, जिसमें सूचना दी गई है, सभा-पटल पर रखा जाता है । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2228/69]**

बिहार सर्कल में डाक व तार विभाग के अधिकारियों के टी०ए० बिलों पर खर्च

2727. **श्री रामावतार शास्त्री :**
श्री भोगेन्द्र झा :
श्री चन्द्र शेखर सिंह :
श्री योगेन्द्र शर्मा :
श्री क० मि० मधुकर :

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्षों 1966-67, 1967-68 तथा 1968-69 में डाक व तार सर्कल बिहार में (एक) पोस्टमास्टर जनरल, (दो) डाक तथा तार सेवा के निदेशकों और (तीन) डिवीजनल अधिकारियों के टी० ए० बिलों पर कितना खर्च आया है ;

(ख) पोस्टमास्टर जनरल ने (एक) कोयला-फील्ड क्षेत्र, (दो) रांची तथा जमशेदपुर क्षेत्रों ; (तीन) उत्तर बिहार क्षेत्र ; (चार) साहाबाद क्षेत्र ; और (पांच) उपरोक्त वर्षों में बिहार सर्कल के शेष इलाकों के कितने-कितने दौरे किये ; और

(ग) बिहार, सर्कल के पोस्टमास्टर जनरल के टी० ए० बिलों तथा उनके दौरों के कार्यक्रमों में फरक के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) निम्नलिखित वित्तीय वर्षों के दौरान टी० ए० बिलों पर व्यय :

	1966-67	1967-68	1968-69
	रु०	रु०	रु०
(i) पोस्टमास्टर जनरल के	4553	4141	2246
(ii) डाक सेवा निदेशकों और तार निदेशकों के	4250	4410	8806

जिस तारीख को नुक्सान का पता लगाया गया	जिस तारीख को मामले की रिपोर्ट पुलिस में की गई
10-5-68	13- 5 -68
9-5-68	13- 5 -68
28-9-67	4-10-67
10-5-68	4- 5 -68
1-5-68	1- 5 -68
1-5-68	1- 5 -68

(ग) जैसा कि प्रश्न के भाग (ख) में स्पष्ट किया गया है, पुलिस अधिकारियों को मामलों की रिपोर्ट देने में कोताही के लिये जिम्मेदारी निश्चित करने का प्रश्न ही नहीं उठता । इस बारे में इतना और कहना होगा ताकि निगरानी और स्टाक की जांच में सख्ती बरतने के लिये आवश्यक कदम उठाये गये हैं, ताकि चोरी के कारण पड़ने वाली कमी का शीघ्रता से पता लगाया जा सके और चोरी की वारदातों को अधिक कारगर ढंग से रोका जा सके ।

(घ) पुलिस अधिकारियों को छानबीन करने के बाद चोरी की इन वारदातों के बारे में कोई संकेत नहीं मिल सका और उन्होंने मामलों को डायरी में दर्ज कर लिया है । अलबत्ता जिन कर्मचारियों को स्टाक की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उनके विरुद्ध कार्रवाई जारी है ।

बिहार में डाक व तार कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधाओं तथा अन्य भत्तों पर व्यय

2728. **श्री रामावतार शास्त्री :**
श्री भोगेन्द्र झा :
श्री योगेन्द्र शर्मा :
श्री क० मि० मधुकर :
श्री चन्द्र शेखर सिंह :

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 सितम्बर, 1968 से 31 अगस्त, 1969 तक की अवधि में बिहार सर्कल में डाक, तार तथा तार-इन्जीनियरी डिवीजनों में, डिवीजनवार, कर्मचारियों के ऐसे कितने चिकित्सा बिल, समयोपरि भत्ता बिल, यात्रा भत्ता बिल, ट्यूशन शुल्क के दावे, बाल शिक्षा भत्ता दावे तथा छुट्टी के वेतन के दावे थे, जिनका भुगतान नहीं किया गया था और प्रत्येक किस्म का बिल/दावा कितनी राशि का है ;

(ख) बिहार सर्कल में डाक, तार तथा तार-इंजोनियरी डिवीजन में, डिवीजन-वार कर्मचारियों को छूट दिवस "डाइज नान" देने ता दक्षता रोकपार करने को अनुमति न देने से वेतन वृद्धि न देने के कितने मामले हैं ;

(ग) क्या ऐसे दावों का छः सप्ताह के भीतर निपटारा करने का कोई आदेश है, और यदि हां, तो डिवीजनल स्तरों पर विलम्ब होने के क्या कारण हैं ; और

(घ) कर्मचारियों तथा सरकार के बीच सामान्य सम्बन्ध कायम करने के लिये तुरन्त भुगतान करने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

बिहार में टेलीफोन तथा तारघर

2729. **श्री रामावतार शास्त्री :**
श्री भोगेन्द्र झा :
श्री चन्द्रशेखर सिंह :
श्री योगेन्द्र शर्मा :
श्री क० मि० मधुकर :

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पटना डिवीजन पटना के डिवीजनल इन्जीनियर (टेलीग्राफ) श्री ए० प्रसाद तथा श्री एस० एस० सक्सेना के कार्यालय में वहां कितने तार घर, टेलीफोन एक्सचेंज तथा सार्वजनिक टेलीफोन घर खोले गये ;

(ख) पटना डिवीजन में डिवीजनल इन्जीनियर (टेलीफोन) श्री ए० प्रसाद तथा श्री एस० एस० सक्सेना के कार्यालय में लोगों को अधिक टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिये कितने टेलीफोन एक्सचेंजों में क्षमता बढ़ाई गई ; और

(ग) पटना के डिवीजनल इन्जीनियर (टेलीफोन) श्री ए० प्रसाद तथा पटना के डिवीजनल इन्जीनियर (टेलीफोन) के कार्यालय में प्रत्येक वर्ष टेलीफोन तथा तार सुविधाओं के बारे में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई, कितनी बाधायें उत्पन्न हुई, तांबे के तारों की कितनी हानि हुई और कितनी अवधि तक बाधायें उत्पन्न हुईं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं होगी । फिर भी, चूंकि ये दोनों अधिकारी 1959-60 से अब तक पटना डिवीजन के कार्यभारी अधिकारी रहे हैं, इसलिये 1959-60 से 1968-69 तक की सूचना वर्ष-वार इकट्ठी करके सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

Application of Employees' State Insurance Scheme to Mines

2730. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the total number of different type of mines in the country, State-wise ;

(b) the number of mines where Employees' State Insurance Scheme is in force and the number of such mines in each State ;

(c) the reasons for not enforcing the above said scheme in the other mines where it is not in force ; and

(d) the action proposed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) A statement showing the total number of different types of mines, Statewise, is attached. **[Placed in Library. See No. LT-2229/69]**

(b) to (d). The Employees' State Insurance Act, 1948 is not applicable to mines. At present it applies only to factories. As recommended by the Employees' State Insurance Scheme Review Committee, it is proposed to take up the question of extension of the Employees' State Insurance Act to mines after all factory workers have been covered.

Campaign to Occupy Fallow Land in Bihar Landless Labour

2731. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the total area of the Government fallow land in Bihar;

(b) whether it is a fact that some political parties are launching a campaign to get the Government fallow land occupied by the landless people in various Districts of Bihar ;

(c) if so, the names of the said parties and the acreage of land occupied under their leadership ;

(d) whether Government have formulated or proposed to formulate any scheme to distribute fallow land among the landless people ; and

(e) if so, the details thereof and the time by which Government propose to implement the scheme ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) to (e). The information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha as soon as possible.

Masani Committee Recommendation on Production Assistants and Transmission Executives

2732. **Shri Mohan Swarup** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the rules governing the recruitment of Production Assistants and Transmission Executives in A.I.R. which used to be followed six years ago and those which are being followed now-a-days ;

(b) the minimum qualifications for these posts as also their respective pay-scales which were in force six years ago and which are in force at present ;

(c) whether it is a fact that it has been recommended in the report of Masani Committee that both of these posts be amalgamated ; and

(d) if so, whether Government do think it proper to amalgamate these posts when their pay-scales are different and when the employees working against these posts have to perform different duties ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) and (b). The information is contained in the statement enclosed. **[Placed in Library. See No. LT-2230/69]**

(c) Yes, Sir.

(d) The matter is under consideration of Government and all the relevant factors will be taken into account while taking a decision.

Powerful Transmitter for Port Blair

2733. **Shri Samar Guha** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the A. I. R. station at Port Blair has the capacity to broadcast over a region of 10 Kilometers only ;

(b) whether Calcutta or Delhi broadcasts are not clearly heard in the Andaman and Nicobar Islands ;

(c) whether in view of lack of transport and communication facilities the radio is considered as the only means of receiving news from the mainland by the Islanders ;

(d) if so, whether a new transmitter having a range to cover the whole area of Andaman and Nicobar Islands will be set up at Port Blair ;

(e) if so, when the installation of such a transmitter will be completed ; and

(f) if not, what alternative means for receiving the Mainland news the Government intend to provide to the radio listeners in these Islands ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) The low power medium

wave transmitter at Port Blair provides a first grade service to Port Blair and over a region of 15 to 20 kms around.

(b) No, Sir. Broadcasts beamed from Delhi on the short wave can be heard in the area.

(c) Radio is the quickest means of receiving news of the mainland by the inhabitants of the islands.

(d) A Scheme for setting up a medium wave transmitter of higher power which would serve most of the islands has been provided for in the Fourth Plan.

(e) During the Plan period.

(f) Does not arise.

"अन्दमान-टाइम्स" के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता

2734. **श्री समर गुह :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'अन्दमान टाइम्स' साप्ताहिक सम्पूर्ण अन्दमान निकोबार द्वीपसमूह में प्रकाशित होने वाला एकमात्र समाचारपत्र है ;

(ख) क्या पोर्ट ब्लेयर के लिये इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन को सप्ताह में दो उड़ाने होने के कारण द्वीपवासियों को सप्ताह में केवल दो बार मुख्य भू-भाग के समाचारपत्र मिलते हैं ; और

(ग) क्या सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुए 'अन्दमान टाइम्स' के विकास के लिये वित्तीय सहायता अथवा विज्ञापनों के द्वारा सभी प्रकार की सहायता देगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) इन द्वीपों से अंग्रेजी साप्ताहिक "अन्दमान टाइम्स" के अतिरिक्त, दो और समाचारपत्र अर्थात एक अंग्रेजी दैनिक "डेली टेलीग्राफ" तथा एक अंग्रेजी अर्द्ध वार्षिक "अन्दमान एण्ड निकोबार इनफारमेशन", प्रकाशित किये जा रहे हैं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) "अन्दमान टाइम्स" को विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा सरकारी विज्ञापनों के लिये आवश्यकतानुसार प्रयोग किया जा रहा है ।

चौथी योजना के दौरान कपास का उत्पादन

2735. **श्री एस० आर० दामानी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजना के दौरान कपास के उत्पादन के लिये वर्षवार क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं ;

(ख) प्रत्येक किस्म के लिये लक्ष्यों का राज्यवार ब्योरा क्या है ;

(ग) अधिक उपज वाली किस्म कितनी भूमि में बोई जायेगी ; और

(घ) सघन खेतों के लिए कौन से क्षेत्र चुने गये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) 1969-70 के लिये कपास के उत्पादन का लक्ष्य 60 लाख गांठें निर्धारित किया गया है। योजना के उत्तरवर्ती तीन वर्षों की अवधि के लिये कपास के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है, किन्तु चतुर्थ योजना के अन्तिम वर्ष 1973-74 का उत्पादन लक्ष्य 80 लाख गांठें निर्धारित किया गया है।

(ख) कपास की विभिन्न किस्मों के पृथक-पृथक उत्पादन के लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये हैं। 1969-70 और 1973-74 के दौरान कपास के उत्पादन के राज्यवार लक्ष्यों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है (विवरण संख्या I)।

(ग) कपास के मामले में खाद्यान्न फसलों के समान अधिक उत्पादनशील किस्में नहीं हैं।

(घ) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान सघन कृषि के लिये सिंचाई और निश्चित वर्षा वाला कुल 10.70 लाख हैक्टेयर का क्षेत्र चुना गया है। प्रत्येक राज्य के जिन जिलों में सघन कृषि क्षेत्र स्थिति हैं, उनके नामों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। (विवरण संख्या II)

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2231/69]

1968-69 में अनाज की अच्छी फसल की सम्भावना

2736. **श्री समर गुह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1968-69 में धान, गेहूं तथा अन्य अनाजों की फसलें अच्छी होने की सम्भावना है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1967-68 तथा 1968-69 में आयात किये गये अनाज के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ;

(ग) अनाज का सुरक्षित भण्डार बनाने की वर्तमान स्थिति क्या है, अनाज वसूली की नीति क्या है और अनाज-वसूली के लिये निर्धारित अधिकतम मूल्य क्या है ; और

(घ) सरकारी सुरक्षित भण्डार की स्थिति दृढ़ होने की आशा तथा इस वर्ष अधिक अनाज-उत्पादन की सम्भावना को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार खाद्य नियंत्रण सम्बन्धी नीति पर पुनर्विचार करेगी और सम्पूर्ण देश को एक ही खाद्य-क्षेत्र माना जायेगा और खाद्य नियंत्रण को समाप्त करने की दिशा में पहला काम गेहूं के वितरण पर से नियंत्रण हटाना होगा; और यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो ऐसा न करने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) 1968-69 में बाजरा, मक्का, जौ तथा चने की शुष्क फसलों की पैदावार में कमी हुई है। सभी खाद्यान्नों का कुल उत्पादन भी 1967-68 के मुकाबले में थोड़ा सा कम रहा है। फिर भी यह स्थिति आशाप्रद कही जा सकती है।

(ख) एक विवरण संलग्न है। (अनुबन्ध-1)।

(ग) नवम्बर, 1969 के प्रारम्भ में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के गोदामों में लगभग 42 लाख मीटरी टन अनाज था। जिसमें से 30 लाख मीटरी टन को बफर स्टाक के रूप में लिया जा सकता है।

सरकार की नीति मुख्यत: भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से सहकारी संगठनों का तथा जहां कहीं आवश्यक हो सीधे सरकारी एजेन्सी का भी उपयोग कर अधिक से अधिक अधिप्राप्ति करने की है।

1969-70 सीजन के लिये विभिन्न अनाजों के अधिप्राप्ति मूल्य बताने वाला एक विवरण संलग्न है (अनुबन्ध-2)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2232/69]

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार की पहुंच हमेशा ही व्यवहारिक रही है। खाद्यान्नों पर लगे प्रतिबन्धों तथा नियंत्रणों की सदैव समीक्षा की जाती है और जब कभी खाद्य स्थिति सुगम होती है तो उनमें ढीलें दी जाती हैं।

ट्रैक्टरों की आवश्यकता तथा उनका निर्माण

2737. **श्रीमती सुधा वी० रेड्डी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी पांच वर्षों में देश में ट्रैक्टरों की औसत आवश्यकता कितनी होगी और उसे पूरी करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) इस अवधि में कितने ट्रैक्टरों का निर्माण करने तथा कितने ट्रैक्टरों का आयात करने का विचार है और देशी ट्रैक्टर तथा विदेशी ट्रैक्टर के मूल्य में कितना अन्तर होगा ;

(ग) क्या यह सच है कि ट्रैक्टरों के उत्पादन के लिए सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र उपक्रम स्थापित करने तथा उसका विस्तार करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष अर्थात् 1973-74 के लिए 90,000 ट्रैक्टरों की मांग का अनुमान लगाया गया है। इस मांग को पूरा करने के लिये, ट्रैक्टरों के उत्पादन को बढ़ाने का प्रस्ताव है। इस सम्बन्ध में भारत सरकार ने निम्न उपाय किये हैं :

(1) चूंकि ट्रैक्टरों को प्राथमिक उद्योगों की सूची में शामिल किया गया है, अत: सरकार ने अपने क्रमबद्ध निर्माण कार्यक्रम के अनुसार अपेक्षित पुर्जे और कच्चा माल मंगाकर ट्रैक्टर निर्माताओं की पूरी आवश्यकताओं को पूरा किया है।

(2) सभी ट्रैक्टर निर्माताओं के अतिरिक्त पूंजीगत सामान के आयात लाइसेंस स्वीकृत कर लिए गये जिससे वे अपनी लाइसेंसशुदा क्षमता के अनुसार उत्पादन कर सकें;

(3) कृषि में काम आने वाले पहियेदार ट्रैक्टर उद्योग को 7 फरवरी, 1968 से उद्योग (डी० एण्ड आर०) अधिनियम, 1951 के लाइसेंस दिये जाने सम्बन्धी उपबन्धों से मुक्त कर दिया गया है जिससे वर्तमान ट्रैक्टर निर्माताओं को कम हार्स पावर के ट्रैक्टरों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन मिले और इस उद्योग में रुचि रखने वाले अन्य

लोगों को भी सस्ते ट्रैक्टर बनाने के लिए प्रोत्साहन मिले । ट्रैक्टर-निर्माण के संबंध में सात नई योजनाओं को सिद्धान्त रूप से मान लिया गया है और 6 अन्य योजनाओं पर विचार किया जा रहा है ।

(4) देश में विद्यमान सरकारी परियोजनाओं में से एक परियोजना में कम हार्स पावर (20 हार्स पावर) के ट्रैक्टर के बनाने का विचार है और उसमें प्रतिवर्ष लगभग 12000 ट्रैक्टरों का उत्पादन होगा ।

(ख) 1971-72 के अन्त तक 30,000 ट्रैक्टरों के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । ट्रैक्टरों के आयात-कार्यक्रम के बारे में प्रतिवर्ष, उस वर्ष की माग देश में ट्रैक्टरों के उत्पादन तथा विदेशी मुद्रा की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, निश्चय किया जाता है । अतः इस समय यह नहीं बताया जा सकता कि अगले पांच वर्षों में कितने ट्रैक्टरों का आयात किया जायेगा । तथापि, 1969-70 में 35,000 ट्रैक्टर विदेशों से मंगाने का निर्णय किया गया है ।

भारत में बने ट्रैक्टरों और विदेशी ट्रैक्टरों के मूल्यों में जो अन्तर है, उसे दूर करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

(ग) और (घ). देश में विद्यमान सरकारी परियोजनाओं में से एक में कम हार्स पावर (20 हार्स पावर) के ट्रैक्टर बनाने का विचार है और उसमें प्रतिवर्ष लगभग 12,000 ट्रैक्टरों का उत्पादन होगा ।

मैसूर राज्य में डाक तथा तार कर्मचारी

2738. **श्रीमती सुधा वी० रेड्डी :** क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य में डाक तथा तार विभाग के कुल कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं ;

(ख) उनमें से कितने कर्मचारियों को क्वार्टर दिये गये हैं ;

(ग) क्या ऐसे कर्मचारियों को, जिन्हें क्वार्टर नहीं दिये गये हैं, सरकार कोई भत्ता देती है ; भत्ते का स्वरूप और राशि क्या है ; और

(घ) बंगलौर में डाक तथा तार विभाग के कितने कर्मचारी हैं और उनमें से कितने कर्मचारियों को सरकार ने क्वार्टर दिये हैं ; और

(ङ) शेष कर्मचारियों को क्वार्टर प्रदान करने के लिये क्या प्रबन्ध करने का सरकार का विचार है और कब तक ये प्रबन्ध किये जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) 17,010 (राजपत्रित और अराजपत्रित)।

(ख) 1,050

(ग) केवल वर्गीकृत नगरों में काम करने वाले डाक-तार कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता दिया जाता है । इस प्रयोजन के लिये 1961 की जनगणना से प्राप्त जन संख्या के आंकड़ों के अनुसार नगरों का वर्गीकरण "ए", "बी-1", "बी-2" और "सी" के रूप में किया गया है तथा सम्बन्धित स्थान के वर्गीकरण के अनुसार मकान किराया भत्ते की विभिन्न दरें निर्धारित की गई हैं ।

चूंकि बंगलौर केवल "बी-1" वर्ग का नगर है अतः निम्नवर्ती दरों से मकान किराया भत्ते की अदायगी की जाती है :

100 रुपये से कम वेतन	15 रुपये मासिक
100 से 3000 रुपये तक वेतन	वेतन का 15 प्रतिशत जबकि न्यूनतम सीमा 20 रुपये तथा अधिकतम सीमा 300 रुपये है ।

मैसूर राज्य में लगभग 13 स्थान "सी" वर्ग के हैं । "सी" वर्ग के नगरों में 620 रुपये की वेतन सीमा तक वेतन का $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत की दर से मकान किराया भत्ता दिया जाता है, जबकि न्यूनतम सीमा 7.50 रुपये है और उस थोड़ी सी रकम का समंजन किया जाता है जिसको मिला कर वेतन 665 रुपये हो जाए । मैसूर राज्य में जिन डाक-तार कर्मचारियों को सरकारी क्वार्टर नहीं दिये गए हैं, उन्हें कोई विशेष भत्ता नहीं दिया जाता ।

(घ) 5,268 ;

105 ।

(ङ) क्वार्टर प्रदान करने के लिए जिन व्यवस्थाओं को करने का प्रस्ताव है, वे इस प्रकार हैं :

बंगलौर शहर

अधिकारियों तथा स्टाफ के लिए जिन क्वार्टरों का निर्माण कार्य चल रहा है, उनकी संख्या 60

अन्य स्थानों पर

(i) वे स्थान जहां पर जमीन खरीद ली गई है तथा योजना प्राक्कलन तैयार किये जा रहे हैं और क्वार्टरों के निर्माण की मंजूरी जारी की जानी है :

1.	मरकारा	मौजूदा 12 के अतिरिक्त 4 क्वार्टर
2.	मंगलौर	मौजूदा 6 के अतिरिक्त 37 क्वार्टर
3.	गुलवर्ग	24 क्वार्टर
4.	तुमकुर	मंजूरी जारी की जानी है
5.	रायचुर	10 क्वार्टर
6.	पोलीबेत्ता	2 क्वार्टर
7.	हिरियार	6 क्वार्टर
8.	अरसिकर्स	12 क्वार्टर
9.	चित्रदुर्ग	20 क्वार्टर
10.	वेलारी	10 क्वार्टर
11.	दर्वगरे	मौजूदा 12 के अतिरिक्त 18 क्वार्टर
12.	हुमनाबाद	8 क्वार्टर
13.	बादमी	2 क्वार्टर
14.	मालकी	2 क्वार्टर
15.	होसंगारा	2 क्वार्टर

(ii) स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण के लिए जमीन लेने की कार्रवाई चल रही है :

1. मैसूर	2. बेलगांव
3. हुबली धरवार	4. हवेरी
5. इन्दी	6. शिमोगा
7. कीलर	8. बीदर
9. निपानी	10. बीजापुर
11. हसन	12. के० जी० एफ०
13. कूंदापुर	14. पत्तुर
15. उदिपी	16. बिरुर

हर मामले में फिलहाल प्रबन्धों के पूरा किये जाने की निश्चित तारीख नहीं बताई जा सकती। चौथी योजना के दौरान उनको तेजी से पूरा करने की कोशिश की जाएगी।

दुग्ध चूर्ण, मक्खन, घी, पनीर तथा दही का आयात

2739. **श्री एन० शिवप्पा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि विदेशों से करोड़ों रुपये मूल्य का दुग्धचूर्ण, मक्खन, घी, पनीर तथा दही मंगाया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इसका कारण यह है कि भारत में दुधारु पशुओं को उनके मांस, चमड़ा तथा खाल विदेशों को निर्यात करने की दृष्टि से मनमाने ढंग पर मारा जाता है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) वर्ष 1968-69 की अवधि में भारत ने 13.98 करोड़ रुपये के मूल्य का 48,480 मीटरी टन दुग्ध चूर्ण, घी, पनीर और दही और अन्य दुग्ध पदार्थ आयात किये। इसमें 12.20 करोड़ रुपये के मूल्य का 45,418 मीटरी टन सपरैटा दुग्ध चूर्ण भी सम्मिलित है, जो कि :

(क) दूध की अधिकता तथा कमी के मौसमों की अवधियों में दूध की सप्लाई के असंतुलन को दूर करने तथा शिशु आहार आदि बनाने के लिये डेरी सयंत्रों के उपयोग के लिये तथा (ख) अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों तथा अन्य विदेशी मानवतावादी संगठनों द्वारा भारत सरकार को सहायता, पुनर्वास-स्कूल-आहार तथा अन्य हित योजनाओं को उपहार के रूप में देने के लिये, आयात किया गया।

(ख) वर्ष 1968-69 की अवधि में सामान्य व्यापार के दौरान भारत ने 13.18 करोड़ रुपये की कीमत का 12,218 मीटरी टन बछड़ों तथा अन्य गो जाति के पशुओं का चमड़ा, घोड़े का चमड़ा और खालों का निर्यात किया है। गौ जाति के पशु के मांस का कोई निर्यात नहीं किया गया है। बहुत से राज्यों ने संविधान के अनुच्छेद 48 में दिये गये निर्देशक सिद्धान्तों

के अनुसार गौ तथा बछड़ों और अन्य दुधारु व विसूखे पशुओं को मारने पर प्रतिबंध लगा दिया है। दूध तथा दूध से बने पदार्थों का आयात का कारण दुधारु पशुओं का अविवेकशील वध नहीं हो सकता। वास्तविक कारण यह है कि भारतीय दुधारु पशुओं से कम दूध प्राप्त होता है।

किसानों के लिये सस्ते कृषि औजारों की योजना

2740. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार किसानों को सस्ते कृषि औजार उपलब्ध करने के लिये एक योजना बनाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). सस्ते फार्म औजार बनाने के बारे में भारत सरकार की कोई योजना नहीं है, परन्तु सरकार विभिन्न राज्य कृषि-उद्योग निगमों और गैर-सरकारी निर्माताओं को प्रोत्साहित करती रही है कि वे औजार तैयार करके सस्ते मूल्य पर कृषकों को सप्लाई करें। इसके अतिरिक्त सघन कृषि जिला कार्यक्रम की कुछ वर्कशापें भी कृषकों को उचित दरों पर देने के लिये औजार बना रही हैं। हाल ही में सरकार ने औजार निर्माण करने वालों को लोहे तथा इस्पात की कुछ मात्रा कृषि उद्योग निगमों के माध्यम से वितरण करना आरम्भ किया है।

अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं का मूल्य

2741. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवीनतम अन्तर्राष्ट्रीय करार के अनुसार गेहूं का मूल्य कितना है और हमारे देश के बाजारों में हमारे गेहूं का तुलनात्मक मूल्य कितना है ;

(ख) विश्व में आवश्यकता से अधिक उत्पादन को देखते हुये क्या हमारे द्वारा चुकाये जाने वाले गेहूं के आयात मूल्यों में कोई कमी आई है ; और

(ग) चालू वर्ष में कुल कितना गेहूं आयात करने का कार्यक्रम है और किस औसत मूल्य पर ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) पहली जुलाई, 1968 को लागू हुई अन्तर्राष्ट्रीय अनाज प्रबन्ध, 1967 की गेहूं व्यापार कन्वैंशन के अन्तर्गत उच्चतम तथा न्यूनतम मूल्यों तथा 1968 और 1969 में भारत में चुने हुये महत्वपूर्ण केन्द्रों पर गेहूं के बाजार में उच्चतम तथा न्यूनतम थोक मूल्यों को बताने वाले दो विवरण संलग्न हैं (क्रमशः अनुबन्ध i तथा ii) । **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2233/69]** ।

(ख) जी हां।

(ग) पहली जुलाई से अक्तूबर, 1969 के अन्त तक 462 रुपये प्रति मीटरी टन के

औसत मूल्य पर कुल लगभग 278 लाख मीटरी टन गेहूं आयात किया गया था । शेष पंचांग वर्ष में लगभग 271 हजार मीटरी टन और गेहूं प्राप्त होने की सम्भावना है ।

आर्थिक और प्रशासनिक विषयों पर संसदीय रिपोर्टिंग के लिये सरकारी न्यूज एजेंसियां

2742. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्थिक तथा प्रशासनिक विषयों पर संसदीय रिपोर्टिंग में भाग लेने की आवश्यकता को देखते हुये, क्या सरकार का विचार इस कार्य के लिये खुद अपने समाचार अभिकरण स्थापित करने अथवा आकाशवाणी का प्रयोग करने का है ;

(ख) क्या सरकार प्रेस परिषद् से यह कहना भी महत्वपूर्ण समझती है कि वह संसदीय रिपोर्टिंग में विशेषतया आर्थिक विषयों पर, सुधार करने के प्रश्न पर विचार करे क्योंकि लोकतंत्र के समुचित रूप से कार्य करने के लिये यह अत्यावश्यक है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) समाचार प्रसारणों के लिये आकाशवाणी के संवाददाता संसदीय कार्यवाही की रिपोर्टिंग करते हैं । सरकार का खुद अपने अन्तर्गत कोई आन्तरिक समाचार एजेंसी स्थापित करने का फिलहाल कोई विचार नहीं है ।

(ख) तथा (ग). प्रेस परिषद् की स्थापना और कार्यों के साथ-साथ, समाचार-पत्रों के स्तर में सुधार करने के लिये की गई है जिसमें संसदीय रिपोर्टिंग भी शामिल है ।

दक्षिण कनारा जिले में यंत्रीकृत नौकाओं का वितरण

2743. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण कनारा जिले में सहकारी समितियों के जरिये यंत्रीकृत नौकाओं की सप्लाई का कार्यक्रम इस वर्ष पूरा हो जायेगा और यदि नहीं, तो कितनी नौकाओं का कार्यक्रम शेष रह जायेगा ;

(ख) चूंकि मांग पूरी नहीं हुई है, क्या कार्यक्रम में कम से कम 80 नई नौकाओं की वार्षिक वृद्धि की जायेगी ;

(ग) दक्षिण कनारा जिले के लिये दिये गये 'ट्रालर' पर कर्मचारियों के काम करने की स्थिति में न होने के क्या कारण थे क्या सरकार राज्य सरकार से दोषी अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने के लिये कहेगी ;

(घ) दूसरा ट्रालर कब दिया जायेगा और क्या इसके लिये कर्मचारियों की व्यवस्था की जा रही है ; क्या दो ट्रालर होते ही ऊपरी सतह पर मछली पकड़ने में प्रयोग के लिये उपकरण तैयार हैं ; और

(ङ) करवियों, इसाइयों, मुसलमानों और अन्य लोगों को, जो मोगावीर जाति के नहीं हैं परन्तु मछली पकड़ने का काम करते हैं, कितनी यंत्रीकृत नौकायें दी जाती हैं और इस समय इन अन्य जातियों के लोगों के कितने आवेदन-पत्र अनिर्णित पड़े हैं और इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). दक्षिण कनारा जिला सहकारी मछली विपणन संघ ने पहली अक्तूबर 1966 के प्रारम्भ होने वाले तीन वर्षों के दौरान 240 यंत्रीकृत नौकाओं को चालू करने का प्रस्ताव रखा था। जनवरी 1969 तक, संघ ने 140 यंत्रीकृत नौकायें निर्माण कर ली थीं। इस कार्यक्रम की वर्तमान स्थिति और भावी योजनाओं के बारे में मैसूर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। सम्बन्धित जानकारी सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) से (ङ). मैसूर राज्य सरकार द्वारा मांगा गया दूसरा 'ट्रालर' 30 अक्तूबर, 1969 को दिया जाना था। मैसूर राज्य सरकार को 'ट्रालर' दिये जाने की तिथि का पता लगाया जायेगा और जानकारी सभा-पटल पर रख दी जायेगी। 'ट्रालरों' के चालन और नौकाओं के नियतन के सम्बन्ध में प्रशासनिक और तकनीकी व्यवस्था करने का कार्य पूर्णतः राज्य सरकार के अधीन है।

समाचार भारती न्यूज एजेंसी में कुप्रबन्ध

2745. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री को समाचार भारती न्यूज एजेन्सी में कुप्रबन्ध के बारे में दिल्ली संघ की ओर से 6 अगस्त, 1969 का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो अभ्यावेदन में कौन-सी प्रमुख बातों का वर्णन है ;

(ग) क्या सरकार ने उस न्यूज एजेन्सी के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच की है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) (क) जी, हां।

(ख) अभ्यावेदन में जो मुख्य बातें उठाई गई थीं, वे ये थीं :

(1) कर्मचारियों को तंग करना ;

(2) केवल एक निदेशक की नियुक्ति ;

(3) एसोसियेशन की धाराओं में जिस समाचार भारती परिषद् की व्यवस्था है, उसका गठन अभी तक नहीं किया गया है।

(4) पहले के जनरल मैनेजर को अनुचित रूप से निकाला जाना ;

(5) 1967 तथा 1968 के वर्षों के शेयरहोल्डरों की साधारण सभा की बैठक नहीं हुई है ;

(6) कर्मचारियों का वेतन महीनों तक रोक लिया जाता है तथा मद्रास में हड़ताल हुई तथा अन्य स्थानों पर हड़ताल के नोटिस ;

(7) कर्मचारियों के प्रोविडेन्ट फन्ड को संग्रह करने तथा वेतन मान (वेज स्केल) की कोई व्यवस्था नहीं है ;

(8) एक ही प्रकार की सेवा के लिये चन्दे की दरों को निर्धारित करने में भेदभाव।

(ग) तथा (घ). समाचार भारती एक स्वतन्त्र समाचार एजेन्सी है तथा सरकार का इसके संचालन से कोई सम्बन्ध नहीं है।

आकाशवाणी, भुज से प्रसारित होने वाले सिंधी कार्यक्रम के समय में कमी

2746. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी, भुज से प्रसारित होने वाले सिन्धी भाषा के कार्यक्रम के समय में अभी हाल ही में कमी की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार को इस बारे में कोई विरोध प्राप्त हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल):

(क) जी, नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

(ग) तथा (घ). इस बारे में सम्बन्धित सदस्य ने मन्त्री को लिखा था और उसका उत्तर उन्हें भेज दिया गया था।

Telephone facilities at the Residence of Members

2747. **Shri Arjun Singh Bhadoria :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that his department has issued instructions to the Post Master General, Uttar Pradesh to the effect that the telephone facilities provided to Members of Parliament in their respective constituencies are not intended for their Party Offices but are provided to them at their residences ;

(b) if not, the reasons why the office Secretary of SSP, U. P. was told that telephone meant for M. Ps., could not be installed in the Party Offices ; and

(c) the action proposed to be taken in the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh): (a) No.

(b) There are no indications of any body having informed the Office Secretary of SSP, U. P. that the telephone meant for an MP could not be installed in the Party Office.

(c) The telephone desired to be installed in the Party Office by the Hon. Member has already been installed on 26-11-1969.

बेकार भूमि को कृषि योग्य बनाना तथा उसका भूमिहीन मजदूरों को आवंटन

2748. **श्री मणि भाई जे० पटेल:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को भूमि को कृषि योग्य बनाने तथा उसे भूमिहीन लोगों को आवंटित करने के कार्य को जारी रखने के निर्देश दिये हैं ;

(ख) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को इस सम्बन्ध में बेकार भूमि की खोज तथा उसे कृषि योग्य बनाने के कार्य में सहायता देने का वचन दिया है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार राज्य सरकारों द्वारा भूमि को कृषि योग्य बनाने तथा उसे आवंटित करने सम्बन्धी नियमों का अध्ययन करने का है ताकि किसी विशिष्ट समुदाय के प्रति पक्षपात की शिकायत न रहे यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) और (ख). तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में, बेकार भूमि के सुधार और भूमिहीन कृषि श्रमिकों के पुन: स्थापन की एक योजना विभिन्न राज्यों में प्रारम्भ की गयी थी। और इस योजना के लिये केन्द्रीय सरकार ने अनुदानों और ऋणों के रूप में राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता दी। तृतीय योजना के उपरान्त, योजना वार्षिक आधार पर "स्पिलओवर" कार्यक्रम के रूप में चलती रही। यह स्थिति 31-3-1969 तक जारी रही।

2. सितम्बर, 1968 में हुई राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक में किये गये निर्णयानुसार उपरोक्त योजना अप्रैल, 1969 से राज्य क्षेत्र को स्थानान्तरित कर दी गई। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, निम्न राज्यों ने 1969-70 के दौरान योजना को जारी रखने के लिये अपने राज्य के बजटों में प्रावधान कर लिया है :

(1) आन्ध्र प्रदेश (2) बिहार (3) मध्य प्रदेश (4) महाराष्ट्र (5) तमिलनाः (6) उत्तर प्रदेश।

3. आसानी से सुधारी जा सकने वाली भूमि का पता लगाने के लिये 1959 में एः सर्वेक्षण किया गया था। इस सर्वेक्षण द्वारा 100 हैक्टेयरों तथा इससे बड़े ब्लाकों में लगभग 4. लाख हैक्टेयर भूमि का पता लगाया गया। तृतीय पंच वर्षीय योजना की अवधि में 100 हैक्टेय

से कम के भू-खण्डों का पता लगाने के लिये केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में एक अन्य सर्वेक्षण किया गया था जिसके लिये केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को अनुदान के रूप में शत प्रतिशत सहायता दी किन्तु सहायता की अधिकतम राशि 50,000 रुपये प्रति जिले से अधिक न थी। इसके फलस्वरूप लगभग 22 लाख हैक्टेयर बेकार भूमि का भी पता लगाया है। इस योजना का यह अवशिष्ट भाग भी राज्य क्षेत्र को हस्तान्तरित कर दिया गया है। राज्य विकास योजनाओं के लिये उपलब्ध होने वाली केन्द्रीय सहायता उपरोक्त दो योजनाओं के लिये भी प्राप्त होगी।

(ग) भूमि राज्य सरकारों का विषय होने के कारण, प्रत्येक राज्य सरकार भूमि आवंटन के लिये अपने नियम बनाने में स्वतन्त्र है। राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार बनाये गये नियमों के गुणावगुणों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार करने का प्रश्न ही नहीं होता।

डेरी विकास परियोजनाओं के लिए वित्त की व्यवस्था करने की योजना

2749. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्टेट बैंक आफ इण्डिया ने राज्य सरकारों, सहकारी समितियों और निगमित निकायों द्वारा प्रायोजित डेरी विकास परियोजनाओं के लिये वित्त की व्यवस्था करने के लिये एक योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इसका लाभ उठाने के लिये किन-किन अभिकरणों ने पेशकश की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण अनुबन्ध 1 के रूप में नत्थी है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2234/69]**

(ग) इस वित्तीय योजना से लाभ उठाने के लिए मुख्यतया लोग व्यक्तिगत रूप से आगे आये। सितम्बर, 1969 के अन्त तक स्टेट बैंक ग्रुप ने 75 लाख रुपये की सीमा तक की राशि के 218 डेरी संबंधी ऋण स्वीकार किये।

विभाजन से पूर्व ली गई डाक-जीवन-बीमा पालिसियों का भुगतान

2750. **श्री धुलेश्वर मीना** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान से भारत को आए विस्थापित व्यक्तियों (जिनकी नियुक्ति भारतीय सरकारी सेवा में 1 अप्रैल, 1948 के बाद हुई थी) को, जिन्होंने विभाजन से पूर्व डाक-जीवन-बीमा पालिसियां ली थीं, और जिनकी मियाद 1949 और उसके बाद पूरी हो गई थी और जिनके पालिसी होल्डरों ने भारत के डाक-तार विभाग की पालिसियों की पूरी किस्त अदा कर दी थी, भुगतान करने के बारे में सरकार ने कोई निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मामलों की वर्षवार संख्या कितनी है और भुगतान में विलम्ब करने के क्या कारण हैं ;

(ग) विचाराधीन मामलों की संख्या कितनी है और भुगतान में विलम्ब करने के क्या कारण हैं ;

(घ) विचाराधीन मामलों का कब निबटारा होगा ;

(ङ) क्या सरकार पालिसी होल्डरों को विलम्ब से भुगतान करने के कारण उक्त राशि दर मियाद पूरी होने की तिथि से ब्याज देगी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) चल सम्पति करार के अन्तर्गत गठित की गई कार्यान्वयन समिति की नई दिल्ली में 16 और 17 अप्रैल, 1958 को हुई चौथी बैठक में पाकिस्तान के साथ एक ऐसा करार तय हुआ था, कि पाकिस्तान देनदारी डाक-जीवन-बीमा के जो पालिसी धारक 30-6-1955 तक भारत में आ गये थे, उनके दावों का निपटारा पाकिस्तान द्वारा जारी किए जाने वाले अदायगी के अधिकार पत्रों के आधार पर कर दिया जाए । इस करार के अन्तर्गत वे मामले भी आते हैं, जिनका जिक्र माननीय सदस्य ने किया है ।

(ख) और (ग). जिस किस्म की पाकिस्तान देनदारी पालिसियों का उल्लेख माननीय सदस्य ने किया है उनके बारे में पूरी सूचना एकत्रित करने के लिये डाक जीवन बीमा के पास तुरन्त और विश्वसनीय साधन उपलब्ध नहीं हैं । फिर हर श्रेणी की पाकिस्तान देनदारी पालिसियों के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है और एक विवरण यथा समय सभा-पटल पर रख दिया जाएगा ।

(घ) पाकिस्तान से अदायगी के अधिकार पत्र प्राप्त होते ही यथाशीघ्र भुगतान कर दिया जाएगा ।

(ङ) देरी से निपटारा होने के परिणामस्वरूप भारत सरकार द्वारा ब्याज दिये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि उन पालिसियों की देनदारी का दायित्व पाकिस्तान सरकार का ही है ।

High Power Transmitter for Border Areas

2751. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government are installing high-power transmitters in border areas to give news about the activities of the enemy ;

(b) if so, the places where such transmitters have already been installed ;

(c) the places at which such transmitters are proposed to be installed ; and

(d) the time by which these would be installed in Rajasthan ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Yes, Sir.

(b) Jullundur, Calcutta and Dibrugarh.

(c) Jodhpur, Gorakhpur, Simla, Kumaon region, Jammu, Imphal, Kohima, Srinagar and Rajkot.

(d) The high power transmitter at Jodhpur in Rajasthan is expected to be commissioned in 1970-71.

Silver brought to Delhi from Ajmer in R. M. S. Bogie

2752. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that about 30 to 35 seers of silver were brought to Delhi from Ajmer in a R. M. S. bogie on the 12th May, 1969 ;

(b) whether it is also a fact that this silver was brought by Shri Moll Chand Jehani, Supervisor ;

(c) whether it is also a fact that a porter was transferred to Chittoor in the context of this case ; and

(d) if so, the action taken in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh): (a) Yes. A hold-all containing silver slabs was carried in the RMS van from Ajmer to Delhi on 12th May, 1969 ; but the weight of the silver is not known.

(b) Yes. Shri Mool Chand Jethani got the hold-all kept in the RMS van.

(c) No porter was transferred in this connection.

(d) The case was reported to SPE and it is still being enquired into by them.

Sale of Foodgrains through Government Shops

2753. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that despite the bumber crop, Government have imposed control over wheat, millet, maize, jowar, sugar and rice ;

(b) if so, the total quantity of foodgrains sold through Government shops during 1968 and first six months of 1969, separately ;

(c) in case there has been a fall in the sale of these grains whether Government propose to remove the control ; and

(d) if so, the time by which it is proposed to remove the control ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) Government have not imposed any fresh controls on wheat, millet, maize, jowar, sugar and rice. On the other hand, with the improvement of the food situation during the last two years, controls of these commodities have been relaxed considerably. The movement of wheat is now free throughout Northern India from Jammu and Kashmir to West Bengal. Movement restrictions on coarse grains like millet, maize and jowar have been withdrawn from most of the major producing areas.

Restrictions on rice continue in order to ensure maximum internal procurement. As regards sugar, the system of partial decontrol still continues.

(b) to (d). The total quantity of foodgrains sold through the public distribution system during the calendar year 1968 was 10.5 million tonnes. During January-June, 1969, the quantity of foodgrains sold through the public distribution system was 4.5 million tonnes. Since 1967 there has been a decline in the off take from the public distribution system. On account of relatively good production and the increased over all market availability the pressure on the public distribution system has naturally relaxed. However, the system of public distribution and the necessary controls to maintain that system will have to continue in order to safeguard the vulnerable sections of our population.

Unsatisfactory Telephone Service in Khandwa in Madhya Pradesh

2754. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Telephone system in Khandwa in Madhya Pradesh has become very unsatisfactory and generally 25 per cent of the telephones remain out of order ;

(b) whether it is also a fact that the behaviour of the employees in Telephone Exchange is not good with the telephone subscribers and they do not listen to their complaints ; and

(c) whether Government propose to take any effective steps to improve the telephone system there and if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) No.

(b) No.

(c) Normal maintenance works are always being carried out to keep the service.

Financial Assistance to Madhya Pradesh State Co-operative Marketing Association

2755. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Madhya Pradesh State Co-operative Marketing Association has asked for financial assistance from the National Cooperative Development Corporation ;

(b) if so, whether Government have considered their request ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) The Government of Madhya Pradesh had approached the National Cooperative Development Corporation for financial assistance for schemes implemented by and through the Madhya Pradesh State Cooperative Marketing Federation.

(b) and (c). The National Cooperative Development Corporation had considered the request and sanctioned financial assistance.

Drought and Famine in Madhya Pradesh

2756. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Chhatisgarh region of Madhya Pradesh is still affected by droughts and famines ;

(b) if so, whether it is due to the fact that the Central Government have not provided as much facilities of irrigation, electricity, tubewells and pumping sets to Madhya Pradesh as given to other states ;

(c) if so, whether Government propose to given more grants to Madhya Pradesh so that tubewells and pumping sets may be made available to the people in Madhya Pradesh at the same level as in other states ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Government of Madhya Pradesh had reported failure of monsoon in 1968 to some extent and existence of scarcity conditions in parts of the State including Chhatisgarh region. No such report has been received for the monsoon in 1969.

(b) and (c). According to the pattern in vogue the Central assistance to States, to which they are entitled for plan schemes including tubewells, pump sets, electrification of pump sets is to be given as block loan and grant every year. Each State would receive 30% of the total assistance every year as grant and balance 70% as loan. The discretion to allocate the Central Assistance to various plan schemes and various regions rests solely with the State Government. In view of this pattern of assistance the question of giving more Central grants to certain regions and schemes does not arise.

(d) Does not arise.

Aid by Ford Foundation to Madhya Pradesh for Intensive Agriculture

2757. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the extent of aid given by Ford Foundation to Madhya Pradesh for intensive agriculture programme during the Third Five Year Plan ;

(b) the names of Districts selected for this purpose and the results achieved out of this programme ; and

(c) whether such type of aid would be given to Madhya Pradesh during the Fourth Five Year Plan also ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) and (b). No aid is given by the Ford Foundation to any State Government for the Intensive Agriculture Programme. The Government of India had an agreement with the Ford Foundation under which the Foundation provided for seven districts, three kinds of assistance, namely assistance for special equipment including soil testing laboratories, assistance for import of fertilisers and assistance in the form of technical experts. This assistance was used for the Intensive Agriculture District Programme

in seven districts, namely, West Godavari, (Andhra Pradesh), Thanjavur (Tamil Nadu), Raipur (Madhya Pradesh) Ludhiana (Punjab), Shahabad (Bihar), Pali (Rajasthan) and Aligarh (Uttar Pradesh).

As a result of this programme, in Raipur district of Madhya Pradesh, consumption in fertiliser has increased seven times, the average yield of paddy also registered a marked increase and there was an overall improvement in the supply of various inputs to the farmers during the Third Plan period.

(c) The agreement with the Ford Foundation was renewed in 1967 and it has been decided to reduce the number of districts to five including Raipur. These are to be treated as Innovative districts for intensive activities and to become a kind of laboratory. It is left to the State Governments to apply their experience and results of the IADP districts to the remaining districts according to within the resources provided in the Plan.

Losses in Super Markets and Cooperative Stores

2758. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the total number of wholesale Cooperative Stores and Super Markets functioning in the country at present ;

(b) the number of the said stores and Super Markets that earned profit and also the number of those which incurred losses during the financial years 1966-67, 1967-68 and 1968-69 ; and

(c) the main reasons for the losses in the Super Markets and the remedial measures proposed to be adopted by Government to ensure that no loss occurs in future ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Outstanding Telephone dues from various Ministries

2759. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether Government have any scheme under consideration to cut the connection of official telephones in respect of which bills are outstanding ; and

(b) the number of connections disconnected in the various Ministries due to non-payment of bills during the financial year 1968-69 ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) A system of disconnection of telephones for default in payment is already in vogue and with the exception of a few hight Government officials, no body is exempted from its operation.

(b) The information is not available as the same is not maintained according to the Ministries of the Government.

Release of Sugar by Chhitauni Sugar Mill, Deoria

2760. **Shri Ram Sewak Yadav :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that orders to release 700 bags of sugar were issued to the Chhitauni Sugar Mill, Deoria during August and September, 1969 ;

(b) if so, whether the said release order was issued on account of some specific reasons ; if so, the details thereof ;

(c) whether it is also a fact that the said release order was repealed later on ; and

(d) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) No, Sir.

(b) to (d). Do not arise.

Fluctuation in the Prices of Potatoes

2761. **Shri Ram Sewak Yadav :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the rate of potatoes during the year 1967-68 and 1968-69 especially at the time of the crops ;

(b) whether there has been great fluctuations in the prices of potatoes during these two years ;

(c) if so, whether it is a fact that there has been a great loss to the farmer in potato crops in the year 1968-69 ; and

(d) if so, the steps proposed to be taken by Government to check the great fluctuation in prices ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) The harvest prices of potatoes in the markets of Meerut, Delhi and Calcutta for the years 1967-68 and 1968-69 are given below :-

(Rupees per quintal)

	Meerut		Delhi		Calcutta	
	1967-68	1968-69	1967-68	1968-69	1967-68	1968-69
November	85.00	50.80	82.00	47.50	105.19	83.50
December	63.00	35.95	46.25	32.50	82.50	52.50
January	31.87	32.50	36.25	31.87	58.75	36.80
February	45.00	32.09	40.62	32.50	58.75	34.33
March	45.00	33.06	42.50	33.75	66.75	35.00

(b) Yes, Sir.

(c) Information is not available to indicate whether or not the farmers suffered a net loss in 1968-69 as compared to the cost of production per quintal of potatoes in that year.

(d) An Internal Action Group has been set up to go into all aspects of marketing of potatoes including stabilizing of prices.

दिल्ली राज्य उपभोक्ता सहकारी भण्डार की जांच

2763. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली राज्य उपभोक्ता सहकारी भण्डार के कार्यों की जांच पूरी कर ली है और उसका परिसमापन कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) दिल्ली प्रशासन ने जांच पूरी कर ली है और आवश्यक कार्यवाही भी कर ली है।

(ख) जांच रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष ये थे :

(1) दोषपूर्ण खरीदारी तथा अन्य लेन-देन के कारण भण्डार को 2.30 लाख रु० की हानि हुई थी।

(2) प्रबन्ध समिति के 11 निर्वाचित सदस्यों में से 10 उन सदस्य समितियों के प्रतिनिधि थे जिन्होंने भण्डार के बकाया भुगतान नहीं किया था और इस प्रकार भण्डार की उप-विधियों के अनुसार प्रबन्ध समिति के सदस्यों के रूप में बने रहने के पात्र नहीं थे।

(3) सदस्य-समितियों को माल उधार पर देने का कार्य ठीक प्रकार से नियमित नहीं किया गया था जिससे भारी अतिदेय हो गये।

(4) स्थापना तथा आकस्मिक व्ययों पर अनावश्यक तथा अनुचित खर्च किया गया था ;

(5) प्रबन्ध समिति के कुल सदस्यों द्वारा भण्डार की निधियों का दुरुपयोग किया गया था ;

(6) भण्डार के लेखाओं को पूरा करने का कार्य काफी मात्रा में बकाया पड़ा हुआ था और भण्डार का कार्य कुशल तथा मितव्ययी ढंग से नहीं चल रहा था जिससे भारी हानि हुई।

4 अक्तूबर, 1969 से भण्डार की प्रबन्ध समिति को हटा दिया गया है और नई प्रबन्ध समिति मनोनीत कर दी गई है। इसके अतिरिक्त भण्डार को उसके महा प्रबन्धक के रूप में कार्य करने के लिये सहकारी समितियों के एक सहायक पंजीयक की सेवाएं उपलब्ध की गई हैं।

रोम में हुए खाद्य तथा कृषि संगठन सम्मेलन में लिये गये निर्णय

2764. **श्री क० अनिरुद्धन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रोम में हाल में हुए खाद्य तथा कृषि संगठन सम्मेलन में, भारत के सम्बन्ध में क्या प्रमुख निर्णय किये गये ; और

(ख) सम्मेलन की प्रमुख सिफारिशें क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) खाद्य और कृषि संगठन का 15 वां सम्मेलन केवल 27 नवम्बर, 1969 को समाप्त हुआ था। सम्मेलन द्वारा किये गये कुछ मुख्य निर्णय निम्न प्रकार हैं :—

(i) सम्मेलन ने 1970-71 के दो वर्षों के लिये 70,568,000 डालर का बजट स्वीकार किया।

(ii) इनके क्षेत्र कार्यक्रमों पर प्रभावी नियंत्रण रखने के उद्देश्य से संगठन की पुनर्गठन योजना की अनुवर्ती कार्यवाही के रूप में महानिदेशक द्वारा अपनाये गये अथवा अपनाये जाने वाले उपायों का अनुमोदन किया था।

(iii) इसने विशेष रूप से ध्यान दिये जाने वाले छः क्षेत्रों के लिये नई नीति के सम्बन्ध में महा-निदेशक के प्रस्तावों पर विचार किया।

(iv) इसने आगामी दो वर्षों के लिये विश्व खाद्य कार्यक्रम का लक्ष्य 3000 डालर निश्चित किया।

(v) इसने भूख से छुटकारा अभियान की कार्यवधि 10 वर्ष के लिये बढ़ा दी।

(vi) इसने चैकोस्लाविया और दक्षिण यमन दो नये सदस्यों को संगठन में सम्मिलित किया जिससे कि सदस्यों की कुल संख्या 119 हो गई; और

(vii) भारत को पुनः खाद्य और कृषि संगठन की परिषद् तथा पण्य समस्या विधेयक समिति का सदस्य निर्वाचित किया गया। भारत को खाद्य और कृषि संगठन की कार्यक्रम-समिति का सदस्य भी निर्वाचित किया गया।

आकाशवाणी से बाजार भावों का प्रसारण

2765. **श्री क० अनिरुद्धन** : क्या **सूचना तथा प्रसारण और संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी पर बाजार भावों के प्रसारण को पुनः आरम्भ करने के बारे में अध्ययन किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो यह प्रसारण कब पुनः आरम्भ हो जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) तथा (ख). इस मामले पर विस्तारपूर्वक विचार किया गया था। यह पाया गया था कि बाजार भाव सम्बन्धी बुलेटिनों का कोई विशेष लाभ नहीं था तथा वे श्रोताओं में लोकप्रिय नहीं थे। अतः आकाशवाणी से बाजार भाव सम्बन्धी बुलेटिनों को फिर से चालू करने का प्रस्ताव नहीं है।

Procurement Prices of Kharif Crops

2766. **Shri Ram Sewak Yadav** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Agriculture Commission has recommended to bring down the procurement prices of Kharif crops ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) whether prices of essential commodities of daily necessity were also borne in mind at the time of making the aforesaid recommendation ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) The Agricultural Prices Commission recommended a marginal abatement of procurement prices.

(b) and (c). The Commission kept in view crop prospects, the improved availability of foodgrains, trends in market prices and their effects on the cost of living, cost of production, incentive to farmers, and the need for rationalisation of prices as between the States.

देहाती क्षेत्रों में कार्य कर रहे डाकघरों में बचत बैंक लेखे खोलने की योजना

2767. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री देवराव पाटिल :

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देहाती क्षेत्रों में कार्य कर रहे सभी डाकघरों में बचत बैंक लेखे खोलने की योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो देहाती क्षेत्रों में कार्य कर रहे सभी डाकघरों में ऐसा कब तक कर दिया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) सरकार की यह नीति है कि देहाती इलाकों के दूर दराज क्षेत्रों में भी डाकघर बचत बैंक सुविधा का विस्तार किया जाय और देहाती क्षेत्रों में जितने डाकघरों में भी सम्भव हो सके, बचत बैंक की सुविधा प्रदान की जाये ।

(ख) इसके लिये कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है, किन्तु यदि इसकी समुचित मांग हो और नकदी को हिफाजत में रखने और भेजने के लिये सुरक्षा की व्यवस्था हो तो देहाती क्षेत्रों के डाकघरों में यह सुविधा प्रदान कर दी जाती है ।

बर्मा तथा लंका से आये व्यक्तियों का अन्दमान द्वीप समूह में बसाया जाना

2768. **श्रीमती इलापाल चौधरी : क्या श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बर्मा, लंका और अन्य देशों से आये व्यक्तियों को अन्दमान द्वीप समूह में बसाने के लिये निम्न संस्थाओं को स्थापित करने सम्बन्धी कथित प्रस्तावों के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ;

(एक) अन्दमान विकास निगम (दो) विदेशों से लौटे व्यक्तियों सम्बन्धी सहकारी तथा वित्त बैंक तथा प्रत्येक के कार्य के बारे में अलग-अलग ब्योरा क्या है ;

(ख) क्या विदेशों से लौटे व्यक्तियों को रोजगार देने के लिये उद्योगपतियों को तथा आवास और व्यापार के लिये ऋण देने के निबन्धन और शर्तों को युक्तिसंगत बनाने के लिये रियायतें देने का प्रस्ताव है ;

(ग) यदि हां, तो उद्योगपतियों को दी जाने वाली रियायतों का ब्योरा क्या है ;

(घ) क्या विदेशों से लौटे व्यक्तियों के पुनर्वास उद्योग निगम के पुनर्गठित करने का विचार है ; और

(ङ) इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है तथा सहायता का ब्योरा क्या है और वह किस तारीख से दी जायेगी ?

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) (i) अन्दमान विकास निगम स्थापित करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

(ii) स्वदेश लौटे व्यक्तियों सम्बन्धी सहकारी वित्त तथा विकास बैंक 9 सितम्बर, 1969, को मद्रास बहु-एकक सहकारी समिति अधिनियम, 1942, के अधीन पंजीकृत किया गया था । बैंक सम्बन्धी उपविधि तैयार कर ली गई है। निदेशकों का बोर्ड गठित किया जा चुका है और अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है । प्रबन्ध निदेशक चुन लिया गया है और वह शीघ्र ही कार्य सम्भाल लेगा । निदेशकों के बोर्ड की प्रथम बैठक 19 नवम्बर, 1969, को मद्रास में हुई थी ।

बैंक का मुख्य उद्देश्य बर्मा तथा श्रीलंका से स्वदेश लौटे भारतीयों के पुनर्वास की उन्नति में सहायता करना है । बैंक द्वारा, स्वदेश लौटे व्यक्तियों, उनकी सहकारी संस्थाओं तथा स्वदेश लौटे लोगों को रोजगार देने वाली कम्पनियों को ऋण दिये जायेंगे ।

(ख) और (ग). भारत में नये स्थापित किये गये उन औद्योगिक संस्थानों को, जोकि मुख्य रूप से पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों तथा बर्मा, श्रीलंका मोजाम्बिक इत्यादि से स्वदेश लौटे भारतीयों को रोजगार प्रदान करते हैं, कर में विशेष छूट देने के लिये आयकर अधिनियम, 1961, की वित्त (संख्या-2) अधिनियम, 1967, द्वारा संशोधित धारा 80-एच में व्यवस्था कर दी गई है। कर छूट इस प्रकार है कि ऐसे निर्धारित को, जोकि नये औद्योगिक संस्थानों में विस्थापित व्यक्तियों तथा स्वदेश लौटे व्यक्तियों को रोजगार पर लगाता है, उन संस्थाओं में प्राप्त होने वाले लाभ तथा लब्धि के 50 प्रतिशत, अधिकतम एक लाख रुपये, का अपनी कुल आय में से कटौती का हक होगा । उत्पादन शुरू होने के लेखा वर्ष से शुरू होकर यह कटौती 10 वर्ष तक मिलेगी । यह विशेषकर छूट, सभी नये औद्योगिक संस्थानों को स्वीकार्य अन्य सामान्य रियायतें जैसे कि कर-छुट्टी तथा विकास छूट के अतिरिक्त होगी ।

(घ) और (ङ). पुनर्वास उद्योग निगम के कार्य की परीक्षा, सरकार द्वारा 1968 में स्थापित किये गये पुनर्वास बोर्ड द्वारा की गई है । बोर्ड की रिपोर्ट अभी हाल ही में प्राप्त हुई है । निगम के पुर्नगठन के बारे में निर्णय उक्त रिपोर्ट की परीक्षा के बाद ही लिया जायगा । तथापि, यह बता दें कि स्वदेश लौटे भारतीय अब भी पुनर्वास उद्योग निगम लिमिटेड द्वारा स्थापित किये गये उद्योगों में रोजगार पाने के पात्र हैं ।

महाराष्ट्र में बढ़िया किस्म की ज्वार की खेती वाली भूमि

2769. **श्री देवराव पाटिल :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968-69 तथा 1969-70 में महाराष्ट्र में कितनी भूमि पर बढ़िया किस्म की व्यापारिक ज्वार की वास्तविक में खेती की गई थी ;

(ख) इन वर्षों में इस फसल की खेती का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था ; और

(ग) वर्ष 1969-70 में महाराष्ट्र राज्य में कम भूमि पर बढ़िया किस्म के व्यापारिक किस्म की ज्वार की खेती किये जाने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित 25.50 लाख एकड़ के लक्ष्य की तुलना में महाराष्ट्र में 1968-69 के दौरान लगभग 13.16 लाख एकड़ क्षेत्र को संकर ज्वार के अन्तर्गत लाया गया था ।

1969-70 के लिये राज्य सरकार ने 27 लाख एकड़ क्षेत्र को संकर ज्वार के अन्तर्गत लाने की योजना बनाई थी । इसमें खरीफ की 25 लाख एकड़ तथा रबी ग्रीष्म की 2 लाख एकड़ भूमि शामिल थी । खरीफ, 1969 के दौरान अनुमानित अवरित क्षेत्र 7.48 लाख एकड़ बताया जाता है । रबी-ग्रीष्म की बोआई की जानी है ।

(ग) कम भूमि में खेती होने का मुख्य कारण क्षेत्र में पछेती तथा अनियत मानसून होना था ।

वसूल किये गये खाद्यान्नों के लिये विलम्ब से अदायगी करने की योजना

2770. **श्री देवराव पाटिल :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने कृषि-मूल्य आयोग की इस सिफारिश पर विचार कर लिया है कि चालू वसूली मौसम से विभिन्न खाद्यान्नों को वसूली मूल्यों के कुछ भाग की विलम्ब से अदायगी की योजना चलाई जाये, तथा उससे उपलब्ध धान को छोटे किसानों तथा कृषि-मजदूरों को ऋण तथा अन्य प्रकार की विकास सहायता देने के उपयोग में लाया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना को कार्यान्वित करने के लिये सरकार द्वारा क्य कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहि शिन्दे) : (क) और (ख). 27-9-69 का मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में इस सिफारिश प विचार-विमर्श किया गया था और यह स्वीकार्य नहीं थी ।

Acreage of Agricultural Land Dependent upon Monsoon

2771. **Shri Deorao Patil :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the acreage of agricultural land dependent on monsoons for cultivation ;

(b) the acreage of agricultural land for which irrigation facilities have been provided ;

(c) whether it is a fact that cultivation in dry farming areas has been neglected during the last so many years ; and

(d) if so, the measures being adopted to increase the acreage of cultivation in dry farming areas ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) and (b). The latest available information is for the year 1966-67 according to which the area under rainfed farming was 109.516 million hect. and the net irrigated area was 27.514 million hect.

(c) Dry farming areas have not been neglected and various Soil Conservation and Land improvement Schemes have been taken up on such lands.

(d) Apart from developing groundwater potential in these areas, intensive soil conservation measures are being undertaken in all low rainfall areas to conserve moisture. These include construction of contour bunds which catch rain water and allow it to infiltrate into the sub-soil to ensure better crop growth. An area of 8.78 million hectares has been treated with contour bunding by the end of 1968-69. Other supporting measures include land grading and levelling, adoption of dry farming techniques, deep ploughing and growing of legumes. Short-duration varieties are also being propagated to synchronise with the availability of maximum soil moisture. Steps have also been taken to carry out research in drought resistant varieties.

Nationalisation of Sugar Mills in U. P. and Bihar

2772. **Shri Deorao Patil :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of sugar mills in Uttar Pradesh and Bihar ; and

(b) the opinion expressed by the State Governments in regard to the nationalisation of sugar mills and the decision taken by the Central Government in this connection ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) The number of sugar factories is 71 in U. P. and 29 in Bihar.

(b) The Chief Minister of Uttar Pradesh has suggested to the Prime Minister that an all-India policy on the issue of nationalisation of sugar industry should be evolved through discussions and he would welcome such a policy. No communication on the subject has been received from the Government of Bihar. The various aspects of the question of nationalisation of sugar industry are undr examination.

कोयला क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था की स्थिति में गिरावट

2773. **श्री रवि राय :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने कोयला क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब होने के कारणों का पता लगाने का प्रयास किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

श्रम, सेवा नियोजन और पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद): (क) और (ख). कानून और व्यवस्था का मामला राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है। केन्द्रीय जांच का प्रश्न नहीं उठता।

केरल को चावल का सम्भरण

2775. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल को सम्भरण करने के लिये सरकार के पास चावल का पर्याप्त भण्डार है;

(ख) यदि हां, तो क्या केरल के लोगों के लिये सरकार राशन में चावल की मात्रा बढ़ाने के पक्ष में है; और

(ग) क्या केरल सरकार से इस सम्बन्ध में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) सरकार के पास केरल की वितरण सम्बन्धी जरूरतों को पूरा करने के लिये चावल का पर्याप्त स्टाक है।

(ख) जी नहीं। केरल के डिपो में, भविष्य की अनुमानित सप्लाई सहित, उपलब्ध चावल का स्टाक केरल में वर्ष के अधिकांश भाग के लिये प्रतिदिन प्रति वयस्क केवल 120 ग्राम की दर से और कम आमद के महीनों में 160 ग्राम प्रति वयस्क प्रतिदिन की दर से बिना किसी विघ्न के वितरण करते रहने के लिये केवल पर्याप्त होने की आशा है।

Export of Sugar

2776. **Shri Yashpal Singh** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government are consider a proposal for promoting export of sugar because of increase in its production ;

(b) if so, the time by which a decision is expected to be taken in this regard ;

(c) whether the export of sugar will be entrusted to be taken in this regard ; and

(c) whether the export of sugar will be entrusted to the State Trading Corporation or it will be done by the capitalists as in the past ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) and (b). India has joined the International Sugar Agreement and is entitled to export during 1970 about 3.20 lakh tonnes. The question of exports during 1970 is at present under consideration and will be decided shortly.

(c) This year exports of sugar have been handled by a joint body of the co-operative and the joint stock sectors of the sugar industry. The sugar export policy for 1970 is under consideration.

त्रिपुरा को अनाज का सम्भरण

2777. **श्री अ० कु० गोपालन :** **श्री ई० के० नायनार :**
श्री पी० पी० एस्थोस : **श्री मुहम्मद इस्माइल :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966-6 7, 1967-68 और 1968-69 में त्रिपुरा को कुल कितना चावल और गेहूं दिया गया;

(ख) इन वर्षों में त्रिपुरा में अनाज की कितनी कमी रही;

(ग) क्या उसे दिया गया अनाज पर्याप्त था;

(घ) क्या सरकार को पता है कि त्रिपुरा में अभाव की स्थिति होने के कारण 1969 में भूख से कई दर्जन मौतें हुयीं; और

(ङ) क्या सरकार का विचार त्रिपुरा को दिये जाने वाले अनाज पर राज सहायता पुनः मन्जूर करने का है ताकि वहां पर अनाज का मूल्य इतना कम किया जा सके कि उसे भूख से पीड़ित लोग खरीद सकें ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) खाद्यान्न की केन्द्रीय सप्लाई पंचांग वर्ष के आधार पर निश्चित की जाती है। 1966 से 1969 तक प्रत्येक वर्ष में केन्द्रीय पूल से त्रिपुरा को चावल तथा गेहूं की निम्नलिखित कुल मात्रा सप्लाई की गई थी ।

वर्ष	**सप्लाई हजार मीटरी टन में**
1966	26.9
1967	34.8
1968	55.6
1969 (31-10-69 तक)	28.5

(ख) वैज्ञानिक खपत सर्वेक्षण के अभाव में किसी विशेष अवधि में किसी क्षेत्र में खाद्यान्न की कमी का वास्तविक अनुमान लगाना कठिन है । तथापि, इन वर्षों में त्रिपुरा प्रशासन से प्राप्त मांगें इस प्रकार थीं :-

वर्ष	**हजार मीटरी टन में**
1966	39.0
1967	51.0
1968	69.1
1969	56.3

(ग) केन्द्र द्वारा सप्लाई तथा स्थानीय अधिप्राप्ति से खाद्यान्नों के सरकारी वितरण को बनाये रखना सम्भव था ।

(घ) भारत सरकार के ध्यान में ऐसा कोई मामला नहीं लाया गया है ।

(ङ) केन्द्रीय स्टाक से दिये जाने वाले खाद्यान्नों का निर्गम मूल्य सभी क्षेत्रों के लिये एक जैसा है । जब कभी किसी अनाज पर राजसहायता दी जाती है, तब राजसहायता को निर्गम मूल्य में सम्मिलित कर दिया जाता है । सरकार किसी विशेष क्षेत्र के लिये कोई राजसहायता नहीं देती है तथा तदनुसार त्रिपुरा में खाद्यान्न के वितरण के लिये कोई विशेष राजसहायता देने का विचार नहीं है ।

त्रिपुरा में डाकघर

2778. **श्री के० एम० अब्राहम :** **श्री मुहम्मद इस्माइल :**

श्री भगवान दास : **श्री गणेश घोष :**

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में वर्गवार कुल कितने डाकघर हैं तथा उनमें कितने कर्मचारी हैं;

(ख) क्या वहां डाकघर पर्याप्त संख्या में हैं;

(ग) यदि नहीं, तो क्या वहां नये डाकघर खोले जायेंगे; और

(घ) यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर नये डाकघर खोलने का प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह):

(क) **डाकघर**

प्रधान डाकघर—1

उप-डाकघर—53

शाखा डाकघर—226

काम पर लगे कर्मचारी

विभागीय—549

अतिरिक्त विभागीय—590

(ख) और अधिक डाकघर खोलने की गुंजाइश है ।

(ग) जी हां ।

(घ) चालू वर्ष के दौरान 12 डाकघर खोलने का प्रस्ताव था । निम्नलिखित चार स्थानों पर डाकघर पहले ही खोले जा चुके हैं :-

1. सिद्दी नगर ।
2. पुराथल राजनगर ।
3. गोबार्दी ।
4. कीरथनथाली ।

निम्नलिखित 8 स्थानों पर डाकघर खोलने के आदेश जारी किये जा चुके हैं और ये शीघ्र ही खोल दिये जायेंगे :-

1. पूरन राजबाड़ी ।
2. गुमती परियोजना ।
3. बारूआकांडी ।
4. सुभाष पार्क ।
5. बारद्वाली ।
6. कालीटिल्ला ।
7. माताबाड़ी ।
8. नेताजी नगर ।

गांवों में चलचित्र सुविधाओं की व्यवस्था

2779. **श्री क० प्र० सिंह देव** :क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से कहा है कि गांवों में चलचित्र सुविधाओं का विस्तार प्राथमिक आधार पर किया जाये;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारों से क्या उत्तर प्राप्त हुये हैं;

(ग) प्रस्तावित योजना के लिये सरकार का किस हद तक सहायता देने का विचार है; और

(घ) इस योजना से किस लक्ष्य की प्राप्ति होगी ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) जी, हां ।

(ख) कई राज्य सरकारों से अभी तक उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं । अन्य राज्यों ने सूचित किया है कि वे अभी सुझाव पर विचार कर रहे हैं ।

(ग) इस काम के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तीय सहायता देने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(घ) यदि अगले कुछ वर्षों में ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में अधिक संख्या में सिनेमाघर स्थापित किये जा सकें, तो इससे कई ऐसे उद्देश्यों की पूर्ति हो जायेगी जिनको सरकार महत्वपूर्ण समझती है । सर्वप्रथम, इससे तुलनात्मक रूप से अच्छे स्तर की उन कम कीमत वाली फिल्मों, जिनकी उद्योग के वर्तमान ढांचे में रिलीज होना मुश्किल होता है, की निकासी के द्वारा फिल्म उद्योग पर धनी वितरकी तथा धनी निर्माताओं के शिकंजे से मुक्ति मिलेगी । इससे निस्सन्देह ग्रामीण तथा अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बड़ी संख्या में लाभकारी नौकरी मिलेगी । इन सिनेमाघरों के द्वारा स्वभावत: देहात के लोगों को अच्छी मनोरंजन सामग्री मिलेगी । एक और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इससे फिल्म उद्योग का सामान्य विकास होगा ।

कृषि-ऋण समितियों को हुई हानि

2780. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में कृषि-ऋण-समितियों को पर्याप्त सरकारी सहायता मिलने के बावजूद भारी हानि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में ऐसी स्थिति है और कितनी समितियों को हानि हो रही है;

(ग) सरकार द्वारा दी गई सहायता की तुलना में उन्हें गत दो वर्षों से कितनी हानि हुई है;

(घ) इन समितियों की हानि होने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) जी नहीं। 30-6-1968 को देश भर में 1,71,804 प्राथमिक कृषि-ऋण-समितियां थीं, जिनमें से केवल 39112 समितियां (लगभग 23 प्रतिशत) घाटे में चल रही थीं, जब कि 1,20,828 समितियों ने लाभ कमाया और शेष ने न तो लाभ कमाया और न ही हानि उठाई। सरकारी सहायता केवल चुनी हुई समितियों को कुछ विशिष्ट प्रयोजनों के लिये ऋणों तथा अनुदानों के रूप में दी जाती है।

(ख) और (ग). वर्ष 1966-67 और 1967-68 के आंकड़े, जो कि रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित सांख्यिकी विवरणों में दिये गये हैं, अनुबन्ध 1 व 2 में दिये जाते हैं। ऋणों और अनुदानों के रूप में सरकारी सहायता से सम्बन्धित आंकड़े सभी ऋण-समितियों के बारे में हैं, क्योंकि जिन समितियों को घाटा हुआ है उनको दी गई सहायता के आंकड़े अलग से सूचित नहीं किये गये हैं।

(घ) हानि के कारण हर समिति और हर राज्य के बारे में भिन्न-भिन्न हैं। तथापि सामान्यतः हानि के लिये ये कारण दिये जा सकते हैं। पर्याप्त व्यापार की कमी, कम काश्तकार परिवारों का इनके अन्तर्गत लाया जाना और परिचालन कमियां।

(ङ) कृषि-ऋण-समितियों को आर्थिक तौर पर चल सकने वाली यूनिटें बनाने के लिये उन्हें पुनर्जीवित / पुनर्गठित करने का एक कार्यक्रम राज्य सरकारों द्वारा प्रभावपूर्ण ढंग से लागू किया जा रहा है। समितियों की प्रबन्धकीय कार्यकुशलता में सुधार करने के लिये भी कदम उठाये जा रहे हैं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2235/69]

अंतर्संसदीय संघ सम्मेलन पर स्मारक टिकट निर्धारित समय से पूर्व जारी करना

2781. **श्री क० प्र० सिंह देव :**

श्री अदिचन :

श्री यशपाल सिंह :

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्संसदीय संघ के सम्मेलन पर स्मारक टिकट निर्धारित तिथि से पूर्व ही जारी कर दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने यह टिकट निर्धारित तिथि से पहले जारी हो जाने के बारे में कोई जांच कराई है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) से (ग). इस तरह का समाचार "स्टेट्समैन" और "इण्डियन एक्सप्रेस" के 30 अक्तूबर, 1969 के दिल्ली संस्करणों में छपा था । जिस डाक टिकट संकलनकर्ता ने यह दावा किया है कि उसके पास निर्धारित समय से पहले जारी किये गये डाक टिकट मौजूद हैं, वह उन्हें जांच-पड़ताल के लिये नहीं देना चाहता । फिर भी इस मामले की आगे छानबीन की जा रही है ।

राज्यों में भैंस-पालन केन्द्रों की स्थापना

2782. **श्री न० कु० सांधी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने तमिलनाडु राज्य में भैंस-पालन केन्द्र खोलने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त केन्द्र की क्षमता क्या होगी और उस पर कितनी लागत आयेगी;

(ग) क्या इस केन्द्र के लिये किसी विदेशी सहायता का उपयोग किया जायेगा;

(घ) यदि हां, तो किस प्रकार की सहायता का उपयोग किये जाने की सम्भावना है; और

(ङ) ऐसे कितने केन्द्र खोले जाने की सम्भावना है और किस राज्य में ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) तमिलनाडु में अलमाधी नामक स्थान पर केन्द्रीय प्रायोजित मुर्रा-भैंस-प्रजनन-फार्म स्थापित करने का एक प्रस्ताव संघ सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) फार्म की स्थापना पर आने वाली लागत तथा इसमें रखे जाने वाले पशुओं के बारे में अभी अन्तिम रूप से निर्णय नहीं हुआ है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता।

(ङ) चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में कोई अन्य मुर्रा-भैंस-प्रजनन-फार्म स्थापित करने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

दर्शनीयता प्रमाण पत्र न प्राप्त कर सकने वाले भारतीय तथा विदेशी चल चित्र

2783. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नवम्बर, 1969 तक गत तीन वर्ष में केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड ने कुछ भारतीय तथा विदेशी चल चित्रों को दर्शनीयता का प्रमाण पत्र नहीं दिया ;

(ख) क्या उक्त बोर्ड के इस निर्णय के विरुद्ध सरकार के पास अपीलें आयीं ; और

(ग) यदि हां, तो किन-किन चलचित्रों को जनता में दर्शनीयता का प्रमाण पत्र नहीं दिया गया ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी हां।

(ख) जी हां, कुछ मामलों में।

(ग) उन विदेशी और भारतीय फिल्मों जिनको आम प्रदर्शन के लिये प्रमाण पत्र नहीं मिले, के नाम क्रमशः *परिशिष्ट 1 तथा *परिशिष्ट 2 में दिये हुये हैं। **[ग्रंथालय में रखा गया देखिये। संख्या एल० टी०-2236/69]**

मध्य प्रदेश में भूमिहीन आदिवासियों को भूमि देना

2784. **श्री दे० वि० सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य-प्रदेश में कितने प्रतिशत भूमिहीन आदिवासी लोग कृषि पर आश्रित हैं या खेती का काम करते हैं ;

(ख) मध्य प्रदेश में ऐसे भूमिहीन आदिवासियों को भूमि देने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) मध्य प्रदेश में भूमिहीन आदिवासियों को भूमि देने के संबंध में यदि कोई योजना 1969-70 और 1970-71 की वार्षिक योजनाओं या पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत क्रियान्वित की जानी है तो उसका ब्योरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार मध्य-प्रदेश में अनुसूचित जन जाति के 8,29,194 कृषि मजदूर हैं जो राज्य के कुल कृषि मजदूरों का 59.32 प्रतिशत भाग है।

*अंग्रेजी उत्तर के साथ देखें।

(ख) संविधान के अनुसार भूमि राज्य सरकारों का विषय है, अतः भूमि की अलाटमेंट करना राज्य सरकारों का कार्य है जो विभिन्न सिद्धान्तों और प्राथमिकताओं को दृष्टि में रखती हैं। तीसरी योजनावधि में मध्य प्रदेश सहित राज्यों में बेकार भूमि के सुधार और भूमिहीन कृषि मजदूरों के पुनर्वास के लिये एक केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना शुरू की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों ने अलाट हुई भूमि पर फार्म का कार्य करने के लिये भूमिहीन मजदूरों को वित्तीय सहायता दी और प्रति परिवार को केन्द्रीय सरकार द्वारा 750 रु० तक दिया गया। बेकार भूमि के सुधार के लिये भी 750 रु० प्रति हेक्टेयर का अनुदान दिया गया। उपरोक्त योजना के अन्तर्गत 31-3-1969 तक मध्य-प्रदेश में 13,024 परिवारों को पुनः बसाया गया जिनका ब्योरा इस प्रकार है :

पुनर्स्थापित परिवारों के वर्ग	परिवारों की संख्या
हरिजन	5184
आदिवासी	4708
अन्य	3132
	13,024

यह योजना पहली अप्रैल, 1969 से स्टेट सेक्टर को सौंप दी गई है।

(ग) चौथी योजना तथा 1970-71 की वार्षिक योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना बाकी है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार ने 410 भूमिहीन परिवारों के पुनर्वास के लिये 1969-70 के राज्य के बजट में 5.10 लाख रुपये की बजट व्यवस्था की है। भूमिहीन जन जाति के परिवारों के पुनर्वास के सम्बन्ध में अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

रेलवे के लाइसेंस प्राप्त कुलियों की दशा सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन

2785. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के लाइसेंस प्राप्त कुलियों की दशा की जांच करने के लिये नियुक्त समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो समिति ने क्या मुख्य सिफारिशें की हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो प्रतिवेदन के कब तक प्राप्त होने की सम्भावना है ;

(घ) क्या रेलवे के लाइसेन्स प्राप्त कुलियों के संगठन से कुलियों की दशा सुधारने के लिये सरकार को अभ्यावेदन मिले हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हां।

(ख) अध्ययन दल की रिपोर्ट की प्रति संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध है। रिपोर्ट के अध्याय IX में अध्ययन दल की सिफारिशें दी गई हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी हां, रेल मंत्रालय को सितम्बर, 1969 में इण्डियन रेलवे लाइसेंस पोर्टर्स फेडरेशन, बम्बई से बम्बई वी० टी० और कल्याण स्टेशनों के बीच काम करने वाले लाइसेंसधारी पोर्टर्स की यात्रा सुविधाएं मजूर करने के बारे में एक अभिवेदन प्राप्त हुआ था।

(ङ) रेल मंत्रालय फेडरेशन की प्रार्थना को स्वीकार नहीं कर सका।

Incorrect Pronouncing of Names of Indian Places, and Persons by AIR News-Readers

2786. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that AIR news-readers generally pronounce incorrectly the names of Indian places and persons ;

(b) if so, the steps taken by Government to remedy it and to prevent the Indian names from being anglicized ; and

(c) whether it is also a fact that preposition 'NE' is generally pronounced incorrectly in Hindi news bulletins and talks ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) No, Sir, although occasional mistakes are made.

(b) Special steps are taken to obtain the correct pronunciation of proper names. Before reading the bulletins, News Readers are required to check the names of places and persons occurring in the news and to ascertain their correct pronunciation.

(c) No, Sir. But the attention of the Hindi news Readers has been drawn to this complaint.

Loss to Paddy Crop in Bihar due to Non-Spray of Pesticides

2787. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that paddy crops were affected by pest this year i. e. in August and September, 1969 in Champaran, Muzaffarpur, Darbhanga and Saharsa districts, as a result of which the entire paddy crops became red and were destroyed ;

(b) if so, whether it is also a fact that pesticides were not rushed to certain places and at places where pesticides had been sent, there were no arrangements for sprinkling them and where such arrangements existed, they proved to be of no use ; and

(c) whether it is also a fact that proper advice and the pesticides were not made available to the farmers due to which damage to the extent of crores of rupees had to be sustained ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Yes, Sir. The first report of heavy incidence of jassids (Nephocettix spp.) was received from Saharsa in the last week of the July, 1969, quickly followed by Darbhanga, Champaran and several other districts. An officer of the Directorate of Plant Protection Quarantine and Storage under the Department of Agriculture, visited the area with State officials (5. 8. 1969 to 12. 8. 1969) and verified the infestation of jassids in six districts on an area of about 65,000 acres.

The extent of damage was estimated to range between 3-25% depending upon the severity of attack on different varieties.

(b) No, Sir. Pesticides were already available or arranged in almost all the centres and the farmers were alerted to take immediate steps for the control of pest. At the time of the visit of State Central team, an area of about 7,009 acres was already treated from the ground by the farmers with the assistance of the State Department of Agriculture. The Government of India was also approached for undertaking aerial spraying, as large areas were involved which could not be covered quickly from the ground to prevent damage and further spread. The aerial spraying against jassids in the districts of Saharsa and Darbhanga commenced from 9th August, 1969 and was completed on 27th August, 1969 covering a total of 30,500 acres. The farmers were provided with sprayers and pesticides to undertake control measures against this pest and the area controlled by ground spraying covered nearly 40,000 acres.

The central assistance on the basis of 50% grant on the cost of pesticides and 25% loan under the calamities relief fund to fight out the epidemic was also extended.

Apart from the infestation of jassids, in most of the districts, crops were also infested with bacterial leaf blight and other diseases which caused yellowing or orange-colouration and dwarfing. These symptoms were mainly found on the "Padma" variety.

All possible measures were undertaken to control pests and diseases in the paddy crop on losses due to these were considered minimised.

The pest situation remained under constant watch and the recent reports indicate that the pest and disease situation remained under control.

(c) No, Sir. Proper advice, backed by satisfactory supply of pesticides and plant protection equipment was made available to the farmers in all the infested districts of the State. Aerial operations were also organised quickly. The ground spraying was undertaken on an extensive scale in all the affected districts. In addition to pesticides, the State Government decided to distribute about 30 tonnes of urea on 50% subsidy basis for foliar spraying for rejuvenation of the affected paddy plants. The pesticides, such as endrin 20% EC, BHC 5% and 10% dust were distributed to farmers on a 50% subsidy basis in many districts including Saharsa, Darbhanga and Champaran districts.

The affected areas were notified under Section 3 of the Bihar Prevention and Control of Agricultural Pest, Diseases and Nexious Weeds Act, 1953 (Act XXII of 1953).

Radio Station for Champaran (Bihar)

2788. **Shri Bibhuti Mishra :**
Shri K. M. Madhukar :

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a decision to set up a Radio Station at Motihari, Champaran (Bihar) had since been taken in his presence ;

(b) if so, the reasons for which it has not been set up so far ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

चल चित्रों के निर्माण के लिये देश में विभिन्न स्थानों पर सरकारी स्टूडियो बनाना

2789. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :**
श्री न० रा० देवघरे :

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रत्येक राज्य में ऐसे चलचित्र स्टूडियो बनाने का है जिसमें सरकार की ओर से चलचित्र बनाये जायं ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) तथा (ख). केन्द्रीय सरकार के पास प्रत्येक राज्य में सिनेमा स्टूडियो बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है जिनमें वे अपनी फिल्में बना सकें ।

समाचारपत्र-सूचना कार्यालय का पुनर्गठन

2790. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार समाचार पत्र सूचना कार्यालय का कार्य प्रभावी करने के उद्देश्य से इसको पुनर्गठित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) और (ख). लघुसमाचारपत्र जांच समिति तथा चन्दा समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुये, पत्र सूचना कार्यालय के संचालन में पिछले कुछ वर्षों में महत्वपूर्ण सुधार किये गये हैं । सरकार का बराबर यह प्रयत्न रहता है कि पत्र सूचना कार्यालय समाचार पत्रों की आवश्यकताओं की पर्याप्त रूप में पूर्ति करे तथा सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करे । अपनी सेवाओं की मात्रा तथा स्तर में सुधार करने के लिये, पत्र सूचना कार्यालय के पास समाचारपत्रों तथा सरकारी गतिविधियों के महत्वपूर्ण सेक्टरों के जन सम्पर्क सम्बन्धी कार्यों को करने के लिये अब अधिक अनुभवी व्यक्ति हैं ।

प्रादेशिक तथा शाखा कार्यालयों को सुदृढ़ कर दिया गया है और विशेषरूप से छोटे तथा मध्यम दर्जे के भाषाई समाचार पत्रों की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिये जोर दिया गया है। चौथी योजना में ऐसे समाचार पत्र केन्द्रों, जिनके साथ फिलहाल प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्ध नहीं है, में अतिरिक्त कार्यालय खोलने का प्रस्ताव है। सिन्धी में भी सेवा प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है, इस प्रकार पत्र सूचना कार्यालय की सेवाएं एक साथ चौदह प्रादेशिक भाषाओं में उपलब्ध हो सकेंगी। हिन्दी संवादों को उत्तरोत्तर एक साथ रिलीज करने के काम को करने के लिये मुख्यालय में एक पूर्ण रूपेण हिन्दी एकक स्थापित करने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है।

पत्र सूचना कार्यालय के मुख्यालय तथा प्रादेशिक और शाखा कार्यालयों को सुदृढ़ करने तथा नये शाखा कार्यालयों को खोलने का कार्य एक सतत् प्रक्रिया है। अतएव इस मामले पर बराबर पुनर्विलोकन किया जाता रहता है।

मोयरा कोयला खान, पश्चिम बंगाल के विरुद्ध शिकायत

2791. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल में बिड़ला की मोयरा कोयला खान के विरुद्ध गम्भीर शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा की मेज पर रख दी जाएगी।

Qualification prescribed for Production Assistants

2792. **Shri K. D. Tripathi** : Will the Minister of **Information and Braodcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the details of duties attached to the post of Production Assistants in the All India Radio ;

(b) whether knowledge of literature and language is one of the essential qualifications for the said post ;

(c) if so, whether a statement showing the literary qualifications of all the Production Assistants in the All India Radio, Delhi would be laid on the Table ; and

(d) if not, the basis on which they were recruited in the All India Radio ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Production Assistant's duties consist of mainly :

(i) selecting and providing sound effects appropriate to the requirements of Radio Plays, Features and other dramatised presentations and

(ii) assistance in the recording and editing of a variety of individual items so as to weld them into a unified programme e. g. a newsreel a Radio report, a thematic presentation of musical items etc.

(b) No, Sir but a Production Assistant is expected to have keen interest in literature, drama, music and other cultural activities.

(c) Does not arise.

(d) Members of the Selection Committee satisfy themselves about the candidates' interest in literature etc. during the interview held for the purpose of making recruitment of Production Assistants.

आकाशवाणी के नैमित्तिक कलाकारों की नियमित रूप में नियुक्ति

2793. **श्री एस० एम० जोशी : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री आकाशवाणी केन्द्र, दिल्ली के नैमित्तिक कलाकारों तथा प्रस्तुतीकरण सहायकों के सम्बन्ध में 31 जुलाई, 1969 तथा 21 अगस्त, और 28 अगस्त, 1969 के क्रमश: अतारांकित प्रश्न संख्या 1713, 4449, 5217 के उत्तरों के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 28 अगस्त, 1969 को दिये गये उत्तर के भाग (ख) में दी गई जानकारी उसी उत्तर के भाग (क) में दिये गये विवरण के सन्दर्भ में गलत नहीं है ;

(ख) क्या यह सच है कि दिल्ली में काम कर रहे तीनों प्रस्तुतीकरण सहायक विभागीय कलाकार के पद पर नियुक्ति होने से पहले नैमित्तिक आधार पर प्रस्तुतीकरण सहायक के रूप में काम कर रहे थे; और

(ग) क्या इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि आकाशवाणी में केवल नैमित्तिक कर्मचारियों को ही भर्ती किया जाता है और विज्ञापन केवल नाम मात्र के लिए ही दिये जाते हैं और इस प्रकार बाहर के लोगों को समान अवसर में वंचित रखा जाता है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां। किन्तु स्थिति 27 नवम्बर, 1969 को संसद् में अतारांकित प्रश्न संख्या 1610 के उत्तर में स्पष्ट कर दी गई थी।

(ख) जी, नहीं। केवल दो प्रोडक्शन सहायक कार्य कर रहे थे।

(ग) जी, नहीं। आकाशवाणी तथा बाहर के सभी प्रार्थियों के मामलों पर यथोचित विचार किया गया था।

दिल्ली दुग्ध योजना में काम करने वाले विद्यार्थियों की मांगें

2794. **श्रीमती सुशीला रोहतगी : क्या खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें दिल्ली दुग्ध योजना में काम करने वाले विद्यार्थियों से हाल में एक ज्ञापन पत्र मिला है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य मांगें क्या हैं ; और

(ग) क्या इस ज्ञापन पत्र में लगाये गये विभिन्न आरोपों की कोई जांच की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) :(क) दिल्ली दुग्ध योजना में कार्य करने वाले विद्यार्थियों की ओर से संसद सदस्यों की मार्फत अक्तूबर, 1969 में दो अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे।

(ख) उन दो अभ्यावेदनों में दी गई विद्यार्थियों की मुख्य मांगें निम्न प्रकार हैं :

(1) अब से पहले की तरह अंशकालिक कर्मचारियों के रूप में नियुक्ति करने के बजाए विद्यार्थियों को अब दिल्ली दुग्ध योजना के कमीशन एजेन्टों के रूप में नियुक्ति स्वीकार करने के लिए बाध्य किया जा रहा हैं।

(2) विद्यार्थियों के हितों को देखने तथा उनकी रक्षा के लिए विद्यार्थी समुदाय के एक प्रतिनिधि को योजना से सम्बद्ध किया जाना चाहिए ; और

(3) दुग्ध केन्द्रों पर कार्य की परिस्थितियों से अवगत होने के लिए दुग्ध केन्द्रों पर जाकर अचानक निरीक्षण किए जाने चाहिए।

(ग) सरकार ने इन मांगों की जांच की है। वे विद्यार्थियों की स्वैच्छिक आधार पर कमीशन एजेन्टों के रूप में नियुक्ति के बारे में कोई आपत्तिजनक बात नहीं पाते क्योंकि इससे उनकी कमाई और अन्य वैध हितों पर मूल रूप से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जब कभी भी विद्यार्थियों की शिकायतें प्राप्त होती हैं, उन पर तुरन्त ध्यान दिया जाता है। प्रबन्ध से विद्यार्थी समुदाय के एक प्रतिनिधि को सम्बद्ध करने से कोई लाभदायक परिणाम नहीं निकलेंगे। इन केन्द्रों के कार्यों की परिस्थितियों से अवगत होने के लिए नियमित तौर पर दुग्ध केन्द्रों का पहले ही से अचानक निरीक्षण किया जा रहा है।

सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र

2795. **श्रीमती सुशीला रोहतगी** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आरम्भ में कुल टेलीफोन कनेक्शनों के लगभग 5 प्रतिशत के बराबर, जो यथा समय 10 प्रतिशत हो जायेगा, सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों की व्यवस्था करने के लिये नीति संबंधी निर्णय किया गया है ;

(ख) इसे कहां तक क्रियान्वित किया गया है ; और

(ग) सिक्का डालने वाले कितने डिब्बे उपलब्ध किए गये हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां, स्थानीय सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोलने के लिए एक्सचेंज की मौजूदा क्षमता का 2 प्रतिशत प्रयोग में लाने का निश्चय किया गया था, और नए एक्सचेंजों की योजना बनाते समय हर एक्सचेंज की कुल लाइनों का 5 प्रतिशत तक सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र के उपस्कर के तौर पर प्रयोग में लाने का निश्चय किया गया था। यह प्रतिशत बाद में बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दी जाएगी।

(ख) किसी टेलीफोन प्रणाली की योजना बनाते समय कुल लाइनों में से 5 प्रतिशत सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों के लिए आरक्षित की जा रही है। पिछले दो वर्षों के दौरान स्थानीय टेलीफोन केन्द्रों की संख्या में 3,000 से थोड़ी अधिक वृद्धि हुई है।

(ग) दूरसंचार कारखानों ऐसे बक्सों के उत्पादन में तेजी लाने के लिए पहले से ही आवश्यक कदम उठाए गए हैं। 1967-68 में 800 बक्से तैयार किये गए थे, जबकि 1968-69 में 2,305 बक्सों का निर्माण किया गया। 1969-70 के कार्यक्रम में 5,000 बक्सों के निर्माण की व्यवस्था की गई है।

धान के लिये समर्थन मूल्य

2796. **श्री मुहम्मद शरीफ :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस वर्ष खरीफ की फसल के लिये अच्छी किस्म के धान के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य निश्चित किया है ;

(ख) धान के लिये समर्थन मूल्य किस दर पर निश्चित किया गया है ; और

(ग) धान की अन्य किस्मों के लिए राज्य सरकारों द्वारा समर्थन मूल्य कब तक निश्चित किये जाने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) सभी राज्यों के लिए 45.00 रुपये प्रति क्विंटल।

(ग) राज्य सरकारों से कहा गया था कि वे बुआई शुरू होने से पूर्व धान की अन्य किस्मों के साहाय्य मूल्य निर्धारित करें।

नलकूप-खोदने के लिये रिगों का आयात

2797. **श्री मुहम्मद शरीफ :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(कं) क्या सरकार ने 1500 से 2000 फिट गहरे नलकूप खोदने के लिये रिगों का आयात करने का निर्णय किया है ;

(ख) उन देशों के क्या नाम हैं जिनसे रिगों का आयात किये जाने की सम्भावना है तथा यह आयात किन मूल्यों पर किया जायेगा ; और

(ग) यदि आयात किया जायेगा, तो किन राज्यों के लिये आयात किये जाने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) नलकूपों के ड्रिलिंग के कार्य में आने वाली अपेक्षित रिगों की काफी किस्में अब देशों में ही तैयार की जा रही हैं। अतः देशी उपलब्धि को ध्यान में रखते हुये महा निदेशक

तकनीकी विकास से परामर्श से ही रिगों के आयात की अनुमति दी जाती है। 1500 से 2000 फुट तक गहरे नलकूपों की ड्रिलिंग के काम में आने वाली भारी रिगों के आयात के सम्बन्ध में राज्यों की कोई मांग इस समय मंत्रालय में अनिर्णित नहीं पड़ी है।

(ख) तथा (ग). प्रश्न ही नहीं होता।

भारतीय फिल्मों और फिल्मी गानों के टेपों का चोरी छिपे देश से बाहर ले जाया जाना

2798. **श्री बलराज मधोक :**

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दर्जनों भारतीय फिल्में चोरी छिपे देश के बाहर ले जायी जा रही हैं और फिल्मी गानों को छोटे टेप में भर कर ले जाया जाता है तथा तेहरान जैसे स्थानों में उनके रिकार्ड बनाकर खुले आम बेचा जाता है;

(ख) यदि हां, तो भारत को इसके कारण प्रति वर्ष कितनी हानि हो रही है; और

(ग) फिल्मों और फिल्मी गानों के इस तस्कर व्यापार को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ०कु० गुजराल) : (क) इस आशय की रिपोर्ट सरकार के ध्यान में आई है।

(ख) चोरी छिपे फिल्में लाने के कारण विदेशी मुद्रा का कितना नुकसान हुआ है, यह अनुमान लगाना सम्भव नहीं है।

(ग) मामला विचाराधीन है।

श्रीनगर में टेलीविजन केन्द्र

2799. **श्री बलराज मधोक :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने श्रीनगर में एक टेलीविजन प्रसारण केन्द्र की स्थापना करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार का विचार प्रसिद्ध शंकराचार्य मन्दिर के पास शंकराचार्य पहाड़ी पर एक टेलीविजन स्टूडियो की स्थापना करने का है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस प्रस्ताव को धर्मार्थ न्यास और अन्य धार्मिक संगठनों ने इस आधार पर विरोध किया है कि इससे मन्दिर की पवित्रता नष्ट हो जायेगी और उसकी सुरक्षा खतरे में पड़ जायेगी ; और

(घ) क्या सरकार ने अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने और श्रीनगर में टेलीविजन स्टूडियो की स्थापना के लिये कोई अन्य स्थान का चयन करने का निर्णय किया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। श्रीनगर टेलीविजन केन्द्र को जिस चोटी पर मन्दिर स्थित है ; उससे लगती हुई चोटी पर शंकराचार्य पहाड़ी पर स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ग) धर्मार्थ ट्रस्ट या अन्य धार्मिक संगठनों से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई हैं। तथापि कुछ अन्य क्षेत्रों से आपत्तियां प्राप्त हुई हैं।

(घ) इन आपत्तियों पर विचार किया जा रहा है। योजना में परिवर्तन करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

दिल्ली में सहकारी समितियों द्वारा जनता के धन का दुरुपयोग

2800. **श्री बलराज मधोक** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में सहकारी समितियों द्वारा जनता के धन के गबन अथवा दुरुपयोग के अनेक मामले प्रकाश में आये हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन सब बातों को देखते हुए दिल्ली महानगर परिषद ने सहकारिता पर एक नया कानून बनाया है जिसे संसद् द्वारा पारित किया जाना शेष है ; और

(ग) यदि हां, तो संसद् के समक्ष इस कानून को न रखने का क्या कारण है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). दिल्ली प्रशासन ने सरकार को महानगर परिषद द्वारा अनुमोदित दिल्ली सहकारी समिति विधेयक संसद् द्वारा कानून के रूप में पारित करने के लिए भेजा है। इस विधेयक की सरकार के विभिन्न सम्बन्धित मंत्रालयों के परामर्श से जांच की गई है। इस विधेयक में जून, 1968 में हुए मुख्य मंत्रियों और राज्य सहकारिता मंत्रियों के सम्मेलन द्वारा अनुशासित सहकारी समितियों में निहित स्वार्थों को समाप्त करने सम्बन्धी कुछ उपबन्ध शामिल करने के लिए और अधिक आशोधन किए जा रहे हैं। अब इस विधेयक को लोक सभा के चालू सत्र में पेश करने का विचार है।

Shri P. L. Barupal (Ganganagar) : Mr. Speaker, Sir, on a point of order. I had given a Calling Attention notice signed by many Members regarding the incident which took place at 7 Jantar Mantar Road on 29th, but I am pained to see that it has not been included in the business of the House. I want to lay it on the Table or I should be permitted to read it. The matter should be examined.

Mr. Speaker : No, No. There is some prescribed way of raising a matter. **(Interruptions).**

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए।

अध्यक्ष महोदय : मैं खड़ा हुआ हूं। आप लोग कृपया बैठ जायें।

I am not aware of the motion. I do not know what papers he wants to lay on the Table. He came into the House and started speaking in an exciting manner. There is some procedure to raise something in the House. To create disturbance in this manner is not proper.

अगला विषय—ध्यान आकर्षक । श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

मलयेशिया स्थित भारतीय बैंकों की कथित कठिनाइयां

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : श्रीमन्, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व निम्न विषय की ओर वित्त मंत्री का ध्यान दिलाती हूं और उनसे निवेदन करती हूं कि यह उस पर एक वक्तव्य दें :

"मलयेशिया में भारतीय बैंकों की कथित कठिनाइयां" ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रकाशचन्द सेठी) : समाचार पत्रों में यह जो समाचार प्रकाशित होते रहे हैं कि मलयेशिया स्थित भारतीय बैंकों को बन्द करने के लिये कहा जा सकता है उस बारे में मैं सभा को यह सूचित करना चाहता हूं कि ये समाचार सत्य नहीं है ।

चौदह बड़े भारतीय बैंकों के राष्ट्रीयकरण वाले दिन अर्थात 19 जुलाई, 1969 को तीन बड़े भारतीय बैंकों अर्थात् यूनाइटेड कामर्शियल बैंक लिमिटेड, इण्डियन बैंक लिमिटेड और इण्डियन ओवरसीज बैंक लिमिटेड की सारे मलयेशिया में कुल 11 शाखायें थीं ।

मलयेशिया के बैंकिंग अध्यादेश, 1958 की धारा के अनुसार मंत्री की लिखित सहमति के बिना "यदि मंत्री इस बात से सन्तुष्ट हो कि किसी बैंक की पचास प्रतिशत अथवा उसके अधिक निर्मित और प्रदत्त पूंजी मलयेशिया के फेडरेशन के अलावा किसी अन्य देश की सरकार को अथवा उसकी ओर से किसी की अथवा ऐसी सरकार की किसी एजेन्सी की है अथवा यह कि बैंक के निदेश नियंत्रण और प्रबन्ध में हाथ रखने वाले सभी या अधिकांश व्यक्ति उस सरकार द्वारा अथवा उसकी ओर से अथवा उसकी एजेन्सी द्वारा नियुक्त किये जाते हैं" न तो मलयेशिया के सेन्ट्रल बैंक द्वारा किसी बैंक को लाइसेंस दिया जा सकता है और न कोई बैंक अपना कार्य कर सकता है । उपयुक्त तीन बैंकों के राष्ट्रीयकरण के परिणामस्वरूप मलयेशिया में कार्य कर रही उनकी शाखाओं को वित्त मंत्री की लिखित सहमति की आवश्यकता है । हम इस बात के लिये प्रयत्न करते रहे हैं कि राष्ट्रीयकृत बैंकों की मलयेशिया में कार्य कर रही ग्यारह शाखाओं को कार्य करने की अनुमति मिल जाये । मलयेशियाई कानून की शब्दावली से हम यह समझते हैं कि जहां किसी विदेशी सरकार के अथवा उसके द्वारा नियंत्रित बैंकों के कार्य करना पूर्णतः प्रतिषिद्ध नहीं है । उन्हें कार्य करते रहने की अनुमति देना वित्त मंत्री की इच्छा पर है । राष्ट्रीयकरण के बाद मलयेशिया के प्राधिकारियों से कहा गया था कि वे स्थिति स्पष्ट होने तक बैंकों

की शाखाओं को कार्य करते रहने दें और उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि तीन भारतीय बैंकों की ग्यारह शाखाओं को वहां कार्य करने से उस समय नहीं रोका जायेगा और यह निवेदन किया था कि बैंकों की स्थिति शीघ्र स्पष्ट की जाये।

हमारे उच्चायुक्त ने हाल ही में उनसे निवेदन किया है कि बैंकों को वहां कुछ महीने और कार्य करते रहने दिया जाये और इस अवधि में उन शाखाओं के इस प्रकार पुनर्गठन के प्रस्ताव तैयार कर लिये जायेंगे जिससे कि वे मलयेशियाई कानून के अनुसार हो जायें। उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन लेख पत्रिका को देखते हुये अभी कोई पुनर्गठन नहीं किया गया है : मलयेशियाई प्राधिकारियों ने यह बताया है कि वे हमारी प्रार्थना पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे और बैंकों के भविष्य के ढांचे के लिये ठोस प्रस्ताव तैयार करने हेतु पर्याप्त समय देंगे।

मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वासन देती हूं कि इस मामले पर हम निन्तर ध्यान रखे हुये हैं।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मलयेशिया के उप-प्रधान मंत्री ने एक इण्टरव्यू में कहा था कि यह इस समय कुछ कह सकने की स्थिति में नहीं है, मामले का अध्ययन किया जा रहा है परन्तु भारतीय बैंकों को वहां की कानून के अनुसार ही कार्य करना होगा। मंत्री महोदय ने स्वयं भी यह कहा है मलयेशिया में विदेशों के राष्ट्रीयकृत बैंकों को कार्य करने की अनुमति नहीं है। मंत्री महोदय को यह मालूम है कि 1960 में बैंक आफ चायना का कार्य इसलिये बन्द कर दिया गया था कि वह राज्य द्वारा संचालित था। इस समय सोवियत संघ और फ्रांस जैसे देश मलयेशिया की सरकार पर यह दबाव डाल रहे हैं कि भारतीय बैंकों के साथ क्यों उदारता बरती जा रही है। क्योंकि उन देशों के भी राज्य संचालित बैंक हैं अतः मलयेशिया को भारत सरकार से कहना पड़ रहा है कि वह मलयेशिया की कानून के अनुसार कार्य करे। क्या मैं जान सकती हूं कि यदि वे नियम और कानून लागू कर दिया जाये तो इससे कितने लाख डालर का प्रभाव पड़ेगा और यह कि इस मामले में मलयेशिया को सरकार के परामर्श में कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ? दरअसल उस देश में बहुत से भारतीय व्यापार कर रहे हैं और भारतीय बैंकों से बहुत से मलयेशियाई और भारतीय लोगों का हित हो रहा है। क्या मलयेशिया सरकार के साथ ऐसा कोई समझौता किया जा सकता है कि हमारे राष्ट्रीयकृत बैंकों को वहां कार्य करने की अनुमति मिल जाये ? मलयेशिया के समाचार पत्रों में ऐसे समाचार प्रकाशित हुये कि मलयेशिया सरकार द्वारा कई स्मरण पत्र भेजे जाने पर भी भारत सरकार ने उत्तर देने की परवाह नहीं की है। इन समाचारों का न तो भारत सरकार ने खण्डन किया है और न मलयेशिया की सरकार ने। इस सम्बन्ध में भारत सरकार की वर्तमान स्थिति क्या है और मलयेशिया सरकार के साथ समझौते में भारत सरकार को क्या लाभ मिलने की आशा है ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : जहां तक बैंकों की उन शाखाओं का सम्बन्ध है, हमारे सामने उनके लिये तब तक के लिये अस्थायी व्यवस्था करने का प्रश्न है जब तक उच्चतम न्यायालय में मामले का निर्णय न हो जाये। इसलिये हमने पहले अनौपचारिक रूप से और अब औपचारिक रूप से मलयेशिया सरकार के साथ बातचीत की है कि हमें कुछ समय दिया जाये जिससे कि

हम इन बैंकों के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में कोई ठोस प्रस्ताव तैयार कर सकें। मलयेशिया सरकार इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है।

किसी देश द्वारा मलयेशिया सरकार पर दबाव डाले जाने के बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं है। परन्तु मैं बता चुका हूं कि यह पूर्ण कानून नहीं है। यदि वे चाहते तो तुरन्त उन शाखाओं को बन्द कर सकते थे परन्तु वित्त मंत्री की मंजूरी से वे उन्हें वहां चलने दे सकते हैं। जैसे ही हम उनके साथ समझौता करने की स्थिति में होंगे हम समझौता करेंगे।

एक मलयेशियाई डालर 2.45 रुपये के बराबर है। हमारी जानकारी के अनुसार 18 जुलाई, 1969 को इण्डियन ओवरसीज बैंक में 450.6 लाख मलयेशियाई डालर, इण्डियन बैंक में 132.2 लाख मलयेशियाई डालर, और यूनाइटेड कामर्शियल बैंक में 271.8 लाख मलयेशियाई डालर जमा थे जो कुल मिलाकर 21 करोड़ रुपये के बराबर होते हैं।

इन बैंकों के पुनर्निर्माण के बारे में जानकारी देना इस समय मेरे लिए सम्भव नहीं होगा क्योंकि यह दोनों सरकारों के बीच समझौते का विषय है।

श्री तारकेश्वरी सिन्हा : मंत्री महोदय ने मलयेशिया के उप-प्रधान मंत्री द्वारा कही गई बात के सम्बन्ध में कुछ नहीं बताया है। मलयेशिया सरकार तो कह रही है कि भारतीय बैंकों को मलयेशिया की कानून के अनुसार ही वहां कार्य करने की स्थिति दी जा सकती है और हमारी सरकार कहती है कि किस प्रकार का समझौता होगा यह इस समय निश्चित नहीं है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि यदि मलयेशिया सरकार ने इस बात पर ही जोर दिया कि भारतीय बैंकों को वहां की कानून के अनुसार ही कार्य करने की अनुमति दी जा सकती है तो क्या भारत सरकार इन तीन बैंकों का विराष्ट्रीयकरण कर देगी अथवा उनसे वहां की शाखाओं को बन्द कर देने के लिये कहेगी ?

श्री प्रकाशचन्द्र सेठी : मैं यह पहले बता चुका हूं कि उनकी कानून में यह व्यवस्था है कि वहां के वित्त मंत्री की अनुमति से ये बैंक कुछ समय वहां कार्य कर सकते हैं और इसी कारण जुलाई में कानून बन जाने पर भी वे अभी तक वहां कार्य कर रहे हैं क्योंकि हमने उनकी अनुमति ले ली थी। वैकल्पिक व्यवस्था क्या होगी, इस सम्बन्ध में इस समय कुछ कहना मेरे लिये उचित नहीं हैं।

Shri Har Dayal Devgun (East Delhi) : After the nationalisation of Indian Banks, are the branches of Indian Banks in Malayasia functioning in the same smooth manner in which they were functioning prior to it ? In case that Government do not agree to give any relaxation, are Government formulating any scheme to safeguard the Indian interests, and have Government put up any proposals in this regard before the Government of Malayasia ?

Shri P. C. Sethi : The branches of Indian Banks they are carrying on their business smoothly. According to the provisions in the law of that country, we had requested them to give us some time. This matter is pending in the Supreme Court and after that a decision is taken by the Court it would be decided in consultation with the Government of Malayasia as to how those branches should be reconstructed.

Shri Raghubir Singh Shastri: The Deputy Governor of the National Bank of Malayasia made a statement on 12th November in which he had said that their law was quite clear and in no case they would allow the branches of nationalised Indian banks to function there. He had further stated that reasonable time had already been given to Indian Government to decide the matter and that no further extension of time would be given. Moreover, the spokesmen of the three Indian Banks have also stated that they were not getting any guidance from their Head Offices inspite of the repeated reminders. What action Government are taking to ensure the smooth functioning of those branches there ?

Shri P. C. Sethi: I have already stated that we had requested them to give us some more time. As far as the guidance from the Head Offices is concerned, I have already stated that this matter is pending in the Supreme Court and we cannot do anything till a decision is given by the Court and it is because of this that we have requested for extension of time. We propose to send some officers of the Banking Deptt. there to have further negotiations in regard.

Shri Madhu Limaye: In other countries also the banks have been nationalised. What are the names of those countries who faced such difficulties ? Are any branches of Malayasian Banks functioning here and are the branches of banks of other countries functioning in Malayasia ? Do Government propose to conclude any special agreement with Malayasian Government and if so, would such agreements be concluded with other countries also and if not, would Government reconsider the question of nationalisation of foreign banks ?

Shri P. C. Sethi: The Government of Malayasia would implement their law in conformity with the situation prevailing there. In 1960 that Government had asked the Bank of China to close their branch there. As regards our banks are concerned, it would take some time to place concrete proposals and we have already asked them to give us some more time. No Malayasian banks are functioning here. In no other country we have faced such difficulties. Different countries are having different laws. As regards nationalisation of foreign banks is concerned, Government's view point was placed before the House during the discussion the bill regarding nationalisation of Indian banks. There is no proposal at the moment to nationalise foreign banks.

कुछ अधिकारियों और श्री टी० टी० कृष्णमाचारी के बीच बातचीत करने के बारे में

RE . MEETING BETWEEN CERTAIN OFFICERS AND SHRI T. T. KRISHNAMACHARI

Mr. Speaker : That day Shri Sethi had given some information here and Prime Minister had also spoken. I have received some motions regarding that. Shri Madhu Limaye had given notice of the motion yesterday which I received today. One motion of Shri Ram Subhag Singh is also there in which it has been stated that there is difference between the statements made by Shri Sethi and the Prime Minister. I would examine them and then give my decision.

Shri S. M. Banerjee : (Kanpur) : Let us know the subject of the motions.

Mr. Speaker : It is regarding meeting between certain officers and Shri T. T. Krishnamachari.

I cannot say anything off-hand. I have to receive some further informntion. I would examine it and then give my decision.

My difficulty is that immediately before the sitting of the House begins when I have to look into such motions and other important papers Hon'ble Members come to me. I am not given even half an hour to see the important papers. Unnecessary benefit of my courtesy is being taken by the Hon'ble Members. I am disturbed and I do not get time to see and read different papers. Hon'ble Members come in the House and start asking that what decision has been taken in the motion notice of which was given by them at 10-30 A.M. I have been repeatedly requesting that notions of motions etc. should not been given at the last moment. I should be given some time to go through the papers and give my ruling.

श्री स० मो० बनर्जी : श्रीमन्, आज हम देश में विद्यमान साम्प्रदायिक स्थिति पर चर्चा करने वाले हैं ? कल हमने निवेदन किया था कि गृह मंत्री द्वारा बनारस की साम्प्रदायिक स्थिति पर वक्तव्य दें जिससे कि हमें स्थिति का पता चल सके ।

अध्यक्ष महोदय : क्योंकि हम आज इस पर वाद-विवाद करने जा रहे हैं, अतः वह इस बात को देखेंगे ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

कोयला खनन और लोहा तथा इस्पात सम्बन्धी औद्योगिक समिति के निष्कर्ष

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) नई दिल्ली में 6 नवम्बर 1969 को हुये कोयला खनन सम्बन्धी औद्योगिक समिति के ग्यारहवें अधिवेशन के निष्कर्षों की एक प्रति ।

(2) नई दिल्ली में 16 अक्तूबर, 1969 को हुए लोहा तथा इस्पात सम्बन्धी औद्योगिक समिति के दूसरे अधिवेशन के निष्कर्षों की एक प्रति ।

[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 2213/69]

आवश्यक वस्तुयें अधिनियम 1955 के अन्तर्गत अधिसूचनायें

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : मैं आवश्यक वस्तुएं अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(एक) जी० एस० आर० 2051 जो दिनांक 22 अगस्त, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(दो) मध्य प्रदेश चावल (वहन नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1969 जो दिनांक 23 अगस्त, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2054 में प्रकाशित हुआ था ।

(तीन) अन्तर्क्षेत्रीय गेहूं तथा गेहूं उत्पाद (वहन नियंत्रण) आदेश, 1969 (हिन्दी संस्करण) जो दिनांक 27 सितम्बर, 1969, के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2305 में प्रकाशित हुआ था ।

(चार) अन्तर्क्षेत्रीय गेहूं तथा गेहूं उत्पाद (वहन नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1969 (हिन्दी संस्करण) जो दिनांक 27 सितम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2306 में प्रकाशित हुआ था ।

(पांच) दिल्ली बेलन मिलें गेहूं उत्पाद (मिल दर तथा खुदरा मूल्य नियंत्रण) आदेश 1969 (हिन्दी संस्करण) जो दिनांक 27 सितम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2307 में प्रकाशित हुआ था ।

(छः) बेलन मिलें गेहूं उत्पाद मिल दर मूल्य नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 1969 (हिन्दी संस्करण) जो दिनांक 27 सितम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2308 में प्रकाशित हुआ था ।

(सात) जी० एस० आर० 2545 (हिन्दी संस्करण) जो दिनांक 1 नवम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(आठ) मध्य प्रदेश चावल (वहन नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1969 (हिन्दी संस्करण) जो दिनांक 1 नवम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2546 में प्रकाशित हुआ था ।

(नौ) बेलन मिलें गेहूं उत्पाद मिल दर मूल्य नियंत्रण (तीसरा संशोधन) आदेश, 1969 जो दिनांक 29 अक्तूबर, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2553 में प्रकाशित हुआ था ।

(दस) खाद्यान्न (मांड के निर्माण में प्रयोग का निषेध) संशोधन आदेश, 1969 जो दिनांक 4 अक्तूबर, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2608 में प्रकाशित हुआ था ।

(ग्यारह) जी० एस० आर० 2669 जो दिनांक 22 नवम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 2214/69]

कोयला खान भविष्य निधि तथा बोनस योजनायें अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० सी० जमीर) : मैं कोयला खान भविष्य निधि तथा बोनस योजनाएं अधिनियम, 1969 की धारा 7-क के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

(एक) कोयला खान भविष्य निधि (दूसरा संशोधन) योजना, 1969 जो दिनांक 1 नवम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2483 (अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर० 2487 (हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित हुई थी ।

(दो) आन्ध्र प्रदेश कोयला खान भविष्य निधि (दूसरा संशोधन) योजना, 1969 जो दिनांक 1 नवम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2484 (अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर० 2488 (हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित हुई थी ।

(तीन) राजस्थान कोयला खान भविष्य निधि (दूसरा संशोधन) योजना, 1969 जो दिनांक 1 नवम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2485 (अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर० 2489 (हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित हुई थी ।

(चार) नीवेली कोयला खान भविष्य निधि (तीसरा संशोधन) योजना, 1969 जो दिनांक 1 नवम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2486 (अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर० 2490 (हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित हुई थी ।

(पांच) कोयला खान भविष्य निधि (तीसरा संशोधन) योजना, 1969 जो दिनांक 1 नवम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2491 (अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर० 2495 (हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित हुई थी ।

(छः) आन्ध्र प्रदेश कोयला खान भविष्य निधि (तीसरा संशोधन) योजना, 1969 जो दिनांक 1 नवम्बर 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2492 (अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर० 2496 (हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित हुई थी ।

(सात) राजस्थान कोयला खान भविष्य निधि (तीसरा संशोधन) योजना, 1969 जो दिनांक 1 नवम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2493 (अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर० 2497 (हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित हुई थी ।

(आठ) नीवेली कोयला खान भविष्य निधि (चौथा संशोधन) योजना, 1969 जो दिनांक 1 नवम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2494 (अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर० 2498 (हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित हुई थी ।

[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 2215/69]

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

पहला प्रतिवेदन

श्री डी० बसुमतारी : मैं समाज कल्याण विभाग अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त और पिछड़े वर्गों के कल्याण के महानिदेशक के कार्यालयों के पुनर्गठन के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति का पहला प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

Shri Molahu Prasad (Basgaon) : On a point of order, Sir. All the Reports of the Parliamentary Committees are laid on the table of the House and not discussed. This is not much helpful. You may at least allow a discussion on the Perumal Committee Report.

Mr. Speaker: The Hon. Member may please give a specific notice therefor.

Shri Molahu Prasad : I had given a notice. The Minister of Parliamentary Affairs had observed that he would consider the same.

Mr. Speaker : I shall seek information in this regard from the Hon. Minister.

केन्द्रीय रेशम बोर्ड (संशोधन) विधेयक—जारी

CENTRAL SILK BOARD (AMENDMENT) BILL—Contd.

अध्यक्ष महोदय : अब सभा केन्द्रीय रेशम बोर्ड (संशोधन) विधेयक पर अग्रेतर विचार करेगी । चौधरी राम सेवक अपना भाषण पुनः आरम्भ करेंगे ।

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : कल मैंने कच्चे रेशम के उत्पादन तथा रेशम से बनी वस्तुओं के निर्यात सम्बन्धी महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में कहा था । इसके अतिरिक्त मुझे यह कहना है कि योजना आयोग ने यह बताया है कि चौथी पंचवर्षीय योजना (1969—74) के दौरान राज्यों को केन्द्रीय सहायता प्रति वर्ष इकट्ठा ऋण और अनुदान के रूप में दी जायेगी । यह भी निश्चित किया गया कि प्रत्येक राज्य को प्रति वर्ष कुल आवंटन में से 30 प्रतिशत अनुदान के रूप में और 70 प्रतिशत ऋण के रूप में दिया जायेगा ।

उड़ीसा में रेशम के उत्पादन में बराबर वृद्धि हुई है । यह वृद्धि मुख्यतः केन्द्रीय रेशम बोर्ड के मार्ग निर्देशन और प्रयत्नों के कारण ही हुई है । 1950 में उड़ीसा में टशर रेशम का उत्पादन लगभग 5,000 किलोग्राम था और 1968 में यह 21,000 किलोग्राम हो गया । पुरी जिले के रेशम के कीड़े पालने वाली महिला संस्था को सहायता देने के प्रश्न को हम रेशम बोर्ड को सौंपेंगे ।

जो विकास योजनायें जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा आरम्भ की गई और जो प्रयत्न केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने किये, उनके फलस्वरूप 1951 के 54,000 किलोग्राम रेशम की तुलना में 1962 में यह 98,000 किलोग्राम तक पहुंच गया। उसके बाद मुख्यतया आर्थिक कारणों से उत्पादन बहुत घट गया इसका कारण यह था कि रेशम के कोया के उत्पादन में रुचि नहीं रही क्योंकि अन्य व्यवसाय अधिक लाभ देने वाले थे। केन्द्रीय सरकार इस मामले में राज्य सरकार से बातचीत कर रही है और उन्हें उत्पादन को फिर से आरम्भ करने के लिये उपयुक्त प्रस्ताव भेजे हैं :

श्री लोलाधर कटकी ने मूगा और एरी किस्म के रेशम का उल्लेख किया था। इस सम्बन्ध में सुधार का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है और अनेक प्रयोग भी किये जा चुके हैं। इस बारे में चार व्यक्तियों का एक शिष्ट-मण्डल दक्षिणी कोरिया गया था। हम इसके प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। एरी के उत्पादन के विकास के लिये विदेशों में जो प्रौद्योगिकी प्रगति की गई है, हम उन्हें अपनाने का प्रयत्न करेंगे। जहां तक श्रमिक-प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, केन्द्रीय रेशम बोर्ड में श्रमिकों का एक प्रतिनिधि है।

बिन्नी एण्ड कम्पनी जैसे कुछ बड़े एकक अनेक वर्षों से रेशम की बुनाई के उद्योग में हैं और इस समय उनके कार्यों में हस्तक्षेप करना अनुचित होगा।

यह आरोप ठीक नहीं है कि बरहामपुर के केन्द्रीय रेशम-कीट पालन अनुसंधान केन्द्र में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नियुक्त करने में अनियमिततायें बरती गई हैं। वे नियुक्तियां संघ लोक-सेवा आयोग द्वारा ही की गई थीं। बरहामपुर अनुसंधान केन्द्र के साथ मुख्य कठिनाई यह है कि वह केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा निर्धारित अनुसंधान पद्धति से अलग अकेले काम कर रहा है। सरकार ने अब उस अनुसंधान केन्द्र के प्रशासन को बोर्ड के हाथ में सौंपने का निश्चय किया है।

एक माननीय सदस्य ने यह सुझाव दिया है कि रेशम उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये एक संसदीय समिति नियुक्त की जानी चाहिये। रेशम बोर्ड में लोक सभा के चार सदस्य और राज्य सभा के दो सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं।

दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान 11.5 लाख रुपये जम्मू और काश्मीर राज्य को 300 रेलिंग बेसनों के आधुनिकीकरण की योजना के लिये दिये गये थे। राज्य सरकार ने बंगलौर की फर्म से अच्छी किस्म के 300 रेलिंग बेसिन मंगाये भी हैं। जहां तक मैसूर का प्रश्न है, इन गत वर्षों में राज्य सरकार आवश्यकतानुसार पर्याप्त व्यवस्था करने में असमर्थ रही है और रेशम उद्योग की उन्नति के लिये आवश्यक धन उसे प्राप्त नहीं हो रहा है।

जहां तक दक्षिण भारत को रेशम की रद्दी के निर्यात का सम्बन्ध है, निर्यात करने वालों को सामान्य नीति के आधार पर 1 किलोग्राम रेशम की रद्दी इस शर्त पर निर्यात करने की अनुमति दी जाती है कि उतनी ही मात्रा में रेशम की रद्दी असम या मैसूर की रेशम मिलों को भी भेजे। इसलिये रेशम की रद्दी का निर्यात करने वालों को हरेक बार जब भी वे निर्यात करना

चाहें तब रेशम बोर्ड या केन्द्रीय सरकार से अनुमति लेने का प्रश्न ही नहीं उठता। मैसर्स एच० के० भूषण कुमार मामले के सम्बन्ध में तथ्य यह है कि फरवरी, 1969 में चेन्नपटन में स्थित सरकारी रेशम बुनाई मिल ने अचानक रेशम की रद्दी खरीदना बन्द कर दिया क्योंकि वह कच्चे माल को सरलता से खरीद सकती थी। धन की कमी के कारण भी इस मिल ने रेशम की रद्दी खरीदना बन्द कर दिया।

श्रीमान, इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत करता हूं कि विधेयक पर विचार किया जाये।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : श्रीमान् मैंने अपने भाषण में जो एक दो बातें कही हैं, उनका उत्तर नहीं दिया गया।

श्री क० लकप्पा (तुमकुर) : रेशम बोर्ड की बगंलौर में स्थापना के बारे में भी कुछ नहीं कहा गया।

श्री एस० एम० कृष्ण (मंडया) : रेशम बोर्ड का मुख्यालय कलकत्ते ले जाने का प्रश्न अब पैदा नहीं हुआ है। यह प्रश्न बार-बार सभा में और सभा से बाहर पूछा जा चुका है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय के उत्तर के बाद नये सिरे से वाद-विवाद आरम्भ नहीं किया जा सकता। प्रक्रिया यह है कि जब मंत्री उत्तर दे चुके होते हैं तो उसके बाद नयी चर्चा नहीं की जा सकती है।

श्री एस० एम० कृष्ण : मंत्री महोदय की अयोग्यता के विरोध में मैं सदन छोड़कर बाहर जाता हूं।

श्री क० लकप्पा : सरकार रेशम बोर्ड को बंगलौर स्थानांतरित करने के बारे में दिये गये आश्वासन को पूरा नहीं कर पाई है। हम भी वाक-आउट करते हैं।

(श्री एस० एम० कृष्ण, श्री क० लकप्पा और श्री जे० एच० पटेल सदन से बाहर चले गये)

Mr. Speaker: There is no point in staging walk out at lunch.

प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को 28 फरवरी 1970 तक उस पर राय जानने के लिए परिचालित किया जाये।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ
The Motion was negatived

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम 1948 में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted

अध्यक्ष महोदय : विधेयक के खण्डों पर विचार करने से पहले मैं यह बताना चाहता हूं कि इस विधेयक के लिये कार्य मंत्रणा समिति ने केवल 1 घंटा समय निर्धारित किया है, किन्तु इस पर पहले ही कई गुना अधिक समय लग चुका है। चूंकि इस विधेयक की अधिकांश बातों पर विचार हो चुका है इसलिये सभी खण्डों को मतदान के लिये प्रस्तुत किया जाता है।

श्री लोबो प्रभु : अब तक जो कुछ कहा गया है उसमें मेरा संशोधन नहीं आता और मैं इस पर बोलना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय : अब एक मिनट के बाद सभा मध्याह्न भोजन के लिये स्थगित होगी और उसके बाद आप बोल सकते हैं।

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2.00 बजे म.प. तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2.06 बजे म०प० पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha reassembled after Lunch at six minutes past Fourteen of the Clock

[**श्री एम० बी० राणा पीठासीन हुए**
Shri M. B. Rana in the Chair]

Shri Ramavtar Shastri (Patna) : Mr. Speaker, A report has been received that 14 Professors of Bihar University are on strike. They have not received their pay and the Vice-Chancellor of the University has misbehaved with them. The Education Minister should make a statement in this regard.

Shri Shiv Narain (Basti) : I support it. The Education Minister should make a statement in regard to the misbehaviour meted out to the Professors by the Vice-Chancellor. I condemn the act of Vice-Chancellor (**Interruption**).

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : The Education Minister is aware that they are on hunger strike.

केन्द्रीय रेशम बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1969—जारी

CENTRAL SILK BOARD (AMENDMENT) BILL, 1969—Contd.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

खंड 2 विधेयक में जोड़ा गया

Clause 2 was added to the Bill

खण्ड 3

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : मैं संशोधन संख्या 9 प्रस्तुत करता हूं।

इस सम्बन्ध में मैं सभा का ध्यान बोर्ड के वर्तमान कृत्यों की ओर दिलाना चाहूंगा जो धारा 8 में दिये गये हैं इसमें मेरा संशोधन आ जाता है। मैं दिखाना चाहूंगा कि वे वास्तव में ऐसा नहीं करते। उप खण्ड (क) में निर्माण या डिजाइन का कोई उल्लेख नहीं है। बाकी सब चीजों का उल्लेख है। रद्दी रेशम का समुचित उपयोग नहीं किया जा रहा है। केन्द्रीय रेशम बोर्ड को पिछली रिपोर्ट में इस सम्बन्ध में अनुसंधान करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है जिससे कि इसके निर्यात को रोका जा सकता। मोगा रेशम का भी इसमें कोई उल्लेख नहीं है। अत: मैं इस संशोधन का सुझाव देता हूं क्योंकि इसका सम्बन्ध अधिनियम के उप खण्ड (ग) को हटाये जाने वाले संशोधन से है तथा इसमें रेशम तैयार करने और उसके डिजाइन के सम्बन्ध में खोज करने की आवश्यकता को बल मिलेगा।

चौधरी राम सेवक : माननीय सदस्य ने संशोधन का जो प्रस्ताव रखा है वह इस प्रकार है—"कि रीलिंग या यथास्थिति, ककुन रेशम तथा रद्दी रेशम का बुनना" शब्द प्रतिस्थापित किये जायें। इस संशोधन का उद्देश्य यह है कि सहतूत ककून का तागा लगातार 350 से 800 मीटर लम्बा काता जा सकता है और इसे कपास की तरह काता जा सकता है। ईरी ककून का तागा लगातार नहीं काता जा सकता है। रेशम को कातने तथा रील बनाने की प्रक्रिया भिन्न होती है। रील बनाने के लिये पूरे ककून का प्रयोग किया जाता है जबकि ककून से रेशम का कपड़ा बुनने के लिये रद्दी रेशम और टूटे ककून का प्रयोग किया जाता है। मैं माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधन को स्वीकार नहीं करता।

सभापति महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 9 को सभा में मतदान के लिये रखता हूं।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 9 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

The Amendment was put and negatived

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 3 was added to the Bill

खण्ड 4 (धारा 12 का संशोधन)

श्री शिव चन्द्र झा : मैं अपना संशोधन संख्या 4 प्रस्तुत करता हूं।

अनियमितताओं को रोकने के उद्देश्य से यह व्यवस्था की जानी चाहिये कि बोर्ड के लेखों की महा-लेखाकार द्वारा प्रत्येक तीन मास के बाद लेखा-परीक्षा की जानी चाहिये।

Shri Choudhary Ram Sewak : I do not accept the amendment.

इस समय रेशम बोर्ड का जितना भी खर्चा होता है उसे केन्द्रीय सरकार पूरा करती है। लेखा परीक्षा के सम्बन्ध में जो वर्तमान व्यवस्था है वह पर्याप्त है।

सभापति महोदय : मैं संशोधन को मतदान के लिये रखता हूं ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 4 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

The Amendment No. 4 was put and negatived

Shri K. M. Madhukar : I beg to move the amendment No. 6. The Auditor General has been authorised to audit the accounts of the Board but no period has been fixed. It is necessary to fix the period in clause 4 so that there is effective control on the Board.

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 6 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

The Amendment No. 6 was put and negatived

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 4 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

खण्ड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 4 was added to the Bill

खण्ड 5 (नई धारा 12-क का जोड़ा जाना)

Shri K. M. Madhukar : I beg to move my amendment No. 7.

श्री लोबो प्रभु : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 2, पंक्ति 33 में "activities" **["क्रियाकलाप"] के पश्चात्** "and achievements" **["और उपलब्धियां"] जोड़ा जाये (10)**

रेशम बोर्ड के लिये यह आवश्यक है कि वह अपनी रिपोर्ट में अपनी उपलब्धियों का भी उल्लेख करे । मैंने उसकी रिपोर्ट पढ़ी है पर उसमें कहीं ऐसा उल्लेख नहीं है । उदाहरण के तौर पर, इसमें यह कहा गया है कि कश्मीर के लिये सुधरे किस्म के बीज कोरिया से आयात किये गये किन्तु इसमें इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है कि आयात करने के बाद उन बीजों का क्या हुआ जबकि बोर्ड की रिपोर्ट में उसके क्रियाकलाप और उपलब्धियां दोनों का उल्लेख नहीं है तो आम जनता और इस सदन को क्या मालूम कि वह अपने कार्य में कहां तक सफल रहा । अत: मेरा संशोधन तर्क संगत है ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 7 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

Amendment No. 7 was put and Negatived

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 2, पंक्ति 33 में "activities" **["क्रियाकलाप"] के पश्चात्** "and achievements" **["और उपलब्धियां"] जोड़ा जाये (10)**

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 5, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted

खण्ड 5, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 5, as amended, was added to the Bill

खण्ड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 6 was added to the Bill

खण्ड—1 (संक्षिप्त नाम)
Clause—1 (Short title)

संशोधन किया गया

Amendment made

पृष्ठ 1, पंक्ति 4,—

"1968" **के स्थान पर** "1969" **रखा जाय**

[चौधरी राम सेवक]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 1, as amended, was added to the Bill

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया
Amendment made

पृष्ठ 1, पंक्ति 1,—

"Nineteenth" **["उन्नीसवें"] के स्थान पर** "Twentieth" **["बीसवें"] रखा जाय**

For "Nineteenth" **substitute** "Twentieth"

[चौधरी राम सेवक]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया ।

The Title was added to the Bill

चौधरी राम सेवक : श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाय" ।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

Shri Maharaj Singh Bharati (Meerut) : Although I welcome this Bill it is not going to help development of silk industry in a big way. The demand for silk has increased but production has not increased accordingly. This is because the State Governments are not paying adequate attention to this matter.

There are large number of mulburry trees in various parts of the country but they are not being utilised for silk worm rearing. If these trees are properly utilised, there could be considerable increase in silk production. In addition to this, steps should be taken to encourage mulburry cultivation and a comprehensive Bill should be brought forward in this regard.

Shri Ramavtar Shastri (Patna) : I welcome this Bill. Silk is an important industry of our country but at present it is facing a serious crisis. The workers and small industrialists need special help. Since Government has taken over 14 banks of the country it has enough at its disposal to help these people. If this is not done we could neither increase silk production, nor could the prices be brought down.

The Silk Board has not been functioning properly and there is great need for improving its working. The expenditure incurred on it could be justified, only when this is done.

Shri N. N. Patel (Bulsar) : I welcome this Bill. In the past the silk industry was doing very well in our coutry but now it is not so. It is because the people engaged in the industry are not getting proper facilities. It is high time Government paid due attention to this matter.

A suggestion was made that the office of the Silk Board should be shifted to Mysore. This should not be done and the office should remain at Bombay.

Shri Abdul Ghani Dar (Gurgaon) : The Minister has not explained why silk production has gone down in Jammu and Kashmir. Is it because of strikes or gheraos or because the conditions in this State are not peaceful ?

Shri K. M. Madhukar (Kesaria) : A large piece of land attached with the research station at Ranchi is lying unutilized. The Minister should state what is going to be done in this regard.

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Ttrade and Supply (Chowdhary Ram Sewak) : A suggestion was made that silk production should be increased and that mulburry trees should be utilised for rearing silk woms. This is exactly the purpose for which this Bill has been brought forward. It would be made applicable to the State of Jammu and Kashmir also where silk production has gone down. The Silk Board has been making efforts to increase silk production in all the States.

Government is anxious that poor people get employment in this industry and that they get more money. Therefore, we have suggested that all possible help should be given to those people through the co-operative societies.

As regards the office of the Silk Board at present there is no plan to shift it from Bombay to any other place.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

पेट्रोलियम (संशोधन) विधेयक
PETROLEUM (AMENDMENT) BILL

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दा०रा० चह्वाण): श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री दा० रा० चह्वाण : पेट्रोलियम अधिनियम, 1934, समय-समय पर संशोधित रूप में पेट्रोलियम के आयात, परिवहन, संग्रहण, उत्पादन, शोधन तथा मिश्रण से सम्बन्धित है । इसके अधिनियम का उद्देश्य और उसके अन्तर्गत जो नियम बनाये गये हैं उनका उद्देश्य पेट्रोलियम के आसानी से आग पकड़ने के कारण आग के खतरों से सुनिश्चित सुरक्षा की व्यवस्था करना है । वर्तमान विधेयक फुट-पाउण्ड, सेकेण्ड प्रणाली पर आधारित है । देश ने अब सेन्टीमीटर-ग्राम-सेकेण्ड प्रणाली जो कि मीट्रिक प्रणाली के नाम से प्रसिद्ध है, को अपना लिया है । इसलिये अब फुट-पाउण्ड-प्रणाली के सन्दर्भों को मीट्रिक प्रणाली के लिये संशोधित करना आवश्यक हो गया है ।

पेट्रोल की विभिन्न श्रेणियों के लिये अधिनियम में जो माप रखे गये हैं वे अधिक सन्तोष-जनक नहीं हैं । और इसलिये अन्य उन्नत देशों में प्रचलित प्रथा के अनुसार इन नामों को युक्ति संगत और सरल बनाना वांछनीय समझा गया है ।

अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करने के लिये दण्ड को बढ़ाया जा रहा है और लाइ-सेन्स फीस के अलावा अतिरिक्त फीस लेने की व्यवस्था की जा रही है जैसे कि वर्तमान अधिनियम में है । और अधिनियम तथा तत्सम्बन्धी नियमों के पालन में अनुभव की गई त्रुटियों को भी दूर करने की व्यवस्था की जा रही है ।

वर्तमान अधिनियम में गैलन के सन्दर्भों को मीट्रिक प्रणाली में परिवर्तित कर दिया जायेगा ।

अतः यह विधेयक पूर्णतः निर्विवाद है और यह आशा की जाती है कि सभा के सभी वर्ग इसे स्वीकार करेंगे ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : इस विधेयक को पेश करते समय मंत्री महोदय ने कहा था कि यह विधेयक एक सीधा विधेयक है और उन्होंने ठीक ही कहा था । किन्तु जिस ढंग से पेट्रोलियम मंत्रालय काम कर रहा है वह सन्तोषजनक नहीं है । और इस विधेयक ने हमें अवसर प्रदान कर दिया है कि हम इस प्रश्न पर विचार करें कि इस उद्योग की प्रगति कैसे हो रही है ।

आसाम में एक दूसरी शोधनशाला के लिये बड़ा । आन्दोलन चल रहा है और उनकी यह मांग उचित ही है राज्य की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि उनके पास एक ही कच्चा माल है और वह पेट्रोलियम है अतः राज्य के लोगों के लिये एक और शोधनशाला बहुत आवश्यक है और सरकार को इस सम्बन्ध में निर्णय देने में विलम्ब नहीं करना चाहिये । विलम्ब करके हम एक और विस्फोटक स्थिति उत्पन्न कर देंगे ।

पता चला है कि प्रधान मंत्री गुप्त रूप से आसाम के लोगों को एक ओर तेल शोधनशाला का वचन दिया था । परन्तु क्या प्रधान मंत्री क्या तेल शोधनशाला की मांग को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करती हैं ?

विधेयक का सम्बन्ध कानून और व्यवस्था को बनाये रखने से भी सम्बन्धित है। मेरे राज्य में एक उर्वरक परियोजना और तेल शोधनशाला है जहां दिन-दहाड़े हत्याएं होती हैं । तेल शोधनशाला और उर्वरक फैक्ट्री के कर्मचारी यह शिकायत करते हैं कि वे वहां पर अपने आपको सुरक्षित नहीं अनुभव करते । मंत्री महोदय को बताना चाहिये कि उस क्षेत्र में कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ।

जहां तक मुझे मालूम है प्रधान मंत्री ने आसाम की जनता को व्यक्तिगत रूप से वायदा किया है कि उनके प्रदेश में दूसरी तेल शोधक कारखाना लगाया जायेगा । परन्तु क्या प्रधान मंत्री तेल शोधक कारखाने की इस मांग को सार्वजनिक रूप से मानने को तैयार होंगी ?

इस विधेयक का सम्बन्ध शान्ति व्यवस्था से भी है । मेरे प्रदेश में एक तेल शोधक कारखाना और एक उर्वरक कारखाना है जहां दिन-दहाड़े हत्याएं कर दी जाती हैं । इन कारखानों के कर्मचारी इस बात की शिकायत करते रहे हैं कि वे वहां पर अपने आपको सुरक्षित महसूस नहीं करते । माननीय मंत्री यह बताएं कि इस क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ।

इस बात की अत्यधिक आवश्यकता है कि बिहार में बरौनी तेल शोधक कारखाने और उर्वरक कारखाने के लिये कर्मचारियों के बारे में ठोस नीति तैयार की जाये । यद्यपि राष्ट्रीय एकता परिषद् ने यह निर्णय लिया था कि हर राज्य में सरकारी कारखानों में रोजगार के अवसर विशेष रूप से निम्न श्रेणी पद स्थानीय लोगों को दिये जाने चाहिये लेकिन इस तेल शोधक तथा उर्वरक कारखाने में चौथी श्रेणी तथा तीसरी श्रेणी के पदों पर भी बाहर के लोग नियुक्त किये जा रहे हैं । मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इस मामले पर ध्यान देंगे और प्रत्येक राज्य के सभी सरकारी उपक्रमों के लिये कर्मचारियों की भर्ती आदि के सम्बन्ध में एक ठोस नीति तैयार करेंगे ।

देश में साम्प्रदायिक स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य के बारे में प्रस्ताव
MOTION RE: STATEMENT ON COMMUNAL SITUATION IN THE COUNTRY

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं :

"कि देश में साम्प्रदायिक स्थिति के बारे में गृह-कार्य मंत्री द्वारा 3 दिसम्बर, 1969 को सभा-पटल पर रखे गये वक्तव्य पर विचार किया जाये ।"

मैं इस वक्तव्य पर और अधिक विस्तार से बोलना नहीं चाहता परन्तु बनारस में 2 दिसम्बर को हुई घटना के बारे में बताऊंगा ताकि चर्चा आसान हो जाये ।

राज्य सरकार से मिली जानकारी के अनुसार 2 दिसम्बर, 1969 को दोपहर के बाद बनारस में एक दंगा हो गया पूजा, कीर्तन आदि के समय के बारे में दो समुदायों के बीच स्थानीय रूप से एक विवाद चल रहा था । राज्य पुलिस तथा प्रदेश सशस्त्र पुलिस के दस्ते शान्ति बनाये रखने के लिये वहां पर तैनात कर दिये गये थे । दोपहर के करीब जब दोनों समुदाय के लोग पूजा के लिये इकट्ठे हुये तो अल्पसंख्यक समुदाय के लगभग 1000 व्यक्तियों का जत्था, जो भालों, बल्लम आदि से सशस्त्र था, वहां आकर भारी ईंट पथराव करने लगा जिससे लगभग एक दर्जन पुलिस कर्मचारियों तथा अन्य लोगों को भी गम्भीर चोटें आयीं । जब स्थिति और अधिक बिगड़ती गई तो प्रदेश सशस्त्र पुलिस ने गैर-कानूनी ढंग से इकट्ठी हुई भीड़ को तितर-बितर करने के लिये गोली चलाई । इस गोली चलाने के परिणामस्वरूप घायल तीन व्यक्ति मर गये । इस दंगे में घायल हुये एक व्यक्ति की हालत गम्भीर होने की सूचना मिली है । शान्ति बनाये रखने के लिये सभी आवश्यक उपाय किये गये हैं । शहर के कुछ भागों में दफा 144 लगा दी गई है । अब तक 32 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है । समाचार मिला है कि अब स्थिति काबू में है और सामान्य जन-जीवन में बाधा नहीं पहुंची है । अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने उन परिस्थितियों की जांच आरम्भ कर दी है जिनमें गोली चलानी पड़ी थी ।

सभापति महोदय : निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया :

"कि देश में साम्प्रदायिक स्थिति के बारे में गृह-कार्य मंत्री द्वारा 3 दिसम्बर, 1969 को सभा-पटल पर रखे गये वक्तव्य पर विचार किया जाये ।"

श्री यशपाल सिंह : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 1 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री शिवचन्द्र झा : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 3 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री मोरारजी देसाई (सूरत) : साम्प्रदायिक समस्या अत्यधिक चिन्ताजनक है । मुख्य प्रस्ताव के बारे में स्थानापन्न प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं जिनमें अहमदाबाद की स्थिति पर कार्यवाही करने में गुजरात सरकार को दोषी ठहराया गया है । मैं इस बारे में नहीं बोलूंगा क्योंकि यह मामला न्यायिक जांच आयोग के लिए सौंप दिया गया है ।

हमारे देश में साम्प्रदायिक समस्या कोई नई समस्या नहीं है । यह समस्या बहुत दिनों से चली आ रही है और अब यह इतनी गम्भीर हो गई है कि इससे हमारे अस्तित्व को भी खतरा

पैदा हो गया है। जब तक इस समस्या को जड़ से मिटाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाये जायेंगे तब तक हमारा भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता। हमें इस समस्या का अन्त करना पड़ेगा। अतः हमें किसी को दोषी ठहराने के बजाय इस समस्या पर वस्तुपरक ढंग से विचार करना पड़ेगा।

अंग्रेजों के आने से पहले इस देश में कोई साम्प्रदायिक झगड़े नहीं थे। सभी लोग आपस में मेल-जोल से रहते थे। परन्तु ये झगड़े गत शताब्दी के अन्तिम वर्षों में ही आरम्भ हुए जबकि अंग्रेजों ने एक-दूसरे समुदायों से लाभ उठाने के लिए उनमें फूट डालने की कोशिश की। अन्ततोगत्वा मुस्लिम लीग स्थापित हुई और देश में आये दिन दंगे होने लगे। देश के विभाजन के समय तो इन दंगों ने गम्भीर रूप ले लिया था। विभाजन के समय जो कुछ हुआ उससे हृदय कांप उठता है। जिन लोगों ने इन दंगों में भाग लिया वे तो एकदम पशु ही हो गये थे और इसकी प्रतिक्रिया ने भी इतना गम्भीर रूप लिया कि उसने महात्मा गांधी जी की जान तक ले ली। परन्तु महात्मा गांधी जी के बलिदान से देश में कुछ समय के लिए सुबुद्धि जागी और कुछ समय तक के लिए ये घटनाएं बन्द हो गईं।

लेकिन जब पूर्वी पाकिस्तान में हिन्दुओं पर अत्याचार किये गये और उन्हें वहां से निकाल दिया गया, तो फिर से साम्प्रदायिक तनाव पैदा हो गया और देश के विभिन्न भागों विशेष रूप से उत्तर भारत में साम्प्रदायिक दंगों की घटनाएं होने लगीं। हालांकि दंगों पर तो काबू पा लिया गया परन्तु तनाव का वातावरण उसके बाद भी समाप्त नहीं हुआ। फिर 1967 में ये घटनाएं हुईं और साम्प्रदायिक तनाव पैदा हो गया जो देश में आज भी बना हुआ है।

अहमदाबाद में हुई घटनाओं के बारे में मैंने उपवास रखने का अन्तिम कदम उठाया क्योंकि इन्हें रोकने के लिए अन्य कोई उपाय नहीं था। यह भय था कि अहमदाबाद में जो कुछ हुआ है वह कहीं समूचे गुजरात में न फैल जाये। ये दंगे पूरे भारत में भी फैल सकते थे। अतः मुझे यह आखरी कदम उठाना पड़ा। मैंने अहमदाबाद में जो साम्प्रदायिक तनाव देखा वह कंपा देने वाला है। जब तक यह तनाव का वातावरण दूर नहीं किया जायेगा हम कुछ नहीं कर सकते।

पिछले वर्षों से राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठकें समय समय पर होती आ रही हैं परन्तु यह परिषद इस समस्या को कारगर ढंग से दूर करने में विफल रही है। इसलिए हमें इस समस्या का हल निकालने के लिए गम्भीरता से विचार करना पड़ेगा।

ब्रिटिश शासन के समय देश में जो साम्प्रदायिक दंगे होते थे उनका कारण स्थानीय होता था, अधिकतर गौहत्या या किसी मस्जिद के सामने संगीत के कारण। लेकिन ये सब कारण स्थानीय होते थे। ऐसा वातावरण उन अधिकारियों तथा व्यक्तियों द्वारा बनाए रखा जाता था जो कि देश में ऐसा तनाव का वातावरण पैदा करना चाहते थे।

लोगों का ऐसा ख्याल था कि पाकिस्तान बन जाने से यह समस्या दूर हो जायेगी परन्तु

ऐसा नहीं हुआ है। इससे तनाव और अधिक बढ़ा है। इसमें पाकिस्तान का काफी हाथ है क्योंकि वह भारत के विरुद्ध लगातार विष वमन करता रहता है और भारत की धर्म निरपेक्षता की लगातार आलोचना करता रहता है और इस प्रकार भारत को चैन से नहीं बैठने दे रहा है। पाकिस्तान नहीं चाहता कि भारत प्रगति करे और धर्म-निरपेक्षता की नीति पर चले। यह सम्भव है परन्तु हमें उस रास्ते पर नहीं चलना चाहिए जिस पर पाकिस्तान हमें चलाने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है पाकिस्तान के एजेन्टों ने ही इस तनाव को उकसाया हो, परन्तु यदि हमारे पास वास्तव में सुबुद्धि है और मन तथा व्यवहार में धर्म निरपेक्षता है तो साम्प्रदायिक तनाव क्षणभर में दूर किया जा सकता है। परन्तु कुछ थोड़े लोगों को छोड़कर हर व्यक्ति ऐसे तनाव के समय साम्प्रदायिक ढंग से ही बात करता है। हमें इस प्रवृत्ति को छोड़ना होगा।

अविश्वास और तनाव की वजह से दंगे हुए हैं। मुसलमानों की वफादारी पर आक्षेप और संदेह के कारण भी तनाव बढ़ रहा है। यह बहुत गलत बात है। यह क्यों हो रहा है इसके मूल कारण पर भी विचार करने की आवश्यकता है और सरकार, राजनीतिज्ञों, समाज-सेवकों जैसे अग्रणी लोगों को इस बारे में सक्रिय कार्यवाही करने और उन कारणों को दूर करने को कहना चाहिए जिससे ये दंगे भड़क उठते हैं।

कभी कभी हर बात के लिए बहुसंख्यकों को दोषी ठहराया जाता है। चाहे अल्प-संख्यक ही उत्तरदायी हों परन्तु उन्हें दोषी नहीं ठहराया जाता। इसलिए भी बहुसंख्यकों को शिकायतें हैं। कभी-कभी अल्प संख्यकों को या तो कुछ जगहों में नौकरियों या अन्य मामलों में उचित व्यवहार नहीं मिलता और इसलिए बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों की ही शिकायतें हैं। इन सब शिकायतों को दूर करने की आवश्यकता है।

फिलिस्तीन की अल-अक्सा मसजिद के भ्रष्ट किये जाने के कारण जलूस निकाले गये हैं। गुजरात के अहमदाबाद, नडियाड और अन्य स्थानों में भी जलूस निकाले गये हैं। जलूसों के बारे में किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए बशर्ते कि वे शान्तिपूर्ण हों और उनमें नारेबाजी न हो। किन्तु इन जलूसों में "इस्लाम से जो टकरायेगा चूर चूर हो जायेगा" जैसे नारे लगाये गये हैं। भारत में इन नारों का क्या मतलब है। जब देश में इस प्रकार का नारा लगाया जाता है तो जिस प्रकार यहां पहले घटनायें हुई हैं तथा तनाव रहा है उसका हिन्दुओं के दिमाग पर भी भयानक असर होता है। हिन्दू समाज को केवल इस प्रकार कमजोर करने से कोई लाभ नहीं है। वे भी इन्सान हैं। अतः दोनों पक्षों को इस बात का ध्यान रखना है कि किसी को न भड़काया जाय और खुद भी न भड़कें।

अनेक मुस्लिम जलूसों में आये दिन 'पाकिस्तान जिन्दाबाद' के नारे लगाये जाते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है। इस तरह यह विचार बनना स्वाभाविक ही है कि उनकी भारत की बजाय पाकिस्तान के प्रति अधिक सद्भावना है। यही कारण है कि विदेशों के प्रति निष्ठा होने का उन पर सन्देह किया जाता है। किन्तु ऐसा कुछ ही लोगों द्वारा किया जाता है, न कि पूरे समुदाय द्वारा।

यदि हिन्दुओं द्वारा कोई गलत काम किया जाता है तो सारे हिन्दू नेताओं द्वारा उनकी निन्दा की जानी चाहिये । इसी तरह यदि मुसलमान कोई गलत काम करते हों तो सभी मुसलमान नेताओं द्वारा उनकी निन्दा की जानी चाहिये किन्तु ऐसा नहीं किया जाता सभी जगह विषैला वातावरण है जिसे समाज से दूर किया जाना चाहिए । अन्यथा यह सारे समाज तथा उसके प्रत्येक अंग में फैल जायगा और यह बात हमारे महसूस करने से पहले ही सारा देश निर्जीव हो जायेगा ।

यह कहने से कोई फायदा नहीं कि केवल साम्प्रदायिक संस्थाएं ही यह काम कर रही हैं । जो संस्थाएं अपने आपको गैर-साम्प्रदायिक कहती हैं वे भी इस गड़बड़ी का लाभ उठाते हैं और जैसा भी मौका मिलता है एक दूसरे को बारी बारी से भड़कातें हैं । अहमदाबाद में साम्यवादी दल के कुछ व्यक्ति, जो वहां गये थे एक ऐसे आदमी के मेहमान थे जिसके घर से बम मिले हैं और मंत्री बिना किसी जिम्मेवारी के बयान देते रहे हैं । ऐसा करने से साम्प्रदायिकता की आग और भी अधिक सुलगती है ।

जिन लोगों को कानून और व्यवस्था सम्बन्धी कार्यवाही करनी है यदि वे निष्पक्ष हैं और उनके मन में तरफदारी की कोई भावना नहीं है और वे प्रत्येक व्यक्ति के साथ एकसा बर्ताव करते हैं और जो व्यक्ति गलती करता है उसके साथ सख्त कार्यवाही करते हैं तो साम्प्रदायिकता पर न केवल नियंत्रण ही किया जा सकता है परन्तु उसे पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है । जो लोग साम्प्रदायिक भावना को उत्तेजित करते हैं और तनाव पैदा करते हैं उन्हें कड़ा दण्ड दिया जाना चाहिये । बदमाशों के साथ सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए । सरकार को ऐसे तरीके ढूंढ निकालने चाहिए जिससे यह कार्य सम्भव हो सके ।

अब समय आ गया है कि सभी साम्प्रदायिक संस्थाओं पर नियंत्रण किया जाना चाहिये । इन्हें राजनीति में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये । मुझे यह कहना है कि सरकार पर यह बात नहीं छोड़ देनी चाहिये कि वह किसी संस्था विशेष के साम्प्रदायिक होने या न होने का निर्णय करे । इस बात का निर्णय करने के लिये एक निष्पक्ष निकाय होना चाहिये ।

हमें शिक्षा की ओर भी ध्यान देना चाहिए । हम अपने बच्चों को सभी धर्मों के प्रति आदर करने की शिक्षा नहीं दे रहे हैं । धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हम उन्हें धर्म से दूर ले जा रहे हैं । हर एक बच्चा सबसे पहले अपने धर्म के बारे में, जो भी उनका धर्म हो, सीखे । फिर दूसरे धर्मों के बारे में सीखे । तब वह सभी धर्मों का आदर करेगा ।

माननीय सदस्यों को इस सम्पूर्ण समस्या पर ध्यानपूर्वक विचार करना चाहिये और एक दूसरे पर आरोप लगाने की बजाय सारी की सारी समस्या पर विचार कर इसका स्थायी समाधान ढूंढ निकालना चाहिये । यदि राजनीतिक दृष्टि से इसका कुछ लाभ उठाया जाता है तो वह देश के लिये अच्छा नहीं होगा ।

श्री याज्ञिक (अहमदाबाद) : अहमदाबाद में साम्प्रदायिक दंगे शुरू होने से पहले ऐसी विभिन्न घटनायें हुईं, जिससे साम्प्रदायिक तनाव बढ़ा । वहां ऐसे जलूस निकाले गये और नारे

लगाये गये, जोकि यह सब नहीं किया जाना चाहिये था। वहां कुरान और रामायण सम्बन्धी घटनायें भी हुईं। सरकार ने स्थिति को संभालने में विलम्ब किया है। मन्दिर पर आक्रमण करने के बाद अनेक हिन्दुओं ने समझा कि सरकार ने उनका अपमान किया है क्योंकि उसने अपराधियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की। अधिकांश समुदाय ने समझा कि उनका जीवन खतरे में है। अतः उन्होंने स्वयं कार्यवाही करना आरम्भ कर दिया और जिसका परिणाम यह हुआ कि साम्प्रदायिक दंगा न केवल नगर की सड़कों तक ही सीमित रहा, अपितु यह अहमदाबाद शहर के उपनगरों में भी फैल गया।

कहा गया है कि गुजरात सरकार को 10,000 हथियार दिये गये थे। तो उसने इन हथियारों से काम किया ? पुलिस कर्मचारियों को ये हथियार सप्लाई नहीं किये गये। अहमदाबाद में अश्रु गैस का प्रयोग नहीं किया गया।

गुजरात सरकार ने एक जांच आयोग नियुक्त किया है। इससे लोगों में विश्वास पैदा नहीं होता है। लोगों में अपनी शिकायतें जांच आयोग तक पहुंचाने और उनसे मुक्ति पाने में उत्साह नहीं है।

केन्द्रीय सरकार को अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक होना चाहिए। अहमदाबाद शहर में शान्ति स्थापित करने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार ने ही सेना भेजी थी और इसलिये यह अपनी जिम्मेदारी से अलग नहीं रह सकती। शान्ति कायम करने के बाद उसे साम्प्रदायिक दंगों के कारणों की जांच करनी चाहिये और साथ ही साथ उसे स्थानीय सरकार की जिम्मेदारी के बारे में भी जांच करनी चाहिये। गुजरात सरकार एक दोषी व्यक्ति की स्थिति में है, जिसके कार्यों की जांच करनी होगी। अतः यह आवश्यक है कि एक उपयुक्त जांच आयोग की नियुक्ति की जाय, जिससे वह स्थिति के तथ्यों का पता लगाये और निष्पक्ष निर्णय दे और इसके बाद ऐसे मार्गोपायों पर विचार किया जाय, जिससे साम्प्रदायिकता का जहर देश के लोगों के हृदय और मस्तिष्क से समूल नष्ट किया जाय।

श्री मोहम्मद इमाम (चित्रदुर्ग) : हम एक गम्भीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं। गृह मंत्री ने जो विवरण पेश किया है, उसमें ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया है कि साम्प्रदायिकता को समूल नष्ट करने के लिये कारगर कदम उठाये जा रहे हैं। अल्पसंख्यक और विशेषकर मुसलिम उसी स्थिति में हैं। इससे हमारे देश की एकता को धक्का पहुंच रहा है। और हमारी धर्मनिरपेक्ष की नीति का उपहास हो रहा है। अब ये दंगे आमतौर पर बढ़ते जा रहे हैं। राउरकेला, रांची और नागपुर में भी ऐसा ही हुआ। लेकिन इन सबके बावजूद हमारी सरकार कारगर कदम उठाने पर विचार नहीं करती है। अहमदाबाद के साम्प्रदायिक दंगों में हजारों व्यक्ति मारे गये। करोड़ों रुपये की सम्पत्ति जला दी गई और लूट ली गई। जो कुछ हुआ है हमें उस पर शर्म आनी चाहिए।

मैं सरकार को दोषी नहीं ठहराता और न ही सरकार को कुछ कहना चाहता हूं किन्तु यदि पर्याप्त पुलिस होती तथा यदि पुलिस ने दृढ़ता और सतर्कता से काम किया होता

तथा यदि सेना को पुलिस की सहायता के लिये उपयुक्त समय में बुलाया होता तो मेरे विचार से मनुष्यों की कम क्षति हुई होती और मनुष्यों की इतनी हत्याएं न हुई होतीं जितनी हुई हैं।

तथ्य यह है कि कुरान और रामायण की जैसी ऐसी घटनाएं हिन्दू और मुस्लिम दोनों पक्षों में हुई जिनसे एक दूसरे की भावनाओं को चोट पहुंची है। यह बात कही गई है कि वहां साम्प्रदायिक तनाव बढ़ रहा था और केन्द्रीय सरकार को इस बात के बारे में मालूम था। स्थानीय सरकार ने उचित समय में कोई कार्यवाही की या नहीं की तथा केन्द्रीय सरकार ने इस अवसर पर क्या किया, इस बारे में जांच की जानी चाहिये।

गृह मंत्री ने कहा है कि कानून और व्यवस्था के बारे में स्थानीय सरकार का दायित्व था। यह ठीक है कि कुछ छुट-पुट मामलों तथा छोटी घटनाओं में कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिये स्थानीय सरकार पर भरोसा किया जा सकता है किन्तु ऐसे मामले में जहां सारे देश तथा आबादी पर असर पड़ता हो क्या केन्द्रीय सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है ? मेरा विचार है कि लाखों मुसलमानों तथा दूसरे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का तथा इनके लिये देश में शान्तिपूर्ण और सम्मानपूर्ण वातावरण बनाने का दायित्व केन्द्रीय सरकार पर है।

मुझे इस बात से बड़ा दुख हुआ है जब अहमदाबाद में यह बड़ी दुखद घटना हो रही थी तो कोई भी केन्द्रीय मंत्री वहां नहीं गया और सभी प्रमुख मंत्री इधर उधर व्यस्त रहे। केन्द्रीय सरकार की यह सीधी जिम्मेदारी है कि वह यह व्यवस्था करे कि मुसलमानों से जो कि एक अल्पसंख्यक समुदाय के हैं, सम्मान तथा शान्तिपूर्वक जीवन बिताते हैं और यह जिम्मेदारी स्थानीय सरकार पर नहीं छोड़ी जानी चाहिए क्योंकि धर्म निरपेक्षता बनाये रखने की जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार की है।

एक बात यह समझ में नहीं आती है कि सेना पर लगभग 1000 करोड़ खर्च किया जाता है तथा पुलिस भी पर्याप्त है फिर भी इस प्रकार की दुखद घटनाएं हुई हैं।

इन सब घटनाओं का कुल प्रभाव यह हुआ है कि जहां तक अल्पसंख्यकों का सम्बन्ध है सारे देश में घबराहट फैली हुई है। वे ऐसा महसूस करते हैं मानों वे एक ज्वालामुखी पर बैठे हुए हों जो कभी भी भभक उठे। यह सब सरकार द्वारा उन्हें उचित सुरक्षा देने में असफल होने तथा सरकार की सुस्ती के कारण है।

सभी धर्मों के मूल सिद्धान्त एक ही हैं। हिन्दू धर्म शान्ति और प्रेम पर आधारित है। इस्लाम भी शान्ति, शान्ति ही कहता है। तो फिर दोष कहां है।

मैसूर में हिन्दू-मुस्लिम एकता की महान परम्परा है। अभी भी मुसलमान हिन्दुओं के मन्दिरों की मरम्मत के लिये चन्दा देते हैं। मुसलमानों ने हिन्दुओं के मन्दिरों के लिये जमीन भी दी है। केन्द्रीय सरकार ऐसी व्यवस्था करे जिससे जहां कहीं भी इस प्रकार का मैत्रीपूर्ण वातावरण है उसे दूषित न किया जाय।

कुछ समाज विरोधी तत्व हैं तथा सभी समुदायों में कुछ ऐसे लोग हैं तथा कुछ समाज विरोधी संगठन हैं जिनका लक्ष्य एक समुदाय का दूसरों समुदाय में भेदभाव पैदा करना है। इन समाज विरोधी संगठनों का प्रभाव सारे देश में फैल रहा है। सरकार का यह कर्तव्य है कि इस प्रकार के विषैले वातावरण को किसी भी व्यक्ति द्वारा धर्म के नाम पर न फैलाया जाय। ऐसे लोगों तथा संगठनों को दूर रखा जाना चाहिये तथा इन पर प्रतिबन्ध लगना चाहिये।

इन दंगों के बारे में कुछ जिम्मेदारी मुसलमानों पर डाली गई है। बहुत से लोग सही अथवा गलत तरीके से यह संदेह करते हैं कि मुसलमानों की सदभावना बाहरी देश के प्रति है। यह सन्देह दूर किया जाना चाहिये। तथ्य यह है कि 6 करोड़ मुसलमानों ने भारत के साथ अपने भाग्य का निर्णय किया है। यही नहीं बल्कि उनके बच्चे और पोते भी भारत में रहेंगे और भारत ही में मरेंगे। किसी बाहरी देश के प्रति निष्ठा का कोई प्रश्न ही नहीं है। यह धारणा होनी चाहिये कि जब तक यह सिद्ध नहीं हो जाता है तब तक सभी मुसलमान देश के प्रति निष्ठावान हैं। यदि इसके विपरीत सिद्ध हो जाता है तो जो भारत के हितों के विरुद्ध काम करते हैं उन्हें फांसी दी जानी चाहिये। गत बीस वर्षों में मुसलमानों का बर्ताव बहुत अच्छा रहा है और उन्होंने वफादार नागरिकों का जैसा बर्ताव किया है और विभाजित वफादारी तथा दुहरी नागरिकता का कोई प्रश्न नहीं है।

भारत में अनेक विभिन्नताएं हैं। यहां बहुत धर्म, रिवाज और भाषाएं हैं। इस विभिन्नता में से एकता पैदा की जानी है। यदि भारतीय एकता को सजीव बनाया जाना है तो सभी समुदायों को एकता बनाने के प्रयत्न करने की आवश्यकता है। सभी प्रमुख धर्मों को भारतीय एकता बनाने के कार्य को एक पवित्र कर्तव्य तथा धर्म का अंग समझना चाहिये। सभी में पारस्परिक सद्भावना होनी चाहिये। यही इसका एकमात्र वास्तविक उपाय है, न कि पुलिस और सेना।

Shri Shashi Bhushan (Khargone): Every Indian is loyal to his country. Those who call muslims traitors are traitors themselves.

Before communal riots rumours are spread and posters etc. are displayed with a view to inciting people. In Ahmedabad, posters asking muslims to quit India were displayed and people spread rumours that in justice was being done to Hindus.

Persons who indulge in communal riots are not punished sufficiently and thus they are becouraged to indulge in reckless killings. Many persons make sacrifices by protecting the lives of the people belonging to the other community in communal riots. But Government do not honour them by giving them suitable awards.

When trouble took place in Sabarmati Ashram the Governor had asked the State Government to send the police but no heed was paid to his request. Therefore, Governor was compelled to send his own guards. The Governor of Gujarat did useful work but the press neglected his work and did not publicise his activities.

Communal riots took place in Ranchi, Titagarh, Rourkela, Jabalpur and Jamshedpur. These are the places where there are public sectors. The intention of those who incite commu-

nal riots there was to discredit the public sector. Communal riots are also encouraged at places where there are big industries in order to create divisions in the trade unions.

If the State Governments and local offices exercise proper vigilance before hands, these communal riots can be avoided. It is their duty to control such riots. But if local offices fail to do their duty, action should be taken against them.

When riots took place in Ahmedabad, some M.Ps. had gone there. But it is regrettable to note that C.I.D. people were instructed to keep a watch on their activities. Efforts were made to tap their telephonic calls. The persons with whom these M.Ps. had stayed were arrested after the M.Ps. left.

The inquiry set up by the Gujarat Government would not serve any purpose. The Central Government should hold a judicial enquiry into the riots.

Unless communal bodies are barred, socialism in the country would not progress. R.S.S. must be barred.

Shri Jagannath Rao Joshi (Bhopal) : Communal riots do not go to enhance the prestige of any country. It is indeed a matter of shame that such riots take place in our country. We should bear in mind that these riots do great harm to the entire nation.

Inquiry is going on into the Ahmedabad riots. It would surely bring the facts to light.

[श्री क० ना० तिवारी पीठासीन हुए
Shri K. N. Tiwary in the Chair]

It would be wrong to indulge in any propaganda with a political motive. It would not help anybody.

It is amusing that the newspaper 'Blitz', while publishing a report on Gujarat riots, has stated that "The California News Bulletin broadcast on September 17, claimed 1500 persons were killed in rioting in Gujarat. And coincidently, it is said, Jana Sangh General Secretary, Shri Jagannath Rao, Secretly flew down to Ahmedabad straight from California on September 17. I would like to draw the attention of Minister of Home Affairs that the report is absolutely untrue because I was in Delhi on 17th September. Actually the troubl e began on 19th, but the California Bulletin of the 17th states that 1500 were killed in Gujarat riots. That was how the people are misled and incited to create trouble.

Actually there is a committee which is investigating about the number of persons killed. I agree with Shri Chavan that as the case may be, there should not be wrong figures in this connection. You like to remove the state of tension in the country but this tension does not remain only in the community, for the communal tension, political communalism is also taking place strongly.

There are two main reasons for the occurrence of violence. We do not know the exact position for which reason the tensional atmosphere has prevalent. There is a scope for the differences in democracy but there should be a way to express the differences.

There is a freedom of religious practices in our country. There was Ramakrishna Parmhansa, who realised God according to his belief. Then, there are Christians and Muslims who worshipped God according to their own faith. God is omnipresent and is there in hearts of all. If we accept this, there would no ground for any conflict.

In fact, The British when they were here tried to create division amongst Hindus and Muslims on religious issues because they were interested to achieve certain political motives. But after they had gone, no attempt has been made in our country to bring about integration and mutual understanding between communities.

There is inherent unity in our diversity. There may be different language and faiths in our country but we are all one.

In this country, where we are born, there has been a place of tolerance. This comes only by 'To know all is to forgive all.' An American came to the ex-Shankracharya of Shringeri, the Guru of present Shankracharya that he intends to be a Hindu. The Shankracharya said that he should give the clarification for three points. Firstly, what is the meaning of his being Christian, Secondly, what he desires to get in this life and thirdly, whether he is able to get that thing while he is a Christian. He could not understand all these points. The Shankracharya said that 'to know oneself is a name of Hindu'. What he intends to get in his life, he should be clear himself. So there has been a tendency to remain unite and that is why, there has been no conflict in them.

This conflict started during the reign of Britisher and that was only because of the political motives. And after that, the country was divided. If this division occurred by love, there was no objection. But it was done because of fear and violence. And this tendency is being increased day by day. After partition, it was believed that the creation of Pakistan was going to be the panacea for all Hindu Muslim ills. But this has not proved to be correct and actually the trouble has increased after partition.

You have stated that there was a dispute. But you have not clarified whether the dispute was sudden or what were the causes of the dispute. We must respect the sentiments of each other. I want to point out another incident where the foundation stone of Vivekanand was removed. The persons responsible therefor were Catholics. Why was the tablet desecrated ? The advice given by the Chief Minister, Shri Bhaktavatsalam was also very funny. He wanted that a small idol should be installed so that it could be covered and protected. Why should it be so ? Why should the temple be guarded by the police ?

There was a dispute in Maharashtra about Gyaneshwar pillar. The dispute went upto High Court. Despite the dispute, a temple has been erected around the pillar.

I do not understand why there are disputes in India. There is neither shortage of space nor of stones. There are plenty of stones sufficient for building churches, mosques and temples.

I want to know about another case in Kashmir. A minor Hindu girl was kidnapped. Why has not the normal course of law been taken ? Why the blame is being shifted on the shoulder of other persons for the communal disturbances taking place in Ahmedabad or West Bengal. No attempt should be made to shift the blame for the disturbances which take place. Our constitution guaranteed equal rights to all, irrespective of caste, colour, creed or sex and

made no distinction between the citizens. In view of that there should be no distinction between the citizens. In view of that there should be a uniform code for the entire country. Also there should be no talk of reservation of posts in the police for a particular community.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]

We should all live together with mutual tolerance to whichever religion we might belong. We had to expand the field of mutual understanding. The Government should take the initiative in the fulfilment of this objective.

श्री पी० राममूर्ति (मदुरै) : पिछले कुछ वर्षों में देश में साम्प्रदायिक समस्या ने सिर उठाया है । इसका विशद विवेचन करना मेरे लिये सम्भव नहीं होगा क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है । अहमदाबाद जैसी घटनायें जो देश में स्वाधीनता के 22 वर्ष बाद भी हो रही हैं, वे सरकार की नीतियों के कारण हैं । साम्प्रदायिकता की समस्या पर केवल साम्प्रदायिकता के दृष्टिकोण से विचार नहीं किया जाना चाहिये । इसके पीछे सामाजिक व्यवस्था तथा आर्थिक नीतियां हैं ।

कुछ पिछली घटनाओं को अहमदाबाद में मुसलमानों के हत्याकाण्ड से छोड़ने का प्रयास किया गया है । लेकिन वहां जो कुछ हुआ, उसका कोई औचित्य नहीं दिया जा सकता । 2,000 और 3,000 के बीच लोग मारे गये और सारे अहाते तथा बस्तियां जल कर मलवा बन गये । मुस्लिम पुरुषों, महिलाओं, युवा बच्चों के हाथ और पैर बांध कर उनको उनके घरों से घसीटकर बाहर लाया गया । सड़कों पर उनकी हत्या की गई और जलाया गया । इसके पीछे कोई व्यवस्थित चीज न होती तो ऐसी बात न होती । केवल मुसलमानों के घरों में प्रवेश किया गया । उदाहरण के तौर पर अहमदाबाद में नयू मेन्टल कालोनी में, जहां हिन्दू और मुसलमान दोनों रहते हैं, वे केवल मुसलमानों के घरों में मुसलमानों को बाहर लाने तथा गलियों में उनकी हत्या करने के लिये उनके घरों में गये ।

यह खेद की बात है कि हमारे देश के कुछ नेता मुसलमानों के प्रति घृणा का प्रचार करते हैं । उनके अनुसार ज्योंही कोई व्यक्ति हिन्दू से इस्लाम धर्म में जाता है, त्योंही इस देश के प्रति उसका प्रेम समाप्त हो जाता है और इसलिये वह देश द्रोही है । उनका यह भी कहना है कि ऐसे व्यक्तियों को हिन्दू धर्म में वापस लाया जाना चाहिये और यदि वे हिन्दू धर्म में वापस नहीं आते हैं तो वे इस देश के प्रति निष्ठावान नहीं हैं । इस आधार पर कुछ लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों का भारतीयकरण किया जाना चाहिये । हम जानते हैं कि गोलवलकर उनके गुरू हैं और जानते हैं कि भारतीयकरण का क्या अर्थ है । इसलिये यह उचित समय है कि हम इसके मूल कारणों की ओर ध्यान दें । जब इन्दौर में एक हिन्दू कन्या का एक मुसलमान द्वारा बलात्कार किया गया तो समूचे मुसलमान सम्प्रदाय पर दोष लगाया गया । देश में इस तरह की मनोवृत्ति को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है ।

यह स्वीकार करना होगा कि देश में वर्तमान वातावरण में साम्प्रदायिक दंगों को पूरी तरह रोकना सम्भव नहीं है । ऐसी घटनाएं जगतदल तथा तेलीनिपारा में भी हुई हैं । लेकिन

महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि तेलीनिपारा तथा जगतदल और अहमदाबाद में जो घटनायें हुई, उनमें क्या अन्तर है ? इन साम्प्रदायिक दंगों के प्रति प्रशासन का क्या रवैया है ?

तेलीनिपारा में साम्प्रदायिक दंगे हुये । तेलीनिपारा तथा जगतदल क्षेत्रों से कांग्रेस दल का उम्मीदवार सदा जीतता रहा है। इस बार वे कुछ उम्मीदवार हमारी सहायता से जीते । उसके फौरन बाद वहां पर हिंसक घटनायें शुरू हो गईं। वहां पर हिंसा भड़क उठने के तत्काल बाद राज्य के गृह-मंत्री वहां पहुंचे, कुछ घण्टों में सभी पुलिस अधिकारियों को बदल दिया और समूची घटना नियन्त्रण में लाई गई । इसके मुकाबले में अहमदाबाद में क्या हुआ ? वहां पुलिस ने क्या किया । जो इमामबाड़ा पुलिस थाने के बिल्कुल सामने स्थित है, उसे और इमामबाड़ा के आस-पास के घरों को उखाड़ फेका गया । लेकिन पुलिस बिल्कुल मौन रही, प्रशासन ने क्या किया ? क्या मुख्य मंत्री ने अगले दिन उन लोगों से मिलने और उनको धैर्य देने के लिये बाहर आने का साहस करने की शिष्टता दिखाई ? क्या वह अपने कार्यालय से हिले ? मुख्य मंत्री पांच दिन तक अपने बंगले से बाहर नहीं आये । केवल राज्यपाल श्री श्रीमन्नारायण के बाहर आने और चारों ओर स्थानों में जाने के बाद ही मुख्य मंत्री बाहर आये । उन्होंने क्या कार्यवाही की ? उन्होंने कौन-सी कठोर कार्यवाही की है ? कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है?

इसके बाद जो जांच आयोग स्थापित किया गया है, उसके बारे में बहुत कुछ कहा गया है । जहां तक साम्प्रदायिक दंगों का सम्बन्ध है, ये जांच आयोगों को किसी चीज का पता नहीं लगेगा। यह एक दिखावा मात्र है । आयोग को कुछ भी मालूम नहीं हो सकता क्योंकि मुसलमान, जिन पर इन दंगों का प्रभाव हुआ है, न्यायालय में आकर साक्ष्य देने को तैयार नहीं हैं । पुलिस आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक जैसे अधिकारी जिन्होंने कार्यवाही करने से इन्कार कर दिया, वहां पर अभी भी हैं और साक्ष्य तैयार कर रहे हैं । इस तरह की जांच से कोई भी परिणाम नहीं निकलने वाला है ।

पिछले महीने की तीन तारीख को सभी राजनीतिक दलों की जो एक बैठक बुलाई गयी थी, उनके निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिये राष्ट्रीय एकता परिषद् की स्थायी समिति ने एक संकल्प पास किया है और उस बैठक में यह निर्णय किया गया है कि कुछ ही समय में सभी दलों को देश के सभी राज्यों की राजधानियों में जन आन्दोलन करना चाहिये, ताकि सभी दलों के चोटी के नेता साथ जाकर जनता में भाषण करें और वातावरण को बदलें । एक महीने से अधिक समय बीत चुका है लेकिन इस सम्बन्ध में अभी तक कुछ नहीं किया गया है । सरकार को कार्यवाही करने से कौन रोकता है ? यदि सरकार इस बारे में चिन्तित है तो उसे देश में साम्प्रदायिकता को रोकने के लिये इसके विरुद्ध जोरदार प्रचार करना चाहिये ।

Shri Randhir Singh (Rohtak) : Mr. Speaker, Sir, the communal riots in Ahmedabad were one of the worst during the recent times. These were most tragic happenings which should make us hang our heads in shame. Hundreds of precious human lives were sacrificed and property worth crores of rupees was lost. If communal riots continue in the country, it is doubtful whether we will be able to preserve even our independence.

The country does not belong to any particular section. It belongs to all people irrespective of their caste, creed and religion whether they are Hindus, Muslims, Sikhs, Christians or others. No religion preaches hatred. All religions stand for love, humanity and mutual understanding. As such, there is no reason why this communal tension and this ill-feeling should exist at all. If politics is mixed with religion, the country will go down.

I am not prepared to accept that only Hindus have made sacrifices for the country. Muslims have also contributed in our Civilisation, Education and Character. Kashmir was first saved by Brigadiar Usman and then by a Muslim, Din Muhammad, Col. Abdul Rehman, the Chief AID of Netaji, was a Muslim. Abdul Hamid destroyed 7 tanks of Pakistan and he has no equal in the whole world. Muslims have thus contributed in every field. Late Dr. Zakir Hussain was a humanist and a noble gentleman. In our freedom movement, the Muslims made equally great sacrifices and have made a notable contribution. Even after independence, a number of muslims have set examples of great patriotism. Hence, it is absolutely wrong to doubt the loyalty of the Muslim community as a whole.

More muslims should be recruited in our Police and Armed Forces. If Muslims had been there in the police as well as amongst the officials posted at Ahmedabad, perhaps the situation would not have taken such a serious turn.

The working of the intelligence department should be made more effective and efficient. It should have a cell at the Centre and also i ı the States and there should be proper co-ordination amongst them. If any untoward happening takes place anywhere in the country, persons responsible therefor should be dealt with severely. If an officer of the Intelligence Department is found to be negligent in his duty, he should also be punished. A collective fine should also be imposed in the riot affected areas so that every one in that area takes care to see that there is no occurrence of riots there.

Shri Yashpal Singh (Dehra Dun) : During the communal riots in Ahmedabad, there was complete disorder, lawlessness and breakdown of administration for three days. The armed police was not armed with tear-gas or any fire arms. It had only sticks. The Central Government was not asked to send military force for three days. As a result, looting, arson and murder went on unchecked.

The Government should state why the Government of Gujarat was not asked to explain the negligence it showed in handling the situation in Ahmedabad and why was the Chief Minister not called to Delhi. The State Government should have been dismissed for its complete failure to give protection to the minorities.

Mahatma Gandhi was against the partition of the country. Those who agreed to Partition can not be regarded as the believers in one-nation theory. By accepting partition they had deceived Mahatma Gandhi. They had deceived Badshah Khan and all those who had sacrificed their lives for the unity of the country. Mahatma Gandhi had given an assurance that he would not accept the partition of India even if the whole of the country were to go into flames. But it is never too late to mend. Even now, there is a need for efforts to be made to bring about reunion and break the artificial barriers. If the Government does not move in that direction, the people of both the countries who have been artificially divided will be doing so themselves.

Mr. Speaker : Now Minister of Parliamentary Affairs would present report of Business Advisory Committee. This debate will continue to-morrow and the Minister of Home Affairs would reply to it on Monday.

कार्य मंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

41वां प्रतिवेदन

संसद-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का 41वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

इसके पश्चात् लोक-सभा शुक्रवार, 5 दिसम्बर, 1969 / 14, अग्रहायण, 1891 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, the 5th December, 1969/Agrahayana 14, 1891 (Saka)

Tej Kumar Press, Lucknow. 24-2-70—340